हैदराबाद के आर्यों की साधना और संघर्ष

पं० नरेन्द्र

हैदराबाद के आर्यों की साधना और संघर्ष

ओ३म्

हैदराबाद के आर्यों की
साधना और संघर्ष

लेखक
पंडित नरेन्द्र
हैदराबाद

गोविन्दराम हासानन्द

आर्यसमाज स्थापना शताब्दी प्रकाशन

गोविन्दराम हासानन्द स्वर्णजयन्ती प्रकाशन

प्रकाशक | विजयकुमार
गोविन्दराम हासानन्द
४४०८, नई सड़क, दिल्ली-६

प्रथम संस्करण | मार्च, १९७३

मूल्य | Rs. 10/-

मुद्रक | अजय प्रिंटर्स, दिल्ली-३२

उनकी याद में—

आर्यसमाज के उन समुज्ज्वल हुतात्माओं और वीर सेनानियों के नाम जिन्होंने हैदराबाद के मानव-मुक्ति के यज्ञ में उत्सर्ग होकर वैदिक धर्म के उद्यान को अपने रक्त अथवा पसीने से सींचा और उसे एक ऐसे लहलहाते उपवन में बदल दिया जिसकी शीतल वायु आज भी हैदराबाद के लाखों व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक एवं नैतिक शान्ति का कारण बनी।

—नरेन्द्र

अन्तर्वस्तु

कर्मठ सेनानी

श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी की सम्मति

आर्यसमाज का जन्म ही यों तो क्रान्ति की घड़ियों में हुआ। १८५७ की क्रान्ति होकर चुकी थी, चारों ओर देश में सन्नाटा था। अंग्रेज़ों का दमनचक्र भी अपनी पराकाष्ठा पर था। ज़ुबानों पर ताले डाल दिये गये थे और कलमें रगड़ दी गई थीं। लोग समझने लगे थे—अब कई दशाब्दियों तक भी स्वाधीनता की बात करनेवाला कोई नहीं होगा। ऐसी विषम स्थिति में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज की नींव रखी। पंजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त, उत्तर प्रदेश और बिहार में आर्यसमाज की शाखायें खुलने लगीं। पर सुदूर दक्षिण में वह हवा कुछ देर से पहुँची। यातायात के साधन भी आज की तरह विकसित नहीं थे और सुधार की जिस योजना को लेकर आर्यसमाज उठा, उसका अपनों ने परायों से भी ज़्यादा विरोध किया।

हैदराबाद की रियासत दक्षिण में ही नहीं, पूरे भारत में अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। सोना-चाँदी, हीरे-जवाहरात जितने यहाँ थे उतने किसी रियासत में नहीं थे। पर हैदराबाद का नवाब और उसके दाएँ-बाएँ लगा फ़िरक़ापरस्तों का काफ़िला अपने कठमुल्लापन के लिए भी हिन्दुस्तान में उतना ही बदनाम था। अल्पसंख्यकों विशेषकर हिन्दुओं पर जो ज़ुल्म उन दिनों निज़ाम की हुकूमत में ढाये जा रहे थे उन्हें याद करके भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जिनपर वह बीती होगी उनका तो कहना ही क्या! इस पुस्तक के लेखक पंडित नरेन्द्र जी की तो सारी जवानी ही निज़ाम की जेलों में निकल गई। कब माँ मरी, कब पिता मरे, जब इसी का पता नहीं तो दूसरे रिश्तेदारों की कौन कहे! दो बार तो मुसलमान उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ गये। पर जाको

राखे साइयाँ मार सके न कोय । भगवान् ने तो और भी बड़ी सेवायें उनसे लेनी थीं । हैदराबाद में आर्यसमाज का इतिवृत्त लिखने के लिए उनसे अधिक और कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता था । आधे से अधिक इतिहास के तो वह स्वयं नायक हैं । इस पुस्तक के लेखक क्योंकि वह स्वयं हैं इसलिए अपने से सम्बन्धित घटनाओं को न लिखकर उन्होंने पाठकों के साथ न्याय नहीं किया । इससे तो अच्छा होता कोई और ही इसे लिखता ।

हैदराबाद के आर्य-सत्याग्रह को भला कौन भूल सकता है ? मुझे स्वयं सबसे पहले इसी सत्याग्रह में सात मास कारावास भुगतना पड़ा था । निज़ाम के साथ जब समझौते की बात चलने लगी तो चौदह शर्तें आर्यसमाज की ओर से रखी गईं । यदि निज़ाम-सरकार उन्हें मान लेती तो सत्याग्रह बन्द हो जाता । उनमें से तेरह शर्तें तो निज़ाम ने मान लीं पर एक पर वह अड़ गया और सत्याग्रह उसी में एक महीना और खिंच गया । वह चौदहवीं शर्त थी—हैदराबाद के कालापानी मनानूर में वर्षों से बन्द युवक आर्य-नेता पंडित नरेन्द्र को रिहा करना । निज़ाम को भय था यह व्यक्ति बाहर आते ही फिर पता नहीं क्या तूफ़ान बरपा करेगा ! इसी से अनुमान लगाया जा सकता है पुस्तक के लेखक का हैदराबाद में आर्यसमाज के आन्दोलन से सम्बन्ध ही केवल नहीं रहा, उसके प्रमुख संचालकों में से वह एक हैं ।

हैदराबाद के इतिहास में उन तीन युवकों को भी शायद आसानी से न भूला जा सके जिन्होंने निज़ाम-हैदराबाद पर बम फेंकने के लिए शोलापुर में निशाना साधने की छः महीने तक ट्रेनिंग ली थी । आखिर एक दिन वह आ ही गया जब उन्हें अपने प्रशिक्षण का परिणाम देखना था । निज़ाम साहब हर रोज़ शाम को अपनी माँ की क़ब्र पर फूल चढ़ाने क़ब्रिस्तान जाते थे । उनके जाने और आने के समय सड़कें बन्द हो जाती थीं । कोई सवारी तो क्या, सड़कों पर पैदल चलनेवाले भी रोक दिये जाते थे । इन युवकों ने इसी अवसर को अपनी लक्ष्यपूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त माना । निज़ाम के महल से क़ब्रिस्तान जाने के रास्ते

में तीन ऐसे मोड़ आते थे जहाँ गाड़ी को बहुत धीरे करना होता था। ये तीनों बलिदानी युवक उन्हीं मोड़ों पर एक-एक करके भीड़ में खड़े हो गये। तीनों के एक हाथ में बम और दूसरे में ज़हर की शीशी थी। निश्चय यह हुआ जिसके बम से निज़ाम मरे वह तत्काल ज़हर पी ले जिससे उसके रहस्य भी उसी के साथ चले जायँ। सबसे पहले मोड़ पर जिस युवक की ड्यूटी लगी उसका नाम था नारायण राव। निज़ाम की गाड़ी मोड़ पर आते ही नारायण राव ने निशाना साधकर बम मारा पर निज़ाम उससे बाल-बाल बच गये। गाड़ी की डिग्गी तो उसमें उड़ गई, सड़क में भी काफी गहरा गढ़ा हो गया पर निज़ाम बच गये। निश्चय उन युवकों का यह था—यदि पहले मोड़ से निज़ाम बच जायँ तो दूसरे मोड़ पर खड़ा युवक अपना वही काम करेगा और दूसरे से भी बच निकले तो तीसरा बम फेंकेगा। वह नौबत ही न आई और निज़ाम साहब बीच में से ही घर लौट आये। नारायण राव ने भी, जब निज़ाम नहीं मरे तो ज़हर पीना व्यर्थ समझा। उसे पकड़कर जेल भेजा गया और सारे रहस्य जानने के लिए फाँसी के अतिरिक्त सभी यातनायें उसे दी गईं। पर बहादुर नारायण राव अपने पर ही अन्त तक सारा दोष लेता रहा। हैदराबाद में फाँसी की सज़ा तो उन दिनों थी नहीं, इसलिये नारायण राव को आजीवन कारावास की कठोर सज़ा दी गई। हैदराबाद में हुई पुलिस-कार्यवाही के बाद सरदार पटेल को जब यह बात पता लगी तो सबसे पहले उन्होंने नारायण राव को ही छोड़ने का आदेश दिया। नारायण राव को छोड़ा ही नहीं, सरदार ने उसे दिल्ली भी बुलवाया और पूछा—तुमने निज़ाम पर बम क्यों फेंका था? क्या तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं था? नारायण राव ने अपने सीधे-साधे शब्दों में कहा—जो ज़ालिम हज़ारों माँ-बहनों और बच्चों को मरवा रहा था उसे मारकर मैं यदि मर भी जाता तो कितनों को जीवन मिलता? सरदार हँसे और अपनी कुर्सी से उठकर नारायण राव की कमर थपथपाते हुए बोले—शाबाश! बहुत अच्छा! हमने हिन्दुस्तान को आज़ाद किया, और तुमने हैदराबाद को आज़ाद किया, जाओ खुश रहो! नारायण राव

अब भी सौभाग्य से जीवित है। न किसी ने उसे राजनैतिक पेन्शन दी और न यह पूछा तू कहाँ और कैसे रहता है ? पीछे उसे तपेदिक हो गई, बिना पैसे के इलाज की व्यवस्था न हो सकी। तब भी पंडित नरेन्द्र ने ही उसे सहारा दिया।

जैसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ, आर्यसमाज दक्षिण में देर से तो जरूर पहुँचा पर इसके सिद्धान्तों और आदर्शों को जो निखार वहाँ मिला वह अन्यत्र न मिल सका। दूसरे राज्यों में तो हिन्दू-समाज की बुराई दूर करते-करते उलटे आर्यसमाज में ही उसकी बुराइयाँ प्रवेश कर गईं। जन्म के आधार पर जात-पाँत का परित्याग और शुद्धि की हवा भी जो वहाँ चली वह उत्तर में स्वामी श्रद्धानन्द जी के बाद ठंडी-सी ही पड़ गई। हैदराबाद में तो एक समय था, जब जन्म के आधार पर स्वजाति में विवाह करना अपराध ही केवल नहीं था अपितु आर्यसमाज की सदस्यता से भी उसे हाथ धोना पड़ता था। एक-आध तो प्रान्तीय स्तर के नेताओं के साथ भी यह घटना घटी। यही कारण था कि आर्य-समाज हिन्दू-समाज की दुर्बलताओं से हैदराबाद में जमकर लोहा लेता रहा।

हिन्दुओं की कितनी दयनीय दशा वहाँ हो गई थी, आज तो उसे याद करके भी कष्ट होता है। वेश-भूषा, भाषा, रीति-रिवाज सब उनसे छीन लिये गये थे। आर्यसमाज के सार्वजनिक कार्यक्रमों में वहाँ भीड़ तो बहुत होती ही थी, श्रोताओं में अच्छी संख्या में उन लोगों की भी उपस्थिति रहती थी जो बाहर को चोटी की तरह लटकते हुए फुँदने-वाली लाल तुर्की टोपी लगाते थे। एक बार तो मैं अपना आश्चर्य न रोक सका और पूछ ही बैठा—क्या बात है, मुसलमान यहाँ बहुत आर्य-समाज के कार्यक्रमों में रुचि लेते हैं ? तब एक अधिकारी ने बताया—ये हिन्दू ही हैं। रियासत के रिवाज में आकर मुस्लिम टोपी लगाते हैं। हिन्दू सरकारी कर्मचारियों पर तो अनिवार्यता-सी ही यह टोपी लगाने की थी। भाषा के बारे में भी उर्दू का बोलबाला था। स्कूलों में, कॉलेजों में, कचहरी और सरकारी दफ़्तरों में उर्दू ही उर्दू छाई हुई थी।

हिन्दी आर्यसमाज के विद्यालयों, कार्यक्रमों और समाज के रजिस्टरों में ज़रूर सिसक रही थी, पर उसके प्रचार और प्रसार पर प्रतिबन्ध था। ऐसी ही स्थिति रीति-रिवाजों की हो गई थी। ईद, मुहर्रम और कब्रों पर चादर चढ़ाने में हिन्दू भी सवाब मानने लगे थे। आर्यसमाज ने विजयादशमी और होली को जुलूस निकालकर एक नई दिशा हिन्दू-समाज को वहाँ दी। चार-चार, पाँच-पाँच मील तक लाखों की संख्या में सशस्त्र हिन्दू लोग जब उमंगों में जय-जयकार करते हुए निकलते थे तो हैदराबाद हिल जाता था। आज भी यद्यपि वह परम्परा जारी है पर समय के प्रवाह ने उसमें परिवर्तन कर दिया है।

स्वाधीनता की लहर भी हैदराबाद में आर्यसमाज के द्वारा ही पहलेपहल चली। सामाजिक और राजनैतिक, दोनों तरह की क्रान्ति में आर्यसमाज अगुआ बना हुआ था। गांधी जी ने आर्यसमाज के उस ऐतिहासिक सत्याग्रह की समाप्ति पर कहा था—इतना अनुशासित और ज्वार की तरह उमड़ता हुआ सत्याग्रह मैंने पहली बार जीवन में देखा है। सरदार पटेल ने तो हैदराबाद की विजय पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कह ही दिया—आर्यसमाज ने यहाँ पहले से यदि भूमि तैयार न की होती तो तीन दिन में पुलिस-कार्यवाही सफल होनी मुश्किल थी। आज तो सहसा उस परिस्थिति की कल्पना भी करना कठिन है।

इस पुस्तक को लिखकर पंडित नरेन्द्र जी ने बहुत-सी बिखरी हुई उन स्मृतियों को इकट्ठा कर दिया है जो देर होने से विस्मृति के गर्त में दबती चली जातीं। वैसे अभी और भी बहुत इसपर लिखा जा सकता है। कोई प्रतिभाशाली युवक इसी विषय पर शोध-ग्रन्थ भी लिखे तो और अच्छा रहे! पुरानी पीढ़ी के पंडित नरेन्द्र जी जैसे जो दो-चार व्यक्ति अभी शेष हैं, वह इसमें अच्छे सहायक रह सकते हैं।

—महर्षि दयानन्द सरस्वती

पहली बात

भारत में आर्यसमाज का इतिहास वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का इतिहास है। यद्यपि धर्म एवं समाज-सुधार का आन्दोलन देश के कुछ विशिष्ट समाज-सुधारकों व ऋषियों की ओर से पिछली पाँच-छः शताब्दियों के मध्य जब आरम्भ हुआ तो उन्होंने हिन्दू जाति की बिगड़ी हुई रुचि व श्रद्धा को ठीक करके उसमें वैदिक धर्म की सच्ची भावना यत्नपूर्वक उत्पन्न की। हिन्दुओं की विचार-प्रवृत्ति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें पवित्र वेद की शिक्षा से कोई लगाव न रह गया था। ईश्वर-उपासना के स्थान पर मूर्तिपूजा व नाना प्रकार के मतमतान्तर चल पड़े थे। जाति-पाँति व ऊँच-नीच के भेद ने राष्ट्रीय एकता को बिखेर दिया था और प्रत्येक दिशा में अज्ञान व पथ-भ्रष्टता का वातावरण ही दिखाई देता था। वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का महान् आन्दोलन महर्षि दयानन्द सरस्वती के पवित्र मिशन द्वारा आरम्भ हुआ। परमात्मा ने इस महान् पुरुष से करोड़ों मनुष्यों के सुधार व जागृति का काम लिया। महर्षि का सारा जीवन संसार एवं मानवता की सेवा में बीता और वह अपने उपदेशों को एक जीवित तथा शक्तिशाली आन्दोलन के रूप में छोड़ गए, जो आर्यसमाज के नाम से विख्यात है और जो भारत के बाहर भी कई देशों में अपना मस्तक ऊँचा कर रहा है। आर्यसमाज ने धार्मिक एवं सामाजिक सुधार और नव-निर्माण के अतिरिक्त भारत की स्वतन्त्रता, अखण्डता और उसकी महानता को बनाये रखने में अपना पूर्ण योग दिया है।

भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में कोई नव्वे वर्ष पूर्व आर्यसमाज की स्थापना हुई थी। इसका मूल उद्देश्य था—धर्म, समाज-सुधार एवं मानवता की सेवा। जब यह आन्दोलन दृढ़ होता गया तो निज़ाम का शासन समाज का विरोधी बन गया और आश्चर्य की बात यह है कि उस शासन के

अत्याचारों ने इसे एक क्रान्तिकारी आन्दोलन बना दिया और निरन्तर संघर्ष के कारण इसमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई कि वह हैदराबाद की तथा अन्य राष्ट्र-संगठनों के साथ निज़ाम-सरकार की भाग्यरेखा पर अन्तिम छाप लगा देने में सफल हो गया।

हैदराबाद में आर्यसमाज का इतिहास लगभग नव्वे वर्ष पुराना है इसलिए इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या के लिए कई संस्करणों की आवश्यकता होगी। पिछले कई वर्षों से यह विचार मेरे मस्तिष्क में था कि आर्यसमाज का इतिहास लिखा जाय। राज्य एवं आर्यसमाज के एक पुराने कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस आन्दोलन से सम्बद्ध होने तथा इसमें सक्रिय भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए यह कार्य मुझे पहले-पहल अत्यन्त कठिन दिखाई दिया, किन्तु जब सामग्री इकट्ठा करना आरम्भ किया तो पता चला कि आर्यसमाज का विस्तृत इतिहास-लेखन अधिक समय चाहता है। सामग्री इकट्ठा करना मुझ-जैसे व्यस्त व्यक्ति के बस की बात न थी, किन्तु इस विचार से कि कहीं इतिहास लिखने का विचार ही धूमिल न पड़ जाय, अन्ततः मैंने जनता के आगे आर्यसमाज का इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया और समय-अनुसार काम आगे बढ़ता गया।

परमात्मा की असीम कृपा से मैं कुछ महीनों के भीतर ही इस काम को पूरा कर देने में समर्थ हो सका, जो आपके सामने पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। मैं इन पंक्तियों को समाप्त करने से पूर्व एक-दो बातों को स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ। आर्यसमाज के नव्वे-वर्षीय आन्दोलन का यह इतिहास निष्पक्ष रूप से लिखा गया है। इसमें आपको प्राचीन हैदराबाद राज्य के धार्मिक तथा राजनैतिक इतिहास की झलक दिखाई देगी। सारी घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है और मैंने यथासम्भव पूर्वाग्रह से बचने का भी प्रयत्न किया है जिससे इतिहास लिखने की विशेषता बनी रहे। आशा है इस संक्षिप्त इतिहास को पाठकगण रुचिपूर्वक पढ़ेंगे। इतिहास-लेखन का कार्य आरम्भ करने से पूर्व मुझे पूर्ण विश्वास था कि 'आर्य प्रतिनिधि

सभा-कार्यालय' से मुझे अधिकांश सामग्री की उपलब्धि होगी, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि निज़ाम-शासनकाल में रज़ाकारों के उठते हुए तूफ़ान से सुरक्षा की दृष्टि से, सामग्री को अनेक स्थानों पर परिवर्तित करना पड़ा जिससे सामग्री के इकट्ठा करने में बड़ी कठिनाई हुई। पुनः, महत्त्वपूर्ण सामग्री की उपलब्धि की सम्भावना ही क्योंकर की जा सकती है !

दूसरा कारण यह है कि जिनके पास सारी सामग्री प्राप्त हो सकती थी, वे आर्य-जगत् के लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय भाई वन्सीलाल जी वकील तथा 'हैदरावाद आर्य समाज' के प्राण श्री चन्दूलाल जी थे। उनके स्वर्गारोहण के कारण सम्भव है कितनी ही घटनाओं का इसमें समावेश न हो पाया हो।

साथ ही, सम्पूर्ण सामग्री को श्री विजयवीर जी विद्यालंकार, एम०ए०, प्राध्यापक प्राच्य महाविद्यालय, हैदरावाद ने आद्योपान्त देखकर संशोधन आदि द्वारा जो सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं उनका, सामग्री के जुटाने एवं स्मृति के आधार पर घटनाओं का ग्रंथन करने में श्री गुरुचरणदास जी सक्सेना पत्रकार तथा श्रीमान् पं० दयाशंकर जी शर्मा, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ सहयोग प्रदान किया है, हृदय से आभारी हूँ।

प्रस्तुत पुस्तक में यदि कोई आवश्यक घटना छूट गई हो तो उसका एकमात्र कारण उस घटना से मेरा अपरिचित होना या उसकी प्राप्ति न होना ही है। अतः विज्ञ पाठकगण इसे क्षम्य समझकर ध्यान नहीं देंगे।

—लेखक

प्रथम खण्ड

प्रथम चरण

आर्यसमाज का उदय

धर्म एक ऐसी पद्धति का नाम है जिसमें मनुष्य के कल्याणार्थ मार्ग-प्रदर्शन हो और जिसके भीतर मानव-जीवन के सर्वविध कर्त्तव्यों एवं आध्यात्मिक आदर्शों का सुन्दर प्रतिपादन पाया जाय। मनुष्य को प्रकृति की देन प्राप्त है। उसका सदा से यह नियम रहा है कि व्यावहारिक जीवन की मंजिल से आगे बढ़कर आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता एवं उच्च-आदर्शों की ओर भी ध्यान दे। यद्यपि इस वास्तविकता से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस सृष्टि के शनैः-शनैः प्रादुर्भूत होने के साथ जब मनुष्य संसार में आया तो उसका शीश परमात्मा के आगे स्वतः झुक गया कि भू-मण्डल का स्वामी वही है।

ईश्वर-उपासना

जब से सृष्टि बनी है तब से मनुष्य ईश्वर को पूजता चला आ रहा है। मनुष्य को संसार में आये करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं, वह उन्नति की बड़ी-बड़ी मंजिलें तय कर चुका है, तथापि, उसे धर्म की आज भी आवश्यकता है। पश्चिम के कुछ विचारकों ने मनुष्य की प्रकृति के मार्ग में धर्म को एक रुकावट समझा था और उनका कहना था कि धर्म मानव-विचार व दृष्टिकोण की स्वतन्त्रता को छीन लेता है। आर्थिक उन्नति के समर्थकों एवं सामाजिक न्याय व स्वतन्त्रता के इन दावेदारों ने जनता के मार्ग से धर्म को हटा देने का यथासम्भव प्रयत्न किया था।

ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मनुष्य की कल्पना को मिथ्या सिद्ध करने के लिए कई साधन अपनाये गये, किन्तु नास्तिकता का प्रभाव व्याप्त न हो सका और एक लम्बे समय के बाद जब जनता के दिलों को टटोला गया तो पता चला कि ईश्वर-पूजा की भीतरी भावना घटी नहीं, अपितु अधिक बढ़ चुकी है। इस प्रकार उनका विचार निराधार सिद्ध हुआ। धर्म की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए जो शस्त्र अपनाए गए थे, वे क्षीण होते गए और इस धरा-निवासियों के लिए धर्म के द्वार पुनः खुल गए।

मानव-एकता, समानता और परमात्मा के बारे में पहले जिस धर्म ने स्पष्ट उद्घोषणा की थी, वह विश्व का सबसे व्यापक और प्रथम धर्म वैदिक धर्म है। वेद का यह सन्देश प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत है :

(१) मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे।
(२) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्।
(३) सगंच्छध्वं संवदध्वम्……

मानव-एकता व समानता के आधार पर एक श्रेष्ठ समाज बनाने की कल्पना वेद भगवान् ने दी है। इसका विश्व के अन्य धर्मों में कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। संसार के अन्य धर्मों में मानव-एकता, प्रेम व शांति के बारे में जो बातें मिश्रित दिखाई देती हैं, वस्तुतः वे वैदिक धर्म की छाया-मात्र हैं। संसार ने १८वीं एवं १९वीं शताब्दी में बहुत-सी क्रांतियाँ देखी हैं। इन क्रांतियों व परिवर्तनों के फलस्वरूप कई राजनैतिक व आर्थिक दृष्टिकोण अनुभवों की सीमाओं से गुज़रे हैं। मानवता व समानता के आधार पर कहीं एक स्वस्थ समाज की उन्नति की चिन्ता लगी रही है, तो कहीं कृत्रिम प्रगति की बुनियाद पर एक राष्ट्र की सत्ता को समस्त जगत् पर फैला देने की योजना काम करती देखी गई है। कुछ दृष्टिकोणों के टकराव के कारण मानवता एवं सभ्यता को दूसरे भयंकर महायुद्ध से दो-चार होना पड़ा।

संसार प्रेम के लिए तरस रहा है

इतने रक्तपात, लड़ाई और उसके भयानक परिणामों के बाद आशा थी कि संसार में एक बार फिर शान्ति की स्थापना हो जायगी, किन्तु संसार आज भी शान्ति, मिलन, एकता व प्रेम के लिए तरस रहा है। मानवता एक ऐसे समाज के लिए तड़प रही है जो प्रेम, एकता एवं न्याय के आधार पर स्थित हो।

आज मानवता को जिस खोए हुए धन की आवश्यकता है, उसे भारत १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में संसार के आगे रख चुका था। एशिया के चमकते हुए मस्तक भारत के आध्यात्मिक आकाश पर सदियों बाद एक ऐसा सितारा निकल आया जिसकी जगमगाहट से अज्ञानरूपी अन्धकार का विनाश दिखाई देने लगा और जिसके व्यक्तित्व से प्रेम व शान्ति के स्वर वायुमण्डल में गूंजने लगे। यह वह देदीप्यमान तारा था जिसे संसार महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से स्मरण करता है।

महर्षि दयानन्द की शिक्षा

१९वीं शताब्दी में एक विचारक, दार्शनिक, शान्तिदूत, समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ, क्रान्तदर्शी ऋषि दयानन्द थे जिन्होंने वेद भगवान् के सच्चे अनुयायी के रूप में मूर्तिपूजा के आडम्बर के विरुद्ध बड़े साहस व वीरता के साथ संघर्ष किया और ईश्वर की अद्वितीय सत्ता का प्रतिपादन किया। आपने बताया कि "ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।" महर्षि ने एक बार पुनः इस वास्तविकता को दुनिया के आगे रखा कि वेद सचाई का खज़ाना है। वे इसी बात का उपदेश करते रहे कि सब मनुष्य समान हैं। महर्षि दयानन्द ने जहाँ वेद के उजाले को अपने देश में फैलाने और देश से अज्ञान, भ्रम व भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न किया, वहाँ सारे संसार को एकता व प्रेम अथवा शान्ति व मिलाप का

संदेश भी दिया और यह बताया कि सारा संसार वेद भगवान् का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रश्नों को सुलझा सकता है।

सार्वभौम समाज की स्थापना

महर्षि दयानन्द ने भारत में वैदिक धर्म को अपनाने और सारे जगत् में उसके प्रचार के लिए एक ऐसे समाज की नींव डाली जो अपनी भावनाओं, सिद्धान्तों एवं कर्मों के अनुसार एक अनुपम समाज है क्योंकि यह ऊँच-नीच के भेद को मिटाकर, विश्व में शान्ति व एकता के दृष्टिकोण का समर्थन कर, सत्य व न्याय के नैतिक सिद्धान्तों को आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा का व्रत लेने, अज्ञान को मिटाने और विद्या व ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाने का प्रयत्न करता है।

'आर्यसमाज' वैदिक धर्म का प्रतिनिधि है

स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन में ही आर्यसमाज की हर ओर चर्चा हो चुकी थी और सत्यान्वेषी जन स्वामी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर चुके थे। लोग आभास पाने लगे थे कि आर्यसमाज ही वैदिक धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकता है और उसी के सिद्धान्त व विश्वासों को ग्रहण करके मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति व उन्नति के प्रयास में सफल हो सकता है। महर्षि न केवल भारत, अपितु सारे जगत् एवं समूची मानवता की भलाई के लिए इस बात को आवश्यक समझते थे कि वेद भगवान् के ऊँचे विचारों अथवा महान् संदेश को विश्व-भर में फैला दिया जाय। स्वामी दयानन्द सरस्वती कदापि यह नहीं चाहते थे कि जो धर्म विश्व के आरम्भ ही से मनुष्यों का मार्गदर्शन करता रहा, वह केवल भारत की सीमा में ही क़ैद होकर रह जाय। जिस धर्म के अनुयायियों ने विद्या व कला की नींव रखी और संस्कृति व सभ्यता के झण्डे ऊँचे किये, वे ही दूसरों के अधीनस्थ हो जायँ—यह उन्हें स्वीकार न था। इसके लिए उन्होंने सच्ची भावना व गहरे विचार के साथ आर्यसमाज की स्थापना

की जिससे कि वैदिक धर्म एक दिन सारे विश्व पर छा जाय और शिक्षा, ज्ञान, शान्ति व समानता के चाहनेवालों के लिए आर्यसमाज मार्गदर्शक वन सके।

महर्षि के बाद आर्यसमाज का विस्तार आरम्भ हुआ। भारत में बम्बई पहला स्थान है जहाँ ७ मार्च १८७५ ई० को इस मिशन ने जन्म लिया और स्वामी जी के उत्साहपूर्ण अनुयायियों के प्रयास से भारत के कोने-कोने में इसकी शाखाएँ फैल गईं। आज आर्यसमाज हर जगह मौजूद है। बर्मा, सिंगापुर, मलयेशिया, मॉरीशस, बग़दाद, अफ्रीका, गुयाना और संसार के कई देशों में आर्यसमाजें स्थापित हैं जो वैदिक धर्म का निरन्तर प्रचार कर रही हैं।

'समाज' की राष्ट्र-सेवाएँ

भारतीय जीवन के प्रत्येक अंग को स्वस्थ बनाने में आर्यसमाज ने अपना योग देने का पूर्ण प्रयत्न किया है। स्वाधीनता-संघर्ष में आर्यसमाज ने अपने शानदार कर्तव्य का पालन किया है। देश से अज्ञान, अदूरदर्शिता, पक्षपात व अन्ध-विश्वासों को मिटाने के लिए वह बराबर प्रयत्न करता रहा है। शिक्षा के प्रचार एवं विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने में उसके प्रयास का हर ओर स्वागत किया गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के रचनात्मक काल में समाज अपने कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के जिस मार्ग में आ पहुंचा है, उसको भी पार करने की दिशा में वह निरन्तर यत्नशील है।

संघर्षमय इतिहास

भारत के विभिन्न प्रदेशों और राज्यों में आर्यसमाज को यद्यपि स्वाधीनता के पूर्वकाल से बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और कुछ स्थानों पर उसका संघर्ष धैर्य व परीक्षा की कठिन मंजिलों से गुज़रा है, किन्तु हैदराबाद में आर्यसमाज का इतिहास लगातार संघर्ष व संग्राम का इतिहास रहा है। आर्यसमाज का यह इतिहास जिसका अगले

पृष्ठों पर वर्णन किया जा रहा है, हैदराबाद के हज़ारों वीर आर्य-समाजियों एवं उनके लाखों समर्थकों के धड़कते हुए दिलों और तड़पती हुई इच्छाओं की एक ज्वलन्त कहानी है। यह एक ऐसी जीवन-गाथा है जो रक्त और आँसुओं से मिलकर तैयार हुई है, जो यह दिखाती है कि जनता के साहस के आगे बड़ी-से-बड़ी शक्ति के शोषण व अत्याचार का भी मस्तक झुक जाता है।

हैदराबाद में आर्यसमाज का उषाकाल

महर्षि दयानन्द की शिक्षा एवं उनके मिशन को आर्यसमाज के रूप में भारत के विभिन्न केन्द्रों में फलने-फूलने के अवसर प्राप्त होते रहे हैं। हैदराबाद, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इस दिशा में उसे किस तरह वंचित रखा जा सकता था ! आकाश पर जब सूर्य चमक उठता है तो उसकी गर्मी एवं प्रकाश से धरती का कोना-कोना चमक जाता है। आर्यसमाज का प्रादुर्भाव मानवता की भलाई के लिए हुआ। भारत में वैदिक धर्म का प्रचार उसका प्रधान उद्देश्य था। देश के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में आर्यसमाजी संगठनों को स्थापित कर देने का विचार उसके उत्साही मार्गदर्शकों एवं कार्यकर्त्ताओं को बेचैन करने लगा था।

हैदराबाद में अँधेरा

हैदराबाद राज्य पर उस समय, जबकि भूतपूर्व नवाब मीर उस्मान अली खाँ बहादुर के पिता नवाब मीर महबूब अली खाँ बहादुर का शासनकाल था, काफ़ी अज्ञान और अन्धकार छाया हुआ था। हिन्दू-समाज मूर्तिपूजा और अन्ध-विश्वासों से ग्रस्त था। अज्ञान के इस युग में वैदिक धर्म एवं महर्षि दयानन्द के अनुयायियों की इच्छा थी कि आर्य-समाज का सन्देश हैदराबाद के कोने-कोने में पहुँच जाय और एकेश्वर-वाद की धुन पर ईश्वर-पूजा के गीत भटके हुए मनुष्यों के हृदयों को शाश्वत स्वरों में लीन कर दें।

प्रगति के कदम

'धारूर' में आर्यसमाज का उदय

हैदराबाद राज्य में समाज-प्रचार के विचारों को सामने रखकर पंडित भगवतीप्रसाद जी, कुन्दनप्रसाद जी, गोकुलप्रसाद जी, मगनलाल जी, रामचन्द्र भाई जी, माणिकप्रसाद जी, बाबूराव जी वैद्य, बाबू गणेश-सिंह जी वर्मा और बन्सीलाल जी तिवारी वकील के संयुक्त प्रयत्नों से ज़िला बीड़ के तालुके धारूर में आर्यसमाज की स्थापना कार्तिक शुक्ल १५ शक-सम्वत् १८०२, तदनुसार सन् १८८० ई० में हुई और शनैः-शनैः काम को आगे बढ़ाने के प्रयत्न कियें जाते रहे। बहुत दिनों तक 'धारूर आर्यसमाज' महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तों के प्रचार का केन्द्र बना रहा।

१९१७ ई० में सबसे पहला गुरुकुल यहाँ स्थापित हुआ और १९२५ ई० तक चलता रहा। इसमें न्यायभूषण पं० भगवानस्वरूप जी अजमेर-निवासी ने भाग लिया। इस गुरुकुल के चारों ओर मोमिनाबाद और हिंगोली के सैनिक कैम्प थे और वहाँ अधिक लोग हिन्दी बोलनेवाले थे, इसलिए इस गुरुकुल में बहुसंख्या भी हिन्दीवालों की ही थी। इस गुरु-कुल के लिए श्रीमान् स्वर्गीय गोकुलप्रसाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती अम्बाबाई ने भूमि का एक विशाल क्षेत्र भवन-निर्माण के लिए दान दिया। गुरुकुल की उन्नति से प्रभावित होकर श्री रामराव जी देशपाण्डे ने भी कृषि के लिए ३४४ एकड़ भूमि दान में दी ताकि कृषि की आय से उसका खर्च पूरा हो सके। 'आर्यसमाज धारूर' की उन्नति में श्री बन्सीलाल जी तिवारी और आर्यभानु जी का बड़ा योगदान रहा है। आर्यभानु जी अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक आर्यसमाज के सिद्धान्तों

का प्रचार करते रहे, अथवा यों कहा जा सकता है कि आपने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी के लिए अर्पित कर दिया था।

हैदराबाद में आर्यसमाज

१८९२ ई० में 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' की स्थापना हुई। यह क्षेत्र उस समय रेज़िडेन्सी की सीमा में था जिसको सातवें निज़ाम के शासनकाल में, उसकी वापसी के पश्चात्, 'सुलतान बाज़ार' नाम दिया गया। कौन कल्पना कर सकता था कि आर्यसमाज का जो पौधा इस भूमि में लगाया गया था, आगे चलकर एक ऐसे पेड़ का रूप धारण कर लेगा जिसकी शीतल छाया में लाखों व्यक्ति आत्म-शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ?

किसे पता था कि आर्यसमाज का यह आन्दोलन आगे चलकर तत्कालीन परिस्थितियों के कारण एक क्रान्तिकारी आन्दोलन बन जायगा और निज़ाम के नादिरशाही शासन से जनता को छुटकारा दिलाने एवं राज्य में स्वतन्त्र राज्य स्थापित कराने में अग्रणी रहेगा ? वस्तुस्थिति यह है कि जिस कार्य को लगन अथवा सचाई के साथ आरम्भ किया जाय, वह हज़ारों कठिनाइयों एवं बाधाओं के होते हुए भी आगे बढ़ता और सफलता प्राप्त करता है। मार्च १८९२ में स्वामी दयानन्द के शिष्य स्वामी गिरानन्द जी प्रज्ञाचक्षु हैदराबाद आ चुके थे और उनके भाषणों से जन-जागृति उत्पन्न हो रही थी। यही वह समय था जब हैदराबाद में सर्वप्रथम 'समाज' की स्थापना हुई। हैदराबाद के जीवन में उन दिनों एक तड़प दिखाई देती थी, एक उत्साह दिखाई देता था। आर्यों के पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द्र की भावना धार्मिक जागृति को बढ़ाने में स्वर्ण में सुगन्ध का काम कर रही थी। संघर्ष, सचाई, ईमानदारी, साहस एवं वीरता की भावना आर्यसमाज के वातावरण में थिरकती दिखाई देती थी।

इन्हीं आर्य-वीरों के प्रयत्नों से समाज में सुधार होने लगा और पुराने रीति-रिवाज बदलने लगे। जात-पात के बन्धन ढीले पड़े और पुराने सामाजिक बन्धनों की कड़ियाँ टूटने लगीं। वैवाहिक सम्बन्धों में,

खान-पान में और जाति-बिरादरी की पाबन्दियों में स्पष्ट अन्तर दिखाई देने लगा। छुआछूत के कलंक को दूर करने का आन्दोलन आरम्भ हुआ। निज़ाम के शासन में अछूतों की सेना में भर्ती नहीं हो सकती थी किन्तु आर्यसमाजी होते ही भर्ती की जाने लगी। उस समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रायकुंवर बहादुर थे जिनकी गणना चोटी के वकीलों में होती थी और जिनकी क़ानूनी योग्यता का बड़े-बड़े क़ानून जाननेवाले लोहा मानते थे। राय साहब ने जब आर्यसमाज को अपना लिया तो फिर जी-जान से उसकी सेवा में लग गये और वेद के सन्देश का प्रचार करने लगे। उनके भाषणों में महर्षि दयानन्द के 'विश्व को आर्य बनाने' के सन्देश ने एक नये जीवन की प्रेरणा दी और हैदराबाद में स्थान-स्थान पर उसकी गर्जना और चमक दिखाई देने लगी। आप अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक समाज एवं मानवता की सेवा करते रहे। कई और सज्जन, जिनका वर्णन आगे किया जायगा, जो आर्यसमाज के आन्दोलन में परवानों की तरह सम्मिलित होते गये, इसी प्रकार युवक समुदाय भी वैदिक धर्म के अमृत को पीकर झूमने लगा था।

'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के प्रथम अध्यक्ष पंडित कामताप्रसाद जी मिश्र थे। श्री लक्ष्मणदास जी प्रथम मन्त्री चुने गये एवं पंडित विश्वम्भरनाथ जी उपप्रधान तथा श्री नरसिमलु जी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। पंडित आदिपूडि सोमनाथराव जी और पंडित हरिहरदेव जी उपदेशक नियुक्त हुए। इनके निवास-स्थान पर प्रति रविवार को साप्ताहिक सत्संग हुआ करता था। श्री पंडित आदिपूडि सोमनाथराव जी ने तेलुगु भाषा में 'सत्यार्थप्रकाश' का अनुवाद भी किया। आप तेलुगु, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के विद्वान् थे। उनके भाषणों को सुनकर लोग बहुत प्रभावित होते थे। 'गीतांजलि' का भी उन्होंने अनुवाद किया था जिसको भारतीय अंग्रेज सरकार ने बहुत पसन्द किया और राजकीय पुरस्कार भी प्रदान किया था। वे संस्कृत के भी अच्छे विद्वान् थे। समाज-संगठन को प्रभावशाली और लोकप्रिय बनाने में आपका बड़ा हाथ था। आप तेलुगु भाषा के अच्छे कवि भी थे। आपकी 'समाज'-सिद्धान्त-सम्बन्धी अनेक रचनाएँ

पर्याप्त प्रसिद्ध थीं। आपने 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के मन्त्रिपद को भी दो वर्ष-पर्यन्त सुशोभित किया। आपके कार्यकाल में आपकी योग्यता व प्रचार-लगन से प्रभावित होकर बुद्धिजीवी आर्यसमाज में सम्मिलित हुए।

'समाज' के लिए मकान

आर्यसमाज के कार्यों को चलाने के लिए 'पुतली बावली रोड' पर एक मकान पाँच रुपये किराये पर लिया गया था। यह मकान सेठ जमनादास जी का था, किन्तु एक सनातनी पंडित सत्यनारायण जी सामवेदी ने सेठ जी से समाज की गतिविधियों की निन्दा की। परिणामतः घर खाली करने के लिए कहा गया। ऐसी स्थिति में सामाजिक कार्यकर्ताओं में मतभेद उत्पन्न हो गये। 'समाज' के प्रारम्भिक जीवन में यह पहली फूट थी, किन्तु शीघ्र ही आपस में मिलाप हो गया। इस फूट को समाप्त करने में 'सवारान-ए-पुलिस' के रिसालदार श्री गोविन्दसिंह जी लातूर के प्रयत्न सफल हुए। हैदराबाद से सबसे पहले प्रकाशित होनेवाला उर्दू-समाचारपत्र 'मुशीरे-दक्कन' के सम्पादक श्री किशनराव जी ने 'हश्मतगंज' में अपना घर छः रुपये किराये पर दे दिया जहाँ 'समाज' के साप्ताहिक सत्संग होते थे। धीरे-धीरे यह स्थान 'समाज' की गतिविधियों का केन्द्र बन गया।

आर्यसमाज के प्रति लोगों का जो आकर्षण था, उसका प्रभाव पढ़े-लिखे नवयुवकों और समझदार लोगों पर पड़े बिना न रह सका। यही वह समय था जब हैदराबाद के प्रसिद्ध वकील रायकुँवर बहादुर जी आर्यसमाज में सम्मिलित हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये नास्तिक विचारों के थे। परन्तु, उन्हीं दिनों 'समाज' के प्रसिद्ध नेता व वेदविद्वान् पंडित नरदेव जी शास्त्री 'गुरुकुल, ज्वालापुर' के कुलपति थे। उनके पिता पंडित श्रीनिवासराव जी साप्ताहिक सभाओं में जनता के सामने आर्यसमाज के नियमों और सिद्धान्तों का ऐसा प्रतिपादन करते थे कि कई पौराणिक विचारों से प्रभावित मस्तिष्क भी वैदिक सिद्धान्तों के सहज अनुयायी बन गये; इनमें श्री रायकुँवर बहादुर जी भी एक थे।

'समाज' का प्रथम अधिवेशन

१८९३ के आरम्भ में 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' का प्रथम वार्षिकोत्सव 'राजा कन्दास्वामी के बाग़' में मनाया गया जिसे देखने के लिए स्त्री-पुरुषों का मेला-सा लग गया। इस अधिवेशन में 'आर्यसमाज, बम्बई' के मन्त्री श्री सेवकलाल जी, श्री किशनप्रसाद जी, पंडित कृष्ण-राम इच्छाराम जी, पंडित बालकृष्ण जी शर्मा उपदेशक 'आर्यसमाज बम्बई' सम्मिलित हुए। इस अधिवेशन में पंजाब-निवासी प्रसिद्ध विद्वान् स्वामी आत्मानन्द सरस्वती भी सम्मिलित थे। ये महर्षि दयानन्द के माने हुए शिष्य अनुयायियों में से थे। आपका एवं श्री कृष्णराम इच्छा-राम जी का हैदराबाद में चार महीने तक निवास रहा। इन दोनों के प्रचार से जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 'समाज' के पदाधिकारियों में पंडित कामताप्रसाद जी मिश्र प्रधान और श्री नरहरराव जी मन्त्री चुने गये।

स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के सम्बन्ध में बम्बई के प्रसिद्ध पत्र 'सुबोध पत्रिका' ने २१ दिसम्बर १८७४ ई० के संस्करण में टिप्पणी देते हुए लिखा था : "स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने महर्षि दयानन्द जी का उपदेश श्रवण कर आर्यसमाज में प्रवेश किया और अपने पास की सभी मूर्तियों को बटोरकर ग्राम की समीपवाली नदी में प्रवाहित कर दिया।"

पंडित शिवशर्मा जी और पंडित बालकृष्ण जी शर्मा अपने भाषणों में आर्यसमाज के उच्च-सिद्धान्तों एवं वैदिक धर्म की महानता पर इस ढंग से प्रकाश डालते रहे कि लोगों का मन 'समाज' की ओर खिंचने लगा और इस प्रकार लगातार प्रचार की गूंज हैदराबाद में दूर-दूर तक फैल गई। अब तक आर्यसमाज के प्रचारक व नेता वैदिक धर्म के उपदेशों का बड़े अच्छे ढंग से प्रचार कर रहे थे, किन्तु जब दूसरे वर्गों के प्रश्न सामने आये तो इस बात की आवश्यकता समझी गई कि इनका नर्मी और अच्छे ढंग से उत्तर दिया जाय।

पौराणिकों में हलचल

हैदराबाद में चार महीने के प्रचार के फलस्वरूप सनातनियों में एक हलचल मच उठी थी। इस समय पंडित वालकृष्ण जी शर्मा भी अपने भाषणों से आर्यसमाज की वास्तविकता का वर्णन कर रहे थे। सनातन-धर्मियों की बेचैनी स्पष्ट हुए बिना न रह सकी और एक ज्योतिषी पंडित हरिकेशव पंचपक्षी ने सनातनधर्म की आड़ लेकर 'पुरुषोत्तम समाज' की स्थापना की। विचित्र बात यह है कि आर्यसमाज का पहला धार्मिक शास्त्रार्थ इसी संस्था में हुआ। प्रारम्भ में महीने-डेढ़-महीने तक 'पुरुषोत्तम समाज' से मूल सिद्धान्तों पर लिखित वाद-विवाद होता रहा और अन्ततः यह निर्णय किया गया कि स्वामी रघुनाथगिरि जी और श्री कोलाचलम नरसिंहराव जी डिप्टी कलेक्टर को निर्णायक के रूप में स्वीकार किया जाय। इन निर्णायकों ने बड़ी जाँच-पड़ताल व सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात् अपना निर्णय सुनाया जो आर्यसमाज के पक्ष में था। सनातनी अपनी हार को कब माननेवाले थे ? वे बिगड़ गये और एक बड़े शास्त्रार्थ की तैयारी होने लगी। काशी से सनातनधर्म के प्रसिद्ध विद्वान् पंडित गोकुलप्रसाद जी हफ्तजवाँ को हैदराबाद बुलाया गया। उन्होंने यहाँ आकर आर्यसमाज के सिद्धान्तों व नियमों पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया जिसके कारण उन्हें शास्त्रार्थ के लिए ललकारा गया और उन्हें इस चैलेंज को स्वीकार करना पड़ा।

सनातनधर्मियों से पहला शास्त्रार्थ

यह शास्त्रार्थ राजा शिवराव धर्मवंत बहादुर की अध्यक्षता में उन्हीं के निवास-स्थान पर हुआ। सनातनधर्म के पंडित गोकुलप्रसाद जी ने खुलकर आर्यसमाज पर टीका-टिप्पणी की और जब आर्यसमाजी पंडित वालकृष्ण शर्मा इसका उत्तर देने लगे तो अध्यक्ष महोदय ने पक्षपात से काम लिया और उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। परिणाम यह निकला कि यह शास्त्रार्थ किसी निर्णय के बिना ही एक हुल्लड़ के साथ समाप्त हो गया। इसकी चर्चा विभिन्न हिन्दू-वर्गों एवं नगर के सुदूर क्षेत्रों में कई

दिन तक चलती रही। सर्वसाधारण की इच्छा यह थी कि आर्यसमाज के विद्वानों को अपना दृष्टिकोण और सत्यता को प्रकट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इन विचारों से प्रभावित होकर ११-९-१८९४ ई० को श्रीमान् राजा मुरलीमनोहर बहादुर ने दोनों दलों के बीच एक शास्त्रार्थ कराने का प्रयत्न किया। आर्यसमाज की ओर से स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी और स्वामी नित्यानन्द जी महाराज को आमन्त्रित किया गया। स्वामी जी के हैदराबाद में 'ईश्वर, जीव, प्रकृति' विषयों पर व्याख्यानों का क्रम जारी था। इनमें प्रथम दो विषयों—ईश्वर तथा जीव—पर व्याख्यान पूरा हुआ ही था कि सनातनी तथा मुसलमानों ने मिलकर सरकार से शिकाइत की कि स्वामी जी के भाषण बन्द कर दिये जायँ। फलतः उनके भाषण बन्द करने के स्थान पर उन्हें हैदराबाद नगर से चले जाने का आदेश दिया गया। स्वामी जी की युक्तियों तथा प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ ये सनातनी तथा मुसलमान क्योंकर चुप हो सकते थे! स्वामी जी के साथ उत्तरप्रदेश-निवासी श्री प्रवीणचन्द्र जी भजनीक ने भी यहाँ के वातावरण को अपने भाषणों से मुग्ध कर दिया था। निज़ाम-सरकार के इस आदेश के विरोध में महाराजा बड़ौदा, महाराजा शाहपुरा, महाराजा ईडर, लाला लाजपतराय जी, लाला मुंशीराम जी ने निज़ाम को तार दिया, परन्तु निज़ाम की सरकार ने इस विरोध की परवा न की।

दूसरा शास्त्रार्थ

पंडित ज्वालाप्रसाद जी शर्मा उत्तरप्रदेश, पंडित पूर्णानन्द जी पंजाब-निवासी 'समाज' के ११वें वार्षिकोत्सव पर पधारे थे। उस समय हैदराबाद में श्री अच्युत स्वामी के साथ यज्ञ में 'पशुबलि वेद-विरुद्ध है' विषय पर शास्त्रार्थ हुआ। आर्यसमाज के पंडितों ने वेद तथा ब्राह्मण-ग्रंथों के प्रमाणों से सिद्ध किया कि यज्ञ में पशु-हिंसा निषिद्ध है। इस शास्त्रार्थ का जनता पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा।

तीसरा शास्त्रार्थ

आर्यसमाज रेज़िडेन्सी (वर्तमान आर्यसमाज-मन्दिर, सुलतान बाज़ार) के १२वें वार्षिकोत्सव पर अधिकारियों को इस बात का पता चला कि कृष्णा नदी के तट पर श्रीमान् गोविन्द नाथक जी अव्वल तालुक़दार सोम-यज्ञ करा रहे हैं। उस यज्ञ में बकरे को बाँधकर मुष्टि-प्रहारों द्वारा उसे निर्जीव करके मांस की आहुति दिये जाने का निश्चय किया गया है। यह सुनकर आर्यसमाज ने पंडित सोमनाथराव जी को वहाँ भेजा। इस यज्ञ के ब्रह्मा श्री अच्युत स्वामी जी से राजा नरसिंहगिरि जी की कोठी में शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ। पंडित तुलसीराम जी, पंडित ज्वाला-प्रसाद जी, पंडित आर्यमुनि जी, पंडित पूर्णानन्द जी, पंडित रुद्रदेव जी आदि विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया। एक मास तक शास्त्रार्थ के नियम तथा मध्यस्थता के निश्चय में उभय पक्षों में वाद-विवाद चलता रहा। अन्त में सेठ रामगोपाल जी मालाणी मध्यस्थ नियुक्त हुए। एक दिन ही विवाद हुआ कि शास्त्रार्थ आगे न हो सका।

पुलिस का प्रथम हल्का प्रहार

शासन की ओर से निज़ाम राज्य की सीमा में आर्यसमाज स्थापित न करने का आदेश दिया गया। इस आदेश को धार्मिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप बताते हुए प्रसिद्ध वकील श्री रामचन्द्र जी पिल्ले, मन्त्री 'महबूब कालेज' ने इस आदेश को समाप्त कर देने के लिए बड़ी योग्यता के साथ पैरवी की और उन्हीं के सफल प्रयत्नों के फलस्वरूप रेज़ीडेन्सी (वर्तमान सुलतान बाज़ार) में आर्यसमाज की स्थापना की गई।

आर्यसमाज के विरुद्ध निज़ाम के शासन का यह प्रथम और हल्का प्रहार था। आर्यसमाजी विद्वानों को राज्य से निकल जाने का नादिरशाही आदेश दिया गया जिससे जनता में बड़ा ही रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि वह अनुभव करती थी कि आर्यसमाजी आन्दोलन कोई आक्रमणकारी आन्दोलन नहीं, अपितु इसका ध्येय हिन्दू-समाज का उचित मार्गदर्शन और मानवता की यथाशक्ति सेवा करना है।

'यंगमैन् इम्प्रूवमेंट सोसाइटी' के तत्त्वावधान में जो इस आदेश का विरोध प्रकट करने के लिए सभा की गई, उसमें सहस्रों व्यक्ति सम्मिलित हुए। इस सभा में श्री रामचन्द्र जी पिल्ले वकील ने नगर के कोतवाल की कड़ी आलोचना की और यह सिद्ध किया कि वे अपने अधिकारों से हटकर जनता में रोष फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों पर, आर्यसमाज की ओर से सभाएँ होती रहीं और इन सभाओं में स्वामी नित्यानन्द जी महाराज के भाषणों का अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। १२-९-१८९४ को सिकन्दराबाद में पूज्य स्वामी नित्यानन्द जी का 'ब्रह्मविद्या' विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें सभी सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता श्री कृष्ण-अय्यंगार, वकील मद्रास, ने की थी। अध्यक्षपद से भाषण देते हुए आपने कहा—"जिन लोगों ने अविद्यावश वैदिक आलंकारिक विद्या को न जानकर वैदिक शब्दों के ग़लत अर्थ किये हैं, उन्हें वेदों का सच्चा अर्थ आर्यसमाज बता रहा है। मैं सुनता था कि हज़ारों में एक पण्डित होता है, परन्तु ब्रह्मचारी स्वामी नित्यानन्द जी सरीखे तो लाखों में एक होते हैं।"

१४-९-१८९४ को मैडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने 'सत्मार्ग दर्शक क्लब' में 'मनुष्य-जन्म की सार्थकता' विषय पर स्वामी जी का दूसरा भाषण करवाया। इस सभा के अध्यक्ष स्वर्गीय सरोजिनी देवी के पिता डॉक्टर अघोरनाथ जी चट्टोपाध्याय थे। सभा-विसर्जन के उपरान्त क्लब के विद्यार्थियों ने स्वामी जी महाराज को आदरपूर्वक अपने हॉस्टल में ले-जाकर स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी तथा स्वामी नित्यानन्दजी को मान-पत्र एवं ११०० रुपए की थैली भेंट की।

इसी क्रम से स्वामी जी के तीस भाषण हुए। इनसे हैदराबाद की हिन्दू जनता में नवीन स्फुरण हुआ।

नवाब ज़फ़रजंग और ईमादुलमुल्क की रुचि आर्यसमाज के सिद्धान्तों में थी। इनकी रुचि का अनुमान इस बात से भलीभाँति हो सकता है कि वे इसे समाज-सुधार की तहरीक (आन्दोलन) समझते थे और कुछ बड़े-बड़े हिन्दू व मुसलमान आर्यसमाज के बन्धुत्व, शांति व मिलाप की

भावना को मानते थे। इस वास्तविकता का स्पष्टीकरण पाठकों के लिए रुचि का कारण होगा कि आर्यसमाज के कुछ जलसों की अध्यक्षता नवाब ज़फ़रजंग अमीरे पायगा, नवाब ईमादुलमुल्क, श्रीमती सरोजिनी नायडू के पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और श्री कृष्णमाचारी (जो उस समय 'राज्य विधान परिषद्' के सदस्य थे) जैसे योग्य व्यक्तियों ने की थी। १८९५ में माननीय जोधपुर-महाराज के गुरु स्वामी भास्करानन्द जी हैदराबाद आये। उनके उपदेशों का भी जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। दूसरे वर्ष पण्डित गणपति शर्मा जी, पण्डित रामदेव जी शर्मा, पूज्य स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती और पण्डित कृपाशंकर नागर हैदराबाद पधारे। इनके भाषणों का भी अच्छा प्रभाव पड़ा। महिलावर्ग विशेष प्रभावित हुआ। श्री माणिकराव विट्ठलराव जी 'बोस्ताने आसफ़िया' के संकलनकर्त्ता ने इन विद्वानों की प्रशंसा में लेख लिखा। इससे प्रभावित होकर अमीरे पायगा नवाब ज़फ़रजंग बहादुर ने इन विद्वानों को अपने यहाँ दावत भी दी और इन्हें ५०० रुपये का पारितोषिक भी भेंट किया।

सन् १८९७ में जिन सज्जनों ने आर्यसमाज के प्रचार में अधिक सेवाएँ दीं, उनमें महात्मा बेनी माधव जी, पण्डित योगानन्द जी, पण्डित केशवराव जी वकील हाईकोर्ट, राजा गोविन्द प्रसाद जी, श्री इन्द्रजीत जी और श्री भवानीशंकर जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने बड़े प्रेम और उत्साह के साथ 'समाज' को आगे बढ़ाने का कार्य किया। १८९८ में अर्थात् 'समाज' के जीवन के सातवें वर्ष रायकुँवर बहादुर प्रधान और पण्डित कामताप्रसाद जी मन्त्री चुने गए। रायकुँवर बहादुर ने आर्यसमाज की उन्नति के लिए बहुत-से प्रयत्न किये। इसी वर्ष एक 'कन्या पाठशाला' की स्थापना की गई। कैप्टन श्री सूर्यप्रताप जी के पिता श्री रायकृष्णप्रसाद जी, श्री शिवप्रसाद जी, श्री राजारामप्रसाद जी, लाला गयाप्रसाद जी, राजा विश्वेश्वरनाथ जी मुख्य न्यायाधीश हैदराबाद राज्य, तथा चन्दूलाल जी आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए। राय कृष्णप्रसाद जी 'समाज' के सक्रिय एवं चुपचाप काम करनेवाले कार्यकर्त्ता थे। आप

ही के प्रयत्नों का परिणाम था कि आपस के झगड़ों को 'समाज' के भीतर ही तय कर लेने का तरीक़ा निकला। महाराजा सर किशनप्रसाद जी के निकट सम्बन्धी राजा गोविन्दप्रसाद जी इसी वर्ष आर्यसमाज में सम्मिलित हुए और स्वेच्छा व प्रेम के साथ 'समाज' के कार्यों में हाथ बँटाते रहे। वेद-प्रचार और वैदिक सिद्धान्तों को भाग्यनगर की जनता में फैलाने का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया।

१८९९ में 'समाज' के पूर्व के ही पदाधिकारी बने रहे, केवल पण्डित केशवराव जी वकील 'उपप्रधान' चुने गए। सन् १९०० ई० में सदस्यों की भर्ती का कार्य आरम्भ किया गया जिसका परिणाम संतोषजनक रहा। 'समाज' की साप्ताहिक सभाओं में भी जनता की भीड़ लगने लगी। गोस्वामी ज्ञानगीर जी नरसींगगीर जी की कोठी में समाज के उत्सव किये जाने लगे। यह कोठी अब राजा प्रतापगीर जी के नाम से प्रसिद्ध है जो 'सुलतान बाज़ार' में स्थित है।

हरिजन भाइयों का सुधार

आर्यसमाज ऊँच-नीच एवं जाति-पाँति के बन्धनों को समाप्त कर देने का ध्येय रखता है जिनके कारण मानव-प्रेम व समानता की पवित्र भावनाओं का विकास होता रहा है। हैदराबाद में दलित जातियों की अत्यन्त दयनीय स्थिति को आर्यसमाज सहन नहीं कर सकता था, इसलिए इसकी ओर से हरिजनों के सुधार का रचनात्मक कार्य आरम्भ किया गया।

श्रावणी वेद-सप्ताह

'श्रावणी वेद-सप्ताह' उस समय बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस सप्ताह को मनाने के लिए हज़ारों आर्यसमाजी एक शानदार विशाल जुलूस के रूप में, जिसमें हाथी और रथ भी होते थे, 'मीर आलम के तालाब' तक जाते थे। ये हाथी पण्डित कामताप्रसाद जी, जो शाही फ़ीलखाने के मोहतमिम थे, लाया करते थे। आर्यसमाजियों की ऐसी

एकता और संगठन को देखकर जनता बहुत प्रभावित होती थी। जुलूस के पश्चात् एक विराट् सभा भी होती थी जिसमें हिन्दू जाति के अन्य वर्ग भी सम्मिलित होते थे। इनमें राजा साहब आनागुंदी, गोस्वामी लालगीर जी और राजा प्रतापगीर जी, आन्ध्रपितामह माड़पाटी हनुमन्त-राव जी, गणपतलाल जी वकील, एम० लक्ष्मी नरसैया जी वकील, वोज्जमनरसीमल्लू जी, श्री प्रताप रेड्डी जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पण्डित कामताप्रसाद जी को शासन की ओर से हाथी ले-जाने और आर्यसमाज के कार्य करने के सिलसिले में नोटिस दिया गया था, किन्तु आपने सरकारी नोटिस की कोई परवा नहीं की और निडरता के साथ 'समाज' का कार्य करते रहे। श्री कामताप्रसाद जी ने नोटिस के उत्तर में कहा था—"नौकरी छोड़ सकता हूँ, समाज नहीं।" निज़ाम के इस शासन में जहाँ 'समाज' और हिन्दुओं पर नाना प्रकार की पाबन्दियाँ थीं, वहाँ मुहर्रम और दूसरे इस्लामी समारोहों में हाथी-घोड़े सभी सरकारी तौर पर उपयोग किये जाते थे।

आर्यसमाज की लोकप्रियता

१८९२ से १९०० तक, ८-९ वर्ष की अवधि में आर्यसमाज की जड़ें दृढ़ हो चुकी थीं। यद्यपि इसके सदस्यों की गिनती बहुत अधिक नहीं थी, किन्तु समाज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और उसके समर्थकों को एक व्यापक समर्थन प्राप्त हो चुका था। पढ़े-लिखे एवं दूरदर्शी लोग यह आभास पाने लगे थे कि आर्यसमाज ईश्वर व सत्य के मार्ग पर चल रहा है और इसका उद्देश्य हिन्दू-समाज का सुधार करके उसे वैदिक धर्म के सीधे रास्ते पर चलाना है और बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करना एवं उनके आड़े समय पर काम आना है।

आर्यसमाज की मानव-कल्याण एवं सेवा-भावना सक्रिय रूप में शनैः-शनैः स्पष्ट होने लगी। उस समय दुर्भाग्य से हैदराबाद की जनता को बाढ़, प्लेग और इन्फ़्लूएँज़ा आदि से दो-चार होना पड़ा तो सेवा के इस मार्ग में आर्यसमाज ने अपना तन-मन-धन सब-कुछ अर्पित कर दिया।

इसकी सेवावृत्ति की न केवल जनता, अपितु सरकार की ओर से भी सराहना की गई।

आर्यसमाज ने सुधार एवं रचनात्मक क्षेत्र में पूर्ण ध्यान दिया जिससे यह नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सका है। स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार बन्द कर देने से आमतौर पर राष्ट्रीयता को जो भारी हानि उठानी पड़ी थी, उसकी पूर्ति में भी आर्यसमाज ने अपने अथक परिश्रम द्वारा इस समस्या का समाधान दिया है। इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप आज का स्त्री-समाज हर क्षेत्र में प्रगतिशील है।

स्त्रियों में जागृति एवं महिला-सभा की स्थापना

आर्यसमाज के सामने प्रारम्भ से यह योजना थी कि हैदराबाद की महिलाओं में शिक्षा द्वारा जागृति उत्पन्न की जाय। इस निमित्त पंजाब, उत्तर प्रदेश और बम्बई आदि से समय-समय पर जो आर्यसमाजी विद्वान् यहाँ आते रहे, उन्होंने महिलाओं में अपने भाषणों से जागृति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया और उन्हें यह बात समझाई कि वे शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवारों, कुटुम्बों, अपने देश और धर्म की सेवा किस प्रकार कर सकती हैं। 'समाज' की ओर से, आगे चलकर, 'आर्य कन्या पाठशालाएँ' एवं 'रात्रि पाठशालाएँ' स्थापित की गईं।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री पण्डित केशवराव जी कोरटकर की अध्यक्षता में निर्णय किया गया कि स्त्री-शिक्षा के लिए एक 'आर्य कन्या विद्यालय' की स्थापना की जाय। इसके लिए एक समिति गठित की गई। इसमें श्री मनसाराम जी, श्री पहलवानसिंह जी, श्री रामस्वरूप जी और पल्लेपल्ली हनुमन्तराव जी पेशकार कंचेजात सरफ़खास सदस्य थे। विद्यालय की स्थापना के बाद इसमें संस्कृत व तेलुगु के विद्वान् श्री राजरत्नाचार्य जी (वर्तमान श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती) को आचार्य-पद पर नियुक्त किया गया। इस विद्यालय को विकसित रूप देने के लिए 'देवीदीन बाग़' में इसे स्थानान्तरित किया गया जो आज तक व्यवस्थित रूप में चल रहा है। प्रारम्भ में इस विद्यालय

में शिक्षा का माध्यम हिन्दी था।

१९०१ में 'स्त्री समाज' के नाम से एक महिला-सभा स्थापित की गई जिसमें रायकुँवर वहादुर जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरस्वती देवी, पंडित कामताप्रसाद जी की धर्मपत्नी श्रीमती शिवरानीदेवी जी और न्यायाधीश स्वर्गीय रायवालमुकुन्द जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीताबाई बड़े उत्साह से भाग लेती रहीं जिन्होंने महिला-सभा का काम धीरे-धीरे आगे वढ़ाया। इनकी लगन व उत्साह को देखकर अनेक शिक्षित व कुलीन घराने की महिलाओं ने प्रेरणा ग्रहण कर समाज-कार्यों में भरपूर योग दिया।

'सिकन्दराबाद' में आर्यसमाज की स्थापना

सिकन्दराबाद में आर्यसमाज को स्थापित करने के लिए आदिपूडि सोमनाथराव जी, आगे बढ़े और उनके प्रयत्नों से १९०१ में 'समाज' की स्थापना हुई। आपकी विद्वत्ता एवं प्रचार के तरीक़ों से प्रभावित होकर जो लोग 'समाज' में आये, उनमें सर्वश्री श्यामराव जी, बाजी किशनराव जी बी० ए० एल० एल० बी० एडवोकेट, वालराज जी, वासुदेवराव जी मुदलियार और एस० सद्दोजरामास्वामी जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आप लोगों ने ही 'समाज' को परवान चढ़ाया। श्री मुंशीराम जी ने समाज-मन्दिर के निर्माण के लिए २५ हज़ार रुपये की भूमि दान दी। श्रीमती सुशीलादेवी जी विद्यालंकृता आप ही की सुपुत्री हैं। आज यहाँ जो एक सुन्दर भवन दिखाई दे रहा है उसके निर्माण में सर्वश्री मुंशीराम जी, बी० वी० गुरुमूर्ति जी, रामरखा जी बी० ए०, पंडित मनोहरलाल जी, अन्नमरामलिंगम जी तथा बी० आर० लक्ष्मैया जी का विशेष सहयोग प्राप्त रहा है।

सिकन्दराबाद के काली के मेले में होनेवाले बकरों व भैंसों के बलिदान को रोकने के लिए पंडित सोमनाथराव जी, चन्दूलाल जी, श्यामराव जी तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं के प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि इस प्रकार वलि देने की पद्धति वन्द हो गई।

स्वामी श्रद्धानन्द जी

१९०२ में महात्मा मुंशीराम अर्थात् अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज जब हैदराबाद आये तो मानो भाग्यनगर का भाग्योदय ही हुआ और आपके शुभागमन से आर्य जनता की भावनाएँ प्रफुल्लित हो उठीं। स्वामी जी 'गुरुकुल कांगड़ी' के लिए यहाँ आर्थिक सहायता प्राप्त करने आये थे और यहाँ से ५००० रुपया इकट्ठा करके ले गये। बालक विनायकराव के व्यक्तित्व को आर्यसमाज की छाया में लाने का श्रेय स्वामी जी को ही है। कौन जानता था कि यह बालक आगे चलकर हैदराबाद के आर्यसमाजी क्षितिज पर एक देदीप्यमान तारा बनकर चमकेगा ? आप पंडित केशवराव जी वकील के होनहार सपूत थे। विनायकराव जी १९०४ में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 'गुरुकुल कांगड़ी' गये जबकि आपकी आयु ८ वर्ष की थी। इनके साथ श्री कुंवर बहादुर के सुपुत्र शान्तिबहादुर और श्री ठाकुर गोविन्दसिंह के सुपुत्र श्री धर्मपाल 'गुरुकुल' में प्रविष्ट हुए। विनायकराव जी १९१९ ई० में 'गुरुकुल विश्वविद्यालय' से स्नातक होकर हैदराबाद लौट आए।

रायकुँवर बहादुर का देहान्त

'आर्यसमाज, हैदराबाद' के माननीय नेता रायकुँवर बहादुर की युवावस्था में मृत्यु हो जाने से 'समाज' को भारी क्षति पहुँची। आप अहमदाबाद से बम्बई जा रहे थे कि रेलगाड़ी में ही निर्दयी मौत ने आ दबोचा। दादर में आपका दाहसंस्कार किया गया। कुँवर बहादुर जी अपनी चिकित्सा के लिए लाहौर गए हुए थे कि उनकी माता स्वर्ग सिधारीं। लाहौर से जब वे कराची गये, उस समय यहाँ हैदराबाद में उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। १२ नवम्बर, १९०४ को आर्यसमाज की ओर से अपने इस नेता के शोक में एक सभा की गई जिसमें कई वक्ताओं ने उनकी विशिष्ट सेवाओं की बड़ी सराहना की। स्वर्गीय राय साहब ने आर्यसमाज की बड़ी सेवा की थी। उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि बिछड़ी हुई जातियों एवं अछूतों को समाज में समानता

प्राप्त हो सकी और निज़ाम-सरकार की सेना में ऊँची जातियों के साथ-साथ नीच कहे जानेवाले लोग भी सम्मिलित किये जाने लगे। सरकार आर्यसमाजी होने की शर्त को स्वीकार कर, समाज के प्रमाणपत्र के होने पर दलित जातियों को भी सेना में सम्मिलित कर लेती थी। रायकुँवर बहादुर के निधन से आर्यसमाज को बड़ा धक्का पहुंचा। मृत्यु से पूर्व आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं समाज-मन्दिर बनवाकर ही दूसरा कार्य करूँगा, परन्तु मृत्यु के कारण उन्हें इस शुभ कार्य में सफलता नहीं मिल सकी। आर्यसमाज के इस सच्चे हितैषी और उत्साही की स्मृति में आर्य-समाज-मन्दिर बनाने की पंडित कामताप्रसाद जी ने अपील की। इसके लिए ८०० रुपये चन्दा एकत्रित हुआ। पंडित केशवराव जी कोरटकर ने २००० रुपये देने की घोषणा की और कहा कि जितना धन जमा होगा, उतना ही वे और भी देंगे। राय इन्द्रजीत जी ने शोक-सभा में घोषणा की कि वे स्वर्गीय कुँवर बहादुर की स्मृति में समाज को एक मकान देंगे। 'सुलतान बाज़ार' के टाउन पुलिस स्टेशन के निकट २००० रुपये में एक मकान मोल लेकर उन्होंने 'समाज' को दे दिया जहाँ समाज-मन्दिर बना और पचास वर्ष के पश्चात् १९५५ में यह तीन मंज़िल का सुन्दर एवं कलात्मक भवन दिखाई देने लगा। इस भवन के नवीनीकरण के लिए ५५०० रुपये एकत्र कर मैंने इसके निर्माण में अपना तुच्छ योग दिया है। इसके पुनर्निर्माण की योजना की प्रेरणा आर्य-जगत् के कर्मठ कार्यकर्त्ता व नेता श्री पंडित बन्सीलाल जी व्यास वानप्रस्थी से मिली थी।

पिछले युग में आर्यसमाज की स्थापना के साथ जिन प्रसिद्ध व महान् पुरुषों का सम्बन्ध रहा, उनमें स्वर्गीय श्रीमान् दामोदर सातवलेकर जी, पंडित धारेश्वर जी, पंडित नरदेव जी शास्त्री, पंडित गोपालकृष्ण चन्द्रावरकर जी, पंडित गयाप्रसाद जी आर्य, कामताप्रसाद जी, श्री चन्दूलाल जी, पंडित लक्ष्मीशंकर जी और आदिपूडि सोमनाथराव जी के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं जो अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं।

पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी

स्वर्गीय पंडित सातवलेकर सौ वर्ष से ऊपर आयु के होने पर भी नवयुवकों की तरह समाज-कार्य में व्यस्त रहते थे। वैदिक धर्म के प्रचार के सिलसिले में उनके कई उच्चकोटि के ज्ञानप्रद लेख समाचारपत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और यह क्रम जीवनपर्यन्त चलता रहा है। आप उत्कृष्ट विद्वान् होने के साथ ही उच्चकोटि के कलाकार भी थे। 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के प्रारम्भिक काल में आप मन्त्री रहे हैं और समाज के सभा-भवन में महर्षि दयानन्द सरस्वती का तैलचित्र जो आज भी दर्शनीय है, आप ही की कला का सुन्दर नमूना है।

पंडित जी क्रान्तिकारी विचारों के समर्थक थे। लोकमान्य तिलक की विचारधारा ने आपको बहुत प्रभावित किया। पंडित सातवलेकर जी ने अथर्ववेद के पृथिवी-सूक्त का हिन्दी में अनुवाद किया और 'वैदिक राष्ट्रपति' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की जिसपर अंग्रेज़ सरकार ने आपपर क्रान्ति के अपराध में केस चलाया एवं हैदराबाद से बाहर कर दिया।

१९०९ में, जबकि आप 'गुरुकुल कांगड़ी' में शिक्षा का कार्य कर रहे थे, पुलिस ने पहुंचकर आपको पकड़ लिया और केस चलने पर ढाई वर्ष का कारावास दिया। १९१८ से १९४७ तक आप औंध में रहे। गांधी जी की हत्या के पश्चात् जो वातावरण महाराष्ट्र में बना और लूट-मार मची, उसने आपको बहुत दुःखी किया। बाद में आपने गुजरात के बलसाड ज़िले से एक सौ तीस मील दूर पारडी नामक स्थान में 'स्वाध्याय मण्डल' की स्थापना कर वैदिक-लौकिक साहित्य के प्रकाशन व प्रसार के लिए अथक श्रम किया। इस तपस्वी वेदमूर्त्ति ने भारतीय जीवन व दर्शन के आदि स्रोत वेद-ज्ञान को सर्वत्र आलोकित करने के लिए सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। इस योगनिष्ठ साधक ने अपनी इहलोक-लीला १०२ वर्ष की लम्बी आयु प्राप्त कर समाप्त की।

स्वर्गीय पंडित धारेश्वर जी

स्वर्गीय पंडित धारेश्वर जी लगभग सौ वर्ष तक जीवित रहे। उनकी आयु का अधिकांश भाग वैदिक धर्म के प्रचार ही में बीता। उनके लेख बहुत दिनों तक वैदिक मैगज़ीन 'आंग्लभाषा' में निकलते रहे जो 'गुरुकुल कांगड़ी' से प्रकाशित होता था। इस मैगज़ीन के बन्द हो जाने पर आपने उसे हैदराबाद से जारी किया था जो उनके अन्तिम समय तक निकलता रहा। आपके अनेक लेख 'ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय' से प्रकाशित होने-वाले मैगज़ीन में भी स्थान ग्रहण करते थे। आप कई वर्ष तक 'उस्मानिया विश्वविद्यालय' के संस्कृत-विभाग के प्रोफ़ेसर रहे। उनकी महान् विद्वत्ता, उच्च विचारों एवं उनके अति सरल स्वभाव से अपने-पराये सभी बहुत प्रभावित थे। आपकी आयु का अन्तिम समय 'कन्या गुरुकुल, बेगमपेठ' में बीता। आँखों से बहुत कम दिखाई देता था, फिर भी उनके धर्म-प्रचार तथा शिक्षा-कार्यों में कोई अन्तर नहीं आया। अपने रूप, गुण एवं स्वभाव से वे एक ऋषि दिखाई देते थे। आज इस गुरुकुल का संचालन आपकी सुयोग्य पुत्री आजन्म ब्रह्मचारिणी शान्तादेवी धारेश्वर कर रही हैं। आपका जीवन अपने पिता के अनुरूप ही है।

स्वर्गीय आचार्य नरदेव जी वेदतीर्थ

स्वर्गीय आचार्य नरदेव जी तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी और त्यागी थे। इसके साथ ही आप वेदों के विद्वान् भी थे। सनातनधर्म के विद्वान् भी आपकी विद्वत्ता का लोहा मानते थे। आप अच्छे पत्रकार भी थे। 'ज्वालापुर महाविद्यालय' से 'भारत-उदय' नामक साप्ताहिक पत्रिका के (जिसके श्री पद्मसिंह शर्मा सम्पादक थे) सह-सम्पादक भी रहे और मुरादाबाद से निकलनेवाली 'शंकर' नामक मासिक पत्रिका के सम्पादक भी रहे। इसके अतिरिक्त सौ-डेढ़-सौ पत्र-पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हुआ करते थे। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय और गांधी जी को बहुत निकट से देखने का आपको अवसर मिला है। १९२० में देहरादून में जो राजनैतिक सम्मेलन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ,

आचार्य जी उस स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे। १९२८ के मेरठ के ऐतिहासिक अधिवेशन में आपने बढ़-चढ़कर भाग लिया। हैदराबाद राज्य के उसमानाबाद ज़िले में श्री आचार्य जी का जन्म हुआ। १४ वर्ष तक आप दक्षिण में रहे। तत्पश्चात् उत्तर भारत चले गये तो वहीं रह गये। 'गुरुकुल ज्वालापुर' में बहुत दिनों तक आप आचार्य-पद को सुशोभित करते हुए अध्यापन-कार्य करते रहे। इस महाविद्यालय की स्थापना महान् दार्शनिक व वीतराग संन्यासी स्वामी दर्शनानन्द जी ने की थी। आर्यसमाज एवं वैदिक धर्म की सेवा श्री पंडित नरदेव जी शास्त्री के जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा है।

स्वर्गीय पंडित गोपालकृष्ण चन्द्रावरकर जी

स्वर्गीय पंडित गोपलकृष्ण चन्द्रावरकर जी 'आर्यसमाज, हैदरावाद' के मन्त्री रहे। महात्मा हंसराज जी के समय में 'डी० ए० वी० कॉलेज, लाहौर' में आपने शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर शिक्षा-कार्य से स्वयं भी सम्बद्ध हो गए। कई पाठशालाओं में आप अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते रहे और साथ ही आर्यसमाज के कार्यों में भी तल्लीन रहे। आप एक अच्छे पत्रकार और लेखक भी थे। प्रसिद्ध पत्रिका 'हिन्दुस्तान रिव्यू' जो श्री सच्चिदानन्द सिन्हा के सम्पादन में निकलती थी, में चन्द्रावरकर जी के कई लेख प्रकाशित होते थे। इसके अतिरिक्त बम्बई, मद्रास और पंजाब के कई पत्रों में भी आपके लेख निकलते थे। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। इनके क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद हुए है और ये पुस्तकें पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गईं।

स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीशंकर जी शास्त्री रावतपुर

स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीशंकर जी शास्त्री रावतपुर (टिकोली) ज़िला उन्नाव के मूल निवासी थे। आपका पूरा जीवन समाज-सेवा में बीता। संस्कृत के आप प्रकाण्ड विद्वान् थे। आपका जीवन बड़ा सरल था। आप

चाहते तो बड़ी-से-बड़ी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, किन्तु आपके स्वभाव में धन के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति नहीं थी। आप विख्यात व्याकरणवेत्ता थे और आर्य-घरानों में जाकर बच्चों को वैदिक धर्म की शिक्षा और वैदिक संस्कारों की दीक्षा दिया करते थे। आपने 'वेद में इतिहास नहीं' पुस्तक लिखकर प्रचलित भ्रम का निवारण किया। आपके पूज्य पिता जी स्वर्गीय पंडित देवीदत्त जी ने ऋषि दयानन्द का श्लोकबद्ध जीवन-चरित्र लिखा था जिसकी देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

स्वर्गीय आदिपूडि पंडित सोमनाथराव जी

स्वर्गीय आदिपूडि पंडित सोमनाथराव जी तथा इनके भ्राता श्री गोपालराव जी ने सर्वप्रथम 'सत्यार्थप्रकाश' का तेलुगू में अनुवाद किया जो तेलुगु पढ़ने-पढ़ानेवालों में बहुत लोकप्रिय हुआ। ये तेलुगु के अच्छे ज्ञाता थे। हिन्दी और अंग्रेजी के भी बहुत बड़े विद्वान् थे। गुरुदेव रवीन्द्र-नाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' के उनके अंग्रेज़ी-अनुवाद को अंग्रेज सरकार ने बहुत पसन्द किया था और उसे उच्चकोटि का मानकर पुरस्कार भी दिया था।

आप तेलुगु के उच्चकोटि के कवि थे और अपनी कविता में आपने आर्यसमाज के मूल सिद्धान्तों का बहुत सुन्दर ढंग से वर्णन किया है। आपके प्रचार के कारण आन्ध्र और तेलंगाना में कई पढ़े-लिखे लोग समाज की छत्र-छाया में आए।

इन पूर्वजों के अतिरिक्त कुछ ऐसे और महानुभाव भी हैं जो आर्य-समाज के कार्यों में हाथ बँटाते रहे हैं और ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देते रहे हैं जिनके नामों और कार्यों का वर्णन संक्षिप्त इतिहास के इन पृष्ठों में अभी नहीं आया है। इनमें प्रमुख श्री मुन्शी भैरवप्रसाद जी 'क़ाबिल', राय ठाकुरप्रसाद जी 'नज़्म', लाला ललिताप्रसाद जी और कैप्टन सूर्यप्रसाद जी के नाम उल्लेखनीय हैं।

मुन्शी श्री भैरवप्रसाद जी

हैदराबाद की कायस्थ-विरादरी में यह पहला परिवार था जिसने अपने लोगों को हिन्दू धर्म के इस महान् सुधारक-संगठन से परिचित कराकर आर्यसमाज के पवित्र सिद्धान्तों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अपने कितने ही साथियों को, जो मुस्लिम सिद्धान्तों को अपनाकर अपने धर्म से भटक चुके थे, अँधेरे से उजाले में ले आए और बहुतों के नाम भी परिवर्तित किए। मुंशी भैरवप्रसाद जी उर्दू-फ़ारसी के बड़े अच्छे साहित्यकार और कवि थे। इनके दो उपन्यास 'पूरण भक्त' और 'दर्दे-दिल' ने तो हैदराबाद के साहित्य-हृदय में दर्द पैदा कर किया था। आप हैदराबाद की एक प्राचीन शिक्षा-संस्था 'कायस्थ पाठशाला' के संस्थापकों में से थे एवं कई वर्ष उसके मंत्री भी रहे। राज्य के शिक्षा-विभाग से आप-का सम्बन्ध था। औरंगाबाद के तालुका कन्नड़ की सरकारी पाठशाला में आप प्रधानाध्यापक का कार्य करते रहे। १९४७ में आपका वहीं पर निधन हुआ। श्री मुन्शी भैरवप्रसाद जी का परिवार भोपाल से हैदराबाद आया था।

श्री राय ठाकुरप्रसाद जी 'नज़्म'

श्री राय ठाकुरप्रसाद जी 'नज़्म' मेरे सगे मामा थे जो हैदराबाद राज्य के प्रधानमन्त्री महाराजा किशनप्रसाद की स्टेट में मन्त्री थे और महाराजा के ख़ास विश्वासपात्र दरबारियों में आपकी गणना होती थी। आप हिन्दी एवं उर्दू के बहुत अच्छे साहित्यकार और कवि थे। फ़ारसी के भी आप अच्छे ज्ञाता थे। समाज-सुधार के कार्यों एवं टेम्परेन्स-लीग आदि में बढ़-चढ़कर आपने भाग लिया। आपकी आर्यसमाज के प्रति अतीव श्रद्धा तथा वैदिक सिद्धान्तों के प्रति गहरी आस्था थी। मार्च, १९१७ में आप परलोक सिधारे।

श्री राय लाला ललिताप्रसाद जी

श्री राय लाला ललिताप्रसाद जी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान की किंगकोठी में उनके कार्य की देखभाल करते थे। लाला जी आर्य-

समाज की सेवा में भी लगे रहते थे। वे विद्वान् और साहसी पुरुष थे।

राय ललिताप्रसाद जी बड़े ही कुशाग्रबुद्धि थे। आपको शाइरी का भी बड़ा शौक़ था। वे अपने सामाजिक जीवन में हैदराबाद राज्य में प्रखर प्रतिभासम्पन्न और उत्साही आर्यसमाजी कार्यकर्त्ता के रूप में विख्यात थे। वे एक अच्छे चिकित्सक भी थे। अपने ४० वर्ष के चिकित्साकाल में वे कभी असफल नहीं रहे। प्लेग और हैज़ा के तो वे एक दक्ष-चिकित्सक थे। जहाँ प्लेग में लोग रोगी को छोड़कर भाग जाते थे, वहाँ वे बड़ी सहृदयता के साथ उनकी सेवा एवं चिकित्सा करते थे।

सरकारी नौकरी में रहकर भी प्लेग के मुर्दों को आर्यसमाज की ओर से स्वयंसेवक के रूप में श्मशान पहुँचाने में सदा तत्पर रहते थे। लाला जी निज़ाम-राज्य के शिक्षा-विभाग में रहते हुए भी आर्यसमाज का बड़े उत्साह से कार्य करते रहे।

'गुलबर्गा' में सन् १९४० में जब प्लेग फैला तो सब नगर के बाहर चले गए, किन्तु उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा। लोगों के ज़ोर देने पर उन्होंने उत्तर दिया कि 'जब डॉक्टर ही नगर छोड़कर चले जायेंगे तो रोगियों की चिकित्सा और सेवा कौन करेगा?' इस प्रकार निरन्तर प्लेग के रोगियों की चिकित्सा और सेवा में रत रहकर स्वयं भी उसी रोग से ग्रसित होकर २० जनवरी को आप स्वर्ग सिधारे।

उनके एकमात्र सुपुत्र श्री पं० देवव्रत जी शास्त्री हैं। इस समय आप बम्बई में आर्यवीर-दल और आर्यसमाज में उत्साहपूर्वक कार्य करते हुए अपने पूज्य पिता के पदचिह्नों पर चल रहे हैं।

श्री कैप्टन सूर्यप्रताप जी

श्री कैप्टन सूर्यप्रताप जी उर्दू, अंग्रेज़ी व हिन्दी के विद्वान् एवं साहित्यकार हैं। आप प्रारम्भिक जीवन से ही समाज-सुधार के कार्यों में लगे रहे हैं। 'कायस्थ पाठशाला' व 'श्रीशक्ति कन्या पाठशाला' की उन्नति में आपका बहुत सहयोग रहा है। साथ ही, आर्यसमाज के कार्यों में सदा आप हाथ बँटाते रहे हैं। आप 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के मन्त्री

तथा प्रधानमन्त्री भी रहे हैं। आपकी विद्वत्ता व निष्काम सेवाभावना की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। कुछ समय तक आपने 'आर्य वीर' नामक उर्दू पत्रिका का सम्पादन भी सफलतापूर्वक किया। आर्यसमाज के पुराने अनुभवी व्यक्तियों में से आप एक हैं।

स्वर्गीय श्री गोकुलप्रसाद जी

स्वर्गीय श्री गोकुलप्रसाद जी हल्लीखेड़ के निवासी थे। आप क़ानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हैदराबाद आकर रहने लगे थे। उन्हीं दिनों आर्यसमाज की हलचल से प्रभावित होकर आर्यसमाज से आपने अपना सम्बन्ध जोड़ लिया। वैदिक धर्म के सिद्धान्तों के प्रति आपके मन में निष्ठा जम गई। आपने आर्यसमाज में सक्रिय भाग लेना आरंभ किया। आपने अपने दोनों भांजों को आर्यसमाज की ओर प्रेरित किया जिनके नाम आर्यसमाज के इतिहास में सदा के लिए अमर रहेंगे। इन दोनों भाइयों ने आर्य-समाज के निर्माण में अपने कार्य से इतिहास में जो पृष्ठ जोड़े हैं, उनको शब्दों में यहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता और न हैदराबाद की जनता इन दोनों भाइयों के महत्कार्यों को विस्मृत कर सकती है। आज भी उनकी यशोमयी जीवन-गाथा असंख्य युवकों को प्रेरणा प्रदान कर रही है। इन्हें आर्यजगत् में भाई वन्सीलाल जी तथा भाई श्यामलाल जी के नाम से याद किया जाता है।

स्वर्गीय पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी

स्वर्गीय गोकुलप्रसाद जी के भ्राता स्वर्गीय पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी एडवोकेट का नाम आर्यसमाज के प्रथम श्रेणी के नेताओं में माना जाता है। आप ख्यातिप्राप्त वकील थे। आपने १९२५-२६ के आसपास अपने-आपको आर्यसमाज से सम्बन्धित कर लिया। आपने अपने क्रियात्मक जीवन से अनेक नवयुवकों को आर्यसमाज की ओर प्रेरित किया। 'गुलवर्गा, आर्यसमाज' और वहाँ के कार्यकर्त्ताओं का निर्माण आप ही की देन है। श्री परशराम जी गम्पा, श्री धर्मपाल जी आर्य, श्री लालसिंह

जी, श्री रामलाल जी, श्री प्रेमकुमार जी, श्री फकीरचन्द जी, श्री हणमन्तराव जी, श्री रामकृष्ण जी पटेल, श्री तुकाराम जी, श्री शिवम्भरप्रसाद जी के नाम उल्लेखनीय हैं। आप त्याग की साक्षात् मूर्ति थे। आपने आर्यसमाज की सेवा कठिनाइयों के होते हुए भी निडरता व लगन से की। आप 'केशव स्मारक आर्य विद्यालय' के आधारस्तम्भों में एक थे। २० जुलाई १९४० ई० से १९४२ तक आप 'केशव स्मारक आर्य विद्यालय' के मन्त्रिपद पर बने रहे। आपने वासम (विदर्भ) में 'आर्यन कॉलेज' की स्थापना की थी। अनेक युवकों को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को बनाने व समृद्ध करने का आपने जीवन-पर्यन्त कार्य किया। आर्यसमाज आपकी सामाजिक सेवाओं के प्रति सदा ऋणी रहेगा। आर्यजगत् में आपकी लोकप्रियता का प्रमाण इसी से स्पष्ट होता है कि आपको सभी 'मामा' कहकर आपका आदर करते थे। १९४८ में आपको सरकार ने नामपल्ली रेल से उतरते ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और आपपर द्वितीय आर्यसम्मेलन के अवसर पर आक्षेपजनक भाषण देने के सम्बन्ध में धारा ३७ के आधीन मुक़द्दमा चलाया गया था।

श्री पंडित कृष्णदत्त जी

श्री पंडित कृष्णदत्त जी एम० ए०, आचार्य 'हिन्दी आर्ट्स कॉलेज हैदराबाद' स्वर्गीय श्री गोकुलप्रसाद जी के पुत्र हैं। आप अभी तीन वर्ष के ही थे कि आपके माता-पिता का निधन हुआ। माता-पिता के वात्सल्य से वंचित इस बालक का पूर्ण परिपालन और आर्यसमाज के संस्कारों से संस्कृत करने का एकमात्र श्रेय श्री दत्तात्रेयप्रसाद जी को है। श्री पंडित कृष्णदत्त जी ने अपने पिता के सारे सद्गुण उत्तराधिकार में प्राप्त किये हैं। आप उत्तम वक्ता और लेखक हैं। आज भी आपने पूरा समय आर्यसमाज के लिए ही समर्पित कर रखा है। आपके जीवन में समाज-सिद्धांतों की कट्टरता पग-पग पर दृष्टिगत होती है। दक्षिण में एकमात्र हिन्दी-माध्यम से चलनेवाले 'हिन्दी महाविद्यालय' के आचार्यपद को आप इन दिनों सुशोभित कर रहे हैं। आर्यसमाज को आपसे बड़ी आशा है।

स्वर्गीय श्री चन्दूलाल जी

स्वर्गीय श्री चन्दूलाल जी 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के मन्त्री ही नहीं, अपितु उस समय राज्यभर में आर्यसमाज के प्रचार के प्रेरक भी थे। आपका हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यापारी घराने से सम्बन्ध था। आपमें आर्यसमाज के प्रचार की लगन और तड़प कूट-कूटकर भरी हुई थी। आपने अपना सारा जीवन आर्यसमाज के प्रचार के लिए ही अर्पित किया था। आपके मन्त्रित्वकाल में उत्तरप्रदेश तथा अन्य प्रान्तों से आर्यसमाज के धुरन्धर विद्वान् प्रचारार्थ बुलाए जाते रहे हैं। आप एक निर्भीक और निःस्वार्थ समाज-सेवक थे। आपके कार्यकाल में हैदराबाद स्टेट में 'धारूर' के बाद 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' ही 'समाज' की गतिविधियों का एकमात्र केन्द्र रहा है। आपके सम्पर्क में आनेवाला हर व्यक्ति आर्यसमाजी होकर ही रहता था। आपके प्रसिद्ध साथी श्री गजानन्द जी गुप्त, श्री मोहनलाल जी बलदवा, श्री मोहनाचार्य जी मेवाड़ी तथा श्री पंडित मुन्नालाल जी मिश्र का भी समाज के कार्यों में बहुत योगदान रहा है। विधवा-विवाह, अछूतोद्धार, अनमेल विवाह, बाल-विवाह आदि सामाजिक कुप्रथाओं का आप लोगों ने साहस एवं निर्भीकता से ध्वन्त कर दिया और समाज को दूषित करनेवालों का साहसिक साम्मुख्य कर लोगों को नवीन सामाजिक प्रेरणा दी। श्री चन्दूलाल जी आर्यसमाज की तड़प के कारण सदा इसी के कार्य में ही व्यस्त रहा करते थे।

स्वर्गीय पंडित बन्सीलाल जी व्यास वानप्रस्थी

पंडित बन्सीलाल जी व्यास एक निर्भीक किन्तु अत्यन्त विनम्र स्वभाव के सेवापरायण व्यक्ति थे। वैदिक धर्म के प्रचार में सुगम एवं सुललित भाषा में सिद्धान्तों के प्रतिपादन में मौलिकता का सजीवता के साथ निर्वाह करते हुए हृदयग्राही अवतारणा उनकी अपनी एक विलक्षण विशेषता थी। वे बहुत बड़े विद्वान् न होते हुए भी श्रोताओं पर गहन स्वाध्याय और चिन्तन की छाप छोड़ जाते थे और उन्हें मुग्ध कर दिया करते थे। आप भजनों में 'ओ३म् बोल मेरी रसना घड़ी-घड़ी' को गाकर

ईश्वर के गुणों की व्याख्या करते हुए भक्तिरस की भागीरथी प्रवाहित कर दिया करते थे और लोग भी सुनते-सुनते सराबोर हो मानसिक शान्ति और एकेश्वरवाद के आर्यसमाज के सिद्धान्त को स्वीकार कर, आर्यसमाज और दयानन्द के जयनाद के साथ बड़ी संख्या में आर्यसमाज में सम्मिलित होते जाते थे। उनकी सेवा-परायणता बड़ी ही अनोखी थी। जिसने उन्हें देखा और एक बार भी उनके सम्पर्क में आया, वह उनका होकर ही रहा और जीवन-भर उन्हें भूल न सका। उनकी सेवा और कर्मठता का प्रतीक 'गुरुकुल घटकेश्वर' है जहाँ के कण-कण में उनकी वेद की ध्वनि गूंज रही है। आप सदा प्रसन्नवदन, जटिल-से-जटिल समस्याओं के समाधान में भी मस्तक पर विषाद की रेखाओं की झलक तक न आने देनेवाले, कार्य-सम्पादन की विलक्षण क्षमता से पूर्ण, धुन के धनी, पूर्ण आदर्शवादी और निरन्तर कार्यरत रहनेवाले व्यक्तित्व से युक्त थे। आपने २३ जून १९३९ को १५ सत्याग्रहियों के साथ 'आर्य-समाज, सुलतान बाज़ार' के सामने सत्याग्रह किया। आपको तीन वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

सन् १९४६ में जबकि बंगाल, बिहार और विशेषकर नोआखली साम्प्रदायिकता की लपटों में धधक रहा था, तब 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' ने दंगों से पीड़ितों की सहायता के लिए २५,००० रुपये एकत्रित करके 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' और अन्य भिन्न-भिन्न रिलीफ़-सोसाइटियों को भेजा, और दंगे के समय बलपूर्वक सामूहिक धर्म-परिवर्तन को रोकने के लिए सभा से श्री व्यास जी और पं० गंगाराम जी को नोआखली भेजा। दोनों व्यक्तियों ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और बंगाल आर्यन रिलीफ़ सोसाइटी तथा ठक्कर बापा के सम्मिलित सहयोग से पीड़ितों की सेवा करते रहे और बलात् धर्म-परिवर्तन रोका। नोआखली में व्यास जी को महात्मा गांधी के साथ मिलकर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नोआखली से वापसी में महात्मा गांधी की अनुमति पर व्यास जी चार अनाथ बालकों को अपने संरक्षण में हैदराबाद लाए जो 'गुरुकुल

घटकेश्वर में शिक्षा पा चुके हैं।

नोआखली से श्री व्यास जी हैदराबाद लौट आये और श्री गंगाराम जी एडवोकेट बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश का भ्रमण कर हिन्दू-मुस्लिम दंगों से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करते हुए हैदराबाद पहुँचे। उन दिनों 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' के मन्त्री श्री पंडित कृष्णदत्त जी थे।

व्यास जी की मृत्यु १ सितम्बर १९५६ को महबूबनगर जिले में जड़चेंला रेल-दुर्घटना में हुई, जिस दुर्घटना ने लालबहादुर शास्त्री को रेलमन्त्री का पद त्यागने के लिए विवश किया था।

श्री पंडित राजरत्नाचार्य जी

आप श्री लाला गयाप्रसाद जी आर्य की प्रेरणा से १९१० ई० में आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए थे।

पंडित जी संस्कृत, हिन्दी और तेलुगु के विद्वान् हैं। आपने आर्यसमाज में प्रवेश कर तेलुगु भाषा-भाषी व्यक्तियों में आर्यसमाज के प्रचार का लगन व उत्साहपूर्वक कार्य आरम्भ किया। आपने अब तक हिन्दी और तेलुगु में सैद्धान्तिक विषयों पर लगभग बीस पुस्तकें लिखी हैं जो प्रचार-कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। आपने तेलुगु में 'सत्यार्थप्रकाश' के द्वितीय संस्करण के १२, १३ और १४वें समुल्लास, संस्कार-विधि एवं आर्य-पर्व-पद्धति का अनुवाद किया तथा उसके प्रकाशन में योगदान दिया है।

आप 'आर्यसमाज, सुलतान बाजार' के उपप्रधान तथा 'आर्य प्रतिनिधि सभा, निजाम राज्य' के उपमन्त्री भी रहे हैं। आपने वेदों का गहरा अध्ययन किया। आपका सैद्धान्तिक जीवन अनेक व्यक्तियों के लिए प्रेरणास्पद रहा है।

अपनी आयु के ८२वें वर्ष में ९ अगस्त, १९७० को आर्य-जगत् के प्रसिद्ध विद्वान् संन्यासी स्वामी विशुद्धानन्द जी सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली। दीक्षा के उपरान्त आपका नाम 'ओ३मानन्द जी सरस्वती' रखा गया है।

श्री डी० आर० दास जी वैद्य

श्री डी० आर० दास जी वैद्य वर्तमान में 'श्री उत्तममुनि जी वानप्रस्थी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप श्री भाई शामलाल जी और श्री भाई बन्सीलाल जी के जीवन से प्रभावित होकर आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए। आपने अपना कार्य बीदर से आरम्भ किया और आज सम्पूर्ण महाराष्ट्र, आन्ध्र तथा कर्नाटक-प्रान्तीय आर्य-जगत् में एक आदर्श आर्यसमाजी की दृष्टि से देखे जाते हैं।

आपने वैदिक धर्म के प्रचार के मार्ग में बड़े-से-बड़ा त्याग किया और एक आदर्श जीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जातीय अभिमान को चकनाचूर करके वेद की आज्ञानुसार आपने अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह जन्ममूलक जाति-पाँति के बन्धनों से हटकर सम्पन्न किया है। आप एक उत्तम लेखक और प्रभावशाली वक्ता हैं। आज भी आप ७० वर्ष की आयु में आर्यसमाज के कार्यों में एक नवयुवक की भाँति जुटे हुए हैं।

श्री रामरखा जी बी० ए०

श्री रामरखा जी बी० ए० लुधियाना (पंजाब) के निवासी हैं। आप निज़ाम हैदराबाद के समय में रेलवे ठेकेदारी का कार्य करते रहे। पश्चात् आपने अपने परिश्रम से श्रीमान् स्वर्गीय मुंशीराम जी दुसाज के साथ कारखाने की स्थापना की।

आपकी शिक्षा 'आर्य हाईस्कूल, लुधियाना' में हुई। स्कूल के आर्यसमाजी वातावरण से प्रभावित होकर आपने आर्यसमाज में आना-जाना प्रारम्भ कर दिया। उस समय से आज तक आपने आर्यसमाज के ऊँचे-से-ऊँचे पद पर रहकर 'सिकन्दराबाद आर्यसमाज' के कार्यों को आगे बढ़ाया और उस समय की अभिवृद्धि में आपका तथा श्री मुंशीराम जी दुसाज का हाथ छुपा हुआ दिखाई देता है। ये दोनों व्यक्ति आर्यसमाज के आत्मा के रूप में 'सिकन्दराबाद आर्यसमाज' के सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

श्री रामरखा जी ने अपने एक निजी न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना करके उसके द्वारा वैदिक धर्म के कई सिद्धान्तों का उच्चकोटि का साहित्य प्रकाशित करवाया है। यह साहित्य आर्य-जगत् के लिए बड़ा ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है।

इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे आर्यसमाजी कार्यकर्त्ता हैं जिन्होंने निज़ामी शासन के अत्याचारों के विरुद्ध अपने जीवन को दाव पर लगाया और घोर यातनाएँ झेलीं। अपने जीवन के सुख को तिलांजलि देकर महर्षि के सिद्धान्तों की रक्षा व उनके प्रचार का संकल्प लेकर इन लोगों ने जो कार्य किये हैं, उन्हें शब्दों की सीमा में बाँधा नहीं जा सकता। सचमुच उन्हें 'ज़िन्दा शहीद' कहा जा सकता है। श्री पंडित कर्मवीर जी उदगीर, श्री पंडित प्रह्लाद जी श्री शेषराव जी वाघमारे एडवोकेट निलंगा, श्री देशवन्धु जी, औरादशाहजहानी, श्री माधवराव जी घोंसीकर, श्री रतनलाल जी अवस्थी, श्री गोपालप्रसाद जी तिवारी अम्बेसांगवी, श्री पंडित गोपालदेव जी शास्त्री कल्याणी, श्री मोहनसिंह जी कल्याणी, श्री ईश्वरलाल जी मट्टड़ यादगीर, श्री पंडित भद्रदेव जी 'सिद्धान्तभूषण', श्री पं० नरदेव जी स्नेही, श्री पंडित ज्ञानेन्द्र जी शर्मा 'सिद्धान्तरत्न', श्री गणपतराव जी मारड़ी, श्री अमृतराव जी उदगीर, श्री दिगम्बरराव जी पत्तेवार, श्री शंकरराव जी टोम्पे उदगीर, श्री उदयभानु जी वकील कल्याणी, श्री वलदेव जी पतंगे हैदराबाद, श्री शंकर रेड्डी जी हैदराबाद, श्री लक्ष्मणराव जी गोजे बिचकुन्दा, श्री बाबूराव जी मास्टर उसमानाबाद, श्री रामचन्द्र जी नलगीरकर, श्री चन्द्रपाल जी, श्री ठाकुर उमरावसिंह जी हैदराबाद, श्री रामचन्द्र जी बोड़के, श्री दशरथराव जी, श्री पिट्ठलराव जी कुकड़ाल चिटगुप्पा, श्री रामचन्द्र वीरप्पा जी हुमनाबाद, श्री पन्नालाल जी नेत्रवैद्य हिंगोली, श्री सोहनलाल जी वानप्रस्थी हैदराबाद, श्री गोवर्द्धनलाल जी जाजू निज़ामाबाद, श्री बालरेड्डी जी, श्री गंगाराम हैदराबाद, श्री मानकराव जी तल्लीखेड़, श्री नरसय्या जी हैदराबाद, श्री देवय्या जी आर्य, गणपतराव जी कथले कलम, रामचन्द्र जी कल्याणी, रामस्वरूप जी अवस्थी, पंडित गणपतराव जी रायचूर वैद्य आदि ऐसे

स्व० पं० रामचन्द्र देहलवी
हैदराबाद के अमर प्रेरक

ही कर्मठ वीर, साहसी व उत्साही व्यक्ति हैं जिनके खून-पसीने से आर्य-समाज का इतिहास उज्ज्वल रूप में निर्मित हो सका है।

कुछ ऐसे अज्ञात व्यक्ति, जिनके नाम विस्मृति के कारण प्रस्तुत नहीं हो सके हैं, उनके कार्य को भी आर्यसमाज कभी भुला नहीं सकता। उनके छोटे-से-छोटे कार्य से ही आर्यसमाज के इतिहास के पन्ने पूरे हो सके हैं।

पं० रामचन्द्र जी देहलवी—एक अमर प्रेरक

आर्यसमाज ने जिन धर्म-प्रेमियों एवं देशभक्तों को जन्म दिया उनमें जहाँ पंडित गुरुदत्त जी, स्वामी श्रद्धानन्द जी, लाला लाजपतराय जी, महात्मा नारायण स्वामी जी, पंडित लेखराम जी, स्वामी दर्शनानन्द जी, स्वतन्त्रानन्द जी, स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज जैसे महापुरुष भारत के आकाश पर सितारों की तरह जगमगाते दिखाई देते हैं, वहाँ उसके आँचल में कुछ ऐसे अमूल्य रत्न भी देखने में आए जिनकी चमक-दमक से पूरा समाज चकाचौंध हुआ। इनमें पं० रामचन्द्र जी देहलवी भी एक थे। आप अपने देश व धर्म से भरपूर श्रद्धा व भक्ति लिये यवनकाल में आर्यसमाज की सेवा का बीड़ा उठाकर मैदान में उतर आए। राजधानी दिल्ली के 'चौक फ़व्वारा' में लोग उनकी मधुर वाणी से अमर संदेश को सुनने के लिए प्रति सप्ताह उमड़ने लगे तो उसकी गूँज दूर-दूर तक सुनाई दी और समस्त देश में पंडित रामचन्द्र जी देहलवी का नाम छोटे-बड़े सबकी ज़बान पर आम हो गया।

पंडित रामचन्द्र जी देहलवी जीवन-पर्यन्त आर्यसमाज के विश्व-विख्यात मिशन के सुनहरी सिद्धान्तों को लोगों तक पहुँचाने में व्यस्त रहे। उनके ज्ञान की महानता ने सोने पर सुहागे का काम करके वैदिक धर्म का सिक्का हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सबके दिलों में बिठा दिया था। पंडित जी वेदों, उपनिषदों एवं दर्शनों पर अधिकार तो रखते ही थे, दूसरे धर्मों के ग्रन्थों पर भी उनका ज्ञान सुननेवालों को आश्चर्य में डाल देता था। आप कुरान के भी हाफ़िज़ थे।

पंडित रामचन्द्र जी देहलवी हैदराबाद में पहली बार १९२९ में

आए। यह वह समय था जबकि हैदराबाद के शासन ने अपनी जनता को नाना प्रकार की पाबन्दियों में जकड़कर धार्मिक स्वतन्त्रता से वंचित कर रखा था। हिन्दू-समाज पग-पग पर कठिनाइयों से दो-चार हो रहा था। इसी ज़माने में आपके पाँच मार्के के भाषण रघुनाथबाग़ (सुलतान बाज़ार) में हुए और इन भाषणों से एक ऐसी महती जागृति की लहर उठी कि लोग भले-बुरे और सत्य व असत्य की परख अपने-आप करने लगे। यह वह समय था जब हैदराबाद के शासन के तत्त्वावधान में सिद्दीक़ दीनदार अपनी टोली के साथ साम्प्रदायिकता के खुले प्रचार में व्यस्त हो चुका था और लोगों को खटका रहा था।

पंडित जी ने सिद्दीक़ दीनदार और उनके साथियों को ऐसे मुँहतोड़ उत्तर दिये कि वे लोग बग़लें झाँकते नज़र आए। पंडित जी की हैदराबाद में हर तरफ़ धूम मच गई और लोग उनकी विद्वत्ता एवं विचारशैली से इतने प्रभावित हुए कि आपको हैदराबाद कई बार आना पड़ा। आपमें बड़ी विशेषता यह थी कि विरोधियों को उन्हीं की दलीलों से क़ायल कर दिया करते थे। सिद्दीक़ दीनदार को अपना षड्यन्त्र फैलाने एवं हिन्दुओं के अवतारों पर अनुचित एवं अपमानजनक हमले करते रहने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया था, किन्तु जब पंडित जी ने उनका मुँहतोड़ जवाब दिया तो बदले की भावना लेकर पंडित रामचन्द्र देहलवी को उसका निशाना बनाया गया।

१९३३ में पंडित रामचन्द्र जी देहलवी को जब बीदर में मुक़द्दमा चलाने का नोटिस दिया गया तो इसके कारण सारे भारत में एक हलचल मच गई। उनपर एक झूठा व मनघड़न्त आरोप लगाकर हल्लीखेड़ में किये गए भाषण के आधार पर एक नोटिस जारी किया गया था जो मुंसिफ़ साहब बीदर के इजलास पर उत्तर देने से सम्बन्ध रखता था। पंडित जी सिद्दीक़ दीनदार के झूठे आरोपों का खण्डन कर चुके थे और आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उनके भाषण जारी थे कि तीसरे दिन रात्रि के साढ़े नौ बजे उनपर एक समन की तामील कराई गई।

पंडित रामचन्द्र जी देहलवी से कई महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थ भी हुए।

'अहमदिया जमात' के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ, वह ऐतिहासिक था। इन सारे शास्त्रार्थों में जीत पंडित जी के साथ रही।

पंडित रामचन्द्र जी में बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपने सुननेवालों में छान-बीन की गहरी प्रवृत्ति पैदा कर देते थे और बात इस सुलझे हुए ढंग से कहते थे कि लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने कभी भी किसी का दिल न दुखाया और न किसी के बारे में कोई दिल दुखानेवाली बात कही। वे प्रत्येक मत के माननेवालों का आदर करते और उनसे बड़ी सभ्यता से पेश आते थे। उनके व्यवहार से उनके विरोधियों को भी कभी आपत्ति करने का अवसर नहीं मिला। पंडित जी जब बोलने पर उतर आते थे तो ऐसा लगता था कि ज्ञान एक समुद्र है जो अपने विस्तार और गहराई में अपना जवाब नहीं रखता। वाणी के प्रवाह के साथ-साथ शब्दों की रचना और वर्णनशैली की विशेषता लोगों पर जादू किये बिना न रहती। आप महान् विद्वान् होने के अतिरिक्त मिलनसार एवं शिष्टाचार की प्रत्यक्ष मूर्ति थे। भाषणों के बीच-बीच लोगों को बार-बार हँसा भी दिया करते थे, पर आपके इस हास्य में गम्भीरता का वर्चस्व भी दिखाई देता था। सैंकड़ों-हज़ारों व्यक्ति इनके जलसों में आते, इन्हें सुनते और पुनः सुनने की इच्छा अपने साथ ले जाते थे।

पंडित रामचन्द्र जी देहलवी के अतिरिक्त माननीय पंडित धर्मभिक्षु जी, आर्य-जगत् के वेद-मनीषी विद्वद्वर पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार (स्वामी समर्पणानन्द जी महाराज) एवं तर्कशिरोमणि देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री आदि विद्वानों को आर्यसमाज ने प्रचार तथा राज्य के हिन्दुओं का मार्ग-दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। पंडित रामचन्द्र जी देहलवी जनता के आग्रह पर कई बार आए और उन्होंने अपने सुलझे हुए ढंग से निडरतापूर्वक लोगों में जागृति उत्पन्न की और साथ ही निज़ाम के शासन व उसके अत्याचारों के विरुद्ध जनता को झिंझोड़ना आरम्भ किया। भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की जनता पंडित रामचन्द्र जी देहलवी को कभी भुला न सकेगी।

पंडित रामचन्द्र जी देहलवी बात में बात पैदा करने में बड़ा कमाल रखते और लोगों को मुँहतोड़ जवाब देने में अपना जवाब नहीं रखते थे। यह बात तो प्रसिद्ध है कि पंडित रामचन्द्र जी एक बार किसी स्थान पर महात्मा गांधी से जेल में भेंट करने गए। गांधी जी ने उनसे हँसते हुए पूछा कि 'क्या लेने आए हो ?' पंडित जी ने उत्तर में तुरन्त कहा : 'हम तो देने आते हैं, लेने नहीं।' और हँसते हुए महात्मा जी को आर्यसमाज का साहित्य भेंट किया।

राज्य के प्रधानमन्त्री महाराजा सर किशनप्रसाद जाति के हिन्दू, मेहरा खत्री अवश्य थे, किन्तु वे इस्लाम व अन्य मतों का भी आदर व सम्मान करते थे। कुछ पाखंडी तत्त्वों ने हिन्दू धर्म से हटाकर उनको अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया पर महाराजा बहादुर उनके झाँसे में न आ सके। १९२० में २८ दिसम्बर को ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी 'फ़ातमी दावते इस्लाम' पुस्तक को महाराजा के नाम समर्पित करते हुए लिखा था 'महाराजा सर किशनप्रसाद चिश्ती निज़ामी खुमारी शाह प्रधानमन्त्री हैदराबाद'। इसी प्रकार महाराजा को अपनाने के कई षड्यन्त्र रचे गए। महाराजा ने इन लोगों का दिल रखने के लिए चुप्पी-सी साध ली थी। एक बार पंडित जगतप्रसाद शास्त्री ने पंडित रामचन्द्र जी देहलवी को ले-जाकर महाराजा से भेंट कराई। दो दिन तक इस्लामी धर्म पर बातचीत चलती रही जिसका परिणाम यह निकला कि महाराजा ने १९३९ में 'हिन्दू भाइयों से खिताब' एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह लिख दिया कि 'मैं धर्म व जाति से शुद्ध हिन्दू हूँ।' पंडित रामचन्द्र जी से महाराजा बहादुर बहुत प्रभावित हुए और इन्हें सुनने के लिए आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव में, जो उन दिनों 'देवीदीन बाग़' में होते थे, महाराजा एक-दो बार सम्मिलित भी हुए थे।

हैदराबाद की छावनी सिकन्दराबाद की मस्जिद में एक बार मौलवी सैयद क़ासिम अल्लादित्ता क़ादियानी से शास्त्रार्थ हुआ। अल्लादित्ता ने कहा, "देहलवी जी ! आज मस्जिद के दायरे में आए हो, कुछ दिनों में यहाँ आकर मुसलमान होंगे।"

शास्त्रार्थ में समय की पावन्दी के लिए मेज़ पर घण्टी रखी गई थी जो प्रत्येक वक्ता की पाँच मिनट के समय की समाप्ति पर बजा दी जाती थी। पंडित रामचन्द्र जी देहलवी ने कहा, "सुनो अल्लादित्ता! आज मस्जिद में घण्टी बज रही है, कल वह दिन भी आयेगा कि यहाँ वेद-मंत्रों का पाठ हुआ करेगा।"

जनता इस उत्तर से इतनी प्रसन्न हुई कि मस्जिद वैदिक धर्म के जय-जयकार से गूंज उठी।

एक बार हैदरावाद में ही एक और शास्त्रार्थ के समय एक मौलवी ने सभा में उठकर कहा, "पंडित जी! अब तक तो आप गीदड़ों से वातें करते रहे थे, अब आपके सामने एक शेर खड़ा है।"

इतना सुनना था कि पंडित जी ने तुरन्त कहा, "आखिर तुम भी पशु ही निकले।"

मौलवी वेचारा खिसियाना हो गया और लोग हँस पड़े। इसी मौलवी ने पुनः यह भी कहा, "मैं वेदों के बारे में अपनी लघुशंका दूर कराना चाहता हूँ।" यह सुनते ही पंडित जी ने कहा, "तो फिर बस आप इसे अपने मुँह में ही रखिए।"

सारी सभा पंडित जी के इस उत्तर से बड़ी देर तक कहकहे लगाती रही। कितनी ही ऐसी अन्य वातें हैं जो पंडित जी के हास्य, व्यंग्य और हाज़िरजवावी से सम्बन्ध रखती हैं।

द्वितीय चरण

शासन का दुस्साहस

आर्यसमाज सिकन्दराबाद का वार्षिकोत्सव २५ जनवरी १६०७ ईसवी को निश्चित हुआ। उसके लिए तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं और स्वामी सत्यानन्द जी एवं श्री प्रवीणसिंह जी यहाँ आ चुके थे। आर्य-समाज का जुलूस बड़ी शान से निकला। समाज की बैठक और जुलूस, सब-कुछ शान्त वातावरण में चल रहे थे। न जाने क्यों पुलिस परेशान थी कि दो दिन के बाद ही यह विराट् सभा रोक दी गई और पुलिस ने इन दोनों समाज के पण्डितों को नामपल्ली स्टेशन पर ट्रेन में सवार कराकर हैदराबाद से बाहर भेज दिया।

पुलिस के इस दुर्व्यवहार से जनता में बेचैनी फैल गई और नाम-पल्ली स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। पुलिसवाले स्टेशन पर आए। इन लोगों को पूछने लगे और जब निर्भय होकर अपने नाम व पते नोट कराने लगे तो लोगों के साहस को देखकर पुलिस को चुप हो जाना पड़ा। निज़ाम-राज्य के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध भारत में कई स्थानों पर आर्यसमाजों की ओर से विरोधी जुलूस व जलसे हुए।

१६१६ ई० में पं० केशवराव जी कोरटकर 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के प्रधान और श्री इन्द्रजीत जी मन्त्री चुने गए। वार्षिकोत्सव के अवसर पर पंडित बिहारीलाल जी और बम्बई से श्री महारानीशंकर हैदराबाद आए थे। सभा सफलतापूर्वक समाप्त हुई। १६२१ में राय विश्वेश्वरनाथ जी वकील हाईकोर्ट (जो आगे चलकर मुख्य न्यायाधीश और जुडीशियल कमेटी के अध्यक्ष बने और 'राजा बहादुर' की उपाधि पाये) समाज के अध्यक्ष, लाला गयाप्रसाद जी मन्त्री और पंडित चन्दूलाल

जी उपमन्त्री निर्वाचित हुए। राय विश्वेश्वरनाथ जी ने अपने अध्यक्ष-काल में कई नवीन कार्यक्रमों द्वारा समाज की गतिविधियों को तीव्रता प्रदान की।

'सत्यार्थ प्रकाश' का तेलुगु-संस्करण

'आर्य प्रतिनिधि सभा' ने हैदराबाद राज्य एवं आन्ध्र के उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा तेलुगु थी, 'सत्यार्थ प्रकाश' का तेलुगु-अनुवाद कराके वैदिक धर्म की वास्तविकता और महर्षि के उपदेशों से परिचित कराया जो आवश्यक था। इस कार्य को पंडित आदिपूडि सोमनाथराव जी तथा पंडित गोपालराव जी ने पूरा किया। इसी वर्ष 'सत्यार्थ प्रकाश' का तेलुगु-संस्करण प्रकाशित होकर बाज़ार में आ गया।

इस तेलुगु-संस्करण का प्रकाशन १९४० के पूर्व दो बार हुआ था। १९०६ में श्री आदिपूडि सोमनाथराव जी ने १०वें समुल्लास तक अनुवाद किया था और उनके भाई श्री पंडित गोपालराव जी ने १९१२ में ११वें समुल्लास का अनुवाद किया जिसे 'आर्यसमाज हैदराबाद' ने मुद्रित कराया। शेष तीन, बारह-तेरह तथा चौदहवें समुल्लास का अनुवाद श्री पंडित राजरत्नाचार्य जी ने किया।

चतुर्थ संस्करण के प्रकाशन में स्वर्गीय श्री वाड्लडि वेंक्टरत्नम् गारू, श्री पंडित गोपदेव जी 'दर्शनाचार्य' एवं श्री पंडित मदनमोहन विद्यासागर जी वेदालंकार परिमार्जन ने सहयोग प्रदान किया और मुद्रण में पंडित रुद्रदेव जी ने योग दिया। सम्प्रति १९७० में श्री पंडित गोपदेव जी 'दर्शनाचार्य' तथा श्री पंडित मदनमोहन जी विद्यासागर वेदालंकार, पंडित वीरभद्र जी शास्त्री ने पुनर्मुद्रण में भी विशेष योग दिया। इसका प्रकाशन 'आर्य प्रतिनिधि सभा, मध्य दक्षिण' द्वारा किया गया। अब तक इसकी पन्द्रह हज़ार प्रतियाँ छप चुकी हैं।

मलाबार के पीड़ितों की सहायता

१९२१ ई० में 'खिलाफ़त' के प्रश्न पर अंग्रेज़ सरकार की नीति ने जहाँ कई भारतीय मुसलमानों में बेचैनी उत्पन्न कर दी थी, वहाँ

मलावार के मोपला-वर्ग को भी, जो अरबी नस्ल से सम्बन्ध रखते हैं, विद्रोह के लिए उकसा दिया। जून से सितम्बर तक लगातार चार मास तक यह षड्यन्त्र चलता रहा। सरकार ने इन मोपला-समुदाय को कुचलने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी और साथ ही बड़ी चालाकी से उसको एक साम्प्रदायिक रूप दे दिया। परिणाम यह निकला कि गँवार और लड़ाकू मोपला लोगों ने कुछ स्थानों पर हिन्दुओं के विरुद्ध शरारत करके उनकी हत्या कर दी और वलात् मुसलमान भी वनया। इस दुर्घटना के कुछ दिन वाद ही 'खिलाफ़त सम्मेलन' हकीम अजमलखाँ साहब की अध्यक्षता में हुआ तो आपने मोपलाओं पर किये गये सरकार के अत्याचारों की निन्दा की, परन्तु मुसलमान वनाए गए हिन्दू लोगों के सम्बन्ध में कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की।

जब मलावार के पीड़ित हिन्दुओं की सहायता का अवसर आया तो 'आर्यसमाज, हैदरावाद' ने इसमें भाग लिया और इन दुःखियों की यथासम्भव सहायता की।

१९२२ में राय विशेश्वरनाथ जी प्रधान और श्री सूर्यप्रताप जी मन्त्री चुने गये, किन्तु कुछ ही दिनों बाद श्री सूर्यप्रताप जी ने त्यागपत्र दे दिया। वार्षिकोत्सव पर पंडित मंगलप्रसाद जी पुरी, प्रोफेसर बालकृष्ण जी एम० ए० पी०-एच० डी० प्रधानाचार्य 'राजाराम कॉलेज कोल्हापुर' हैदरावाद आये। पंडित केशवरावजी के सुपुत्र विनायकराव जी इसी समय इंगलैण्ड से बैरिस्टर होकर आये थे। स्वामी दयानन्द जी के सिद्धान्तों पर आधृत आपके भाषण जनता को मुग्ध करते थे।

भूमिदान

१९२४ में विनायकराव जी समाज के प्रधान और पंडित कामताप्रसाद जी मन्त्री बनाये गये। इसी वर्ष श्रीमान मनसाराम जी ने नारायणगड़ी में ग्यारह सौ वर्गभूमि जिसमें 'मलगियाँ' भी थीं, शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए 'आर्यसमाज, सुलतान बाजार' को दान में प्रदान की।

गुरुकुल का शिष्टमण्डल

'गुरुकुल कांगड़ी' का शिष्टमण्डल इसी वर्ष आचार्य रामदेव जी के नेतृत्व में हैदराबाद आया। हैदराबाद की जनता को आचार्य जी के विचारों का लाभ उठाने का अवसर मिला। 'गुरुकुल कांगड़ी' के लिए १५००५ रुपये चन्दा इकट्ठा किया गया।

आर्यकुमार सभा और श्री देवीदीन जी का दान

आर्यसमाजी नवयुवकों के लिए एक संस्था की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। इसलिए उसी वर्ष 'आर्यकुमार सभा' स्थापित कर दी गई। नवम्बर १९२२ से जुलाई १९२५ तक आर्यसमाज की उन्नति साधारण-सी रही। इसी बीच श्री देवीदीन जी का देहान्त हुआ। आपने एक इच्छापत्र द्वारा कई हज़ार की सम्पत्ति 'देवीदीन बाग़, आर्यसमाज, सुलतान बाजार' को दान में दी और बाद में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती गेन्दाबाई और सुपुत्र पंडित राजाराम जी शास्त्री ने समाज के नाम 'बाग' की रजिस्ट्री करा दी जिसमें 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' की ओर से स्वर्गीय श्रीमान मुसद्दीलाल जी से प्राप्त दान से कुछ कमरे बनवाये गये हैं। इस समय 'देवीदीन बाग़' में 'आर्य कन्या पाठशाला' चल रही है। इस शुभ कार्य से देवीदीन जी की कीर्ति बनी रहेगी।

काकीनाड़ा कांग्रेस

दिसम्बर १९२३ में 'अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' के अधिवेशन की, जो मौलाना मुहम्मद अली की अध्यक्षता में काकीनाड़ा में हो रहा था, चारों ओर धूम थी और देश के प्रत्येक भाग से लोग इसमें सम्मिलित हो रहे थे। काकीनाड़ा (जो अब आन्ध्र प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण ज़िला है) दक्षिण में होने के कारण हैदराबाद की जनता के लिए आकर्षण का एक विशेष केन्द्र बन गया था। कांग्रेस-अधिवेशन में सम्मिलित होने वालों की एक भारी संख्या को हैदराबाद व सिकन्दराबाद पर अपनी

यात्रा रोककर आगे बढ़ना पड़ता था। इसलिए इस अवसर से लाभ उठाकर हैदराबादी नेता पंडित माडपाटी हनुमन्तराव जी, पंडित वामननायक जी, पंडित राघवेन्द्र जी शर्मा तथा पंडित केशवराव जी कोरटकर ने सिकन्दराबाद स्टेशन पर कैम्प स्थापित करके राष्ट्रीय-नेताओं का सम्मान किया था। इनमें सरदार विट्ठलभाई पटेल, देशबन्धु चित्तरंजनदास, पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती सरोजिनी नायडू के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। सरोजिनी देवी के हैदराबाद आने-जाने पर कई वर्षों से रोक लगा दी गई। हैदराबाद से कोई ढाई-तीन सौ नवयुवक काकीनाड़ा जानेवाली स्पेशल ट्रेन में कांग्रेस के चोटी के नेताओं के साथ गये थे। इनमें हैदराबाद के कई आर्यसमाजी भी थे जिनको प्रचार के लिए काकीनाड़ा रवाना किया गया था। काकीनाड़ा कांग्रेस में जो हैदराबाद के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, उन्होंने वहाँ अपनी एक सभा भी की। राय विश्वेश्वरनाथ जी इसके सभापति थे। विशेष निमन्त्रण पर इस सभा में देशबन्धु चित्तरंजनदास, सरदार विट्ठलभाई पटेल, पंडित मोतीलाल जी नेहरू, पंडित जवाहरलालजी नेहरू, बाबू सुभाषचन्द्र बोस और मौलाना शौकतअली भी सम्मिलित हुए। इस सभा में निज़ाम के नाम एक प्रस्ताव द्वारा राज्य विधान सभा की स्थापना की माँग की गई।

१९२७ में स्वामी सर्वदानन्द जी और स्वामी रामानन्द जी हैदराबाद आये और समाज के वार्षिकोत्सवों में वेदों की कथा की। नये चुनावों में राजा बहादुर विश्वेश्वरनाथ जी प्रधान और चन्दूलाल जी मन्त्री चुने गये।

श्री पंडित मंगलदेव जी शास्त्री

श्री पंडित मंगलदेव जी शास्त्री उपदेशक के प्रयत्नों से गुलबर्गा, बीदर तथा अनेक स्थानों में आर्यसमाज की शाखाएँ स्थापित हुईं। आर्यसमाज के प्रचार के लिए पंडित मंगलदेव जी शास्त्री, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरी देवी जी तथा मैं वरंगल पहुंचे। श्री मुरकुल भीमैया जी के प्रयत्नों से वरंगल के प्रमुख चौरास्ते पर प्रचार आरम्भ किया ही था कि मुस्लिम गुण्डों ने चारों ओर से हमें घेर लिया और मारपीट की। इतना

होने पर भी हमने अडिग होकर अपना प्रचार-कार्य बन्द न करते हुए उसे जारी रखा। ऐसी कठिन परिस्थिति में वरंगल में किसी हिन्दू ने भी अपने घर हमें ठहरने नहीं दिया। श्री मुरुकुल भीमैया जी ने जो वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी थे, अपने घर में हमें ठहराया। आप ही के घर में आर्यसमाज की प्रथम स्थापना हुई। पंठित जयदेव जी वेदालंकार और पंडित कर्मवीर जी उदगीर ने पुनः वरंगल पहुँचकर आर्यसमाज को नवीन दिशा व प्रगति प्रदान की।

पंडित कामताप्रसाद जी तथा वैदिकाश्रम

वैदिक आश्रम की स्थापना 'समाज' की एक बड़ी आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पंडित कामताप्रसाद जी, जो एक प्रभावशाली आर्यसमाजी नेता थे, आगे आये और बेगमपेठ स्थित पचास हज़ार रुपये मूल्य की अपनी भूमि दान में दे दी। इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसमें मुरलीधर फतेनवाजजंग वित्तमन्त्री, पंडित केशवराव जी कोरटकर, राजा बहादुर राय विश्वेश्वरनाथ जी, पंडित विनायकराव जी और पंडित कामताप्रसाद जी सम्मिलित थे। वैदिक आश्रम की स्थापना द्वारा पंडित कामताप्रसाद जी 'समाज' के कार्य को गति प्रदान करने में विशेष सक्रिय रहे। श्री सूर्यदत्त जी मिश्र एडवोकेट आपके ही ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने पिता के सामाजिक अभाव को आपने अपने सक्रियता से पूरा किया। १६२६ में आठ जून को आर्यसमाज का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पंडित धर्मदेव जी और पंडित विद्यानन्द जी के भाषण हुए। इस वर्ष के पंडित केशवराव जी कोरटकर न्यायाधीश, प्रधान और श्री चन्दूलाल जी मन्त्री चुने गये।

सिद्दीक़ दीनदार की शरारतें

इसी वर्ष सिद्दीक़ दीनदार एक नया मनघड़ंत स्वाँग रचकर अपने आपको, 'लिंगायतों' के महापुरुष बस्वेश्वर के रूप में पेश करके हिन्दुओं पर डोरे डालने लगा। सिद्दीक़ दीनदार ने चन्न बस्वेश्वर का अपने-

आपको अवतार प्रगट ही नहीं किया, अपितु आर्यसमाजियों और हिन्दुओं के महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी और योगेश्वर श्रीकृष्ण जी की शान में मर्यादाओं से गिरी अनुचित हुई बातें करने लगा। जिसके कारण जनता में बेचैनी फैल गई। सिद्दीक़ दीनदार के आरोपों के उत्तर में स्वर्गीय पंडित बन्सीलाल जी व्यास, पंडित मंगलदेव जी शास्त्री, श्री मोहनलाल जी बलदेवा, श्री मोहनचारी जी मेवाड़ी और श्री पंडित मुन्ना-लाल जी मिश्र ने कई स्थानों पर अपने भाषणों द्वारा चन्न बस्वेश्वर की झूठी पोल खोल दी। यह स्पष्ट किया कि श्रीराम और श्रीकृष्ण जैसे महापुरुषों के लिए आर्यसमाजी अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। इस प्रकार इस पाखण्ड के विरुद्ध हैदराबाद की हिन्दू जनता में अश्रद्धा तथा अपने महापुरुषों के प्रति आस्था को दृढ़ किया गया।

इसी अवसर पर प्रथम बार शास्त्रार्थ-महारथी पंडित रामचन्द्र जी देहलवी हैदराबाद बुलाए गये जो अरबी व फ़ारसी के महान् विद्वान एवं शास्त्रार्थ के क्षेत्र में अपना उदाहरण नहीं रखते थे। पंडित जी ने सिद्दीक़ दीनदार और उनके साथियों को ऐसे मुँहतोड़ उत्तर दिये कि यह टोली बग़लें झाँकती नज़र आयी। पंडित रामचन्द्र जी देहलवी के व्याख्यानों की चारों ओर धूम मच गई। इसके बाद वे हैदराबाद कई बार आते-जाते रहे। हैदराबाद का बच्चा-बच्चा उनसे परिचित हो गया और उनके भाषणों की धाक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जम गई। आपमें एक बड़ी विशेषता यह थी कि विरोधियों की दलीलों से ही उनका मुँह बन्द कर दिया करते थे। सिद्दीक़ दीनदार ने 'चन्न बस्वेश्वर सरवरे आलम' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें योगेश्वर कृष्ण और मर्यादापुरुषोत्तम राम के विरुद्ध बड़े ही आरोप और कटाक्ष किये थे। इस पुस्तक से हैदराबाद राज्य के हिन्दुओं में बड़ा ही रोष उत्पन्न हुआ। इस पुस्तक के विरुद्ध जनता में चेतना उत्पन्न करने के लिए आर्यसमाज ने आन्दोलन आरम्भ किया। इस पुस्तक पर शीघ्र प्रतिबन्ध लगाने के लिए आर्यसमाज और सनातनियों की ओर से एक बृहद सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री राजा बहादुर सर बन्सीलाल मोतीलाल जी

ने की जो हैदराबाद नगर के प्रसिद्ध व्यापारी घराने से सम्बद्ध थे। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री पंडित केशवराव जी कोरटकर, श्री रामकिशन जी धूत, श्री पंडित मुन्नालाल जी मिश्र, श्री पंडित वंशीलाल जी व्यास और चन्दूलाल जी ने इस पुस्तक की कड़ी निन्दा करते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया और इसपर प्रतिबन्ध लगाने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप तत्कालीन निज़ाम-सरकार ने इस पुस्तक के पुनः प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

आर्यसमाज की शाखाएँ

श्री पंडित मंगलदेव जी शास्त्री निरन्तर इन प्रयत्नों में लगे रहे कि हैदराबाद राज्य के ज़िलों, तालुकों और गाँवों में आर्यसमाज की शाखाओं का जाल फैलाया जाय। उनके इस परिश्रम के फलस्वरूप वरंगल, महबूब-नगर, निज़ामाबाद, खम्ममेट, सूर्यपेट, पेद्दापल्ली, औरंगाबाद, नान्देड़, हिंगोली, परभणी, जालना, कलम, बारसी, शोलापुर, रायचूर, हुमनाबाद आदि में समाज की शाखाएँ स्थापित हो गईं और इस प्रकार वैदिक धर्म की गूँज चारों ओर फैलने लगी।

श्री पंडित मंगलदेव जी शास्त्री फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) के रहने-वाले हैं। आर्यसमाज में उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त रहा है। हैदराबाद में जिस त्याग एवं साहस के साथ उन्होंने प्रचार का कार्य किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरीबाई भी आपके समाजी कार्यों में बराबर हाथ बँटाती रहीं। पंडित मंगलदेव जी शास्त्री के समाज-प्रचार के कार्यक्रमों में मुझे भी कई स्थानों पर साथ जाने का अवसर मिला है। उनका यह प्रचारकाल हैदराबाद के इतिहास में 'स्वर्णिम युग' के रूप में स्मरण किया जाता रहेगा। आपने न केवल हैदराबाद, अपितु उत्तर प्रदेश, पंजाब, बर्मा आदि सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर प्रचार किया है।

आर्यसमाज की सेवायें

धार्मिक श्रद्धा एवं कार्यों का मतभेद मानव-एकता व प्रेम के मार्ग

में कभी बाधक नहीं हो सकता। इस नैतिक दृष्टिकोण को आर्यसमाज ने अपने विचार, कर्म और प्रयत्नों से जिस प्रकार सिद्ध कर दिखाया, उसको स्वयं जनता मान चुकी है। वैदिक शिक्षा के समर्थक आर्यसमाज के विचार में यह बात कभी नहीं आ सकती कि कोई भी व्यक्ति दुःखित व पीड़ित रहे। जब कभी कोई दैवी प्रकोप किसी वर्ग पर आ पड़ता, वह सेवा-क्षेत्र में हिन्दू, सिख, ईसाई और मुसलमान का भेदभाव न रखते हुए उनकी सेवा में जुट जाता। वह ऐसी परिस्थितियों में अपने अन्तः-करण से यह आभास पाता रहा कि सारे मनुष्य एक-दूसरे के भाई और एक ही ईश्वर की सन्तान हैं। मनुष्यों को दुःखी एवं पीड़ित देखकर उसकी आँखों में आँसू भर आते और उसका हृदय काँप उठता।

उसने सदा ही गिरते हुओं को सहारा दिया, डूबते हुओं को ऊपर लाने का प्रयत्न किया, दुःखियों को गले लगाया, रोगियों को ओषधि दी और तड़पती हुई आत्माओं के लिए परमात्मा से शान्ति की प्रार्थना की। लोगों ने कहा, "आर्यसमाज रामवाण है।" यह केवल रामवाण ही नहीं, आत्मतोष का अमोघ साधन भी है। लोगों ने कहा, "आर्य-समाज राष्ट्र का नायक है।" किन्तु वह पूरी नम्रता से कहता है कि "वह जनता का सेवक है।"

भूकम्प और बाढ़ें

कांगड़ा में भूकम्प आया तो आर्यसमाज का हृदय काँप उठा और 'हैदराबाद आर्यसमाज' ने यथासम्भव पीड़ितों की सहायता की। सन् १९०७ में हैदराबाद नगर में मुचकुन्दा नदी की बाढ़ से हज़ारों घर बरबाद हो गये और शवों के अम्बार लग गये तो इस कठिन समय में भी 'समाज' ने जनता की सेवा के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी और वह सब-कुछ किया जो बन पड़ता था।

प्लेग का आक्रमण

सन् १९१७ में जब हैदराबाद में प्लेग के भयंकर रोग का आक्रमण

हुआ तो मृत्यु के आगे मानवता बेबस और लाचार दिखाई देने लगी। नगर में चारों ओर प्लेग फैल चुका था। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति मौत के मुँह में जा रहे थे। श्मशानों में चिताओं की ज्वाला भड़कती जाती थी और कब्रिस्तानों की आबादी बढ़ती जा रही थी। प्रत्येक घर में चार-चार पाँच-पाँच व्यक्ति बीमार थे। जब रोगियों को पूछनेवाला कोई नहीं था, मरनेवालों को ठिकाने लगाने का क्या सामान हो सकता था! सरकार, जनता और सारा नगर चिन्ता से व्याकुल हो रहा था। हैदराबाद में समाजी भलाई करने का कार्य करनेवाली वैसे तो और भी कुछ संस्थाएँ थीं, किन्तु इसे ईश्वर की कृपा ही समझना चाहिए कि इस दिल दहलानेवाले गम्भीर दुःखद अवसर पर आर्यसमाज को जनता की अधिकाधिक सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसका कार्य बड़ी सीमा तक सन्तोषजनक सिद्ध हुआ। प्लेग और इन्फ्लूएन्ज़ा के समय जनता की सेवा के लिए जो आपत्तियाँ और कड़े अनुभव उठाने पड़ते थे, उनको ध्यान में रखकर १९२७ के प्लेग में आर्यसमाज को आगे बढ़ने का साहस नहीं हो रहा था। किन्तु जब विभिन्न बस्तियों से अनाथ रोगियों की दिल दहलानेवाली कहानियाँ उनके कानों तक पहुँचीं तो आर्यसमाज से रहा न गया और वह पुनः आत्म-विश्वास के साथ मैदान में कूद पड़ा। आर्यसमाज के अनुरोध पर डॉक्टर मल्लन्ना, डॉक्टर पिल्लै, हकीम तफ़ज़्ज़ुल हुसैन साहब, हकीम शहाबुद्दीन साहब और हकीम मक़सूद अली खाँ साहब ने जनता की जो सेवा की, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता।

इस जान-लेवा रोग की भीषणता इतनी अधिक थी कि प्लेग से मरनेवालों की सहायता करना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। किन्तु 'समाज' ने साहसपूर्ण कार्य आरम्भ कर दिया और बस्तियों को सात क्षेत्रों में बाँटकर चिकित्सा-भोजन आदि की व्यवस्था और शव आदि उठाने का कार्य आरम्भ किया। आर्यसमाज के साथ 'सर्विस लीग' भी इस मानवीय कार्य में सम्मिलित हो गई। 'समाज' की प्रार्थना पर जिन डॉक्टरों ने निःस्वार्थ सेवा की और तन-मन-धन से रोगियों की चिकित्सा आदि में हाथ बँटाया, उनमें स्वर्गीय डॉक्टर कैलाशनाथ वाघरे जिन्होंने

आगे चलकर 'कर्नल' और 'राजा वहादुर' की उपाधियाँ प्राप्त कीं और स्वास्थ्य-विभाग के निर्देशक बने, डॉक्टर मेजरी, एम० सी० नायडू, डॉक्टर मित्रपाल, डॉक्टर रामस्वामी, लेडी-डॉक्टर कनीलेस, डॉक्टर ह्वार्डीकर, डॉक्टर यशवन्तराव, डॉक्टर दिगम्बरसिंह, डॉक्टर रामचन्द्र-राव, लाला गयाप्रसाद जी आर्य तथा श्री चन्दूलाल जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस रोग को रोकने के लिए इन डॉक्टरों ने कोई ५० हज़ार टीके लगाये। रोगियों की सेवा में आर्यसमाज के सहयोग से इन लोगों ने दिन-रात एक कर दिये थे। इन रोगियों की सेवा के लिए जो प्लेग-कैम्प खोला गया था, उसमें मुझे भी सेवा करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ था।

इतने थोड़े डॉक्टरों का नगर की विभिन्न बस्तियों में पहुँचना असम्भव था, किन्तु फिर भी उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं उठा रखी। ओषधि और भोजन के प्रबन्ध के बाद रोगियों की देखभाल की आवश्यकता थी। किन्तु ग़रीव लोगों के मकानों एवं झोंपड़ियों में इसका प्रबन्ध असम्भव था। इसलिए 'विवेकवर्द्धिनी थियेटर' में प्लेग-अस्पताल खोल दिया गया। इस चिकित्सालय की स्थापना में श्री पंडित केशवराव जी कोरटकर तथा श्री वामन नायक जी जागीरदार ने बड़ा सहयोग दिया और समाज के इस संघर्ष में अन्तिम समय तक वे हाथ बँटाते रहे। चिकित्सालय की स्थापना से आर्यसमाज के इस मिशन को बड़ी सहायता मिली। जब जनता से दान प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो विभिन्न जाति के लोगों ने बड़ी उदारता से हाथ बँटाया। महिलाओं में पंडित वामन नायक जी की धर्मपत्नी, रेवरेण्ड पार्किस की धर्मपत्नी, लाला गयाप्रसाद आर्य की धर्मपत्नी अम्बिकादेवी और मिस एलिन के नाम उल्लेखनीय हैं जो निर्बल रोगियों को अपने हाथों से भोजन कराती थीं। आर्यसमाज के इस कार्य से प्रभावित होकर सरकार को भी 'विवेकवर्द्धिनी प्लेग चिकित्सालय' को १०,००० रुपये की आर्थिक सहायता देनी पड़ी। इस प्रकार आर्य-समाज ने लगभग पन्द्रह सौ रोगियों की सहायता की जिनमें से एक हज़ार स्वस्थ हो गये।

लाला गयाप्रसाद आर्य की मानवता सेवायें

उस युग के आर्यसमाजियों में लाला गयाप्रसाद जी को उनकी निस्स्वार्थ एवं भरपूर सेवाओं के कारण एक विशेष स्थान प्राप्त था। आप १९०५ ई० में आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए और १९१० ई० में आपने समाज की विधिवत् सदस्यता स्वीकार की। आपमें मानव-जाति का प्रेम कूट-कूटकर भरा हुआ था। उनका दर्द से भरा हुआ दिल दूसरों की पीड़ा देखकर तड़प उठता था और आँखों से आँसुओं की झड़ी लग जाती थी। इन्फ्लूएन्ज़ा के समय, प्लेग की पहली भयंकरता और बाद के समय के प्लेग में लाला जी ने बिना किसी जात-पात और भेदभाव के जनता की जिस अथक परिश्रम से सेवा की, उसका उदाहरण नहीं मिलता। लाला गयाप्रसाद जी आर्य को अपने आर्य होने पर गर्व था और अपने-आपमें दुःखी मनुष्यों की सेवा करके शक्ति महसूस करते थे। उस समय, जबकि रोगियों के निकट जाते हुए स्वयं परिवार के लोग भयभीत होते थे, उस दशा में लाला गयाप्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी अम्बिकादेवी जी रोगियों को दवाएँ पिलाते, भोजन कराते, उनको दिलासा देते और मृत मनुष्यों के शवों को उठाकर श्मशानों तक पहुँचाते थे। वे सवेरे से सायंकाल और सायंकाल से प्रातःकाल तक इसी कार्य में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपनी सुध-बुध तक नहीं रहती थी। उन्हें धर्म से प्यार था और मानवता से प्रेम। इसी कारण वह सेवक बनकर भी सरदार माने गये और प्रत्येक व्यक्ति उनकी निष्काम सेवा के गुण गाने लगा था। निज़ाम सरकार ने उनकी अपूर्व सेवाओं की सराहना कर उन्हें एक सोने की घड़ी उपहार में भेंट की। बाद में जब 'आयुर्वेद विद्यालय' का उद्घाटन हुआ तो उस अवसर पर ऑनरेबल सर अकबर हैदरी (भूतपूर्व हैदराबाद के प्रधानमन्त्री एवं वायसराय एक्ज़िक्यूटिव कौंसिल के सदस्य) ने लाला गयाप्रसाद जी की शानदार सेवाओं के प्रति अपनी और सरकार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आपको निज़ाम सरकार की ओर से एक प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया गया था।

लाला गयाप्रसाद जी और श्री चन्दूलाल जी को इस संसार से विदा हुए बहुत दिन हो गए, किन्तु आज भी जब उनकी याद आती है तो लोग प्रेम और आदर के साथ अपना मस्तक झुका लेते हैं। लाला गयाप्रसाद जी ने मानवता की सेवा के जो चिह्न छोड़े हैं, वे सदा जगमगाते रहेंगे।

सन् १९३० में पंडित केशवराव जी प्रधान और श्री चन्दूलाल जी मन्त्री चुने गये। इस वर्ष भी हैदराबाद से बाहर के कुछ समाजी प्रचारक बुलाये गये थे। वार्षिकोत्सव के अवसर पर शंका-समाधान की योजना बनाई गई। कुछ मास के उपरान्त पंडित रामचन्द्र जी देहलवी, पंडित धर्मभिक्षु जी, श्री पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार, पंडित सत्यदेव जी का क़ादियानी मौलवियों के साथ 'देवीदीन बाग़' में शास्त्रार्थ हुआ जिसका परिणाम समाज के प्रचार के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। इसके विपरीत, मुसलमानों को अपने निरुत्तर होने के कारण जो आत्म-ग्लानि हुई, उसके निवारणार्थ उन लोगों ने उक्त विद्वानों तथा आर्यसमाजियों के विरुद्ध विषाक्त वातावरण उत्पन्न करना आरम्भ किया।

इस शास्त्रार्थ का हैदराबाद के जन-जीवन पर इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि लोगों में एक नवीन स्फुरण व क्रान्ति की भावनाएँ जाग उठीं। संस्कृत एवं अरबी के विद्वान् पंडित कालीचरण जी शास्त्रार्थ-महारथी भी इसी वर्ष हैदराबाद आये और 'श्रीमद्भगवद्गीता' व 'सत्यार्थप्रकाश' के अरबी-अनुवादों के लिए समाज की ओर से उन्हें आर्थिक सहयोग दिया गया।

हिन्दू विधवाओं का पुनर्विवाह

आर्यसमाज के नेता पंडित केशवराव जी को हिन्दू-समाज के सुधार एवं निर्माण में गहरी रुचि थी। इसी उद्देश्य से आपने 'राज्य विधान-परिषद्' में हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह के सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया कि यदि कोई विधवा पुनर्विवाह कर ले और उसे सन्तान हो तो वह वैधानिक समझी जाएगी और उसे कानूनी तौर पर पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। इस समाज-सुधार के आन्दोलन की सभी वर्गों की ओर से

प्रशंसा होनी चाहिए थी, किन्तु पुराने खूँसट विचार के लोगों में एक बेचैनी उत्पन्न हो गई और वे उसके विरोध का प्रयत्न करने लगे। जब इस समाज-सुधार के ध्येय से जनता परिचित हुई तो वह इसका समर्थन करने लगी। इसके विपरीत, कुछ कट्टर हिन्दू नेता अपनी जगह पर डटे रहे। इसके निर्णय के लिए एक सभा आयोजित की गई। इस सभा की एक विशेषता यह थी कि पुनर्विवाह की सैद्धान्तिक पुष्टि के लिए आर्य-समाज की ओर से श्री पंडित चन्द्रभानु जी 'सिद्धान्तभूषण' तथा श्री पंडित मंगलदेव जी शास्त्री ने निर्भीकता एवं दृढ़तापूर्वक अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये। सनातनियों ने उत्तर देने के स्थान पर उक्त पंडितों का अपमान यहाँ तक किया कि भारी गड़बड़ तथा मार-पिटाई की स्थिति तक उत्पन्न कर दी। पंडित केशवराव जी कोरटकर को 'विवेकवर्द्धिनी थियेटर' की इस सभा में लोगों को मनाने-समझाने का प्रयत्न तक करना पड़ा। पंडित जी कानून के विशेषज्ञ, विचारक और समाज-सुधारक थे। इस विधेयक के विरोध में प्रस्तुत होनेवाली प्रत्येक शंका के समाधान की वे पूरी शक्ति रखते थे। विरोधी केवल विरोध करने आते थे, इस-लिए वाद-विवाद का कोई परिणाम न निकल सका। खूँसट विचार के लोग ओछे हथकण्डों पर उतर आये और उनके मुकाबिले में कर-पत्र प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि यह विधेयक पंडित केशव-राव जी कोरटकर के जीवन-काल में पास न हो सका, पर आगे चलकर यह विधेयक एक विधान बना और समाज-सुधार का उनका यह प्रयत्न सफल होकर रहा। इस विधेयक के विरोध में जो लोग अग्रणी रहे, उनमें स्वामी हरिहर तीर्थ दण्डी, श्री रामचन्द्र वकील, श्री वामन नायक जी और श्री अन्तु रामचन्द्रराव वकील हाईकोर्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। विचित्र बात तो यह थी कि दैनिक उर्दू समाचार-पत्र 'सहीफ़ा' के सम्पादक मौलवी अकबर अली साहब, जिनका इस धार्मिक प्रश्न का दूर से भी सम्बन्ध न था, पौराणिकों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए अपना विरोध प्रकट कर रहे थे।

जिन लोगों ने विधेयक के पक्ष में विरोध-संघर्ष का सफलतापूर्वक

सामना किया और हिन्दू-समाज के माथे से इस कलंक को मिटाने में लगे रहे, उनमें राजा बहादुर राय विश्वेश्वरनाथ जी, श्री विश्वम्भर दयाल एडवोकेट, श्री रामचन्द्र नायक और श्री विनायकराव जी विद्यालंकार को भुलाया नहीं जा सकता। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में उस समय जनता को संगठित करने एवं जनता को जागृत करने के लिए मैंने एक लेखमाला आरम्भ की थी जो हैदराबाद के सबसे पुराने एवं विख्यात समाचारपत्र 'मुशीरे दक्कन' में प्रकाशित होते रहे। इस लेखमाला ने विधेयक के पक्ष में हैदराबाद में एक स्वस्थ व अनुकूल वातावरण के निर्माण में योग दिया। इस महत्त्वपूर्ण कार्य में पण्डित विनायकराव जी तथा श्री चन्दूलाल जी का सराहनीय सहयोग मिला है।

श्री पंडित केशवराव जी कोरटकर का निधन

श्री पंडित केशवराव जी १८९८ ई० में आर्यसमाज में जब से प्रविष्ट हुए, तब से लेकर जीवन-पर्यन्त समाज की सेवा व उसकी सतत श्री-वृद्धि में ही आपका सम्पूर्ण जीवन समर्पित रहा है।

२१ मई सन् १९३२ ई० को पंडित केशवराव जी कोरटकर का पूना में स्वर्गवास हो गया। इनका निधन आर्यसमाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि और हैदराबाद के लिए एक बड़ी दुःखदायी घटना थी। पंडित केशवराव जी के बिछुड़ जाने से ऐसा लगता था कि समाज के प्राणों का ही अन्त हो गया है। आर्यसमाज को उनकी असाधारण योग्यता, अनुभव, बुद्धिमत्ता एवं अद्वितीय नेतृत्व से जो शक्ति प्राप्त हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रावसाहब न केवल आर्यसमाज अपितु राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक व हिन्दू-समाज की समस्त गतिविधियों के प्रेरक थे, आप गोविन्द रानाडे तथा लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के विचारों से पूर्णतः प्रभावित थे और उनके कट्टर समर्थक भी थे। आपके जीवन से अनेक लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की है। यश व प्रतिष्ठा से अलिप्त इस महान् समाजसेवक ने असंख्य जनों को आगे बढ़ने का अवसर देकर उन्हें सक्रिय कार्यक्षेत्र में लाकर खड़ा किया।

न्यायमूर्ति श्री पंडित केशवराव जी कोरटकर की निर्भीकता व निष्काम स्वरूप का परिचय इस बात से मिल जाता है कि वे राज्य के एक वरिष्ठ पद पर आसीन होते हुए भी 'समाज' के प्रति होनेवाले हर अन्याय के विरोध में डटकर लोहा लेते थे। सरकार उनकी सच्चरित्रता, उदारता तथा न्यायप्रियता के कारण उन्हें कुछ कहने का साहस नहीं करती थी। उनके निष्पक्ष काम के कारण अनेक मुसलमान तक उनका हृदयपूर्वक आदर करते थे। आर्यसमाज को गति और दिशा दर्शाने में उनका बड़ा हाथ रहा है। उनके चले जाने से सामाजिक क्षेत्रों में दुःख व शोक की लहर दौड़ गई। जगह-जगह शोक-सभाएँ हुईं और उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गईं। आर्यसमाजियों को इस महान् दुःख के समय इस बात की सान्त्वना अवश्य मिली कि पंडित केशवराव जी कोरटकर अपने पीछे आर्यसमाज के लिए अपने योग्य पुत्र श्री पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार को छोड़ गए हैं। श्री विट्ठलराव जी कोरटकर बी० ए० एल० एल० बी० का भी अपने ज्येष्ठ भ्राता की भाँति समाज के कार्यों में यथेष्ट भाग रहा है। हैदराबाद राज्यों के क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या शैक्षणिक, सभी क्षेत्रों में श्री पंडित केशवराव जी का सम्पूर्ण योगदान रहा है। आपकी अपूर्व सेवाओं को हैदराबाद के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

हम्पी के मन्दिर को लूट लेने का षड्यन्त्र

आर्यसमाज के प्रचारकों ने सिद्दीक़ दीनदार की पोल जनता के सामने खोलकर रख दी, इसके परिणामस्वरूप उसके अनुयायियों का प्रचार ठंडा पड़ गया। जब वे और उनके साथियों ने हम्पी के मन्दिर को लूटने का षड्यन्त्र रचा तो आर्यसमाज को इसकी सूचना मिली और उसने ठीक समय पर इस षड्यन्त्र का भण्डा फोड़कर हैदराबाद एवं भारतीय पुलिस को सचेत कर दिया जिससे इस मन्दिर की सुरक्षा हो सकी।

प्रचारक

सन् १९३० तक हैदराबाद में आर्यसमाजों की संख्या बढ़ चुकी थी

और 'सुलतान बाज़ार आर्यसमाज' को इन सबमें एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यों तो बहुत समय तक कई आर्यसमाजों के प्रचारक समाज का कार्य निःस्वार्थरूप से करते रहे, किन्तु जब यह कार्य फैलने लगा तो पंडित चन्द्रभानु जी 'सिद्धान्तभूषण' को इस कार्य को विस्तृत रूप प्रदान करने का भार सौंपा गया। इसके अतिरिक्त दूसरे समाजों की ओर से भी अनेक प्रचारकों ने बिना किसी वेतन के प्रचार का कार्य करते हुए आर्यसमाज का सन्देश गाँव-गाँव तक फैला दिया। इन सम्माननीय व्यक्तियों में पंडित श्यामलाल जी, पंडित बन्सीलाल जी, पंडित रघोत्तमदास जी लातूर, डॉक्टर अग्निदत्त जी, पंडित दत्तात्रेय प्रसाद जी एडवोकेट, पंडित कर्मवीर जी, पंडित प्रह्लाद जी उदगीर, पंडित शेषराव जी वाघमारे एडवोकेट निलंगा, श्री माधवराव जी घोंसीकर, श्री वीरभद्रप्पा अम्बेसांगे, श्री दिगम्बरराव जी पत्तेवार, श्री अमृतराव जी और श्री आर्यभानु जी धारूर, पंडित गणपतराव जी कथले, श्री बन्सीलाल व्यास देशबन्धु जी औराद, श्री बाबूराव जी मास्टर उसमानाबाद के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इन सब व्यक्तियों को निज़ाम के अत्याचारी युग में तलवारों की छाया में प्राणों का मोह छोड़कर महर्षि दयानन्द के वेद-सन्देश को जनता तक पहुँचाने में जिन कठिन मार्गों से गुजरना पड़ा है, वह इतिहास की एक अनुपम घटना है। इन व्यक्तियों के साथ मुझे भी प्रचार-क्षेत्र में लगातार कार्य करने का अवसर मिलता रहा है।

शहीद शामलाल जी

"रणक्षेत्र में ही मेरी मृत्यु होगी, घर पर नहीं। मृत्यु का आह्वान मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा है।"

१५ दिसम्बर १९३८ ई. वीर शय्या से

तृतीय चरण

सगठन की दिशा में

हैदराबाद राज्य में आर्यसमाज का कार्य जितना फैल चुका था उसको देखते हुए इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि एक केन्द्रीय सभा की स्थापना की जाय। 'सुलतान बाज़ार' के तीसवें वार्षिकोत्सव में, जो मार्च १९३० में हुआ और जिसमें समाजों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया था, एक केन्द्रीय संगठन के प्रस्ताव को 'सुलतान बाज़ार' के मन्त्री श्री चन्दूलालजी ने विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया। श्री बन्शीलाल जी वकील हल्लीखेड़ ने इसका समर्थन किया। किन्तु, इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो सका। ४ एप्रिल सन् १९३१ को 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' की ३७वीं वार्षिक बैठक में इस प्रश्न पर पुनः विचार किया गया जिसमें आर्यसमाजियों के ६९ प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसमें आर्य प्रतिनिधि सभा के स्थापना-सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

आर्य प्रतिनिधि सभा

'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के मन्त्री श्री चन्दूलाल जी और भाई पंडित बन्शीलाल जी के सुझाव पर ४ एप्रिल १९३१ ई० को 'आर्य प्रतिनिधि सभा, निज़ाम राज्य' की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित केशवराव जी, मन्त्री श्री चन्दूलाल जी और पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार कोषाध्यक्ष चुने गये।

'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' सन् १८९२ से निरन्तर काम कर रहा था और हैदराबाद राज्य में उसे एक केन्द्रीय स्थान प्राप्त था। सभा

की स्थापना के अनन्तर यह केन्द्रीय रूप 'आर्य प्रतिनिधि सभा' को प्राप्त हुआ।

'आर्य प्रतिनिधि सभा' निज़ाम राज्य में उत्साह एवं सक्रिय रूप में प्रादुर्भूत हुई थी। इसके आन्दोलन को आरम्भ हुए थोड़ा समय ही बीता था कि वह अपने एक योग्य हितैषी एवं बुद्धिमान् प्रधान की सेवाओं से सदा के लिए वंचित हो गई। पंडित केशवराव जी के निधन से आर्य-समाज और राज्य को काफ़ी हानि पहुंची, क्योंकि पंडित जी हैदराबाद के सम्माननीय समाज-सुधारकों, उच्चकोटि के वकीलों एवं न्यायाधीशों में गिने जाते थे। २३ जनवरी सन् १९३२ को पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार बार-एट-लॉ को प्रधान और श्री चन्दूलाल जी को मन्त्री चुना गया। 'आर्य प्रतिनिधि सभा' को राज्य में व्याप्त परिस्थितियों एवं निज़ाम शासन की अत्याचारपूर्ण नीति के कारण उत्पन्न गम्भीर समस्याओं से निपटने के लिए सक्रिय होना पड़ा। पुलिस की ओर से आर्यसमाज के प्रचारकों, वक्ताओं, उनकी सभाओं और जुलूसों आदि पर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे।

उदाहरणार्थ, १२ एप्रिल सन् १९३४ को एक आदेश-पत्र निज़ाम सरकार की ओर से प्रकाशित किया गया कि समाज-मन्दिर में भी कोई उपदेश नहीं हो सकता जब तक कि उस उपदेश का प्रारूप सरकार के पास भेजकर स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय।"

इसी प्रकार २३ जनवरी सन् १९३४ तथा २९ एप्रिल सन् १९३४ को एक अन्य आज्ञापत्र प्रकाशित किया गया कि "समाज-मन्दिर के बाहर हवन तथा सार्वजनिक सभाएँ नहीं की जा सकतीं।" परन्तु उक्त आज्ञाओं पर से प्रतिबन्ध समाप्त करने के लिए प्रतिनिधि-सभा भी शासन के उच्च पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुकी थी और इस परिस्थिति से 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' भी भली-भाँति परिचित थी। परिणामतः, 'सार्वदेशिक सभा' की ओर से इस बारे में विरोध प्रकट कर निज़ाम-सरकार से अनुरोध किया गया कि वह आर्यसमाज को भी अन्य धार्मिक अनुयायियों की तरह धार्मिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता

का अवसर दे। किन्तु, इस उचित माँग को राज्य ने नहीं माना। ऐसा लगता था कि निज़ाम-सरकार अपनी पुलिस को आदेश दे चुकी थी कि वह आर्यसमाजियों के मुआमले में प्रतिदिन अपने अत्याचारों और हिंसात्मक गतिविधियों को बनाये रखें। परिणाम यह निकला कि उचित सुविधाएँ पहुंचाने की बात तो दूर रही, आर्यसमाजियों पर अत्यधिक अत्याचार आरम्भ कर दिये गए।

हैदराबाद-दिवस

पुलिस के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध हैदराबाद और भारत के आर्य-समाजी क्षेत्रों में एक बेचैनी फैली हुई थी। इस बेचैनी से सरकार को अवगत कराने के लिए राज्य में एवं राज्य के बाहर पूरे उत्साह के साथ २ दिसम्बर १९३४ को 'हैदराबाद-दिवस' मनाया गया और पुनः 'सार्व-देशिक सभा' द्वारा प्रेषित सात माँगों को दुहराया गया जिनमें आर्यसमाज की सभाओं व जुलूसों पर से रोक और सामाजिक प्रचारकों के राज्य में प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटाने आदि थे।

प्रथम समाचार-पत्र

भारत में कुछ स्थानों से आर्यसमाज के समाचारपत्र निकलते थे, किन्तु हैदराबाद में कोई आर्यसमाजी पत्र नहीं निकलता था। निज़ाम-सरकार समाचारपत्र निकालने की स्वीकृति देते हुए घबराती थी और आर्यसमाज की ओर से किसी समाचारपत्र का निकालना अति कठिन था। किन्तु, इस बात का लगातार प्रयत्न होता रहा कि समाज को समाचारपत्र निकालने की स्वीकृति मिले। अन्ततः ७ दिसम्बर १९३४ से 'वैदिक आदर्श' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसके सम्पादक श्री चन्दूलाल जी थे, जिसका सम्पूर्ण सम्पादन का भार मुझे सौंप दिया गया था। मुझे श्री भाई सोहनलाल जी व ठाकुर उमरावसिंह जी ने इस पत्र के निकालने में पूरा-पूरा सहयोग दिया था। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद ही इन्हें इसी वर्ष ध्रुवपेठ के दंगे के सन्दर्भ में पकड़ लिया गया। 'ध्रुवपेठ

आर्यसमाज' के मन्त्री ठाकुर उमरावसिंह जी व सोहनलाल जी और उनके अन्य २४ साथी मुकद्दमे के परिणामस्वरूप दण्डित हुए।

निज़ाम-सरकार आर्यसमाज की पुस्तकों पर कड़ी दृष्टि रखती थी। परन्तु, ऐसे दिल दुखानेवाले साहित्य पर जो मुसलमानों की ओर से प्रकाशित होता रहता था और जिसमें आर्यसमाजियों और हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं पर कुत्सित आक्रमण किये जाते थे, कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। मौलाना ख्वाजा हसन निज़ामी के एक लेख 'मुरक्क़ए-गाज़ी' पत्रिका से हैदराबाद में प्रचार किया गया तो इसपर आर्यसमाज की ओर से उसके विरुद्ध यह आक्षेप किया गया कि सिन्ध-विजय के बारे में मुहम्मद बिन कासिम की बातों को पेश करके पुस्तक में जो चित्र प्रकाशित किये गए हैं और उन्हें जो शीर्षक दिये गए हैं, वे हिन्दुओं के लिए अत्यन्त दिल दुखाने एवं भड़कानेवाले हैं इसलिए इनपर रोक लगा देनी चाहिए। किन्तु, खेद है कि सरकार की ओर से इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

'वैदिक आदर्श' और मुस्लिम पत्रकारिता

'वैदिक आदर्श' पत्रिका का प्रकाशन राज्य की मुस्लिम पत्रकारिता के लिए बड़े दुःख एवं शोक का कारण बन गया। समाचारपत्र की कमी को अनुभव करते हुए हल्लीखेड़ के वार्षिकोत्सव के अवसर पर जिसमें पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार, पंडित रामचन्द्र जी देहलवी, श्री चन्दूलाल जी, श्री सूर्यप्रताप जी, श्री चन्द्रपाल जी, पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी, श्री श्यामलाल जी वकील, श्री बन्सीलाल जी वकील और मेरी उपस्थिति में यह निर्णय किया गया कि उर्दू में 'वैदिक आदर्श' साप्ताहिक निकाला जाय। समाचारपत्र के सम्पादक श्री चन्दूलाल जी थे, परन्तु 'वैदिक आदर्श' का सम्पूर्ण कार्य मुझे सौंपा गया। 'वैदिक आदर्श' आर्यसमाज के सम्पूर्ण विचारों का प्रतिनिधित्व साहस और निडरता के साथ करता रहा। आर्यसमाजियों और हिन्दुओं का दिल दुखाने व क्रोध उत्पन्न करनेवाले लेख प्रकाशित करने की परम्परा जो 'रहबरे दक्कन',

'अल आज़म' आदि की बन चुकी थी और इस विरोधी प्रचार का उत्तर देनेवाला कोई समाचारपत्र हिन्दुओं का नहीं था, उस मुस्लिम पत्रकारिता का मुँहतोड़ एवं उचित उत्तर 'वैदिक आदर्श' द्वारा दिया जाता था। १९३४ ई० में जब हल्लीखेड़ का नाममात्र मुकद्दमा ब्रिटिश सरकार की धारा २३६,८३,१४३ के अनुसार पंडित रामचन्द्र जी देहलवी, आर्य जगत् के सम्माननीय नेता श्री बन्सीलाल जी, भवानीसिंह जी बीदर, रामवल्लभ जी हल्लीखेड़ और श्री मानिकराव जी मंत्री हल्लीखेड़ के विरुद्ध चलाया गया तो 'वैदिक आदर्श' ने बड़ी निडरता के साथ वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए सरकार से अनुरोध किया कि उक्त नेताओं के मुकाबिले में इस मुकद्दमे का कोई वैधानिक एवं नैतिक अस्तित्व नहीं है, इसे उठा लेना चाहिए।

'रहबरे दक्कन' (दैनिक) ने, जो कट्टर मुस्लिम साम्प्रदायिकता के प्रचार को अपनी मूल नीति बनाये हुए था, 'वैदिक आदर्श' के विरुद्ध आरोप लगाया कि वह लोगों को इस मुकद्दमे के विरुद्ध भड़का रहा है। 'सुबहे दक्कन' (दैनिक) ने 'आसफ़िया शासन' की उदारता का ढोल पीटते हुए इस बात की बड़ी ज़ोर से वकालत की कि पंडित रामचन्द्र जी देहलवी के विरुद्ध इस्लाम की निन्दा करने के अपराध में मुकद्दमा चलाना उचित है और उसका यह उद्देश्य है कि मुसलमानों में जो क्रोध फैला है उसे दूर किया जाय। 'अल आज़म' साप्ताहिक पूरी शरारत और झगड़े पर उतर आया और आर्यसमाज पर असभ्य आक्रमण करने लगा। किन्तु, मुस्लिम पत्रकारों के गालीगलौज के उत्तर में 'वैदिक आदर्श' अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक अपने पक्ष को प्रस्तुत करने लगा।

सरकार की ओर से प्रस्तुत दावे में सनातनधर्म, इस्लाम और ईसाई मत की भर्त्सना का समाज पर आरोप था और मुस्लिम पत्र बलपूर्वक यही कहते थे कि पंडित रामचन्द्र जी देहलवी ने अपने भाषण में केवल इस्लाम की ही निन्दा की है। वस्तुतः पण्डित जी पर यह अपराध ही ग़लत तौर पर लगाया गया था। जब आगे चलकर कुछ मुसलमानों ने यह बताया कि पण्डित जी ने तो अपने भाषण में कहा था कि पवित्र

वेद एक ईश्वरीय ग्रन्थ के रूप में सूर्य है और उसके मुकाबिले में दूसरे दीपक हैं, तब यह वास्तविकता स्पष्ट हो गई कि दूसरे धर्मों एवं उनकी पवित्र पुस्तकों की निन्दा का प्रश्न ही नहीं उठता। 'वैदिक आदर्श' ने यह बताने का प्रयत्न किया कि आर्यों को भड़काना उसका उद्देश्य नहीं अपितु वास्तविकता को प्रस्तुत करके शासन से न्याय माँगना है। किन्तु, मुस्लिम पत्रकारिता इससे सन्तुष्ट न हो सकी और आर्यसमाज एवं उसकी गतिविधियों में रोड़े अटकाने का लगातार प्रयत्न करती रही। प्रत्येक अवसर पर, जबकि आर्यसमाजियों के विरुद्ध निज़ाम-शासन के अन्यायी और पुलिस की हिंसापूर्ण कार्यवाहियों पर टिप्पणी की गई तो मुस्लिम पत्र 'वैदिक आदर्श' से उलझते रहे और हर प्रकार से आर्यों के विरुद्ध विष उगलते रहे।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय उर्दू समाचार-एजेन्सी 'दक्कन न्यूज़' उस समय मुस्लिम साम्प्रदायिकता के प्रचार में ज़बर्दस्त सहयोग देती रही। वास्तविकता यह थी कि उसने अधिकतर अपने मनघड़ंत समाचारों द्वारा ही साम्प्रदायिक विष को राज्य के कोने-कोने तक फैलाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया। स्वयं निज़ाम सरकार के ज़िम्मेदार अधिकारियों ने 'दक्कन न्यूज़' के इस प्रकार के प्रचार को उचित नहीं समझा और राज्याध्यक्ष ऑनरेबल अकबर हैदरी के विशेष आदेश पर उसपर पूरी रोक लगा दी गई। पुनरपि, उक्त पत्रिका का सम्पादक अपनी कट्टर साम्प्रदायिक भावनाओं को पहले से अधिक ज़ोर के साथ फैलाता रहा।

'वैदिक आदर्श' हैदराबाद में आर्यसमाज की आवाज़ के रूप में शान्ति, प्रेम एवं मित्रता का प्रतीक था। सत्य एवं यथार्थ को प्रकट करने में कभी उसने आनाकानी नहीं की और रचनात्मक दृष्टिकोण से सुधार की दिशा में अग्रसर होता रहा।

क्रान्तिकारी पग

समाज की ओर से उस समय अछूतोद्धार का काम भी बराबर जारी रहा जिससे हिन्दू-समाज का उचित सुधार हो सके और ऊँच-नीच

एवं जात-पात के बन्धन समाप्त हो जायें। इस क्रम में हकीम पंडित गणपतिराव जी वैद्य ने जो एक त्यागी व निःस्वार्थ ब्राह्मण हैं, एक हरिजन कन्या शान्तिदेवी से विवाह करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी प्रगतिवादी समाज में बड़ी प्रशंसा की गई। उनके द्वारा उठाया गया यह क्रान्तिकारी पग जहाँ प्रचलित रूढ़ियों पर प्रहार करता था, वहाँ भावी पीढ़ी के नवयुवकों के लिए एक प्रेरणा-चिह्न भी था। इस असाधारण कार्य की जितनी स्तुति की जाय, कम है। श्रीमती शान्ति देवी जी ने इस आदर्श विवाह की पवित्रता ब्राह्मणोचित गुणों को आत्मसात् कर जहाँ अपने पति के अनुरूप जीवन का निर्माण किया, वहाँ संस्कार में निर्दिष्ट ऋषि-प्रतिपादित वचन 'ममचित्तमनुचित वै अस्तु' को सार्थक करने का जीवन-भर यत्न किया। पण्डित जी ने ऋषि-कथन को अपने जीवन में कथनी से नहीं, करनी से सार्थक कर दिखाया। अत्युक्ति न होगी कि उन्होंने वैदिक सिद्धान्तों को अपने जीवन में मूर्तरूप प्रदान कर आर्यसमाज में नवीन चेतना व क्रियात्मक प्रणाली को जन्म दिया।

३ अगस्त, सन् १९३४ ई० को पंडित विनायकराव जी बार-एट-लॉ को प्रधान, श्री चन्दूलाल जी को मन्त्री और मुझे उपमन्त्री बनाया गया।

फ़ख्यारजंग का भाषण

६ नवम्बर १९३४ को समाज का जो उत्सव हुआ उसमें अन्य वक्ताओं के अतिरिक्त नवाब फ़ख्यारजंग वित्तमन्त्री, हैदराबाद-राज्य ने भी भाषण दिया। नवाब साहब ने कहा, "जब दुनिया में बुराइयाँ बढ़ती हैं तो किसी महात्मा का जन्म होता है ताकि इन बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करके लोगों को नेकी, सचाई, प्रेम और शान्ति के मार्ग पर लाया जा सके। स्वामी दयानन्द सरस्वती भी बुराइयों को मिटाने आये थे। कोई धर्म इस बात की शिक्षा नहीं देता कि मनुष्य भाई-भाई के रिश्ते से हटकर एक-दूसरे से प्रेम न करें।

धार्मिक स्थानों पर प्रचार के विरुद्ध प्रतिबन्ध

आर्यसमाजियों के साथ पुलिस का व्यवहार क्या था, इसका उदाहरण इस घटना से मिलता है कि जब स्वामी कर्मानन्द जी और श्री श्यामलाल जी के साथ पंडित बंसीलाल जी चिटगोपा में प्रचार के लिए पहुंचे तो वहाँ के तालुकदार ने रोक लगा दी कि वे भाषण नहीं दे सकते ।

बन्सीलाल जी ने पूरी निडरता व वीरता के साथ इसके उत्तर में घोषणा की कि वैदिक धर्म का प्रचार करना उनका अधिकार है जिसपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सकता । वे तालुकदार की आज्ञा की परवा न करते हुए अपने भाषणों से जनता में जागृति उत्पन्न करते रहे । उनका यह प्रचार-कार्य लगातार चार दिन तक चलता रहा । भाई जी तथा उनके साथियों की निर्भीकता का ही परिणाम था कि सरकार व उसके अधिकारियों को अन्ततः घुटने टेकने पड़े । उनके भाषणों को सुनने हज़ारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते रहे । अन्तिम दिन जनता ने बड़े सम्मान के साथ इन आर्य-नेताओं को भावभीनी विदाई दी ।

चिटगोपा का दौरा समाप्त करके पंडित बन्सीलाल जी एवं उनके समधी निलंगा पहुँचे । यहाँ के इन्स्पेक्टर पुलिस ने यह शर्त लगाई कि भाषण करने से पूर्व न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जाय । इसपर भाई जी ने इन्स्पेक्टर को यह उत्तर भेजा कि समाज में भाषण एवं प्रचार करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और न्यायालय एवं पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । इस मुँहतोड़ उत्तर के बाद पुलिस को चुप हो जाना पड़ा । भाई बन्सीलाल जी और उनके साथियों ने निलंगा में सफलतापूर्वक प्रचार किया ।

इन्हीं दिनों हल्लीखेड़ में श्री बन्सीलाल जी, श्री रामवल्लभ जी, श्री माणिकराव जी आदि कई आर्यसमाजियों पर कई झूठे आरोप लगाकर अभियोग चलाया गया और न्यायालय से इन आर्यों को जुर्माने का भी दण्ड दिया गया ।

सत्संग पर रोक और सरकार का आक्रोश

इसी वर्ष की बात है कि आर्यसमाज-किशनगंज के सत्संग को, जिसमें श्री वाजी किशनराव जी वकील भाषण करनेवाले थे, पुलिस ने एक अर्द्धसरकारी आदेश द्वारा रोक लगा दी। इससे बड़ी बेचैनी फैली और यह तय किया गया कि दूसरे दिन सत्संग किया जाय। इस सत्संग पर पुनः प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया गया, किन्तु मैंने पुलिस के आदेश की परवा न करके, भाषण दिया। दूसरे दिन मुझपर आदेश भंग करने के अपराध में केस किया गया और १०० रुपये जुर्माना तथा एक मास का दण्ड दिया गया।

श्री नागभूषणम् जी मन्त्री 'आर्यसमाज-माघन्नापेठ' को समाज के प्रचार द्वारा जातिद्वय में शान्ति-भंग करने के आरोप में हैदराबाद की पुलिस ने उन्हें मीर सादतअली खाँ नाज़िमे-अव्वल के सम्मुख फ़ौजदारी-ए-क़ानून तहफ़्फ़ुज़े-अम्न-आमा धारा सत्ताईस के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। आपको एक वर्ष के शारीरिक दण्ड के साथ कारावास-दण्ड भी दिया गया। उल्लेखनीय यह है कि मीर सादत अली खाँ ने अपने निर्णय में लिखा कि मुलज़िम आर्य नौजवान है, पाँच साल की सज़ा दी जा सकती है, परन्तु एक साल की सज़ा दी जा रही है।

इसी प्रकार 'जालना आर्यसमाज' के मन्त्री श्री माँगीलाल जी के विरुद्ध धारा ६४ आसफ़िया क़ानून के अन्तर्गत बिना आज्ञा गोपीनाथ के मन्दिर में धर्मोपदेश करने के आरोप में मुक़द्दमा चलाया गया और आपको तीन मास का दण्ड दिया गया।

'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' के साप्ताहिक सत्संग में 'क़ुरान में तजल्ली-ए-वेद' शीर्षक से मेरा जो भाषण हुआ था, उससे मुसलमानों के धार्मिक विचारों पर ठेस और उनके धर्म का अपमान कहकर मुझपर केस चलाया गया और छः मास का कारावास-दण्ड दिया गया। इस दण्ड के विरुद्ध न्यायालय में स्वर्गीय पंडित विनायकराव जी बार-एट-लॉ ने अपील की परन्तु हाईकोर्ट ने भी निम्न न्यायालय के निर्णय को ही उचित माना। मुझे हाईकोर्ट से ही जेल ले-जाया गया। इस दण्ड को

भोगने के पन्द्रह दिन बाद ही मुझपर एक और आरोप लगाया गया कि मेरे पास कुछ ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनपर हैदराबाद की सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है और जिन्हें राज्य में लाना निषिद्ध था। फलत: धारा २७ के अन्तर्गत मुझपर दूसरा केस चलाया गया और एक मास का और कारावास-दण्ड दिया गया।

निज़ाम-राज्य में आर्यसमाज के अनेक कार्यकर्त्ताओं और विशेषकर श्री भाई बंसीलाल जी और श्री भाई श्यामलाल जी के लिए कोई दिन, कोई मास और कोई वर्ष ऐसा खाली नहीं जाता था जब निज़ाम की ओर से किसी-न-किसी बहाने इनपर कोई मुक़द्दमा न चलाया गया हो। निज़ाम-राज्य के प्रत्येक अत्याचार और अन्याय का धर्म एवं साहस से लोहा लेते हुए उनका ये मुँहतोड़ उत्तर देते रहे। १९३७ में 'आर्यसमाज, उजनी' के ३२, मुरुम के ३४, तुलजापुर के ३५, निज़ामाबाद के ४, गुंजोटी के २१ तथा बंसीलाल जी के १५ साथियों और कासारसिरसी के ९ आर्यसमाजियों पर झूठे आरोप रचाकर पुलिस ने अभियोग चलाये। इन मुक़द्दमों के विरुद्ध 'आर्य प्रतिनिधि सभा, निज़ाम राज्य' ने व्यापक आन्दोलन खड़ा किया। परिणामस्वरूप पुलिस को अपने सभी अभियोग वापस लेने पड़े।

हुमनाबाद एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है जहाँ माणिक प्रभु महाराज के जन्म के शुभ-अवसर पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। श्यामलाल जी, दत्तात्रेयप्रसाद जी, गणपतराव जी शास्त्री कल्याणी और मेरे भी भाषण हुए। भाषणों के पश्चात् जब जुलूस निकाला गया तो कई पठानों और मुसलमानों ने जुलूस पर आक्रमण कर दिया। श्यामलाल जी, मैं और बाबूप्रसाद जी इसमें घायल हो गये।

हैदराबाद पुलिस ने 'उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे' कहावत के अनुसार श्यामलाल जी, बन्सीलाल जी, दत्तात्रेयप्रसाद जी, बाबूप्रसाद जी तथा मुझपर अभियोग चलाया। श्यामलाल जी व बन्सीलाल जी को जुर्माना व क़ैद का दण्ड दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। श्यामलाल जी तथा बन्सीलाल जी को न्यायालय ने मुक्त कर दिया।

हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह का क़ानून

पंडित केशवराव जी ने हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह का जो विधेयक पेश किया था और जो पुराण-पंथियों के विरोध के कारण सफल न हो सका था, अन्ततः वह हैदराबाद विधान-सभा में स्वीकृत होकर रहा। पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार, प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा ने, जो तत्कालीन परिषद् के सदस्य थे, इस विधेयक को पूरे प्रमाणों व युक्तियों के साथ पेश किया जिसके समर्थन में राजा धोण्डीराज बहादुर, राजा बहादुर विश्वेश्वरनाथ, राजा बहादुर वेंकट रामारेड्डी और नवाब मिर्ज़ायारजंग अग्रणी रहे।

इस बिल की स्वीकृति से उपेक्षित व प्रताड़ित स्त्री-समाज के दुःख व कलंक का सदा के लिए अन्त हो गया।

शुद्धि-चक्र

हैदराबाद राज्य के नलगुण्डा ज़िले में हरिजनों को मुसलमान बनाने के लिए योजना बनाई गई थी। 'इत्तेहादुल मुसलमीन' की ओर से नवाब बहादुर यारजंग ने हरिजनों को मुसलमान बनाने के लिए जो 'गुप्त पत्र' जारी किया था, वह आर्यसमाज के सक्रिय सदस्य श्री वी० वेंकटस्वामी जी के साहस के कारण मुख्य डाकघर से जहाँ वह काम करते थे, प्राप्त हो सका और इस प्रकार एक बड़े षड्यन्त्र का भाण्डा फूट पड़ा। इसके विरोध में 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' की ओर से श्री चन्दूलाल जी, श्री गजानन्द जी, श्री नारायणलाल जी पित्ती ने श्री बलदेव जी पतंगे, श्री शंकर रेड्डी जी तथा मुझे वहाँ भेजा ताकि सरकार के गुप्त तत्त्वावधान में जो आन्दोलन नवाब बहादुर यारजंग चला रहे थे उसके मुक़ाबिले में कार्य किया जाय। हम लोगों ने नलगुण्डा, वरंगल, करीमनगर, परकाल, मंजलेगाँव, गेवराई, बीड आदि स्थानों का दौरा करके शुद्धि-प्रचार-कार्य को ज़ोर-शोर से जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप 'इत्तेहादुल मुसलमीन के तबलीग़ का आन्दोलन' न केवल ठंडा पड़ गया अपितु दस हज़ार हरिजन वैदिक धर्म में लौट आये। विशेषतः,

नलगुण्डा एवं मराठवाड़ा में मैंने सात हज़ार से अधिक हरिजनों को, जो मुसलमान हो गये थे, शुद्ध किया। श्री शंकर रेड्डी जी और श्री बलदेव जी पतंगे ने तीन हज़ार से अधिक लोगों को शुद्ध किया। इन दोनों को इस महान् कार्य में पर्याप्त शारीरिक यातनाएँ भी भोगनी पड़ीं।

हैदराबाद में सनातनियों से शास्त्रार्थ

सनातनियों को कई बार शास्त्रार्थ में असफलता मिलने के कारण अभी आर्यसमाज से शास्त्रार्थ करने की उनकी इच्छा बनी हुई थी। पंडित नित्यानन्द जी शास्त्री धर्माचार्य व पंडित माधवाचार्य जी शास्त्री ने आर्यसमाज को शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया। इस चैलेंज को श्री चन्दूलाल जी, मन्त्री आर्यसमाज ने स्वीकार कर लिया और ३ जुलाई सन् १९३५ को 'विवेकवर्धिनी थियेटर' में पंडित वामन नायक जी के सभापतित्व में एक शानदार शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ जो ११ जुलाई तक जारी रहा। 'मूर्तिपूजा वेद-विरुद्ध है', 'अवतारवाद', 'वेद अनादि हैं' और 'महर्षि दयानन्द का वेदभाष्य'—शास्त्रार्थ इन विषयों पर हुआ। आर्यसमाज की ओर से आर्यजगत् के विद्वान् पंडित देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री सांख्यतीर्थ, शास्त्रार्थ-महारथी पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार एवं पंडित धर्मदेव जी वेदवाचस्पति, पंडित लक्ष्मीशंकर जी शास्त्री ने इस शास्त्रार्थ में भाग लेकर सनातनी पंडितों को अपने तार्किक व युक्तिसंगत प्रमाणों द्वारा चुप करा दिया। जब उनसे और कुछ न बन पड़ा तो पुराणपंथियों ने सभा में गड़बड़ मचा दी और यह शास्त्रार्थ बिना किसी निर्णय के स्थगित हो गया। आर्यसमाज की ओर से इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता पंडित रामचन्द्र जी देहलवी शास्त्रार्थ-महारथी ने की। इस शास्त्रार्थ का परिणाम यह निकला कि कई युवक वैदिक सिद्धान्तों की यथार्थता को अनुभव कर इस ओर उन्मुख हुए। हैदराबाद में यह शास्त्रार्थ अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस शास्त्रार्थ की पूर्ण सफलता का श्रेय श्री चन्दूलाल जी, श्री मोहनलाल बलदवा, श्री गजानन्द जी तथा श्री मन्दराजगीर जी को है।

सरकार और आर्यसमाज

सरकार की ओर से अत्याचारों का क्रम बढ़ता ही जा रहा था और आर्यसमाज की चेतावनी पर भी न्याय से काम लेने के स्थान पर इन्हें आपत्तियों में घेरने और इनपर अधिक-से-अधिक धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिबन्ध लगाने के प्रयत्न किये जा रहे थे। सन् १९३५ में 'आर्य प्रतिनिधि सभा' की एक बैठक बुलाई गई। इसमें पुलिस के अत्याचारों एवं प्रतिबन्धों पर सोच-विचार किया गया। शिकाइतों की सूची बनाने के लिए समिति बनाई गई। इस उपसमिति में आर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी, पंडित बन्सीलाल जी और पंडित श्यामलाल जी थे।

यह बात विचित्र-सी लगती है और उल्लेखनीय है कि आर्यसमाज को निज़ाम-सरकार ने अपना विरोधी मान लिया था। एक ओर तो उसका यह कहना कि वह राज्य के सभी वर्गों को एक दृष्टि से देखती है और आर्यसमाज पर एक वर्ग के रूप में कोई प्रतिबन्ध लगाने का उसका विचार नहीं है, और दूसरी ओर अपनी नीति और व्यवहार से इस बात के स्पष्ट उदाहरण देती थी कि वह आर्यसमाज को स्वतन्त्रता के साथ आगे बढ़ने से रोक देना चाहती है। निज़ाम-सरकार की इस नीति का उन मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पड़ा जो शरारत पर तुले थे। झगड़ा मचानेवालों एवं गुण्डों को इस बात का अवसर मिल गया कि आर्यसमाजियों को नाना प्रकार से तंग किया जाय। यही कारण है कि आर्यसमाजियों पर सदा ही आक्रमण किये जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की भी धमकियाँ दी जाती थीं। निज़ाम-सरकार चुप्पी साधे हुए अपने ऐसे लोगों की पीठ थपक रही थी और ये विरोधी तत्त्व लूटमार और हत्या करके भी बच जाते थे। इन दंगों का सारा उत्तरदायित्व आर्यसमाज पर डाल दिया जाता था। १९३६ और '३७ भी आर्यसमाजियों के लिए कठिनाई के वर्ष रहे हैं। यहाँ तक कि निज़ाम-सरकार की पुलिस की दृष्टि में आर्यसमाजियों का पवित्र ग्रंथ 'सत्यार्थप्रकाश' का पठन भी एक अपराध बन गया था।

'सत्यार्थप्रकाश' की ज़ब्ती

पुलिस ने उमरगा के रामचन्द्रसिंह जी के पास से 'सत्यार्थप्रकाश' को ज़ब्त कर लिया। ११ अक्तूबर १९३६ को सब-इन्स्पेक्टर मुहम्मद मस्तान ने एक नोटिस के द्वारा ज़ब्ती का कारण बताया कि इसपर राज्य में प्रतिबन्ध है। पुलिस की इस दुःखदायी कार्यवाही पर आर्यसमाजी क्षेत्रों में बड़ी बेचैनी उत्पन्न हुई और निर्णय किया गया कि इस ज़ब्ती के विरुद्ध शान्तिपूर्ण ढंग से विरोध प्रकट किया जाय। सत्याग्रह के आरम्भ के रूप में श्री रामचन्द्रसिंह जी को सभी समाजों की ओर से 'सत्यार्थप्रकाश' ग्रंथ की एक-एक प्रति भेजी जाने लगी। अन्ततः, जब पुलिस को अपनी हिमाकत और आर्यसमाजियों के ध्येय व संघर्ष का बोध हुआ तो २९ दिसम्बर १९३६ को 'सत्यार्थप्रकाश' वापस कर दिया गया।

'आर्य विवाह विधेयक'

आर्यसमाजियों के प्रत्येक कार्य में बाधाएँ डालना निज़ाम-सरकार का एक अनिवार्य कर्त्तव्य बन गया था। १९३७ में राज्य विधान परिषद् में श्री के० राजरेड्डी जी एडवोकेट द्वारा 'आर्य विवाह का विधेयक' पेश किया गया तो इसमें भी रोड़े अटकाये गये। सरकार की इच्छा थी कि यह क़ानून आर्यसमाजियों की इच्छानुसार न रहे, किन्तु जब चारों ओर से आवाज़ उठाई गई तो यह विधेयक आगे चलकर स्वीकृत हुआ।

उपदेशक विद्यालय

२ जुलाई १९३८ को एक 'उपदेशक विद्यालय' खोला गया ताकि वहाँ समाजी प्रचारकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इस विद्यालय को चलाने की पूरी ज़िम्मेदारी मुझपर थी और विद्यालय में शिक्षा देने के लिए पंडित लक्ष्मीशंकर जी शास्त्री और पंडित राजाराम जी शास्त्री नियुक्त किये गये, किन्तु सरकार की ओर से यहाँ भी बाधाएँ उत्पन्न की जाती रहीं और आदेश दिया गया कि इसे बन्द कर दिया

जाय। फलतः कुछ समय वाद विवश होकर इस विद्यालय को वन्द कर देना पड़ा।

वैदिक सन्देश

सन् १९३५ में सरकार चूंकि आर्यसमाज के समाचारपत्र 'वैदिक आदर्श' को वन्द कर चुकी थी, इसलिए सभा की ओर से 'वैदिक सन्देश' शोलापुर से १९३७ में निकाला गया। पहले इसके सम्पादक श्री त्रिलोकचन्द शास्त्री हुए, किन्तु जब वे पंजाब चले गये तो ठाकुर उमरावसिंह जी ने उसका अच्छे ढंग से कार्यभार सँभाला। इसके पश्चात् श्री रामदेव जी शास्त्री ने इसके सम्पादन का भार स्वीकार कर बड़ी योग्यतापूर्वक इसे चलाया। बाद में यह पत्र 'आर्यभानु' के नाम से हैदरावाद से जारी किया गया। यहाँ पर पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार की देखरेख में और श्री पंडित कृष्णदत्त जी एम०ए० के सम्पादकत्व में यह निकलता रहा। उस समय हिन्दी में निकलनेवाले एकमात्र पत्र 'आर्यभानु' ने भविष्य में हिन्दी के लिए भूमि तैयार की। इसकी व्यवस्था का कार्य श्री विनयकुमार जी को सौंपा गया। इस 'आर्यभानु' के माध्यम से आर्यसमाज के प्रचार में बड़ी गति मिली।

हवन-कुण्ड पर प्रतिबन्ध

१९३८ व १९३९ में 'सभा' निज़ाम-सरकार के अन्यायों के विरुद्ध वरावर अपने संघर्ष में लगी रही और जब २६ जनवरी १९३८ को गृह-सचिव की कचहरी से पत्र-संख्या ३७६ द्वारा हवनकुण्ड को धार्मिक प्रार्थना का नाम देकर उसके निर्माण के लिए पहले से अनुमति प्राप्त करने की पावन्दी लगा दी गई तो प्रत्येक दिशा में खेद प्रकट किया गया। वेचैनी की एक लहर दौड़ गई और 'आर्य प्रतिनिधि सभा' को अपने संघर्ष को तीव्र कर देना पड़ा। सभा की कार्यकारिणी ने अपनी वैठक में प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकार के पास भेजा और हैदरावाद व भारत से बीसियों तार भेजे गये कि यह आदेश अत्यन्त अनुचित एवं

अन्यायपूर्ण हैं। हवनकुण्ड की सरकार ने धार्मिक प्रार्थना का साधन समझ लिया था। सभा के प्रतिरोध के फलस्वरूप सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा।

राधाकृष्ण की हत्या

२ अगस्त १९३९ को निज़ामाबाद कोतवाली की चौकी के सामने एक अरब ने राधाकृष्ण मारवाड़ी व्यापारी की, जो आर्यसमाज के महान् कार्यकर्त्ता थे, छुरा घोंपकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस घटना से नगर में रोष व आक्रोश का वातावरण उत्पन्न हो गया। यह घटना सत्याग्रह के अंतिम दिनों में हुई। राधाकृष्ण जी 'आर्यसमाज, निज़ामाबाद' के कर्मनिष्ठ एवं निःस्वार्थ कार्यकर्त्ता थे। अपने व्यापार के साथ वे नियमित रूप से समाज-कार्यों में योग देकर अपने कर्त्तव्य पालन करते थे।

बीदर में झगड़ा और गंज की लूट

१९४० में बीदर में साम्प्रदायिक दंगा हो गया। मुसलमानों ने बीदर के गंज को लूटकर आग लगा दी। लाखों रुपयों की हानि हुई, किन्तु सरकार के कर्मचारियों को इस दंगे में भी आर्यसमाजियों का हाथ दिखाई दिया। नगर के मुस्लिम समाचारपत्रों ने इस दंगे पर बड़े क्रोध एवं जोश फैलानेवाले तरीके से टीका-टिप्पणी करते हुए सारा दोष आर्यसमाज पर लादने की कोशिश की। सभा की कार्यकारिणी ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास करके स्पष्ट किया कि मुस्लिम समाचारपत्रों की यह नीति अविवेकपूर्ण है और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह इस घटना की जाँच कराकर अपराधियों को कठोर दण्ड दे।

गुरुमिटकल में दंगा

३ जून १९४० को गुरुमिटकल में जो हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ, उसका अपराध भी आर्यसमाजियों पर लादने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि, इस दंगे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था।

बालविवाह का कानून

आर्यसमाज को एक ओर तो शासन के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ रहा था और दूसरी ओर उसे इस बात की चिन्ता थी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाय। राज्य-असेम्बली से विधवाओं का पुर्नविवाह और आर्य विवाह के कानून उसके संघर्ष से स्वीकृत हुए थे। १९३० में श्री एम० नरसिंगराव जी, सम्पादक 'रैयत' ने राज्य विधान परिषद् में बालविवाह को रोकने का कानून पेश किया तो आर्यसमाज की ओर से उसका पूरा समर्थन किया गया और जनमत को भी अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया गया। खेद है कि सनातनियों के विरोध का बहाना बताकर सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।

केशव स्मारक आर्य बहूद्देश्यीय विद्यालय

हैदराबाद नगर में आर्यसमाज की ओर से हिन्दी माध्यम से हाई-स्कूल खोलने की योजना बनाई जा रही थी। अन्ततः यह स्वप्न साकार होकर रहा। २० जुलाई सन् १९४१ को 'केशवराव स्मारक आर्य विद्यालय' का उद्घाटन पंडित गोपालराव बोरगांवकर के करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। विद्यालय के भवन के लिए एक लाख रुपया एकत्रित करने की योजना बनाई गई। इस विद्यालय की आधारशिला श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त (नागपुर विधान सभा) ने रखी। इस शुभ अवसर पर लाला देशबन्धु जी गुप्त भी उपस्थित थे। विद्यालय के निर्माण का कार्य उस समय पूरा हुआ जबकि हैदराबाद में सत्याग्रह का शानदार आन्दोलन समाप्त हो चुका था। पंडित विनायकराव जी, श्री विट्ठलराव जी और श्री रामराव जी ने अपने पिता की स्मृति में स्थापित होनेवाली इस शैक्षणिक संस्था को पच्चीस हज़ार रुपये का दान दिया और सार्वदेशिक सभा ने भी पच्चीस हज़ार रुपये दान में दिये। हैदराबाद के इतिहास में यह प्रथम विद्यालय था जो हिन्दी माध्यम से चलता था। इसकी प्रगति में पंडित विनायकराव जी, श्री पंडित

दत्तात्रेयप्रसाद जी, श्री खण्डेराव जी कुलकर्णी, श्री कृष्णदत्त जी, और एस० वेंकटस्वामी जी एडवोकेट का विशेष योग रहा। यह विद्यालय हैदराबाद की उन थोड़ी शैक्षणिक संस्थाओं में परिगणित होता है जो राज्य में उच्चस्तर की मानी जाती हैं। अब तक इसके निर्माण पर सात लाख रुपये व्यय हुए हैं। हज़ारों विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर विविध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सम्प्रति श्री खण्डेराव जी कुलकर्णी के श्लाघ्य प्रयत्नों से विद्यालय प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

निज़ाम सरकार के अत्याचार

यह एक वास्तविकता है कि अपने प्रारम्भिक युग में आर्यसमाज एवं निज़ाम-सरकार के सम्बन्ध बड़े ही मधुर रहे। २०-२२ वर्ष तक 'समाज' को अपने शान्तिपूर्ण आन्दोलन को आगे बढ़ाने में अधिक बाधाएँ उत्पन्न नहीं हुईं और शासन व उसके कार्यकर्त्ताओं से भी कोई विशेष शिकाइत नहीं रही। आर्यसमाज विश्व-बन्धुत्व, प्रेम व मानवता की सेवा का सन्देश देता है। उसकी सभी क्षेत्रों में प्रशंसा की जाती रही है। विपत्ति की घड़ियों में जब भी इसे जनता की सेवा के अवसर प्राप्त हुए तो आर्यसमाज ने अपने स्नेह और प्रेम का क्रियात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया। शासन एवं राज्य के कर्मचारियों ने भी इसकी सराहना कर समाज के महत्त्व को स्वीकार किया।

प्रतिबन्धों का सिलसिला

आर्यसमाज की प्रगति एवं लोकप्रियता के साथ शासन की ओर से धीरे-धीरे पाबन्दियों का क्रम आरम्भ हुआ और उसके दृष्टिकोण एवं नीति में स्पष्ट परिवर्तन उत्पन्न हुआ। इसको देखते हुए यह कहना उचित है कि भूतकाल की नीति केवल एक 'डिप्लोमेसी' थी। सम्भवतः निज़ाम-सरकार यह समझती थी कि आर्यसमाज हिन्दू-समाज में वैदिक धर्म की भावना पैदा करके कोई क्रान्ति नहीं ला सकेगी। भ्रमित करने-वाले विचारों ने शताब्दियों से हिन्दू-समाज पर जो अज्ञान का आवरण

डाल रखा था और अशिक्षित व झूठे भ्रमों का चारों ओर जो प्रचलन था, उसकी उपस्थिति में निज़ाम-सरकार यह आशा कर रही थी कि आर्यसमाज का आन्दोलन अपने-आप हिन्दू वर्गों से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। आगे चलकर जब यह अनुभव हुआ कि आर्यसमाज तो अपने में एक विशाल शक्ति है एवं वैदिक धर्म की दृढ़ भावनाओं व उससे परि-चालित कार्यों में भी राष्ट्रीयता का पर्याप्त प्रभाव है और वह अपनी दृढ़ कल्पना के माध्यम से हिन्दू-समाज में क्रान्ति उत्पन्न करके संघर्ष का रूप धारण कर रही है तो निज़ाम-सरकार फिर अपने असली मार्ग पर लौट आई।

पुलिस की गुप्त निगरानी

आर्यसमाज के कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस गुप्तरूप से निगरानी रखने लगी। कुछ आर्यसमाजी प्रचारकों को, जो बाहर से आये थे, यहाँ से वापस कर दिया गया। 'समाज' की साप्ताहिक बैठकों की रिपोर्टिंग आरम्भ हुई। वार्षिकोत्सवों में धीरे-धीरे रुकावटें डालनी आरम्भ की गईं। ज़िलों व तालुकों की शाखाओं की स्थापना एवं उनकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। पाठशालाओं, अखाड़ों और पुस्तकालयों की स्थापना में रोड़े अटकाये गये और प्रतिबन्धों एवं अत्याचारों को कठोर से कठोर-तम बनाया गया। राज्य के बाहर से जो आर्यसमाज के विद्वान् व उप-देशक आते थे, उनके भाषणों और प्रचार से हिन्दू जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा था जिससे निज़ाम के शासन को बड़ी ठेस पहुंच रही थी। मुसलमान व ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति में भी आर्यसमाजी मिशनरी दिनोंदिन अधिक सफल हो रहे ते।

श्री पंडित चन्द्रभानु जी का राज्य से निष्कासन

१७ सितम्बर १९३२ को पंडित चन्द्रभानु जी को एक आदेश के द्वारा राज्य से निकाल बाहर किया गया। कुछ दिन बाद आर्यसमाजियों के एक शिष्टमण्डल ने नीति-मन्त्री नवाब मेहदी यारजंग से भेंट करके

स्पष्ट किया कि पंडित चन्द्रभानु जी 'समाज' के एक सौम्य एवं मिलनसार प्रचारक हैं। उनके विरुद्ध कोई ऐसी शिकाइत नहीं थी कि उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाय। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि पण्डित जी को आर्यसमाज के प्रचारक के नाते नहीं, अपितु भारत सरकार के आदेश पर राज्य से निकाल दिया गया है क्योंकि वे कुछ राजनैतिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। आर्यसमाज ने भारत सरकार के पोलिटिकल सचिव को इस बारे में पत्र लिखा जिसपर रेज़िडेण्ट हैदराबाद के करपत्र निशान १४३६, नवम्बर १६३२ का पत्र प्राप्त होने पर यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह निर्णय स्वयं निज़ाम-सरकार की अपनी इच्छा से हुआ है। रेज़िडेन्सी ने इस सम्बन्ध में न कोई रिपोर्ट की थी और न कोई राय भेजी थी। स्थिति के स्पष्ट होने के पश्चात् निज़ाम-सरकार से पंडित चन्द्रभानु जी के मामले में न्याय के लिए आग्रह किया जाता रहा किन्तु इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

चतुर्थ चरण

साधना से संघर्ष की ओर

सरकार द्वारा किये जानेवाले अत्याचारों, अन्यायों तथा वैदिक धर्म-प्रचार आदि पर लगाये गये प्रतिबन्धों के विरुद्ध प्रस्तुत प्रस्ताव

(१) पुलिस को स्पष्ट शब्दों में यह आदेश दिया जाय कि आर्यों को मुसलमानों, ईसाइयों एवं अन्य धर्मावलम्बियों की तरह अपने धार्मिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त हो ताकि निम्न वर्ग के अधिकारी उनसे विपरीत आचरण न कर सकें।

(२) हैदराबाद राज्य में आर्यसमाजी प्रचारकों के प्रवेश पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगाये जायें।

(३) आर्यसमाज के जुलूसों की स्वीकृति उन्हीं आधार पर दी जाय, जैसेकि अन्य धर्मों के जुलूसों के लिए दी जाती है।

(४) धार्मिक साहित्य उचित जाँच के बिना ज़ब्त न किया जाय और इस सम्बन्ध में न्यायालय से अपील करने का अधिकार मान लिया जाय।

(५) जनसभाओं एवं गोष्ठियों के सम्बन्ध में आर्यसमाज के विरुद्ध कोई विशेष प्रतिबन्ध न लगाया जाय क्योंकि भाषण और प्रचार का अधिकार राज्य के सभी लोगों के लिए समान रूप से है और इसमें आर्यसमाजी भी सम्मिलित हैं।

(६) आर्यसमाज के मन्दिर को मस्जिद-गिरजा की तरह पवित्र स्थान माना जाय और हर समय यहाँ लोगों को एकत्रित होने एवं प्रवचन, प्रार्थना व सन्ध्या-अग्निहोत्र के अधिकार को वैध माना जाय।

(७) आर्यसमाज के कुछ प्रचारकों के प्रवेश पर जो रोक लगाई

गई है उसपर एक 'ट्रिब्यूनल' जाँच करे और भविष्य में भी ऐसे आदेश आयोग की देख-रेख में ही दिये जायें।

महात्मा नारायण स्वामी जी का यह ज्ञापन भाषा, प्रतिपादन एवं शिष्टता की दृष्टि से एक अच्छी योजना थी किन्तु इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके वाद सार्वदेशिक सभा के मन्त्री श्री पंडित सुधाकरजी एम०ए० ने हैदरावाद के राज्यमन्त्री को एक पत्र लिखा जिसका उत्तर बहुत दिनों वाद १९ सितम्बर सन् १९३४ को प्राप्त हुआ कि 'निज़ाम सरकार की ओर से राज्य के किसी एक सम्प्रदाय के विरुद्ध रोक लगाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यदि किसी ओर के व्यवहार से विभिन्न जातियों में क्रोध तथा मतभेद उत्पन्न हो तो इसका विचार किये विना कि वह कौन-सा सम्प्रदाय है, शांति व संविधान की सुरक्षा के अन्तर्गत सरकार अपना पग उठायेगी।' राज्य के मन्त्री ने यह भी लिखा था कि 'आर्यसमाज के मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न करना सरकार का ध्येय नहीं है।'

इसी प्रकार के आश्वासन और नाममात्र का धीरज दिलानेवाली बातें लिखी गई थीं, क्योंकि निज़ाम-सरकार इस बात का इरादा कर चुकी थी कि आर्यसमाज को हैदरावाद राज्य में आगे वढ़ने का अवसर न मिले और इसपर शोषण होता रहे। पंडित रामचन्द्र जी देहलवी के आगमन पर प्रतिबन्ध को समाप्त कराने के लिए भी निरन्तर संघर्ष होता रहा और स्वयं पंडित जी ने निज़ाम-सरकार को कई पत्र लिखे, किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान का आगमन

हैदरावाद राज्य में हिन्दुओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्हें शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से वंचित रखने की नीति जारी थी और आर्यसमाज पर निज़ाम-शासन के अत्याचारों से चारों ओर बेचैनी फैली हुई थी। आर्यसमाज की उचित माँगों को सरकार टालती जा रही थी। स्थिति को शोचनीय देखकर महात्मा नारायण

स्वामी जी, प्रधान 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' अपने साथियों स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी व आचार्य रामदेव जी कुलपति 'गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार' आदि के साथ हैदराबाद पधारे ताकि स्थिति को देख सकें और यह भी देखें कि इनके भाषणों के विरुद्ध सरकार क्या क़दम उठाती है और इसका निवारण क्योंकर किया जा सकता है। महात्मा नारायण स्वामी जी और स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी व आचार्य रामदेव जी आदि ने कुछ दिनों तक हैदराबाद में प्रचार किया, पर आश्चर्य की बात है कि पुलिस ने चुप्पी साध ली। सम्भवतः शासन की ओर से गुप्तरूप में उन्हें कुछ आदेश मिले थे कि इन नेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाय। निज़ाम-सरकार के मन में कोई खोट न होता और वह आर्यसमाज को संतुष्ट करने का विचार रखती तो इन महान् नेताओं की उपस्थिति से लाभ उठकर शिकाइतों का निर्णय कर लेती, पर उसे तो अपनी नीति को बनाये रखने में ही लाभ था। इस अवसर को सरकार अपनी दुर्नीति के कारण खो बैठी। 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' के प्रधान और उनके साथी हैदराबाद से लौट गये और जाते हुए आर्यसमाजियों को विश्वास दिला गये कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कुछ दिनों तक पुलिस और सरकार के कर्मचारी मौन साधे रहे, किन्तु इसके बाद पुनः रुकावटों और अत्याचारों का क्रम आरम्भ हो गया।

निलंगा का मन्दिर

सभाओं, जुलूस, प्रचारकों आदि के पश्चात् हवनकुण्डों की बारी भी आई। आश्चर्यजनक एवं दिलचस्प बात है कि हवनकुण्डों को निज़ाम-सरकार ने धार्मिक पूजा-साधन समझ लिया। १९३५ में (२० अमरदाद ४४ फ़सली) मिर्ज़ा मुहम्मद, कलेक्टर जिला बीदर, ने आर्यसमाज निलंगा के मन्दिर को गिरा दिया। हवनकुण्ड को उखाड़ फेंका और समाज का सामान ज़ब्त कर लिया।

कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया था कि 'आर्यसमाज राजनैतिक

कार्यक्रमों में व्यस्त है एवं सरकार के विरुद्ध है, इसलिए इसे सहन नहीं किया जा सकता।' डी०एस०पी० पुलिस ने मन्दिर को गिराते समय कहा, 'इस भवन और हवनकुण्ड को बुनियाद से उखाड़ दो ताकि कोई आर्यसमाज की निशानी बाक़ी न रहे।' निलंगा के समाज-मन्दिर की अमर्यादा और कलेक्टर के खुल्लमखुल्ला अत्याचारों से स्थानीय आर्य-समाजियों में बेचैनी फैल गई। चारों ओर से सरकार को तार भेजे गये कि इस अत्याचार को दूर किया जाय। 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' के मन्त्री श्री भाई श्यामलाल जी ने अपने एक वक्तव्य द्वारा निज़ाम-सरकार से माँग की कि इस दुर्घटना की निष्पक्ष जाँच कराएँ, किन्तु इसका कुछ प्रभाव न हुआ। इसके बाद पंडित बन्सीलाल जी वकील के द्वारा निलंगा-काण्ड की जाँच कराके एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। आर्य-नेता पंडित बन्सीलाल जी कई दिन तक वहाँ रहे और सरकार को उत्पन्न परिस्थिति से अवगत कराते रहे। आपके साथ प्रसिद्ध आर्य नेता श्री शेषराव जी वाघमारे एडवोकेट ने बड़ी दृढ़ता के साथ जनभावनाओं को नियन्त्रण में रखा और समाज-मंदिर के गिर जाने से जनता में जो बेचैनी उत्पन्न हुई थी उसको दूर किया। श्री शेषराव जी को निलंगा के जन-जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनका त्याग और समाजसेवा का कार्य इतिहास के पन्नों में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

यतो धर्मस्ततो जयः

आर्यसमाज का संघर्ष इस दिशा में पूरी शक्ति के साथ चलता रहा और अन्ततः २८ सितम्बर १९३५ को राज्य के गृहसचिव नवाब जुलक़दरजंग को विवश होकर यह निर्णय करना पड़ा कि मन्दिर को गिरा देने और समाज के सामान को ज़ब्त करने का क़दम अवैधानिक था। आर्यसमाज का यह मन्दिर पुनः बनाया गया और सारा छीना हुआ सामान लौटा दिया गया। विवश होकर स्वयं कलेक्टर बीदर को अपने व्यक्तिगत खर्चे से हवनकुण्ड और गिरे हुए मन्दिर को बनाना पड़ा। इस निर्णय से हिन्दू जनता में एक नवीन चेतना व उल्लास की लहर दौड़ आई।

प्रधान मन्त्री महाराजा सर किशनप्रसाद बहादुर को स्मरणपत्र

यह बात बड़ी आश्चर्यजनक एवं दुःखद थी कि आर्यसमाज की उचित शिकाइतों को दूर करने के स्थान पर निज़ाम-सरकार उल्टे उसके लिए नई-नई आपत्तियों की सामग्री जुटा देती थी। इन शिकाइतों के सम्बन्ध में राज्य के उच्चाधिकारियों के यहाँ जो पत्र भेजे जाते, उनका उत्तर तक नहीं दिया जाता था। संयोग की बात है कि जब महामहिम महाराजा किशनप्रसाद बहादुर, प्रधानमन्त्री हैदराबाद, २० मार्च १९३६ को नई दिल्ली पहुँचे, तो वहाँ के गण्यमान्य आर्यसमाजियों एवं हिन्दुओं का एक शिष्टमण्डल उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। इस शिष्टमण्डल के नेता श्री एम०एस० अणे, एम०एल०ए० थे। सदस्यों में सर्वश्री ए०सी० दत्ता एम०एल०ए०, उपाध्यक्ष--राज्य विधान सभा, वी०वी० कालेकर, मेम्बर--कौंसिल आॅफ़ स्टेट, डॉक्टर बी०एस० मूंजे एम०एल०ए०, पंडित कृष्णकान्त मालवीय एम०एल०ए०, जी०एस० गुप्त एम०एल०ए०, लाला देशबन्धु गुप्त, प्रबन्ध-सम्पादक दैनिक 'तेज', प्रोफ़ेसर सुधाकर एम०ए० मन्त्री, इण्टरनेशनल आर्यन लीग, एवं ज्ञानचन्द्र मेम्बर आर्यन लीग सम्मिलित थे। इस शिष्टमण्डल ने महाराजा किशनप्रसाद जी बहादुर के सम्मुख सारी बातें रखीं जिनके कारण हैदराबाद के आर्यसमाजियों और हिन्दुओं को धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्वतन्त्रताओं से वंचित होना पड़ रहा था। पंडित रामचन्द्र जी देहलवी पर से प्रतिबन्ध उठा लेने की भी आपसे प्रार्थना की गई और इस बात पर बल दिया गया कि निज़ाम-सरकार को सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक सभाओं और प्रवचन आदि के लिए पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

गुंजोटी में लड़ाई और वेदप्रकाश की हत्या

१९३९ के दिसम्बर में गुंजोटी में सनसनीखेज़ घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद एवं समस्त भारतवर्ष के आर्यसमाजी व हिन्दू क्षेत्रों में दुःख तथा चिन्ता की लहर दौड़ गई। 'गुंजोटी आर्यसमाज' के

जो कार्यक्रम शान्तिपूर्ण व रचनात्मक ढंग से हो रहे थे, उनपर पुलिस और मुसलमान गुंडे बदला लेने की दृष्टि रख रहे थे। प्रारम्भ में 'समाज' और उसके कार्यकर्त्ताओं को नाना प्रकार से परेशान किया गया, फिर भी वे यथापूर्व अपने कार्य में लगे रहे। एक दिन गुँजोटी के ढाई-तीन सौ सशस्त्र मुसलमान दाऊदखाँ को लेकर भड़कानेवाले नारे लगाते हुए निकले। वेदप्रकाश 'समाज' से अपने घर को वापस आ रहे थे कि मार्ग में मुसलमानों ने उन्हें घेरकर उनकी हत्या कर दी और उनके शव को आर्यसमाज-मन्दिर में फेंक दिया। हत्यारों ने वेदप्रकाश जी को इस्लाम ग्रहण करने की स्थिति में क्षमा कर देने की बात कही थी, पर वैदिक धर्म का यह अनुयायी उनके प्रस्ताव व धमकी को नकारते हुए अपने धर्म पर डटा रहा। परिणामतः उनकी बड़ी निर्दयता से हत्या की गई। धर्म की बलिवेदी पर सहर्ष आत्मोत्सर्ग करनेवाले वीर हक़ीक़तराय के बाद भारत के इतिहास में यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह वेदप्रकाश ही थे। इस भयंकर निर्मम हत्याकाण्ड पर हैदराबाद तथा भारत के सैकड़ों स्थानों से निज़ाम को तार भेजे गये और प्रस्ताव पारित किये गये। १६ मार्च १९३८ को सारे हैदराबाद में 'वेदप्रकाश दिवस' मनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि 'समाज' अब ऐसे अत्याचारों को कदापि सहन नहीं कर सकेगा।

पंडित बन्सीलाल जी तथा श्री देशबन्धु जी औराद ने इस घटना की सूचना पाते ही गुंजोटी पहुँचकर बड़ी वीरता एवं साहस से स्थिति पर नियन्त्रण पाया और दो दिन तक वहीं रहकर हुतात्मा वेदप्रकाश जी की अन्त्येष्टि का प्रबन्ध किया। उन्हीं दिनों 'आर्यन डिफ़ेन्स लीग' के मन्त्री श्री एस० चन्द्रा निज़ाम-सरकार के अत्याचारों तथा मुस्लिम गुण्डों की लज्जाजनक काली करतूतों से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने हैदराबाद पधारे और पंडित बन्सीलाल जी मन्त्री 'आर्य प्रतिनिधि सभा' के साथ गुंजोटी तथा राज्य के अन्य स्थानों का व्यापक दौरा किया। आपने उस समय के डी०आई०जी०-पुलिस मिस्टर हालेन्स और अन्य उच्च पदाधिकारियों से भेंट की एवं घटनाओं का एक दुःखद

विवरण अपने साथ ले गये।

उदगीर, अहमदपुर तथा उसमानाबाद आदि में भी कुछ आर्यसमाजियों पर इसलिए घोर आक्रमण किये गए क्योंकि उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया था। ऐसी घटनाओं की जब पुलिस को रिपोर्ट दी गई तो शिकाइत सुनना तो दूर, अपराधियों के अपराधों पर ध्यान तक न देकर उलटे इन आर्यसमाजियों को धमकियाँ तक दी गईं कि भविष्य में ऐसी शिकाइत करनेवालों का चालान कर दिया जायगा।

पुलिस की राक्षसी करतूत

निज़ामाबाद में 'बकरीद' के दिन जब एक मुसलमान ने गाय की हत्या की तो वहाँ के हिन्दुओं ने इस कुकृत्य के विरोध में हड़ताल कर दी। पुलिस ने अवसर का लाभ उठाकर इसकी ज़िम्मेदारी आर्यसमाजियों पर डाल दी। १३ मार्च १९३८ को पुलिस ने पाँच आर्यों श्री राधाकिशन, श्री एम० श्रीनिवास, श्री माणिक रेड्डी, श्री साम्बैया तथा श्री मास्टर रघुवीरसिंह को मनघड़न्त आरोप लगाकर पकड़ लिया कि उन्होंने हिन्दुओं को सशस्त्र होने का प्रोत्साहन दिया था। पुलिस ने इन आर्यों को बिना किसी वारण्ट के पकड़कर उनके यज्ञोपवीत तोड़ दिये और बड़ी निर्दयता से पीटा। उनके मुँह में मांस के टुकड़े ठोंसे गए और दूसरे दिन उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर बड़े बाज़ारों में फिराया गया। चालान करके उनपर मुक़द्दमा चलाया गया। श्री विनायकराव जी विद्यालंकार ने श्री एम० गंगाराम जी प्रधान 'आर्यसमाज निज़ामाबाद' के साथ स्थिति की जाँच करके श्री बी० रामकिशनराव जी तथा श्री एन० के० राव एडवोकेट को पैरवी के लिए निज़ामाबाद भेजा। इन अभियोक्ताओं को न्यायाधीश ने दो-दो हज़ार का जुर्माना किया।

गुलबर्गा में साम्प्रदायिक दंगे

गुलबर्गा में १६ मार्च १९३८ को जब साम्प्रदायिक दंगा हुआ तो उसका दायित्व भी आर्यों पर आ पड़ा। बात यह थी कि होली के अवसर

पर 'लिगायत' भाई रंग खेल रहे थे। कुछ मुसलमानों पर रंग के छींटे पड़ गये और ये दोनों दल एक-दूसरे से टकरा गये। इस दंगे में एक मुसलमान मारा गया और दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने यह जानते हुए भी कि आर्यसमाजी होली नहीं खेलते और इस घटना का इनसे कोई सम्बन्ध भी नहीं था, फिर भी झगड़े में आर्यसमाजियों के सम्मिलित होने की घोषणा करके सेशन-जज गुलवर्गा के न्यायालय में केस चलाया गया और इस सम्बन्ध में लालसिंह जी, विजयपाल जी और हनुमन्तराव जी, भँवरलाल जी, ऋतुसिंह जी, शरणप्पा जी और टगी शरणप्पा जो को दस-दस वर्ष का दण्ड दे दिया गया। इस केस में मुलतान के वकील की श्री रामचन्दर खन्ना एडवोकेट और पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी एडवोकेट ने पैरवी की।

गुलवर्गा की इस घटना का प्रभाव उरमगा, मुरुम, कासारसिरसी आदि स्थानों पर व्यापक रूप में पड़ा। होली-धुलेण्डी के उत्सव को आधार बनाकर सरकार द्वारा पोषित मुसलमानों ने उक्त स्थानों पर अनेक आर्य-समाजियों पर झूठे आरोप लगाकर चालान कराया और न्यायालय ने उन्हें एक-एक वर्ष कारावास का दण्ड दिया।

ओ३म् के झण्डे से शत्रुता

६ अप्रैल १९३८ को 'आर्यसमाज, कल्याणी' के भवन पर से पुलिस ने ओ३म् का झण्डा उतार दिया और उसका यह कारण बताया गया कि समाज के निर्माण की अनुमति धर्मस्व-विभाग से नहीं ली गई थी। इस बारे में भी विरोध व्यक्त किया गया और अन्ततः डायरेक्टर-जनरल पुलिस श्री हालेन्स को अपनी जाँच के बाद यह मानना पड़ा कि ओ३म् के झण्डे को कलेक्टर ने उतार फेंकने का जो आदेश दिया वह न्याय के विरुद्ध था। श्री पंडित गोपालदेव जी, श्री उदयभानु जी वकील, श्री मोहनसिंह जी ने स्थानीय मुसलमानों की धमकी के आगे घुटने न टेककर निर्भयता से समाज-कार्य में सहर्ष योग दिया।

ध्रुवपेठ का दंगा

सरकार की साम्प्रदायिक नीति सामने आती जा रही थी। नगर में दो यवनों की किसी ने हत्या कर दी तो उसका सारा दायित्व आर्यसमाजियों पर आ पड़ा। ध्रुवपेठ में दंगा हो गया और मुस्लिम गुण्डों ने आर्यसमाजियों पर धावा बोल दिया। परिणाम यह हुआ कि नगर-भर में लड़ाई की आग फैल गई। निज़ाम-सरकार ने ध्रुवपेठ के दंगे के सिलसिले में २४ आर्यसमाजियों को पकड़कर केस चलाया और २०-२० वर्ष का दण्ड दिया गया। इस केस में आर्यसमाज के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री सोहनलाल जी आर्य तथा श्री ठाकुर उमरावसिंह जी भी जेल में ठोंस दिये गये।

यहाँ यह बता देना उचित होगा कि इस दंगे की योजना 'इत्तेहादुल मुसलमीन' ने सरकार के पूरे सहयोग के साथ बनाई थी और इसका आयोजन ध्रुवपेठ के निकट बस्ती में जलालुद्दीन बुख़ारी के उर्स के अवसर पर किया गया था जिसमें सरकारी पदाधिकारी व मन्त्रिगण भी तलवारें गले में लटकाये आये थे। इन्हीं दिनों हज़ारों की संख्या में लाठी व तलवारें मुसलमानों ने ख़रीद रखी थीं। पुलिस कमिश्नर रहमतयारजंग का पूरा समर्थन बहादुरयारजंग को प्राप्त था। राज्य में हिन्दुओं के विरुद्ध घृणा का प्रचार करके मुस्लिम लीग के दो-राष्ट्रीय सिद्धान्तों से मुसलमानों को परिचित कराने में 'इत्तेहादुल मुसलमीन' का बड़ा हाथ था। इससे कुछ पूर्व 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' का वार्षिक अधिवेशन शोलापुर में हुआ तो 'इत्तेहादुल मुसलमीन' के सदस्यों के अतिरिक्त सरकारी पदाधिकारी व मुसलमान जागीरदार भी उसमें सम्मिलित हुए थे।

हैदराबाद नगर के दंगों के मूल कारणों की जाँच न करके सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर इसका भार आर्यसमाजियों पर डाल दिया, जिसके फलस्वरूप मुसलमान भड़क उठे और दस हज़ार मुसलमानों की एक भीड़ ने आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार के निवास-स्थान पर आक्रमण कर दिया। समस्त हैदराबाद

नगर का भ्रमण कर श्री विनायकराव जी, श्री जनार्दनराव देसाई, पंडित काशीनाथराव जी वैद्य तथा मैं स्वयं जब कार में हज़ारों की भीड़ को चीरते हुए विनायकराव जी के बँगले पर पहुँचे तो उनके द्वार पर पुलिस-मन्त्री श्री क्राफ़्टन उपस्थित थे। संभवतः स्थिति गम्भीर हो जाती यदि पुलिस-मन्त्री श्री क्राफ़्टन ठीक समय पर हस्तक्षेप न करते। उनके आने से विद्यालंकर जी का परिवार सुरक्षित रहा। आक्रमण के समय मैं भी वहीं था। सर्वश्री मेहरसिंह रिटायर्ड पुलिस आफ़िसर, बजरंगलाल जी श्रीवास्तव, खण्डेराव जी कुलकर्णी और कृष्णदत्त जी एम०ए० रावसाहब के घर ही उपस्थित थे।

बाहर के वकीलों पर प्रतिबन्ध

हिन्दुओं तथा आर्यसमाजियों को नाना प्रकार के कष्ट देने की कई योजनाएँ जारी थीं और उनपर 'फ़ौजदारी अपराधों' की धाराएँ लगाकर उन्हें जेलों में बन्द कर देने के प्रयत्न जारी थे। जब ध्रुवपेठ के झूठे हत्याकांडों की पैरवी के लिए बम्बई के प्रसिद्ध वकील श्री के०एफ़०-नारिमन को नियुक्त किया गया तो निज़ाम-सरकार ने उनके हैदराबाद आने पर प्रतिबन्ध इस कारण लगा दिया कि उनके राजनैतिक विचार कांग्रेसी सिद्धान्तों से सम्बन्धित थे। इस खेदजनक प्रतिबन्ध के विरुद्ध प्रधानमन्त्री सर अकबर हैदरी तथा महामान्य रेज़िडेंट का ध्यान आकृष्ट किया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। श्री नारिमन के बाद भारत के प्रसिद्ध वकील श्री भोलाभाई देसाई निरपराधियों के बचाव के लिए नियुक्त हुए, किन्तु इन्हें भी कुछ दिन के बाद हैदराबाद से निराश वापस जाना पड़ा, क्योंकि सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखने पर तुली हुई थी। इसके बाद दिल्ली के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री बृजबिहारी जी तवक्कली को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। आपने बड़े परिश्रम व योग्यता से अपना काम किया। हैदराबाद के प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय पंडित काशीनाथराव जी वैद्य, वी० रामकृष्णराव जी, जनार्दनराव जी देसाई और पंडित विनायकराव जी भी इनके साथ

हाथ बँटाते रहे। इसी केस के बीच सरकारी आदेश पर मुझे पंडित विनायकराव जी के घर से लेकर श्री राघवेन्द्रराव जी सहायक कमिश्नर ने मनानूर (काला पानी) जिला महबूबनगर भेज दिया। मनानूर पहुंचने के तीन दिन बाद ध्रुवपेठ-अभियोग में साक्षी के रूप में मुझे हैदराबाद लाया गया। दूसरे दिन प्रातः हैदराबाद सेण्ट्रल जेल के ऊपरी भाग में मेरी साक्षी प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट की एक विशेष बैठक (स्पेशल बेंच) श्री खलीलुलज़माँ न्यायाधीश की उपस्थिति में हुई। मेरा वहाँ बयान लिया गया। पुनः दूसरे ही दिन मुझे मनानूर भेज दिया गया। केन्द्रीय कारावास में हाईकोर्ट द्वारा बुलाई गई यह बैठक हैदराबाद के इतिहास में पहली घटना ही मानी जायेगी।

महाशय धर्मप्रकाश की हत्या

२४ जून १९३८ को आर्यसमाज के उत्साही कार्यकर्त्ता धर्मप्रकाश जी की मुस्लिम गुण्डों ने हत्या कर दी। धर्मप्रकाश जी 'आर्यसमाज, कल्याणी' के एक निडर कार्यकर्त्ता थे। आर्य भाइयों को वे शारीरिक प्रशिक्षण देते थे। यह बात झगड़ालू मुसलमानों के लिए चुभनेवाली थी। उन्होंने धर्मप्रकाश को मार डालने का षड्यन्त्र रचा। जब वे आर्यसमाज-मन्दिर से अपने घर वापस जा रहे थे, सशस्त्र मुसलमानों की भीड़ ने तलवारों तथा बरछों से आक्रमण करके धर्मप्रकाश की हत्या कर दी।

सार्वदेशिक सभा के प्रधान की सरकार को चेतावनी

इस दुर्घटना के दो दिन बाद महामान्य श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त, प्रधान 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली' व स्पीकर नागपुर विधानसभा, हैदराबाद आये। आपने प्रधानमन्त्री सर अकबर हैदरी, पुलिस-मन्त्री श्री काफ़्टन और डायरेक्टर-जनरल पुलिस श्री हालेन्स से भेंट करके स्पष्ट किया कि आर्यसमाजियों के लिए सरकार की ओर से कैसी कठिनाइयाँ उत्पन्न की जा रही हैं। श्री गुप्त ने इस बात पर बल दिया

कि आर्यों को राज्य की पुलिस और न्यायालयों पर कोई विश्वास नहीं रहा है और यदि सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो इसके फलस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न होगी उसका उत्तरदायित्व सरकार पर ही रहेगा। इस अवसर पर निज़ाम-सरकार के पदाधिकारियों ने वही पुरानी बात दुहराई। इन घटनाओं के सम्बन्ध में कहा गया कि शीघ्र जाँच की जायेगी और स्थिति को ठीक कर दिया जायगा। यह स्वाभाविक बहाना था और आये-दिन आर्यों तथा हिन्दुओं की जान व माल के लिए भय बढ़ता ही जा रहा था।

कठोर दण्ड

उदगीर में इस वर्ष दशहरे के जुलूस के अवसर पर सैयद बादशाह क़ादरी और वलीउद्दीन के षड्यन्त्रों ने आर्यसमाजियों और हिन्दुओं के जुलूस पर आक्रमण कर दिया। इसके कारण कई हिन्दू घायल हो गये। पुलिस ने अबकी बार भी इक्कीस आर्यसमाजियों को पकड़ लिया। इनमें रामचन्द्र जी नलगीरकर, दिगम्बरराव जी पत्तेवार, पंडित शामलाल जी, अमृतराव जी, प्रशान्तकुमार जी (लक्ष्मणप्रसाद), विद्याभूषण जी, रामदास जी, मोतीलाल जी, गंगाराम जी, वीरभद्र साँगोई, श्रीनिवास जी, वीरभद्र जी और सिद्धलिंगप्पा जी के नाम उल्लेखनीय हैं। रामचन्द्र जी, गंगाराम जी, और अमृतराव जी को बीस-बीस वर्ष का दण्ड दिया गया और दूसरे भाई छोड़ दिये गये। इस घटना के कोई आठ वर्ष बाद सर मिर्ज़ा इस्माईल के प्रधानमन्त्रिकाल में हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों को सुधारने के विचार से रामचन्द्र जी, अमृतराव जी, गंगाराम जी और दूसरे बन्दियों को भी छोड़ दिया गया।

महादेव जी की हत्या

१७ जुलाई १६३८ को एक और आर्यसमाजी की हत्या कर दी गई। एबलगा ग्राम में महादेव नामक एक आर्यसमाजी दूसरों को सत्यार्थ-प्रकाश' तथा आर्यसमाज की अन्य पुस्तकें पढ़कर सुनाया करता था।

स्थानीय मुसलमानों को इसपर क्रोध आ गया। उन्होंने बलात् ये पुस्तकें छीन लीं और पुलिस के हवाले कर दीं। 'आर्य प्रतिनिधि सभा' ने इस घटना पर सब-इन्स्पेक्टर पुलिस का ध्यान आकृष्ट किया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुसलमानों ने महादेव को धमकी दी कि यदि उसने अपना कार्यक्रम बन्द न किया तो उसकी हत्या कर दी जायगी। निर्भीक व धर्मप्रेमी महादेव कब चुप रहनेवाले थे! उन्होंने दुगुने उत्साह से आसपास के गाँवों में भ्रमण करके 'सत्यार्थप्रकाश' का प्रचार करना आरम्भ कर दिया। इसी प्रचार में एक धर्मान्ध मुसलमान मेहर अली ने एक गाँव में १७ जुलाई १९३८ को छुरा भोंककर आपकी हत्या कर दी। महादेव जी का यह बलिदान आर्यसमाज के इतिहास में सदा अमर रहेगा।

आर्य-नेता पंडित शामलाल जी की जेल में शहादत

श्री शामलाल जी और उनके दूसरे साथियों पर जेल में अत्याचार किये जा रहे थे तो दूसरी ओर न्यायालय में इनका केस भी चल रहा था। १६ दिसम्बर सन् १९३८ को उन्हें कारागृह में औषधि के नाम से विष देकर शहीद किया गया। शामलाल जी के निधन के समय पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी बीदर में ही थे। आर्य-सत्याग्रह के अधिकारियों ने 'अरब में सात साल' के प्रसिद्ध लेखक श्री रुचिराम जी को मुसलमानों की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए नियुक्त किया था। वे मुसलमान के रूप में ही वहाँ रहा करते थे। उन्होंने श्री शामलाल जी की मृत्यु की सूचना श्री दत्तात्रेयप्रसाद जी को देकर स्वयं हैदराबाद से 'हैदरी' के नाम से बीदर के कलेक्टर को तार दिया और इस नाटकीय ढंग से दत्तात्रेयप्रसाद जी वकील ने राजा धर्मकरण बहादुर कलेक्टर बीदर से भेंट करके जेल से शव को प्राप्त कर लिया और उसे लेकर सीधे शोलापुर रवाना हो गए। इस घटना के तुरन्त बाद ही निजाम-सरकार की ओर से कलेक्टर साहब को यह आदेश मिला कि शामलाल जी का शव किसी के हवाले न किया जाय, किन्तु यह आदेश समय के बाद मिला

था। दत्तात्रेयप्रसाद जी का पीछा किया गया, किन्तु शव को पुनः प्राप्त करने में सरकार को सफलता न मिली। शव को स्वर्गीय शामलाल जी के भाई पंडित बन्सीलाल जी के यहाँ पहुँचा दिया गया।

शोलापुर में उन दिनों आर्य-महासम्मेलन होने जा रहा था। कई आर्यनेता वहाँ उपस्थित थे। बीदर जेल से शामलाल जी का शव शोलापुर पहुँचते ही दुःख और शोक की ज़बरदस्त लहर दौड़ गई, क्योंकि वे हैदराबाद के आर्यनेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। महात्मा नारायण स्वामी जी ने यह सन्देह करके कि पं० शामलाल जी की मृत्यु सन्देहजनक स्थिति में हुई है, डॉक्टर नीलकण्ठराव आई०एम०एस०जेड०आई०ओ० (वीएना) से परीक्षण कराया। डॉक्टर साहब ने यह निर्णय दिया कि मृत्यु विषैली ओषधि से हुई है और शरीर पर घाव के कई चिह्न हैं।

'आर्य महासम्मेलन, शोलापुर' ने एक प्रस्ताव द्वारा निज़ाम-सरकार से इस बात की इच्छा प्रकट की कि पंडित शामलाल जी को मृत्यु सन्देहजनक स्थिति में हुई है और शोलापुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने परीक्षण के बाद यह विवरण दिया है कि 'स्वर्गीय विषैली ओषधि से मरे हैं और उनके शव पर घावों के कई चिह्न हैं। इस कारण सम्मेलन यह माँग करता है कि बाहरी राज्य के व्यक्तियों को आमन्त्रित करके इस घटना की निष्पक्षतापूर्वक जाँच कराई जाय।' निज़ाम-सरकार ने इस माँग के उत्तर में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह बतलाने का प्रयत्न किया कि पंडित शामलाल जी के साथ जेल में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें अन्त समय तक उचित भोजन दिया जाता रहा है। निज़ाम के शासन ने यह लिख तो दिया, किन्तु आर्यनेता की मृत्यु के बारे में स्वतन्त्र जाँच कराने का उसे साहस तक नहीं हो सका।

श्री शामलाल जी के निधन से आर्य-जगत् में अत्यन्त दुःख व शोक प्रकट किया गया क्योंकि वे एक वीर, मिलनसार तथा बड़े सक्रिय समाजी नेता थे। जो कोई भी उनसे मिलता, उनके चरित्र से प्रभावित अवश्य होता था। वे एक निडर सिपाही थे। साहस से अपना काम करते थे। उनमें भारतीयता कूट-कूटकर भरी हुई थी तथा वैदिक सभ्यता के आप

सच्चे अनुयायी थे। आपने वैदिक धर्म की जीवन-भर सेवा करते हुए धर्म के लिए ही आत्मबलिदान दिया। सत्य के लिए उन्होंने कष्टों का सदा सामना किया, किन्तु राक्षसी शक्तियों के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। वास्तविकता तो यह है कि वे उन आर्यनेताओं में से एक थे, जिनपर आर्यसमाज गर्व कर सकता है।

भारत के सभी क्षेत्रों में शोक मनाया गया। उनकी हत्या से आर्य-समाज के सत्याग्रह को नवजीवन-सा मिला। उनके इस अपूर्व बलिदान ने नवयुवकों को नवीन दिशा व उत्साह प्रदान किया। इस दुर्घटना ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सरकार के दुर्व्यवहार की हद हो चुकी है। यह विचार अब दृढ़ से दृढ़तर हो रहा था कि समाज के अधिकारियों को शासन के हिंसापूर्वक अत्याचारों का मुकाबिला करने और अपने धार्मिक, एवं सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कोई पग उठाना ही पड़ेगा। श्री पंडित शामलाल जी के महान् उत्सर्ग से आर्यसमाज के साहस व शौर्य के इतिहास का मानो एक अध्याय ही समाप्त हो गया।

पुलिस की शरारतें

हैदराबाद और विशेषकर हैदराबाद के ज़िलों, तालुकों तथा गाँवों में बात-बात पर आर्यसमाजियों और हिन्दुओं पर पुलिस अत्याचार करती जा रही थी। निज़ाम-सरकार के साम्प्रदायिक दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि कुछ मुस्लिम गुण्डों को विभिन्न प्रकार की मानवता से गिरी हुई शरारतें तथा रक्तपात करने का अवसर मिल गया था। इस स्थिति पर मुस्लिम नेता ध्यान दे सकते थे और एक-दो बार यह सुना भी गया कि बहादुरयारजंग बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु उनसे भी कोई आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वे स्वयं कट्टरपन्थी साम्प्र-दायिक थे और अपने वक्तव्यों द्वारा वे आर्यसमाज को एक आन्दोलन करनेवाली संस्था मान चुके थे।

पंचम चरण

सत्याग्रह की दिशा में

निरन्तर आग्रह और अनुरोध करने पर भी निज़ाम-सरकार ने जब आर्यसमाज की गतिविधियों व धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना बन्द नहीं किया और समाज की किसी भी माँग को मानने से सर्वथा उपेक्षा की तो विवश होकर आर्यसमाज को सत्याग्रह का मार्ग अपनाना पड़ा। सत्याग्रह आरम्भ करने से पूर्व सरकार के सम्मुख निम्नांकित माँगें प्रस्तुत की गईं :

(१) गश्ती संख्या (५३) जिसका उद्देश्य जनसभाओं पर प्रतिबन्ध लगाना है, इसे समाप्त कर दिया जाय।

(२) धार्मिक त्यौहारों पर जो प्रतिबन्ध है उसे वापस लिया जाय।

(३) अखाड़ों की स्थापना पर जो नियम लागू किये गये हैं उनको हटा दिया जाय।

(४) निजी पाठशालाओं के बारे में रोक लगानेवाले आदेश को समाप्त कर दिया जाय।

(५) साम्प्रदायिक दंगों से सम्बन्धित अभियोग एक निष्पक्ष न्यायालय को सौंप दिये जायें।

(६) राज्य के बाहर से आनेवाले धार्मिक कार्यकर्त्ताओं पर से प्रतिबन्ध हटा दिये जायें।

(७) पुस्तकों पर बिना जाँच के रोक न लगाई जाय।

(८) आर्यसमाजी समाचारपत्रों के प्रकाशन पर रोक न लगाई जाय।

(९) जब हिन्दुओं तथा आर्यों के धार्मिक पर्व मुसलमानों के धार्मिक

स्व० म० नारायण स्वामी
प्रथम अधिनायक आर्य सत्याग्रह

त्योहारों के अवसर पर आयें तो उन्हें मनाने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(१०) इस आदेश को समाप्त कर दिया जाय जिसके कारण हवन-कुण्डों के बनाने के लिए पहले से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक समझी गई है।

(११) हिन्दू बन्दियों को जेलों में मुसलमान बनाने का प्रयत्न न किया जाय तथा आर्यों को अवसर दिया जाय कि वे उन्हें धार्मिक शिक्षा दें।

(१२) राजकीय सेवा में काम करनेवाले आर्यसमाजियों को न सताया जाय।

(१३) आर्यसमाजियों को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता दी जाय कि वे अपने घरों तथा समाज के भवनों पर 'ओ३म्' के झण्डे फहरा सकें।

(१४) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ स्थानों पर केस आरम्भ हो चुके हैं, निष्पक्ष ट्रिब्युनल को सौंपे जायें।

उपर्यंकित इन माँगों का सम्बन्ध आर्यसमाजियों की ऐसी सामाजिक स्वतन्त्रताओं से था जो प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, किन्तु निज़ाम-शासन को इसकी कहाँ परवा थी कि वह उनको पूरा करने की ओर ध्यान देती? आर्यसमाजियों तथा हिन्दुओं के विचारों व गतिविधियों पर सरकार ने अपने अत्याचारों की मानो बाड़-सी लगा दी। राज्य के बहुसंख्यकों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया गया था जिससे वे हलचल न कर सकें, किन्तु जब आर्यसमाज आन्दोलन-शक्ति प्राप्त करने लगा तो हिन्दुओं में एक विशेष प्रकार की जागृति उत्पन्न हो गई और उन्होंने अनुचित वैधानिक लौह-बन्धनों से मुक्त होने के लिए कमर कस ली।

स्टेट कांग्रेस का सत्याग्रह

'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' ने सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए २४ अक्तूबर सन् १९३८ से सत्याग्रह आरम्भ किया, क्योंकि इसे निज़ाम-सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। उसे ऐसी सभाएँ करने तथा जनता में अपने सिद्धान्तों के प्रचार की स्वतन्त्रता नहीं थी। राज्य में

सत्याग्रह पहली बार हो रहा था। इसमें जनता ने बड़ी रुचि दिखलाई। २४ अक्तूबर सन् १९३८ को स्टेट कांग्रेस के प्रधान श्री गोविन्दराव जी नानल वकील परभणी अपने चार माननीय साथियों—सर्वश्री जनार्दनराव देसाई, रामकृष्ण जी धूत, श्री रविनारायण रेड्डी तथा श्रीनिवासराव बोरिकर के साथ सत्याग्रह करते हुए पकड़ लिये गये। श्री दिगम्बरराव जी बिन्दु (जो बाद में गृहमन्त्री बने) को भी सत्याग्रह के आरोप में जेल जाना पड़ा। इस प्रकार स्टेट कांग्रेस के कई नेता और कर्मठ कार्यकर्त्ता सत्याग्रह में पकड़े गये। इस प्रकार उनकी कुल संख्या लगभग चार सौ तक पहुँच गई। कुछ महीनों के पश्चात् जब श्री काशीनाथराव जी वैद्य (भूतपूर्व स्पीकर, हैदराबाद राज्य विधान सभा) सत्याग्रह बन्द करने की घोषणा करने लगे तो उन्हें भी उनके कुछ साथियों के साथ 'दीवान देवड़ी' के निकट पुलिस ने पकड़ लिया। इस गिरफ़्तारी के साथ ही कांग्रेस का सत्याग्रह महात्मा गांधी के आदेशानुसार बन्द कर दिया गया।

हिन्दू महासभा का सत्याग्रह

हैदराबाद-कांग्रेस के बाद राज्य में दूसरा सत्याग्रह 'हिन्दू महासभा' की ओर से किया गया ताकि निज़ाम-सरकार को सामाजिक स्वतन्त्रताओं पर से प्रतिबन्ध हटाने के लिए बाध्य किया जा सके। इस सत्याग्रह में 'हिन्दू महासभा' के कई नेता व कार्यकर्त्ता पकड़े गये।

श्री यशवन्तराव जोशी, श्री बी० एस० केसकर जी एडवोकेट, श्री अम्बादास जी एडवोकेट, डॉक्टर मुंजे, सेनापति पांडुरंग महादेव बापट, अण्णासाहेब भोपटकर (पूना) तथा अन्य अनेक सुप्रसिद्ध हिन्दू नेता व कार्यकर्त्ता इस सत्याग्रह में पकड़े गये। जेलों में इन्हें जिस प्रकार की यातनाएँ व कष्टों का सामना करना पड़ा, उसका वर्णन करते वाणी भी मूक हो जाती है।

पुलिस के साथ धर्मस्व-विभाग का गठजोड़

हैदराबाद राज्य की स्थिति को बिगाड़ने तथा आर्यसमाजियों व

हिन्दुओं को निरन्तर संकट में डालने और उनपर अत्याचार करने में धर्मस्व-विभाग ने यथेष्ट प्रयत्न किया। इस विभाग का कर्त्तव्य तो यह था कि वह राज्य के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के प्रार्थना-स्थानों आदि की देखभाल व उनकी सुव्यवस्था करे, किन्तु वास्तव में यह इस्लामी प्रचार की एक संस्था थी जो मुसलमानों की यथासम्भव सहायता करती और हिन्दुओं को निरुत्साहित करती थी। राज्य में नये मन्दिरों का तो निर्माण असम्भव था, परन्तु मस्जिदों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। ज़िलों, तालुकों और देहातों में क़ाज़ी लोग दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को मुसलमान बनाते थे और उनका यह कार्य विभाग की दृष्टि में अच्छी सेवा समझा जाता था। स्थानीय तथा बाहर की प्रचारक-संस्थाओं को लाखों रुपयों की वार्षिक सहायता दी जाती थी। सरकारी पाठशालाओं में मुसलमानों तथा नवमुस्लिमों की धार्मिक शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किये जाते थे। जेलों में भी आर्यसमाजियों और हिन्दुओं को इस बात पर उभारा जाता था कि वे अपना धर्म त्यागकर मुसलमान बनें और उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाएँ। जेलों में कई हिन्दू-बन्दियों को मुसलमान बनाया गया और जब आर्यसमाजियों की ओर से विरोध प्रकट किया गया तो वस्तुस्थिति इस रूप में प्रस्तुत की गई कि यह सब उनकी इच्छा से ही किया जा रहा है एवं सरकार का ऐसी घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पुलिस का कोप

स्टेट की राजधानी में पुलिस की बर्बरता बढ़ती जा रही थी। ज़िलों, तालुकों और गाँवों में इनके अत्याचार प्रबल होते जा रहे थे, विशेषतया आर्यसमाजियों के लिए तो जीवन-मरण का प्रश्न ही बन गया था।

मुहर्रम के अवसर पर सरकार की ओर से यह प्रतिबन्ध था कि कोई सभा न की जाय। इस आदेश के कारण हिन्दू लोग विवाह तक नहीं कर सकते थे। 'विजयदशमी' के जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता

था। कोई निजी पाठशाला स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता तो पुलिस के सब-इन्स्पेक्टरों के पत्र आते कि उनपर केस कर दिया जायगा। किसी स्थान पर आर्यसमाजी जाते तो वहाँ के हिन्दुओं से पूछताछ की जाती कि वे क्यों आये हैं और किसलिए आगे हैं ? उदगीर तथा हल्लीखेड़ के हिन्दू 'लिंगायत' एवं आर्यसमाज के नेता श्री भाई श्यामलाल जी तथा श्री भाई वंसीलाल जी 'हिन्दू महासभा, पूना' के अधिवेशन में भाग लेकर वापस आये तो उन्हें चेतावनी दी गई कि यह कार्य सरकार की नीति के विरुद्ध है, इसलिए भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए।

नान्देड़-विद्रोह केस

तालुक़ा कन्धार (ज़िला नान्देड़) में निज़ाम के जन्म-दिवस के अवसर पर उन हरिजनों को, जिन्हें बहादुरयारजंग ने मुसलमान बना लिया था, पुनः हिन्दू धर्म में प्रवेश कराके उन्हें उपदेश दिया जा रहा था तो श्री यादवराव शंकरराव टेकरीकर, श्री माधवराव घोंसीकर, श्री पंडित प्रह्लाद जी और उनके साथियों पर धारा ८२ के अन्तर्गत विद्रोह का आरोप लगाकर अभियोग चलाया गया। मुलतान के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री रामचन्द्र खन्ना तथा आर्य-नेता पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी ने इस केस में पैरवी की। श्री माधवराव घोंसीकर और शंकरराव टेकरीकर को पन्द्रह मास का और दूसरों को एक-एक वर्ष का दण्ड दिया गया। इस कार्यवाही के विरुद्ध जब अपील की गई तो तथाकथित अपराधियों को न्यायालय ने छोड़ दिया।

अपील के सिलसिले में पंडित काशीनाथराव जी वैद्य, श्री बी० रामकृष्णराव जी एडवोकेट, पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार बैरिस्टर तथा पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी ने बड़ी योग्यता के साथ सहयोग दिया।

माणिकनगर में हिन्दू का विवाह

माणिकनगर में एक हिन्दू ने मुहर्रम की दस तारीख़ को विवाह किया था। दूसरे दिन हुमनाबाद के सब-इन्स्पेक्टर का एक पत्र अपने

अधीनस्थ पदाधिकारी के पास पहुँचा कि तुम्हारे क्षेत्र में १० मुहर्रम के दिन किसी हिन्दू का विवाह हुआ है जो सरकार के आदेश के विरुद्ध है। इसकी शीघ्र जाँच की जाय जिससे उसपर केस किया जा सके। इस सन्दर्भ में उक्त हिन्दू युवक को चेतावनी दे दी गई। इसी प्रकार १८ जून १९३७ को सब-इन्स्पेक्टर औसा ने नागरसोगा-निवासी श्री घनश्यामप्रसाद को लिखा कि तुम आर्यसमाज की ओर से मुहर्रम के दिनों में हवनकुण्ड स्थापित नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया गया तो तुम्हारे विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

प्रतिबन्धों का जाल

आर्यसमाजी प्रचारकों की सभाओं तथा जुलूसों, हवनकुण्डों, नगर-कीर्तनों, भाषणों, लेखों, धार्मिक कार्यक्रमों तथा प्रार्थनाओं पर प्रतिबन्धों का जाल बिछा हुआ था। इसका वर्णन करना सहज नहीं है। निज़ाम-सरकार की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति तथा अत्याचार व शोषण से आर्य-समाजियों को बड़ी मानसिक यातना सहन करनी पड़ रही थी और अकारण कोर्ट में केस करके उन्हें जेलों में ठोंस दिया जा रहा था। इस अत्याचार व हिंसा के विरुद्ध 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद', इसके विभिन्न संगठनों एवं 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' की ओर से कई बार सरकार के पास शिकाइत की गई। समाज के प्रसिद्ध नेता उच्च-अधिकारियों से मिले। उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई तथा इस बात की भी प्रार्थना की गई कि सरकार इन अन्यायों तथा अत्याचारों को बन्द कर दे, किन्तु जब ये सारे प्रयत्न निष्फल हो गए तो आर्यसमाजियों को वैदिक धर्म और हिन्दुओं की रक्षा के लिए एक संयुक्त मोर्चे पर एकत्रित होकर शान्तिपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार हो जाना पड़ा।

'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' ने 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' के परामर्श से 'आर्य रक्षा-समिति' की स्थापना की जिससे हैदराबाद में आन्दोलन आरम्भ किया जा सके। निज़ाम-सरकार ने सत्याग्रह-

समिति के सदस्य होने के आरोप में श्री बलदेव जी पतंगे तथा श्री शंकर रेड्डी जी को एक-एक वर्ष के कारावास का दण्ड दे दिया। श्री चन्द्रपाल जी, श्री वेंकटेश गुरुनाथ जी और प्रतापनारायण जी को हाईकोर्ट में 'मुस्लिम लीग मुर्दाबाद' के नारे लगाने के अपराध में धारा ८३ के अन्तर्गत केस चलाकर छः-छः मास का कारावास और ५०० रुपये जुर्माना किया गया। यह सब शासन द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ही किया जा रहा था। १३ अक्तूबर १९३८ को मुझे भी पकड़ लिया गया। सरकार ने मेरे विरुद्ध कोई अपराध घोषित नहीं किया और न किसी कोर्ट में केस चलाने की आवश्यकता ही समझी। मुझे सीधे 'मनानूर' को तीन वर्ष के लिए पहुंचा दिया गया, जो उस समय 'काले पानी' के नाम से प्रसिद्ध था। मुझे मनानूर भेजे जाने पर समस्त हैदराबाद राज्य में शासन-विरोधी सभाएँ हुईं और नगर में आम हड़ताल की गई तथा सरकार के इस कार्य के विरुद्ध जुलूस निकाले गये। जुलूस पर लाठी चलाई गई जिसमें कई व्यक्ति घायल हुए। इस धर-पकड़ के विरुद्ध पुनः विरोध प्रकट किया गया और सत्याग्रह के लिए वातावरण अनुकूल बनने लगा।

स्थानीय सत्याग्रह का श्रीगणेश

हैदराबाद में स्थानीय सत्याग्रह २९ अक्तूबर १९३८ को आरम्भ हुआ। 'आर्य रक्षा-समिति' द्वारा सत्याग्रह आरम्भ किया गया। प्रथम सत्याग्रही जत्थे के नेता श्री पंडित देवीलाल जी थे। उनके नेतृत्व में सर्वश्री मुन्नालाल जी मिश्र, श्री मदनमोहन जी, श्री एन० देवैया जी, श्री सदाशिवराव जी एवं श्री राजैया जी ने सत्याग्रह किया। इनको पकड़कर जेल भेज दिया गया। इस सत्याग्रह के सिलसिले में जो अन्य सर्वाधिकारी चुने गए, उनमें आर्यनेता श्री निवृत्ति रेड्डी जी वकील (अहमदपुर), पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी एडवोकेट, श्री शेषराव जी वाघमारे एडवोकेट, श्री दिगम्बरराव जी लाठकर एडवोकेट, श्री दिगम्बरराव जी शिवनीकर (लातूर), श्री शंकरराव जी पटेल (आन्धोरी)

स्व० आर्य नेता भाई बंसीलाल जी
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के निर्माता

तथा गणपतराव जी कथले (कलम) उल्लेखनीय हैं।

आर्य-सत्याग्रह को गति प्रदान करने के लिए 'आर्य रक्षा-समिति' ने एक गुप्त समिति का गठन किया। इसका काम स्थान-स्थान पर घूम-कर जनता से सत्याग्रह के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग प्राप्त कर उनमें नवीन चेतना व उत्साह की भावना उत्पन्न करना था। इस समिति में श्री ए० बालरेड्डी जी, श्री कृष्णदत्त जी, श्री राजपाल जी, श्री गंगाराम जी एडवोकेट, श्री हरिश्चन्द्र जी (जालना) तथा श्री बी० वेंकटस्वामी जी सम्मिलित थे। आप लोगों ने जान हथेली पर लेकर लगन व निष्ठा-पूर्वक आर्य-सत्याग्रह को बल प्रदान किया। श्री हरिश्चन्द्र जी (जालना) को इसी प्रयत्न में पुलिस ने बन्दी बना लिया था।

आप लोगों के उत्साह एवं कार्य-प्रणाली के फलस्वरूप जनता आर्य-सत्याग्रह के महत्त्व को समझ सकी और रक्षा-समिति को पूरा सहयोग देने के लिए कटिबद्ध हो गई। इससे एक लाभ यह भी हुआ कि सत्याग्रह के लिए नवयुवक बढ़-चढ़कर आने लगे।

मुदखेड़ में भी सत्याग्रह किया गया और कुल मिलाकर सात सौ आर्य राज्यभर में सत्याग्रह कर कारागार को अपना आवास बना चुके थे कि इसी बीच 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली' के प्रधान तथा पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी ने जनता से इस बारे में मत लेने के लिए 'शोलापुर आर्य-सम्मेलन' की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह समिति के अध्यक्षरूप में महात्मा नारायण स्वामी जी को हैदराबाद के बारे में समस्त अधिकार सौंप दिये गये। श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त को, जो उस समय 'सार्वदेशिक सभा' के प्रधान तथा 'मध्यप्रदेश विधान सभा' के स्पीकर थे, सत्याग्रह-संचालन का प्रधान नियुक्त किया गया था। स्वामी जी ने 'अखिल भारतीय आर्य महासम्मेलन, शोलापुर' में जो २३ दिसम्बर १९३८ को हुआ, उसके द्वारा जनमत जानने का प्रयत्न किया। 'आर्य महासम्मेलन, शोलापुर' की अध्यक्षता महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नेता श्री एम० एस० अणे ने की। आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में उन सभी आरोपों की पुष्टि की जो हैदराबाद के शासन के विरुद्ध लगाए जाते रहे

हैं। इस आर्य-महासम्मेलन के पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी स्वागताध्यक्ष थे। शोलापुर-सम्मेलन के आयोजन तथा उसकी सफलता व 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' को इसमें योग देने के लिए बाध्य करने का एकमात्र श्रेय स्वर्गीय भाई बंसीलाल जी को है। आपके प्रयासों के फलस्वरूप सम्मेलन ने स्पष्टरूप में सत्याग्रह की घोषणा करते हुए निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये :

आर्य महासम्मेलन शोलापुर के प्रस्ताव

२७ दिसम्बर को इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव पास किये उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत किये जाते हैं :

"भारत तथा भारत के बाहर के आर्यसमाजियों की हैदराबाद राज्य के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता के प्रति अत्यधिक रुचि रही है। हिन्दू और विशेषकर आर्यसमाजी इन स्वतन्त्रताओं से वंचित रहे हैं। इसलिए यह सम्मेलन हैदराबाद राज्य में अपने सहधर्मी भाइयों की ओर से निम्नलिखित माँगों की स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है :

१. धार्मिक कार्य तथा त्योहारों को करने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।

२. धार्मिक प्रचार, कथाओं, उपदेशों, भाषणों, नगरकीर्तनों, जुलूसों, आर्यसमाज-मन्दिरों और यज्ञशालाओं के निर्माण, हवनकुण्डों के बनाने, ओ३म् के झण्डे लहराने, नये आर्यसमाजों की स्थापना तथा ऐसे साहित्य के प्रकाशन की स्वतन्त्रता होनी चाहिए जो वैदिक धर्म एवं भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित हों।

३. राज्य को मुस्लिम तबलीग़ (प्रचार) में भाग नहीं लेना चाहिए और न ही उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। राज्य-कर्मचारियों को उस आन्दोलन में भाग लेने से रोकना चाहिए तथा स्कूलों में हिन्दुओं को मुसलमान बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हिन्दू अनाथ बच्चों को मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहिए।

४. राज्य का धर्मस्व-विभाग समाप्त कर दिया जाय या कम-से-कम

हिन्दुओं तथा आर्यसमाजियों के मन्दिरों एवं उनके धार्मिक आयोजनों पर उसके नियन्त्रण को समाप्त कर देना चाहिए।

५. मुस्लिम पत्र-पत्रिकाओं तथा हिन्दू पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन में कोई भेदभाव न रखा जाय।

६. आर्य मिशनरियों के राज्य में प्रवेश पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाय और इस समय जिन मिशनरियों पर प्रतिबन्ध है, उठा लिया जाय।

७. आर्यों तथा हिन्दुओं के साथ मुसलमानों के मुकाबिले में पुलिस और अन्य पदाधिकारी, जो अन्याय तथा अनुचित व्यवहार करते हैं, उसे रोका जाय।

८. हिन्दुओं एवं आर्यों के पुत्र-पुत्रियों को प्रारम्भिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं में अनिवार्य रूप से उर्दू में शिक्षा न दी जाय, अपितु उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाय।

९. हिन्दुओं तथा आर्यसमाजियों की ओर से स्थापित होनेवाले अखाड़ों, शिक्षण-संस्थाओं एवं पुस्तकालयों पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय।"

"'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली' तथा 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद स्टेट' ने पिछले ६ वर्षों में कई बार इस बात का प्रतिनिधित्व किया है कि आर्यसमाजियों की शिकाइतें दूर हों और उनकी माँगें स्वीकार कर ली जायें, किन्तु वह अपनी उद्देश्य-पूर्ति में असफल रही है। यही कारण है कि भारत व हैदराबाद के सभी आर्यसमाजी एवं हिन्दू इस सम्बन्ध में उग्र विचार रखते हैं। अतः सम्मेलन की राय में वर्तमान शिकाइतों को दूर करने का यही एक मार्ग है कि अहिंसात्मक सत्याग्रह के रूप में आन्दोलन कर दिया जाय।

(क) यह आर्य-सम्मेलन महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज को इस बात का अधिकार देता है कि वे एक सत्याग्रह-समिति स्थापित करें और स्वयं इसके पहले डिक्टेटर बनें जिससे सत्याग्रह की तैयारी की जा सके। यह सम्मेलन भारत के सभी आर्यों तथा हिन्दुओं से अपेक्षा करता है कि वे इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करें।

(ख) सम्मेलन इन माँगों की पूर्ति के लिए समिति को आदेश देता

है कि वह इन विषयों पर अपना संघर्ष जारी रखे।

१. वैदिक धर्म तथा संस्कृति के प्रचार के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता और उसके साथ अन्य धर्मावलम्बियों की भावनाओं का आदर करें।

२. धर्मस्व-विभाग या राज्य के किसी अन्य विभाग से कोई स्वीकृति प्राप्त किये बिना नये आर्यसमाजों की स्थापना, समाज-मन्दिरों, यज्ञशालाओं के निर्माण और हवनकुण्डों को बनाने व पुराने हवनकुण्डों को बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहे।"

आर्य-सम्मेलन में इन दो प्रस्तावों के पश्चात् जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, उनमें सत्याग्रह की पद्धति तथा आन्दोलन की रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी गई जिससे कि विरोधियों को शरारत-भरा प्रचार करने का अवसर न मिल सके। एक अन्य प्रस्ताव (६) में सम्मेलन ने कहा, 'हमारी कार्य-प्रणाली के विरुद्ध जो शरारत-भरा प्रचार जारी है, उसको ध्यान में रखते हुए स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की जाती है कि हमारे ध्येय की पवित्रता इस बात से सिद्ध है कि सत्याग्रह सत्य व अहिंसा पर आधारित है। इसकी सफलता के लिए कार्यकर्त्ताओं से अनुरोध है कि वे संघर्ष के बीच उस समय भी, जबकि उन्हें कष्टों का सामना करना पड़े, फिर भी मनसा, वाचा, कर्मणा, अहिंसा तथा सत्य के सिद्धान्त का ही पालन करें।'

'यदि किसी क्षेत्र में भ्रम उत्पन्न करनेवाली बातें व्याप्त हों तो उनको दूर करने के लिए सम्मेलन इस बात की घोषणा करता है कि हैदराबाद में आर्यसमाज की वर्तमान लड़ाई न तो राजनैतिक है और न साम्प्रदायिक, अपितु वह केवल नागरिकों की धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक ही सीमित है, जैसाकि हमारी माँगों से स्पष्ट होता है।'

आर्य-सम्मेलन के इस निर्णय के साथ समस्त भारत के कोने-कोने से हैदराबाद को सत्याग्रहियों के जत्थे भेजने की तैयारियाँ आरम्भ होने लगीं और प्रत्येक दिशा में उत्साह की लहरें उमड़ने लगीं। 'आर्यसमाज अमर रहे' और 'वैदिक धर्म की जय' के गगनभेदी नारों से आकाश

गूँजता तो हैदराबाद के मुसलमानों के हृदय काँप उठते। आर्यसमाज के इस आन्दोलन को हैदराबाद व भारत के करोड़ों हिन्दुओं का नैतिक समर्थन प्राप्त था।

निज़ाम-सरकार के सामने 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' ने आर्यसमाज की ओर से उचित माँगें रखीं जो साधारणतः धार्मिक, सामाजिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं से सम्बन्ध रखती थीं। निज़ाम-सरकार के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था कि वह आर्यसमाज की शिकाइतों पर विचार करके अपनी बदलती हुई नीति की घोषणा कर स्थिति को नियन्त्रण में ला सकती थी, किन्तु यह दुर्भाग्य तथा खेद की बात है कि इस अन्तिम अवसर को भी सरकार ने अपने घमण्ड तथा हठधर्मिता के कारण खो दिया और आर्यसमाज की माँगों को अस्वीकार किया। अन्ततोगत्वा, विवश होकर 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' को अपने निर्णयानुसार बड़े स्तर पर सत्याग्रह का संकल्प लेना पड़ा।

व्यापक सत्याग्रह

आर्यसमाज का संघर्ष जो धार्मिक एवं मूलभूत नागरिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत समय से चल रहा था, अन्ततः एक व्यापक सत्याग्रह के रूप में प्रकट हुआ। यह सत्याग्रह सुदृढ़ नैतिकता पर आधारित था। भारत के हिन्दू, सिख और मुस्लिम नेताओं को यह बात माननी पड़ी कि हैदराबाद में आर्यसमाज का संघर्ष धार्मिक प्रतिबन्धों के कारण आरम्भ हुआ है। 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' के उपमन्त्री श्री शिवचन्द्र जी ने विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को सत्याग्रह से अवगत कराया तो विश्वकवि ने इस आन्दोलन से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, "आर्यसमाज की माँगें वास्तविकता पर आधारित हैं। मैं हैदराबाद राज्य की सरकार से आशा करता हूँ कि वह इन माँगों को स्वीकार करके सत्याग्रह को समाप्त करने की दिशा में पग उठायेगी।"

महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह के बारे में कहा, "हैदराबाद में आर्यसमाज का संघर्ष केवल धार्मिक रूप रखता है और इसका ध्येय यह

है कि धर्म से सम्बन्धित शिकाइतें दूर हो जायें।"

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सम्मति दी, "मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद में आर्यसमाज के धार्मिक पर्वों पर कुछ अनुचित पाबन्दियाँ लगा दी गई हैं और हम भी इसका निर्णय कर चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जब मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गला घुट रहा है।"

हिन्दूराष्ट्र-स्वप्नद्रष्टा स्वातन्त्र्यवीर सावरकर ने कहा, "आर्यसमाज का सत्याग्रह वास्तविकता पर आधारित है। इसमें न केवल आर्यसमाजी अपितु अन्य हिन्दुओं को भी भाग लेकर निज़ाम ले टक्कर लेनी चाहिए।"

अकालियों के नेता मास्टर तारासिंह ने आर्यसमाज को बधाई दी, "वह धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहा है।"

मौलाना अब्बुलकलाम आज़ाद का विचार था, "यद्यपि हैदराबाद में सत्याग्रह एक संस्था की ओर से आरम्भ हुआ है, किन्तु इसकी हैसियत धार्मिक है। मैं उन लोगों से सहानुभूति रखता हूँ जो अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए कष्ट सहन कर रहे हैं।"

आचार्य कृपलानी ने कहा, "प्रत्येक कांग्रेसी का यह विश्वास है कि हैदराबाद राज्य में आर्यसमाज पर जो प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, वे अनुचित हैं। उनका मुक़ाबिला करना चाहिए।"

श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने इस सत्याग्रह का समर्थन करते हुए कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से हैदराबाद-सत्याग्रह के समर्थन में हूँ।"

उपर्युक्त भारतीय नेताओं के अमूल्य विचारों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हैदराबाद की जनता की 'तानाशाही निज़ामी हुकूमत' में कैसी दशा थी।

इस प्रकार आर्यसमाज के सत्याग्रह को सारे भारत का नैतिक समर्थन प्राप्त था और 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' की घोषणा के अनुसार देश के कोने-कोने से आर्य-सत्याग्रही हज़ारों की संख्या में हैदराबाद में सत्याग्रह करने की तैयारियाँ कर रहे थे। चारों ओर उत्साह का वातावरण व्याप्त था। महात्मा नारायण स्वामी ने, जो सत्याग्रह के

प्रथम डिक्टेटर थे, २२ जनवरी १९३९ को देशभर में सत्याग्रह-दिवस मनाने की घोषणा की और यह आदेश भी दिया कि जब तक सत्याग्रह चलता रहेगा तब तक प्रति मास २२ तारीख को सत्याग्रह-दिवस मनाया जाय।

सत्याग्रह के प्रथम अधिनायक का आगमन

महात्मा नारायण स्वामी महाराज के साथ सत्याग्रह के पहले जत्थे में 'गुरुकुल कांगड़ी' के ब्रह्मचारी थे। गुरुकुल के ३५ ब्रह्मचारियों ने प्रेम व श्रद्धा के साथ अपने-आपको स्वामी जी को अर्पण कर दिया। उनमें से केवल १५ को हैदराबाद जाने की अनुमति दी गई। सत्याग्रह के प्रथम अधिनायक होने के नाते महात्मा नारायण स्वामी जी ने सत्याग्रह की सूचना निज़ाम-महोदय, माननीय रेज़ीडेण्ट एवं भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग को दे दी। सत्याग्रह के लिए ३१ जनवरी का दिन निश्चित हुआ। महात्मा नारायण स्वामी जी वायुयान से हैदराबाद पहुँचने का विचार कर रहे थे, किन्तु ९ फ़रवरी से पहले यान में स्थान का मिलना कठिन था, अतः आप ३० जनवरी को ट्रेन से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। सरकार और पुलिस के क्षेत्रों में परेशानी फैली हुई थी। वाड़ी और गुलबर्गा के स्टेशन पर पुलिस के गुप्तचरों ने सारे डिब्बे छान मारे, किन्तु महात्मा नारायण स्वामी का पता तक न चल सका और वे किसी तरह हैदराबाद पहुँचकर 'सुलतान बाज़ार' के 'आर्यसमाज-मन्दिर' तक पहुंच गए। उस समय समाज-मन्दिर बन्द था। महात्मा नारायण स्वामी को बाहर ही प्रतीक्षा करनी पड़ी। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, उसके एक-दो आदमी यहाँ भी पहुंच गये। स्वामी जी से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बता दिया। चारों ओर खलबली मच गई और स्वामी जी के दर्शनों के लिए हज़ारों हिन्दुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। आपसे सुपरिण्टेण्डेण्ट-पुलिस ने कहा कि तुरन्त हैदराबाद से चले जायें। जब स्वामी जी ने जाने से इन्कार कर दिया तो उन्हें मोटर में बिठाकर नगर से १२० मील दूर सस्तापुर के बँगले में ठहराया गया

और फिर वहाँ से आपको शोलापुर के सत्याग्रह-कैम्प में पहुंचा दिया गया।

महात्मा नारायण स्वामी जी ने गुलबर्गा के सूबेदार को सूचना दी कि "मैं ४ फ़रवरी को गुलबर्गा में सत्याग्रह करूंगा।" उस समय आपके साथ २० सत्याग्रही थे। स्टेशन पर पुलिस प्रतीक्षा में थी। इस व्यापक संघर्ष के प्रथम अधिनायक और उनके साथियों को शीघ्र ही पकड़ लिया गया और इन सब को दूसरे दिन एक-एक वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दे दिया गया।

'गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय' के १५ सत्याग्रहियों का जत्था वर्धा से सिकन्दराबाद पहुंचा और दो-दो की टुकड़ियों में विभक्त होकर किसी प्रकार बस द्वारा 'सुलतान बाज़ार' पहुंच गया। दूसरे दिन इन लोगों ने यहाँ सत्याग्रह किया। ८ फ़रवरी के दिन इनको छः-छः महीने का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

दूसरे अधिनायक

राजस्थान के आर्यसमाजी नेता श्री कुंवर चाँदकिरण जी शारदा इस सत्याग्रह के दूसरे सर्वाधिकारी नियुक्त हुए। आपने इस संघर्ष के लिए जनता से अधिकाधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए भारत के कई स्थानों का भ्रमण किया। आपके साथ हैदराबाद के ही सत्याग्रही थे। श्री चाँदकिरण जी शारदा को १३ महीने का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

तीसरे अधिनायक

सत्याग्रह के तीसरे अधिनायक पंजाब प्रादेशिक सभा के प्रधान महाशय खुशहालचन्द खुरसंद (पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी) थे। आपको १५४ सत्याग्रहियों सहित पकड़ लिया गया और एक वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

चौथे अधिनायक

चौथे अधिनायक 'आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश' के प्रधान श्री राजगुरु धुरेन्द्र जी शास्त्री थे। २२ एप्रिल को आपने एक स्पेशल ट्रेन द्वारा अपने ५३१ साथियों के साथ गुलबर्गा पहुंचकर सत्याग्रह करने की घोषणा की। उसी दिन आपको पकड़ लिया गया और इन सब को दो वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड सुनाया गया।

जन-समर्थन

सत्याग्रह-संघर्ष जिस सुदृढ़ आधार पर आरम्भ हुआ था और जिसे भारतीय जनता का नैतिक समर्थन प्राप्त था, उसे समझने में निज़ाम-शासन को अधिक देर नहीं लगी। सत्याग्रह के चौथे अधिनायक की गिरफ्तारी के साथ ही निज़ाम-सरकार की ओर से समझौते की बात-आरम्भ हो गई, क्योंकि निज़ाम के मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्य यह समझ रहे थे कि यदि इस समय भी समझौता नहीं किया गया और सत्याग्रह-समिति की माँगों की पूर्ति की घोषणा नहीं हुई तो स्थिति बहुत गम्भीर हो जायेगी जिसके फलस्वरूप सरकार की प्रतिष्ठा को भारी धक्का पहुंचेगा।

राज्य की ओर से समझौते का प्रयत्न

२७ एप्रिल को निज़ाम की पुलिस तथा जेलों के डायरेक्टर-जनरल श्री एस०टी० हालेन्स, सूबेदार गुलबर्गा, कलेक्टर श्री रिज़वी और जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने महात्मा नारायण स्वामी जी से जेल में भेंट की और यह बात स्पष्ट की कि सरकार आर्यसमाज को सन्तुष्ट करने के लिए तैयार हो चुकी है। निज़ाम-सरकार के इन पदाधिकारियों ने आर्य-समाजी नेताओं को सूचित किया कि सरकार को 'ओ३म्' का झण्डा लहराने, हवनकुण्डों तथा यज्ञशालाओं के बनाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी और न इसके लिए अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त इस समय जितने आर्यसमाजी मन्दिर हैं और जो बिना अनुमति के

बनाये गये हैं, वे बने रहेंगे, परन्तु नये मन्दिरों के निर्माण की अनुमति केवल १५ दिन के भीतर दे दी जायेगी। श्री हालेन्स तथा उनके साथी पदाधिकारियों ने इस बात का भी आश्वासन दिया कि आर्यसमाज को अपने धर्म के प्रचार के लिए भी अन्य धर्मवालों के विचारों के समान ध्यान में रखते हुए पूरी स्वतन्त्रता दे दी जायगी।

समझौते की इन बातों पर महात्मा नारायण स्वामी जी तथा उनके तीनों साथी बातचीत करने से मौन हो गये, क्योंकि वे 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' की कार्यकारिणी में इस प्रश्न को रखे बिना कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। श्री हालेन्स की इच्छा थी कि इन तीनों नेताओं और निज़ाम-सरकार के उच्च-अधिकारियों तथा 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' के नेताओं का एक मिला-जुला सम्मेलन होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सम्मेलन के आयोजन का भार श्री हालेन्स ने अपने ऊपर लिया।

६ एप्रिल को 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली' की कार्यकारिणी शोलापुर में बुलाई गई ताकि समझौते के प्रश्न पर विचार किया जा सके। ४ एप्रिल को सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल गुलबर्गा का एक पत्र 'सभा' को मिला कि सभा के ज़िम्मेदार नेता ८ एप्रिल को हैदराबाद पहुँचने से पूर्व गुलबर्गा आकर कुछ पदाधिकारियों तथा जेल में बन्द नेताओं से भेंट कर लें।' समझौते की बातचीत का समाचार चारों ओर फैल चुका था, किन्तु हैदराबाद के समाचारपत्रों ने यह सूचना स्पष्ट शब्दों में छाप दी कि निज़ाम-सरकार तथा आर्यसमाज के बीच समझौते के समाचार बिलकुल निराधार हैं। इसी दिन श्री अणे शोलापुर से हैदराबाद को आ रहे थे। वे भी इन समाचारों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए।

समझौते की बात से सरकार मुकर गई

हैदराबाद के अधिकतर मुस्लिम समाचारपत्र आर्यसमाज के कट्टर विरोधी तथा शत्रु थे। उन्हें यह बात कदापि नहीं भा सकती थी कि राज्य में 'आर्य प्रतिनिधि सभा' को अन्य धार्मिक एवं सामाजिक

संस्थाओं की तरह स्वतन्त्रता के साथ अपना कार्य करने का अवसर मिले। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ यह समाचार प्रकाशित किया था कि निज़ाम-शासन की ओर से समझौता करने की सूचना निराधार है। इसके विपरीत, यह बात बिलकुल सत्य थी और श्री हालेन्स को इसका दुःख था कि वे गुलबर्गा जेल में आर्यसमाजी नेताओं के पास समझौते का जो प्रस्ताव लेकर गये थे, उसे निज़ाम-सरकार ने अचानक वापस ले लिया है। वास्तविकता यह है कि आर्यसमाज से बातचीत और समझौते के प्रयत्न मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्यों के आग्रह पर आरम्भ हुए थे और अभी बातचीत आगे बढ़ने भी न पाई थी कि मन्त्रिमण्डल के विरोधी सदस्यों तथा 'इत्तेहादुल मुसलमीन' के नेताओं के षड्यन्त्र आरम्भ हो गए और समझौते के प्रस्ताव को निज़ाम-सरकार ने वापस ले लिया।

शोलापुर में 'सार्वदेशिक सभा' की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसमें महान् क्रान्तिकारी नेता वीर सावरकर भी सम्मिलित हुए थे। आर्जसमाजी नेताओं में श्री घनश्यामसिंह गुप्त, प्रोफेसर सुधाकर एम०-ए० तथा लाला देशबन्धु गुप्त ने गुलबर्गा आकर श्री हालेन्स डायरेक्टर-जनरल पुलिस तथा जेल से भेंट की। इस भेंट से स्पष्ट हुआ कि निज़ाम-सरकार समझौते की बातचीत से मुकर गई है।

सत्याग्रह की धूम

निज़ाम-शासन के इस व्यवहार से चारों ओर खेद प्रकट किया गया, किन्तु सत्याग्रह को इससे एक लाभ अवश्य पहुंचा और वह यह कि आर्यों के उत्साह में दुगुनी वृद्धि हो गई और उनके इस आन्दोलन को असाधारण शक्ति प्राप्त हो गई। 'सार्वदेशिक सभा' की ओर से घोषणा की गई कि अब सत्याग्रह को पूरे बल एवं शक्ति के साथ जारी रखा जायगा।

पाँचवें अधिनायक

राजगुरु श्री धुरेन्द्र शास्त्री जी के अनन्तर सत्याग्रह के पांचवें

अधिनायक के रूप में 'आर्य प्रतिनिधि सभा, बिहार' के प्रधान श्री वेदव्रत जी को नियुक्त किया गया। आपके साथ ५३४ व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लिया। इस सत्याग्रह में शाहपुर राज्य के सैयद फ़ैज़अली और पाँच सिख सज्जन भी सम्मिलित थे। श्री वेदव्रत जी तथा उनके साथियों को निज़ाम-सरकार ने दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया। श्री वेदव्रत जी वहीं हैं जो बाद में स्वामी अभेदानन्द जी के नाम से विख्यात हुए।

छठे अधिनायक

'प्रताप' दैनिक के संचालक महाशय कृष्ण जी छठे अधिनायक के रूप में स्पेशल ट्रेन से औरंगाबाद पहुंचे। आपके साथ अहमदनगर के ६०, विजयवाड़ा के ५, चाँदा के ६१, हैदराबाद के २४, शोलापुर के २५ तथा यू०पी० के ६२८ सत्याग्रही सम्मिलित थे। महाशय जी ६ जून १६३६ को औरंगाबाद में सत्याग्रह करते हुए अपने साथियों के साथ पकड़ लिये गये और उन्हें कारावास का दण्ड दिया गया।

सातवें अधिनायक

२३ जून को सत्याग्रह के सातवें अधिनायक पंडित ज्ञानेन्द्र जी (गुजरात) ने गुलवर्गा में अपने १७० साथियों के साथ सत्याग्रह किया और उन्हें ६ महीने का दण्ड मिला।

आठवें अधिनायक

'आर्य प्रतिनिधि सभा' के अध्यक्ष तथा सत्याग्रह के आठवें अधिनायक पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार बैरिस्टर, २ जुलाई को उत्तर-भारत के एक तूफ़ानी दौरे पर पं० कृष्णदत्त जी एम०ए० के साथ गये ताकि उत्तर प्रदेश और उसके आसपास की जनता को आर्यसमाज के सत्याग्रह का महत्त्व तथा उसके परिणामों से सचेत करके सत्याग्रह को आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त करा सकें। आप दोनों ने इस सम्बन्ध में २२५०

स्व. पं. विनायकराव विद्यालंकार
आठवें अधिनायक आर्य सत्याग्रह हैदराबाद

मील की यात्रा करके कई स्थानों पर लगभग ४० व्याख्यान दिए तथा जनता ने आपकी सेवा में २६०,५०० रुपयों की थैली भेंट की। सत्याग्रह आठवें अधिनायक पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार, पंजाब, यू०पी० बंगाल, बिहार, राजस्थान, सी०पी० और हैदराबादके २१०० सत्याग्रहियों के साथ २१ जुलाई को सत्याग्रह करने वाले ही थे कि निज़ामसरकार ने एक वक्तव्य द्वारा नये सुधारों को शीघ्र लागू करने की घोषणा कर दी।

सुधारों की घोषणा

निज़ाम-सरकार की ओर से जब राज्य में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक सुधारों की घोषणा १९ जुलाई को की गई तो 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' ने शीघ्र इस बात का आदेश दिया कि सत्याग्रही जत्थे जिन-जिन स्थानों पर हों वहीं ठहर जाएँ; यदि आवश्यकता हुई तो पुनः उन्हें सत्याग्रह के लिए आदेश दिया जायगा।

आर्यसमाज की ओर से आयोजित इस व्यापक सत्याग्रह को सफल बनाने में मध्य भारत के स्पीकर और 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली' के प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। उन्होंने समस्त भारत में भ्रमण कर लोगों को हैदराबाद राज्य की हिन्दू तथा आर्य जनता पर हो रहे निज़ामी शासन के शोषण तथा अत्याचारों से अवगत कराया। इसी प्रकार हैदराबाद तथा भारत के विभिन्न स्थानों में श्री भाई बंसीलाल जी वकील ने भ्रमण करके जन-जागृति उत्पन्न की तथा लोगों को साहस व उत्साह के साथ संगठित किया। फलतः नवयुवक आगे आये और सत्याग्रह में भाग लेकर जेल गये।

'सत्याग्रह रक्षा-समिति' के संचालक लोहपुरुष पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज थे। आपने समस्त भारत का भ्रमण कर जनता एवं कांग्रेसी नेताओं को भी आर्यसमाज के सत्याग्रह से परिचित कराया। आपके कुशल नेतृत्व से आर्य-सत्याग्रह नियन्त्रण में अग्रसर हो सका। आपकी योग्यता और निष्ठा के परिणामस्वरूप सत्याग्रह सफलता को प्राप्त कर सका।

बारह हज़ार सत्याग्रही जेल में

हैदराबाद राज्य में नये सुधारों का मुसलमानों तथा उनके राजनैतिक संगठन 'मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन' की ओर से पूरा विरोध किया गया और इन सुधारों को मुसलमानों के लिए अपर्याप्त, सीमित अपितु हानिकारक सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रदर्शन किये गये। आर्यसमाज के सत्याग्रह से शासन अत्यन्त घबराया हुआ था। पिछले पच्चीस-तीस वर्ष के मध्य राज्य के पुलिस तथा धर्मस्व-विभाग ने हैदराबाद में आर्य-समाजियों पर अत्याचार करके इन्हें मिटा देने का असफल प्रयत्न किया था। जब स्थिति गम्भीर हो गई तो आर्यसमाज ने अन्ततः विवश होकर सत्याग्रह के अहिंसात्मक शस्त्र से शासन को पराजित करने का संकल्प कर लिया। इस समय तक, जबकि सुधारों की घोषणा हुई, बारह हज़ार सत्याग्रहियों से निज़ाम के जेलखाने भर चुके थे। इसके अतिरिक्त दो हज़ार सत्याग्रही श्री पंडित विनायकराव विद्यालंकार के नेतृत्व में सत्याग्रह करने की प्रतीक्षा में थे।

ब्रिटिश संसद् में

ब्रिटिश संसद् में 'हैदराबाद आर्य सत्याग्रह' से सम्बन्धित प्रश्न किये गए और लन्दन में 'हैदराबाद सिविल लिबर्टीज़ कमेटी' स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष श्री सुब्बाराव तथा मन्त्री श्री पी० डी० थामनकर थे। यह कमेटी हैदराबाद की नागरिक स्वतन्त्रताओं के लिए संघर्ष करती रही और प्रसिद्ध समाचारपत्र 'मानचेस्टर गार्जियन' ने भी आर्य-सत्याग्रह के प्रति रुचि व्यक्त की। कर्नल वेजुडवेन ने संसद् में यह प्रश्न उठाया कि हैदराबाद राज्य में सामाजिक स्वतन्त्रताओं पर क्या प्रतिबन्ध है तथा कितने सत्याग्रहियों को अब तक पकड़ा गया है? २६ जून को भारत-मन्त्री ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया जो एकदम मिथ्यापूर्ण था। इस सम्बन्ध में 'सार्वदेशिक सभा' ने भारत-मन्त्री लॉर्ड जेटलैण्ड तथा कर्नल वेजुडवेन को समुद्री तार द्वारा आर्य-सत्याग्रह तथा निज़ाम-सरकार

की पाबन्दियों से सम्बन्धित सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। ११ जुलाई १९३९ को श्री डी० आर० ग्रेनफ़ोल ने संसद् में सरकार से इस बात की माँग की कि हैदराबाद की स्थिति की खुली जाँच कराई जाय। किन्तु, भारत-मन्त्री ने ऐसी कोई कार्यवाही करने की माँग को अस्वीकार कर दिया। हैदराबाद के आर्य-सत्याग्रह से सम्बन्धित बहुत-सी बातें यूरोप तक पहुंच गई। भारत की विभिन्न जातियों के कुछ नेतागण एवं कई राष्ट्रवादी समाचारपत्रों ने निज़ाम के शासन के पक्षपात तथा उसकी साम्प्रदायिकता का उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि वर्तमान उन्नति के युग में धार्मिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताओं पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता तथा इन स्वतन्त्रताओं को प्राप्त करने के लिए आर्यसमाज सत्याग्रह का जो आन्दोलन चला रहा है, वह सर्वथा उचित है।

सत्याग्रह का प्रभाव 'मजलिस' पर

आर्यसमाज के सत्याग्रह से जहाँ निज़ाम-सरकार को चिन्तित होना पड़ा, वहाँ 'मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन' पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सुधारों को लागू करने का विरोध इसलिए किया गया जिससे कि 'मजलिस' को पहले की तरह आर्यसमाज को पीछे करके इस्लामी तबलीग़ (प्रचार) का अवसर प्राप्त हो सके। उन्हें इस बात का भय था कि धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताओं के साथ हिन्दुओं को अपने उचित अधिकारों तथा ध्येय की सुरक्षा के लिए सुविधाएँ प्राप्त हो जायेंगी। इन सुधारों के विरोध में 'मजलिस' तथा मुस्लिम पत्रों ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया और उनका निरन्तर प्रयत्न यही रहा कि आर्यसमाज को उसके मूलभूत अधिकार प्राप्त न हो सकें। निज़ाम-सरकार स्वयं यह नहीं चाहती थी कि आर्यसमाज को आगे बढ़ने का अवसर मिले, पर सत्याग्रह की शक्ति व प्रभाव से वह विवश हो चुकी थी और उसके लिए अब कोई चारा नहीं रह गया था। इसलिए उसे 'मजलिस' तथा मुसलमानों के विरोध को रद्द कर देना पड़ा। सत्याग्रह

के बारे में पहले-पहल निज़ाम-सरकार तथा 'मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन' का यह विचार था कि इसे शक्ति तथा दबाव से विफल बनाया जा सकता है। इसलिए पुलिस की ओर से सत्याग्रह के बीच सत्याग्रहियों को भड़काने तथा उन्हें हिंसा पर उभारने का प्रयत्न किया जाता रहा जिससे कि अहिंसा की इस लड़ाई पर एक ज़बर्दस्त चोट लगाई जाय; किन्तु 'सार्वदेशिक सभा' ने सत्याग्रहियों को मनसा-वाचा-कर्मणा अहिंसा तथा सत्य को अपनाने का जो आदेश दिया था, उसका सत्याग्रहियों ने बहुत अच्छे ढंग से पालन किया।

यहाँ एक विशेष बात उल्लेखनीय है कि श्रीमती सुचेता जी ने महात्मा गांधी से कहा कि आर्यसमाज का जो सत्याग्रह चल रहा है, वह पूर्ण शान्तिमय नहीं है, उसमें हिंसा की मात्रा भी है। महात्मा गांधी जी से जब श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त मिलने गये तो उनसे गांधी जी ने उक्त बात की चर्चा की। गुप्त जी ने महात्मा जी से कुछ इस प्रकार कहा, "महात्मा जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्त्ता हूँ और आर्यसमाज का भी। कांग्रेसी होते हुए और कांग्रेस-सम्बन्धी सत्याग्रह करते हुए मैंने यह स्पष्ट अनुभव किया है कि आर्यसमाज का यह सत्याग्रह कांग्रेस के उन सत्याग्रहों से कई गुणा शान्तिमय है।...मैंने कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किये जिससे मेरा कथन महात्मा जी को ठीक लगने लगा। मेरे कथन से महात्मा जी को पूर्ण सन्तोष हो गया और उन्होंने हमारे सत्याग्रह को अपना आशीर्वाद दिया।"

सत्याग्रहियों का बलिदान

सत्याग्रही बन्दियों के साथ जेलों में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उसका परिणाम यह निकला कि सत्याग्रह की समाप्ति तक अनेक सत्याग्रही जेल के अत्याचारों से शहीद हो गए जिनमें से निम्नांकित नाम उल्लेखनीय हैं—

(१) पंडित श्यामलाल जी, (२) श्री स्वामी सत्यानन्द जी,
(३) श्री परमानन्द जी, (४) श्री विष्णुभगवन्त निन्दलीकर,

श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त
आर्य सत्याग्रह हैदराबाद समिति के प्रधान

(५) श्री छोटेलाल जी, (६) श्री नाथूमल जी,
(७) श्री माधवराव जी, (८) श्रीपांडुरंग जी,
(९) श्री सुनहरासिंह जी, (१०) महाशय फ़क़ीरचन्द जी,
(११) श्री मलखानसिंह जी, (१२) स्वामी कल्याणानन्द जी,
(१३) श्री शांतिप्रकाश जी, (१४) श्री वदनसिंह जी,
(१५) श्री ताराचन्द्र जी, (१६) श्री अशर्फ़ीप्रसाद जी,
(१७) ब्रह्मचारी रामनाथ जी, (१८) श्री सदाशिव फाटक जी,
(१९) श्री गोविन्दराव जी, (२०) श्रीमान् राम जी,
(२१) श्री रतीराम जी, (२२) श्री रोड़ामल जी,
(२३) श्री पुरुषोत्तम जी ज्ञानी (२४) श्री वेंकटराव जी

'सार्वदेशिक सभा' की कार्यकारिणी की बैठक

'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' की कार्यकारिणी की बैठक २४-२५ जुलाई १९३९ को नागपुर में हुई जिसमें हैदराबाद राज्य में किये गए सुधारों तथा उससे सम्बन्धित आर्यसमाज की जिन माँगों की पूर्ति हो रही थी, उनपर विचार-विनिमय किया गया। निज़ाम-शासन ने जिन सुधारों द्वारा धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं की घोषणा की थी, वह आर्यसमाज की दृष्टि में कुछ दोषपूर्ण थी।

जब 'सार्वदेशिक सभा' के नेताओं ने सर अकबर हैदरी से तार द्वारा लिखा-पढ़ी की तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से परामर्श करना भी ज़रूरी समझा, जो आर्य-सत्याग्रह की पवित्रता को मान चुके थे। महात्मा जी इस समय उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती प्रान्त की यात्रा पर थे, इसलिए 'आर्य प्रतिनिधि सभा' के प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त तथा लाला देशबन्धु जी गुप्त को पश्चिमी-सीमाप्रान्त जाना पड़ा। महात्मा गांधी आर्यसमाज के संघर्ष की सफलता पर प्रसन्न थे। जब उनके सम्मुख यह समस्या रखी गई कि निज़ाम-सरकार कुछ बातों को विस्तारपूर्वक व्यक्त करने में आनाकानी कर रही है तो आपने कहा कि

सम्बन्धित बातें पूरी तरह स्पष्ट हो जानी चाहिएँ जिससे कि जिन लोगों ने सत्याग्रह कर आन्दोलन को चलाया है, उन्हें समाधान व सन्तोष हो जाय। महात्मा जी ने सभा की इस माँग का समर्थन करते हुए सर अकबर हैदरी के नाम एक तार भेजा। आर्यसमाज की ओर से जिन माँगों की ओर निज़ाम का ध्यान आकर्षित किया गया, वे निम्नांकित हैं :

१. आर्यसमाज के मन्दिरों, हवनकुण्डों तथा यज्ञशालाओं का निर्माण-कार्य राज्य-सरकार की स्वीकृति के आधीन न रहे।

२. राज्य के बाहर के आर्यसमाजी प्रचारकों को राज्य में प्रवेश करने तथा धर्म-प्रचार करने से रोका न जाय।

३. आर्यसमाज के धार्मिक तथा सांस्कृतिक भाषणों पर कोई प्रतिबन्ध न रहे।

४. जिन आर्यसमाजियों पर केस चल रहे हैं, उन्हें उठा लिया जाय और जो बन्दी हैं उन्हें छोड़ दिया जाय।

५. आर्यसमाज के साहित्य को ज़ब्त न किया जाय।

६. आर्यसमाजी विद्वानों तथा प्रचारकों पर जो प्रतिबन्ध हैं, उठा लिये जायँ।

७. आर्यसमाज के सभी जलसों तथा जुलूसों के लिए पूरी स्वतन्त्रता रहे।

८. धर्मस्व-विभाग को या तो समाप्त कर दिया जाय या वह फिर आर्यसमाजियों से सम्बन्धित न रहे।

९. आर्यसमाजी शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अपने ढंग से काम करने की पूरी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

१०. आर्यसमाज की ओर से हिन्दी तथा संस्कृत के प्रचार पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय।

शासन को झुकना पड़ा

हैदराबाद-सत्याग्रह में आर्य जनता का लगभग दस लाख रुपया व्यय हुआ। इस पूरी राशि को श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त हैदराबाद-

शासन से वसूल करना चाहते थे। वे सर अकबर हैदरी, जो तत्कालीन निज़ाम-शासन के मुख्यमन्त्री थे, उनसे स्वयं इस विषय में बात नहीं करना चाहते थे। शासन ने कुछ भी रक़म देना अस्वीकार कर दिया था।

श्री गुप्त जी दिनांक २४, २५ और २६-६-३६ को महात्मा गांधी से मिले और उन्हें सारी बातें बतलाईं, जिससे गांधी जी पूर्णतः सन्तुष्ट हुए। महात्मा जी ने एक पत्र सर अकबर हैदरी को दिया अथवा टेलीफ़ोन पर कहा कि दस-पन्द्रह लाख रुपये देने में हैदराबाद के हिज़ एक्सीलेंसी हाईनेस (निज़ाम) कुछ ग़रीब नहीं हो जायेंगे, जबकि आर्यसमाज के पास इतनी बड़ी रक़म खर्च करने की शक्ति नहीं है। महात्मा जी ने पर्याप्त कड़े शब्दों में यह बात कही थी। परिणामतः, हैदराबाद-शासन को झुकना पड़ा और उसने लगभग पन्द्रह लाख रुपया आर्यसमाज को दिया। इस राशि से न केवल सत्याग्रहियों के आने-जाने का खर्च ही पूरा हुआ, अपितु उनके व्यवसाय में जो हानि हुई उसका भी उन्हें आंशिक हर्जाना मिला।

सर अकबर हैदरी से बातचीत

भारत के प्रसिद्ध राजनैतिक नेता श्री देशबन्धु गुप्त हैदराबाद राज्य-सरकार से बातचीत करने के लिए हैदराबाद आये क्योंकि 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' का आग्रह था कि हैदराबाद के आर्य-समाजियों की माँगों को सुधारों द्वारा पूर्ण करने के जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, इस क्रम में कुछ बातों का विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण होना चाहिए। श्री देशबन्धु जी ने प्रधानमन्त्री सर अकबर हैदरी से विस्तार-पूर्वक बातचीत की। इस अवसर पर राजनैतिक विभाग के मन्त्री नवाब मेंहदीयारजंग, पुलिस-विभाग के मन्त्री श्री टासकर, गृहमन्त्रालय के सचिव नवाब अलीयावरजंग तथा डायरेक्टर-जनरल पुलिस श्री क्राफ़्टन भी उपस्थित थे। इस समझौते की बातचीत के फलस्वरूप सारी बातों पर प्रकाश डाला गया तथा निज़ाम-सरकार इस बात पर तैयार हो गई कि वह सभी सत्याग्रहियों तथा दूसरे आर्यबन्दियों को मुक्त कर देगी;

उनके जुर्माने मुआफ़ कर दिये जायेंगे; ज़ब्त की हुई सम्पत्ति लौटा दी जायेगी; जिन्हें नौकरियों से विलग कर दिया गया है, पुनः उन्हें सेवा-कार्य में ले लिया जायेगा।

एक नई रुकावट

मुझे 'मनानूर' में बन्द रखे रहने पर निज़ाम-सरकार का विशेष आग्रह था और मेरी मुक्ति का प्रश्न इस समझौते में बाधा उपस्थित करने का एक कारण बन गया। श्री देशबन्धु जी गुप्त ने श्री घनश्याम-सिंह जी गुप्त को इस रुकावट की सूचना दी और 'सार्वदेशिक सभा' ने सोच-विचार के बाद श्री देशबन्धु जी गुप्त को सूचित किया कि "यदि पंडित नरेन्द्र जी को नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर निज़ाम-सरकार से कोई समझौता नहीं होगा। पंडित जी की रिहाई हमारे लिए महत्त्व रखती है, अन्यथा सत्याग्रह पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा।" निज़ाम-सरकार ने अन्ततः इस बात का विश्वास दिलाया कि नरेन्द्र जी को तीन महीने के भीतर छोड़ दिया जायेगा।

श्री देशबन्धु गुप्त जब आर्यसमाज के प्रतिनिधि बनकर नागपुर से यहाँ चल रहे विशाल सत्याग्रह के बारे में समझौता कराने हैदराबाद आये तो कुछ बातों पर सरकार से मतभेद उत्पन्न हो गया। मुझे छोड़ने के प्रश्न पर निज़ाम-सरकार के राज़ी न होने के कारण बातचीत इतनी लम्बी चली कि वापसी पर ट्रेन को दो घण्टे तक रोके रखा गया। इसी ट्रेन से गुप्त जी को नागपुर में हो रही 'ऐक्शन कमेटी' में समझौते के अंतिम निर्णय के लिए सम्मिलित होना ज़रूरी था। इस कमेटी की बैठक श्री एम० एस० अणे जी की अध्यक्षता में हुई। रेल का इस प्रकार का रुका रहना हैदराबाद के इतिहास में अपने ढंग की एक अनोखी घटना है।

शासन के लिए

आर्यसमाज की जब सभी माँगें पूरी हो गईं तो सत्याग्रह का विशाल आन्दोलन अपनी अपूर्व सफलता के साथ सम्पन्न हो गया।

स्व० लौहपुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द
संचालक आर्य सत्याग्रह हैदराबाद

सत्याग्रह की सफलता निज़ाम-जैसे फ़ासिस्ट शासन के लिए एक मुँहतोड़ उत्तर से कम न था। कोई शासन, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपनी हिंसा व बल के आधार पर जनता के उचित अधिकारों व हितों को रौंद नहीं सकता, क्योंकि जब जन-चेतना जाग उठती है और उसमें अपने अधिकारों की सुरक्षा की शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो अत्याचारी-से-अत्याचारी शासन को उसके आगे अपना मस्तक झुका देना पड़ता है। इस सत्याग्रह से निज़ाम-सरकार को यह शिक्षा अवश्य मिली थी, किन्तु खेद है कि उसने आगे चलकर पुनः पूर्ववत् अपनी भूल की पुनरावृत्ति की।

मनानूर से मुक्ति

श्री देशबन्धु जी गुप्त को निज़ाम-सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि वह तीन महीने के भीतर मुझे छोड़ देगी, किन्तु जब यह समय भी बीत गया और प्रश्न खटाई में पड़ता दिखाई दिया तो श्री घनश्याम-सिंह जी गुप्त ने पुनः इस दिशा में प्रयत्न आरम्भ कर दिया और 'गुरुकुल कांगड़ी' के आचार्य श्री अभयदेव जी शर्मा विद्यालंकार को, जो योगिराज अरविन्द घोष से पर्याप्त प्रभावित थे, हैदराबाद भेजा गया। उन्होंने सर अकबर हैदरी से बातचीत की। आपने महात्मा गांधी का एक पत्र भी सर अकबर को दिया। श्री अभयदेव जी शर्मा तथा श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि अन्ततः निज़ाम को एक फ़रमान (शाही आदेश) प्रकाशित करके मुझे मनानूर के बन्दी-गृह से छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी और मैं एक वर्ष चार महीने के बाद मनानूर से मुक्त होकर हैदराबाद लौट सका। १९३९ का विशाल सत्याग्रह केवल इसी कारण समाप्त किया गया था कि निज़ाम-सरकार ने आर्यसमाज की माँगें स्वीकार कर ली हैं और राज्य की जनता के लिए धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक सुधारों की भी घोषणा कर दी गई है।

निज़ाम-सरकार ने आर्यसमाज के साथ जो समझौता किया था,

उससे भारत के सभी आर्य तथा हिन्दू क्षेत्रों में एक तरह से प्रफुल्लता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। जनता का यह विश्वास था कि अब हैदराबाद राज्य में स्थिति सामान्य हो जायगी और आर्यसमाजियों तथा हिन्दुओं को अपने धार्मिक व सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी, किन्तु यह एक दुःखद घटना है कि निज़ाम-सरकार ने एक घटिया श्रेणी के खिलाड़ी की तरह सबको धोखा देने का प्रयत्न किया तथा समझौते की सारी नैतिक भावनाओं को रद्द करते हुए कुछ समय पश्चात् पुनः अत्याचार व हिंसा का क्रम आरम्भ कर दिया।

षष्ठ चरण

कर्त्तव्य की पुकार

सत्याग्रह के बाद १९४० से 'आर्य प्रतिनिधि सभा' अपना रचनात्मक कार्यक्रम पूरी शान्ति के साथ आरम्भ कर देने का विचार रखती थी, किन्तु निज़ाम-सरकार की शरारतों के कारण यह सम्भव न हो सका। फिर भी, 'सभा' ने इस वर्ष 'केशव मैमोरियल हाईस्कूल' की नींव रख दी जिसका पिछले पृष्ठों में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

जनगणना-आन्दोलन

राज्य में जनगणना का कार्य आरम्भ हुआ तो 'सभा' की ओर से पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी को यह भार सौंपा गया कि वह जनगणना करनेवालों को न्याय तथा सत्य से कार्य सम्पन्न करने का परामर्श दें, किन्तु उनके प्रयत्न सफल न हो सके क्योंकि गणना करनेवाले पक्षपात से काम ले रहे थे। सम्भवतः इसका कारण यह था कि उन्हें निज़ाम-सरकार की ओर से हिन्दुओं तथा आर्यसमाजियों की संख्या घटाकर लिखने की गुप्त रूप से आज्ञा मिल चुकी थी। इस आन्दोलन में जब 'सभा' को जनगणना-सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिली तो उसने सरकार के समक्ष जनगणना के दोष एवं भूलों से सम्बन्धित एक विवरण प्रस्तुत कर जनगणना के कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया। 'सभा' की ओर से पंडित दत्तात्रेयप्रसाद जी आर्यों की जनगणना के लिए नियुक्त किये गये। उन्होंने अपने साथियों को लेकर बड़े परिश्रम से काम किया, फलतः चालीस हज़ार आर्यों की गणना की जा सकी। १९४१ में पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार को सभा का

अध्यक्ष तथा मुझे मन्त्री बनाया गया । 'आर्य प्रतिनिधि सभा' का कार्यालय अब तक 'शान्तिकुंज बेगमपेठ' में था किन्तु कार्य की बढ़ती हुई गति तथा कार्यकर्त्ताओं को यथासम्भव सुविधाएँ पहुंचाने के लिए केन्द्रीय कार्यालय को 'सुलतान बाज़ार' के भवन में स्थानान्तरित किया गया ।

अत्याचारों का द्वितीय क्रम

निज़ाम-राज्य की पुलिस पुनः शरारत पर उतर आई । वह आर्यसमाजियों पर अत्याचारों के अवसर ढूंढने लगी । संकटों के एक नये क्रम से आर्यसमाज को आगे बढ़ना पड़ा, किन्तु वह अपनी शान्तिपूर्ण नीति से कार्य को फिर भी करता रहा । २० जून १९४१ को दामरगिद्दा के आर्यसमाजियों को पुलिस ने एक नोटिस दिया कि उन्होंने जो 'ओ३म्' का झण्डा लहराया है, पुनः भविष्य में न लहराया जाय । यह प्रतिबन्ध धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के बराबर था, पर निज़ाम-सरकार की पुलिस को इसकी क्या परवा थी ? पक्षपात का यह रूप सहन नहीं किया जा सकता था । 'अन्धेरी' में श्री शंकरराव जी को पटेल के कार्य से केवल इस कारण अलग कर दिया गया कि वे आर्यसमाजी थे । 'जालना' के श्री माँगीलाल जी का चालान कर दिया गया और केवल इसलिए कि उन्होंने जनगणना के अवसर पर इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया था कि वे अपने को आर्यसमाजी लिखाएँ ।

आर्यसमाज की इस विशेषता का सभी को आरम्भ से ही ज्ञान रहा है कि जब-जब जनता पर आपत्ति आई है, उसने आगे बढ़कर पूरे उत्साह व प्रेम के साथ यथासम्भव उनका हाथ बँटाने का प्रयत्न किया है ।

कोतलापुर की यात्रा

३० मई १९४१ को कोतलापुर (ताण्डूर) में यात्रा हुई । मन्दिर के सामने जो कुआँ था, उसका जल पी-पीकर यात्री हैज़े के शिकार हुए । लोग धड़ाधड़ मरने लगे । इस दुःखद स्थिति का पता लगते ही मैं और स्वामी अभयानन्द जी 'हैदराबाद आर्य प्रतिनिधि सभा' की ओर से

कोतलापुर पहुंचे तथा ओषधियों एवं सहायता का कैम्प खोलकर एक महीने तक रोगियों की सेवा करते रहे। 'बम्बई आर्यसमाज' की ओर से दो डॉक्टर और दो कम्पाउँडर १४ जून को कोतलापुर पहुँचे। 'गुलबर्गा आर्यसमाज' की ओर से भी सेवादल के कार्यकर्त्ता तथा कई आर्यसमाजी भाई इसमें सहयोग देते रहे। इस रोग से लगभग तीन हज़ार व्यक्ति मरे। यदि समय हर ओषधि तथा अन्य सहायता न मिलती तो स्थिति अधिक दयनीय हो जाती।

रोहेले कातिलों के वेष में

उमरी में श्री गंगाराम जी और श्री गणपतराव जी आर्यसमाज का प्रचार बड़ी लगन से कर रहे थे, पर यह कार्य स्थानीय मुसलमानों को अखरने लगा। मुस्लिम गुण्डों ने जो शरारतें आरम्भ कर रखी थीं, उन पर मुस्लिम शासन ने अपने स्वभाव के कारण ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि रोहेलों ने लूट-मार का षड्यन्त्र रचकर २३ सितंबर को श्री गंगाराम जी तथा श्री गणपतराव जी की हत्या कर दी। ४ जून को 'अलन्द पायगाह' के नये आर्यसमाज को समाप्त कराने का प्रयत्न किया गया और ३ सितम्बर को मार्ड़ी के १४ आर्यसमाजियों का पुलिस ने इसलिए चालान कर दिया क्योंकि वे आर्यसमाज के प्रचार के कार्य में व्यस्त थे। श्री गणपतराव जी मार्ड़ीकर पर मिथ्यारोप लगाकर उन्हें नजरबन्द किया गया। तालुका अहमदपुर के चाकूर गाँव की एक निजी आर्यसमाजी पाठशाला बन्द कर दी गई। चाकूर के आर्यसमाजियों का इस आरोप में चालान किया गया कि उन्होंने विजयादशमी के पुनीत अवसर पर जुलूस निकाला था। यह जुलूस पिछले कई वर्षों से निकल रहा था।

पुलिस ने कुछ ज़िलों में पुनः आर्यसमाजी सभाओं तथा जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके विरुद्ध 'आर्य प्रतिनिधि सभा' को निज़ाम-सरकार से पुनः अपना विरोध प्रकट करना पड़ा, किन्तु सरकार ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया और चुप्पी साध ली।

'मजलिस' की ओर से विषैला प्रचार

आर्यसमाजी, जो शान्तिपूर्ण ढंग से अपने प्रचार में व्यस्त रहते थे, उनपर बिना किसी कारण के भड़काने का आरोप लगाया जाता था। जो मुसलमान प्रतिकूल तथा भड़कानेवाली बात कहते थे, उनके विरुद्ध न पुलिस कोई कार्यवाही करती थी और न निज़ाम-सरकार कोई ध्यान देती थी। 'मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन' के अध्यक्ष बहादुरयारजंग अपने विषैले भाषणों से हिन्दुओं तथा आर्यसमाजियों के विरुद्ध घृणा फैला रहे थे। राज्य के मुस्लिम समाचारपत्र आर्यसमाज पर प्रत्यक्ष आक्रमण कर रहे थे, पर सरकार को इतना भी साहस न हो सका कि वह उन्हें टोके। भारत के 'प्रकाश', 'मिलाप', 'आर्य गज़ट' तथा 'आर्यवीर' जैसे आर्यसमाजी पत्रों के हैदराबाद में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

'ओ३म्' के झण्डों तथा हवनकुण्डों के विरुद्ध पुलिस पुनः कार्यवाही करने लगी। इसी वर्ष तहसीलदार साकोल (तालुका निलंगा) ने आर्यसमाजियों के नाम एक नोटिस जारी किया कि सरकार की अनुमति के बिना हवनकुण्डों का निर्माण कानून के विरुद्ध है। नारायणपेठ में पुलिस ने श्री साम्बामूर्ति जी को नोटिस दिया कि वह आर्यसमाज पर से 'ओ३म्' का झण्डा उतार दें। 'सभा' की ओर से यह निर्णय किया गया कि १९४३ में 'हैदराबाद स्टेट आर्यसम्मेलन' किया जाय। सरकार ने इस सम्मेलन की अनुमति दे दी। यह आर्य-सम्मेलन उदगीर में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार, स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री निवृत्ति रेड्डी वकील अहमदपूरकर तथा मुझे स्वागत-मन्त्री बनाया गया।

उदगीर में आर्यसम्मेलन

१९४२ में प्रधान-पद पर पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार रहे और मुझे पुनः मन्त्री चुना गया। १२, १३, १४ फरवरी को पंडित विनायकराव विद्यालंकार की अध्यक्षता में 'हैदराबाद स्टेट आर्यसम्मेलन'

बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिला-सम्मेलन भी हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती पंडित सुशीलादेवी जी विद्यालंकृता ने की। इसके अतिरिक्त हिन्दी-सम्मेलन भी हुआ। उदगीर में सम्मेलन के लिए जो छोटा-सा नगर बनाया गया था उसका नाम 'श्यामलाल नगर' रखा गया। बड़ी-बड़ी कमानें बनाई गईं और उनके नाम 'दयानन्द द्वार', 'केशवराव द्वार' आदि रखे गए। 'श्यामलाल नगर' में जो चार बाज़ार थे, वे आर्यसमाजी शहीदों श्री वेदप्रकाश, श्री धर्मप्रकाश, श्री राधाकृष्ण तथा श्री महादेव के नाम पर रखे गए। सम्मेलन में लगभग २६ प्रस्ताव पास किये गए जो आर्यसमाजियों की समस्याओं से गहरा सम्बन्ध रखते थे। इनमें से कुछ प्रस्तावों में सरकार से विरोध प्रकट किया गया कि आर्यसमाज के मार्ग में रुकावटें व कठिनाइयाँ उत्पन्न करके निज़ाम-सरकार १९३९ के समझौते के विरुद्ध चल रही है। निज़ाम-सरकार से अनुरोध किया गया कि आर्यसमाज को जो वचन दिये गए हैं, उन पर वह कायम रहे और पुलिस के शोषण को रोकने का प्रयत्न करे क्योंकि पुलिस पुनः चारों ओर सिर उठाने लगी है; सरकारी कर्मचारियों के हिंसा के परिणामस्वरूप आर्यसमाजियों में जो बेचैनी फैल रही है, उससे आगे चलकर अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन प्रस्तावों को निज़ाम-सरकार के पास भेजा गया, किन्तु सरकार ने अपनी नीति पर पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी।

औरादशाहजहानी में दंगा

बीदर की तरह औरादशाहजहानी में दंगे और आगज़नी की एक दुःखद घटना घटी। इसके अन्तर्गत हिन्दुओं एवं आर्यसमाजियों को बहुत हानि उठानी पड़ी। होली के दिन कुछ मुस्लिम गुण्डों ने षड्यन्त्र रच रखा था। नमाज़े-जुम्मा के बाद आग लगाने और लूट-मार करने की धमकियों को सक्रिय रूप देने के लिए बाज़ार में फ़ायरिंग आरम्भ कर दी गई। इस फ़ायरिंग में वेंकटराव नामक एक व्यक्ति मारा गया और चारों ओर घबराहट फैल गई। जब बाज़ार बन्द हो गया तो हिन्दुओं

की दुकानों पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। औरादशाहजहानी में आग लगाने तथा दंगा करने की घटना इतनी दुःखदायी थी कि इसकी चर्चा दूर-दूर तक फैल गई। स्थिति का निरीक्षण करने के लिए स्वामी रामानन्दजी तीर्थ, शेषराव जी वाघमारे वकील के साथ मैं औराद पहुँचा। महात्मा गांधी जी ने मेरे नाम एक पत्र में संकटग्रस्तों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए ५०० रुपये भी भेजे। इसके अतिरिक्त 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' की ओर से दो हज़ार रुपये औरादशाहजहानी के आपद्ग्रस्तों की सहायता के लिए भेजे गए। परन्तु इस घटना में आक्रमणकारियों की उपेक्षा करके श्री देशबन्धु जी, श्री श्रीनिवासराव जी और तुलजाराम जी को पकड़कर चालान किया गया। श्री देशबन्धु जी को सात वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड मिला और उन्हें वहाँ अनेक प्रकार की यातनाएँ दी गईं। हैदराबाद में शान्ति स्थापित करने के विचार से प्रधानमन्त्री सर मिर्ज़ा इस्माईल ने चार वर्ष के दण्ड के पश्चात् उन्हें कारावास से मुक्त किया। अनेक संकटों व विषमताओं के उपस्थित होने पर भी आप कभी धैर्य से च्युत नहीं हुए, सदा एक कुशल व साहसी सेनानी के रूप में आगे ही बढ़ते रहे।

हुमनाबाद में चार हत्याएँ

हुमनाबाद में जुलूस के अवसर पर ३ मार्च को आक्रमण किया गया। 'इत्तेहादुल मुसलमीन' के कुछ शरारती सदस्यों ने आर्यसमाजियों पर आक्रमण कर दिया जिसके कारण एक नवयुवक आर्यसमाजी श्री शिवचन्द्र जी तथा उनके चार साथी श्री लक्ष्मण जी, श्री नरसिंहराव जी और श्री राव शहीद हो गए। श्री शिवचन्द्र जी लिंगायत-मत से सम्बन्ध रखते थे। उन्होंने मेरे एक भाषण से प्रभावित होकर वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एक सच्चे धर्म-प्रचारक के रूप में रात-दिन वैदिक धर्म के प्रचार में रत रहे। शिवचन्द्र जी ने वैदिक धर्म के शत्रुओं का जिस निडरता, साहस तथा उत्साह के साथ सामना करते हुए आर्यसमाज की सेवा की है, उसे भुलाया नहीं जा

सकता। उनके बलिदान से मुझे जो दुःख हुआ, उसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है।

चिचोली और गुंजोटी में वार्षिकोत्सवों की अनुमति नहीं दी गई थी। विजयदशमी के जुलूस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। १० दिसम्बर १९४२ को गुलबर्गा में गोदामों तथा बाज़ार को लूटकर मुस्लिम गुण्डों ने आग लगा दी जिसके कारण हिन्दू व्यापारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी। नागर कर्नूल में श्री बाबास्वामी और श्री साम्बामूर्ति पर आक्रमण किये गए। इस घटना की जाँच के लिए मैं नागर कर्नूल पहुँचा और एक व्यापारी के घर पर ठहरा। आवश्यक पूछताछ के लिए मैंने वहाँ दो दिन बिताये। पहले दिन रात के समय उस घर को अरबों तथा अन्य गुण्डों ने घेर लिया। इस घटना के अवसर पर 'आर्यसमाज महबूब-नगर' के अध्यक्ष श्री के० सिद्धलिंगप्पा तथा श्री कनके मालप्पा जी मेरे साथ थे। आक्रमणकारी कई घंटों तक मुझे मार देने की योजना बनाते रहे, पर उन्हें सफलता न मिल सकी। मैं दूसरे दिन हैदराबाद लौट आया।

हिंगोली में गंगावीर जी पर गुण्डों ने आक्रमण किया, किन्तु आक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के स्थान उलटा छः आर्य-समाजियों का चालान कर दिया गया। जोगीपेठ, मनीरखेड़ा तथा अन्य स्थानों पर विभिन्न बहानों के माध्यम से आर्यसमाजियों को सताने और डराने के प्रयत्न किये जाते रहे। मुस्लिम गुण्डों के इन आक्रमणों तथा पुलिस के अत्याचारों की निज़ाम-सरकार को पूरी जानकारी थी, किन्तु उसे कभी कोई कार्यवाही करने का साहस नहीं होता था। विपरीत इसके, 'समाज' के मार्ग में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित करके इसे मिटा देने की चिन्ता में वह लगी रहती थी।

निज़ामाबाद में दूसरा आर्यसम्मेलन

'हैदराबाद स्टेट आर्यसम्मेलन' का दूसरा अधिवेशन सन् १९४३ में २२, २३, २४ एप्रिल को निज़ामाबाद में हुआ। इस सभा के अध्यक्ष

श्री गणपतराव जी शास्त्री बी० ए० एल० एल० बी० और स्वागताध्यक्ष श्री मानिक रेड्डी जी थे। मुझे स्वागतमन्त्री चुना गया। सम्मेलन के अवसर पर जो नगर बसाया गया, उसका नाम 'राधाकृष्णनगर' रखा गया और उसके मुख्यद्वार का नाम 'श्रद्धानन्द द्वार' रखा गया था। सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण भाषण हुए और कई प्रस्ताव स्वीकृत किये गए। एक प्रस्ताव में तीन वर्ष की योजना बनाई गई जिसके द्वारा सौ पाठशालाओं की स्थापना तथा पच्चीस हज़ार स्वयंसेवकों को भर्ती करने का कार्यक्रम बनाया गया।

निज़ामाबाद के इस सम्मेलन में एक महिला-सम्मेलन भी हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती विद्यावती जी (धर्मपत्नी भाई बन्सीलाल जी) ने की तथा महिलाओं की कई समस्याओं पर सम्मेलन में प्रकाश डाला गया। आर्य-सम्मेलन के कुछ समय बाद पंडित दत्तात्रेयप्रसाद पर भड़काने-वाले भाषण करने का आरोप लगाकर केस चलाया गया। निज़ाम-सरकार ने पंडित बन्सीलाल जी व्यास, मुख्याधिष्ठाता 'गुरुकुल घटकेश्वर' को वीर हक़ीक़तराय का चित्र मैजिक लेण्टर्न द्वारा आर्यों को दिखाने के आरोप में साढ़े छः मास का कठोर कारावास-दण्ड दिया। इधर निज़ाम की पुलिस मेरी ताक में लगी हुई थी। 'आर्यसमाज, गुलबर्गा' के वार्षिकोत्सव में मैंने जो भाषण दिया था, उसको बहाना बनाकर मुझपर केस चलाया गया और मुझे भी एक वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड तथा ५०० रुपया जुर्माना किया गया।

नारायणपेठ में तीसरा आर्यसम्मेलन

१९४४ में भी आर्यसम्मेलन हुआ। अब की बार ज़िला महबूबनगर के एक व्यापारी केन्द्र नारायणपेठ को चुना गया। तीसरे आर्यसम्मेलन की अध्यक्षता श्री राय सूरजचन्द जी भूतपूर्व सेशन जज ने की। स्वागत-समिति की अध्यक्षता के लिए श्री रामचन्द्रराव जी कल्याणी तथा मन्त्रि-पद के लिए मुझे चुना गया। हैदराबाद राज्य के प्रसिद्ध गण्यमान्य आर्यसमाजी नेता स्वर्गीय पंडित केशवराव जी के नाम पर सम्मेलन के

नगर का नाम 'केशव नगर' रखा गया। आर्यसम्मेलन का यह अधिवेशन तीन दिन तक जारी रहा और कई रचनात्मक मूल समस्याओं पर भाषण दिये गये। इनमें कई प्रस्ताव पास किये गये तथा निज़ाम-सरकार को पुनः ध्यान दिलाया गया कि वह अपनी पक्षपात व अत्याचार की नीति छोड़कर आर्यसमाज के साथ न्याय करे।

'सत्यार्थप्रकाश' पर सिन्ध प्रान्त में प्रतिबन्ध

सिन्ध प्रान्त की मुस्लिम लीगी सरकार ने 'सत्यार्थप्रकाश' के १४वें समुल्लास को असह्य मानकर इसपर सिन्ध में प्रतिबन्ध लगा दिया था। इस प्रतिबन्ध के विरुद्ध समस्त भारत के आर्यसमाजी क्षेत्रों में बेचैनी व विरोध की एक लहर दौड़ गई और सिन्ध के प्रान्तीय शासन के पक्षपात का सामना करने के लिए आन्दोलन आरम्भ किया गया। स्थान-स्थान पर सभाएँ हुईं तथा जुलूस निकाले गये। इस अखिल भारतीय विरोधी आन्दोलन में 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' ने भी भाग लिया।

निज़ामाबाद में दंगा

इस वर्ष विजयदशमी के अवसर पर निज़ामाबाद में एक साम्प्रदायिक दंगा हो गया। प्रतिनिधि सभा ने निज़ाम-सरकार से इस बात की माँग की कि वह इस दंगे की निष्पक्ष जाँच कराके अपराधियों को कठोर दण्ड दे, किन्तु वह चुप्पी साध गई और कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

उपदेशक विद्यालय की स्थापना

१९४५ में भी पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार सभा के प्रधान और मैं मन्त्री बना रहा। हैदराबाद में एक ऐसे उपदेशक विद्यालय की पुनः आवश्यकता अनुभव की जा रही थी जिसमें आर्यसमाजी प्रचारकों तथा वक्ताओं को शिक्षा दी जा सके। उपदेशक विद्यालय १९४५ में नलगोण्डा में स्थापित हुआ तथा कार्य की सफलता के लिए पंडित भद्रदेव जी, श्री देवैया जी और मैंने हैदराबाद के कई स्थानों में भ्रमण करके

सात हज़ार रुपये चन्दा इकट्ठा किया। इसी वर्ष गुलबर्गा में आर्यसमाज के विरुद्ध सरकार की ओर से पुलिस के अत्याचार बढ़ने लगे। राज्य की पुलिस बहुत दिनों से आर्यसमाजियों को कई प्रकार से सताने का प्रयत्न कर रही थी, फिर भी आर्यों के उत्साह, रचनात्मक व धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अन्तर उपस्थित नहीं हुआ। पुलिस सदा अवसर की ताक में रहती थी और जब कभी अवसर मिलता, आर्यों को सताने में उद्यत रहती थी।

गुलबर्गा में चौथा आर्यसम्मेलन और पुलिस की गुण्डागर्दी

गुलबर्गा में २२, २३, २४ एप्रिल १९४५ को चौथा आर्यसम्मेलन हुआ। इसे एक ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त है क्योंकि इस सम्मेलन में निज़ाम-सरकार की बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता का निडरता के साथ सामना किया गया। यह चौथा आर्य-सम्मेलन राजा नारायणलाल जी पित्ती की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन घनश्यामदास जी गुप्त ने किया।

श्री गुप्त जी को भाषण देने की अनुमति नहीं दी गई। उनका भाषण पढ़कर सुनाया गया। स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण जी पटेल थे और मुझे मन्त्री चुना गया। इस सम्मेलन को येनकेनप्रकारेण असफल बनाने के लिए पुलिस ने नाना षड्यन्त्र रचे थे। इस षड्यन्त्र का मूर्त-रूप दंगे के रूप में प्रकट हुआ। पुलिस ने सर्वप्रथम श्री हीरालाल जी मिश्र, जो सभा-कार्यालय में कार्य करते थे, उन्हें बुरी तरह घायल किया। इसके बाद अधिकारियों से बातचीत करने का ढोंग रचा गया। पंडाल के बाहर बातचीत हो रही थी कि पुलिस ने पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार, श्री गणपतकाशीनाथ जी शास्त्री और मुझपर हिंसक आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के कारण विद्यालंकार जी तथा काशीनाथ जी शास्त्री को भारी चोटें आईं। मेरे सिर पर गहरी चोट लगी और पाँव की हड्डी टूट गई। इसके साथ ही गुलबर्गा-भर में दंगे होने लगे और हिन्दुओं तथा आर्यों की मार-पिटाई शुरू हो गई। दंगे के कारण दूसरे

दिन गुलवर्गा में चारों ओर भय का वातावरण छा गया। सम्मेलन की समाप्ति पर जब सम्मेलन में आये लोग स्टेशन की ओर जाने लगे तो रास्ते में उन्हें स्थान-स्थान पर पीटने का प्रयत्न किया गया। घुड़सवार पुलिस ने पण्डाल में घुसकर लोगों को कुचलना आरम्भ कर दिया। पुलिस की इस भड़कानेवाली नीति से स्थिति और गम्भीर हो गई थी। किन्तु सम्मेलन के अध्यक्ष राजा नारायणलाल जी पित्ती, पंडित बन्सीलाल जी, शेषराव जी वाघमारे एडवोकेट, पंडित गंगाराम जी एडवोकेट, श्री कृष्णदत्त जी एम०ए०, पंडित रुद्रदेव जी तथा अन्य आर्यसमाजी लोगों ने साहस से काम लेकर अधिवेशन के दिन आर्यों का धीरज बँधाये रखने का पूरा प्रयत्न किया और रातभर जागकर स्थिति को नियन्त्रण से बाहर नहीं होने दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सम्मेलन दो दिन तक सफलतापूर्वक चला। दूसरे दिन १२-१ बजे श्री शेषराव जी एडवोकेट, श्री गंगाराम जी, श्री दिगम्बरराव जी लाठकर, श्री अमरसिंह जी, श्री शिवकुमार जी, श्री कृष्णदत्त जी, श्री बाबूप्रसाद जी, पंडित रुद्रदेव जी आदि जंगल के रास्ते निकल पड़े। मुसलमान गुण्डे आर्यों की ताक में थे। उन्होंने इन लोगों का पीछा किया और घेर लिया। गुण्डे इनपर आक्रमण करने की योजना बना ही रहे थे कि श्री गंगाराम जी ने अपनी बन्दूक की नली उनकी ओर घुमाई। फिर क्या था! गुण्डे उल्टे पाँव भाग खड़े हुए।

एक अश्वारोही ने तलवार म्यान से निकालकर जब ललकारा तो श्री कृष्णदत्त जी खुली तलवार की परवा किये बिना उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसे समझाने का प्रयत्न किया। उस समय यदि घुड़सवार का भरपूर हाथ कृष्णदत्त जी पर चल जाता तो उनका बचना मुश्किल था, किन्तु उनके पीछे ही श्री शेषराव जी और श्री गंगाराम जी अपनी कारवीन और बन्दूक घुड़सवार की ओर ताने खड़े थे। यही कारण है कि वह उनपर तलवार न चला सका। यदि घुड़सवार श्री कृष्णदत्त जी पर तलवार चलाता तो निश्चित ही श्री गंगाराम जी की बन्दूक की गोली घुड़सवार को वेधकर निकल जाती और श्री शेषराव जी की

कारबीन आग उगलकर उसको घोड़े-समेत झुलसाकर रख देती।

श्री कृष्णदत्त जी ज्योंही पीछे हटे, श्री शेषराव जी ने जो अब तक लगभग चुप ही थे, गरजकर कहा, "खुदा की क़सम, ज़रा तुम पीछे हट जाओ! मैं इन लोगों की बहादुरी को आज़माना चाहता हूँ। एक को भी यहाँ से ज़िन्दा बचकर जाने न दूंगा!" अब परिस्थिति बदल गई। गुण्डों के हौसले पस्त हो गये। एक-एक करके सभी रफ़ूचक्कर होने लगे। इधर आर्यवीरों ने भी अपनी योजनानुसार जंगल की राह पकड़ी।

गुलबर्गा में पुलिस के इस क्रूर व्यवहार के विरुद्ध सभी ओर से दुःख प्रकट किया गया तथा निज़ाम-सरकार से आग्रह किया गया कि वह अपनी पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करे। इस माँग पर पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया गया, किन्तु जब विरोध बढ़ता दिखाई दिया तो सरकार ने चार कान्स्टेबलों तथा एक सब-इन्स्पेक्टर को नौकरी से पृथक् कर दिया। सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि गुलबर्गा की लज्जाजनक घटना का सारा भार पुलिस पर है।

आर्यसमाजी क्षेत्रों में गुलबर्गा की घटना से शोक व क्रोध की भावना फैली हुई थी। 'आर्यसम्मेलन गुलबर्गा' के अधिवेशन के बाद १९४६ में मुझपर निज़ाम-सरकार ने भाषण करने पर एक वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने की मनाही भी कर दी गई। निज़ाम-सरकार के इस अत्याचार के विरुद्ध 'आर्य प्रतिनिधि सभा' ने एक शक्तिशाली आन्दोलन आरम्भ किया जिसके कारण उसे विवश होकर मुझपर से ८ मास के बाद प्रतिबन्ध उठा लेना पड़ा। जब मैं हैदराबाद नगर में आया तो जनता ने उत्साहपूर्वक हार्दिक अभिनन्दन करके मुझे कृतज्ञ बना दिया।

गुलबर्गा के दंगे में बुरी तरह घायल होने के कारण बहुत दिनों तक मुझे अस्पताल में चिकित्सा करानी पड़ी। चिकित्सा के कारण सभा का कार्यभार श्री कृष्णदत्त जी ने सँभाला।

१९४४ से १९४६ तक श्री कृष्णदत्त जी (वर्तमान प्राचार्य 'हिन्दी आर्ट्स कॉलेज') सभा के मन्त्री रहे और १९४६ से १९५१ तक पंडित

गंगाराम जी एडवोकेट 'सभा' के मन्त्री रहे। इस समय बंगाल के सूखे तथा बिहार के पीड़ितों की सहायता के कार्य को आगे बढ़ाया गया और सभा के रचनात्मक कार्यों की प्रगति के लिए काम चलता रहा तथा समाज के संगठन को दृढ़ बनाने की दिशा में ध्यान दिया गया।

१६४६ के समझौते के फलस्वरूप निज़ाम-सरकार को चाहिए था कि वह भारत के आर्यसमाजी विद्वानों तथा मिशनरियों पर लागू प्रतिबन्ध को उठा लेती, किन्तु वह सभा के निरन्तर ध्यान आकृष्ट कराये जाने पर भी आनाकानी करती रही। जब इस माँग को बार-बार दोहराया गया तो अन्ततः पंडित रामचन्द्र देहलवी, पंडित चन्द्रभानु जी तथा पंडित सतीशचन्द्र जी के आगमन पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया।

पूर्वी बंगाल में साम्प्रदायिकता

पूर्वी बंगाल नवाखली में जहाँ मुस्लिमलीग-मन्त्रिमण्डल काम कर रहा था, एक भयंकर साम्प्रदायिक दंगा हो गया। हिन्दुओं को बड़े स्तर पर मुसलमान बनाने का आन्दोलन आरम्भ किया गया था। जो इस जाल में नहीं फँसते थे, उन्हें मार डालने तथा लूट लेने का प्रयत्न किया जा रहा था।

इस दंगे के कारण समस्त भारत में शोक का वातावरण छा गया और घायलों तथा पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध किया जाने लगा। इस अवसर पर 'हैदराबाद आर्य प्रतिनिधि सभा' की ओर से पच्चीस हज़ार रुपया सहायतार्थ पूर्वी बंगाल नवाखली को भेजा गया और सहायता-कार्यों के लिए पंडित बन्सीलाल जी व्यास और श्री गंगाराम जी को नवाखली भेजा गया, जहाँ उन्होंने कार्यसेवा में तन-मन से भाग लिया। आर्यसमाज के इन अनथक सेवाकार्यों की महात्मा गांधी व ठक्कर बापा ने बड़ी प्रशंसा की।

वरंगल में पाँचवाँ आर्यसम्मेलन

इस वर्ष वरंगल में पाँचवाँ आर्यसम्मेलन बड़े उत्साह के साथ मनाया

गया। निज़ाम-सरकार की पुलिस की करतूतें आर्यों को मिटाने पर तुली हुई थीं। किन्तु पुलिस की हिंसा से आर्यसमाजियों में काम करने की नयी लगन व नयी शक्ति उत्पन्न हो जाती थी। वरंगल का आर्यसम्मेलन पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार की अध्यक्षता में हुआ। श्री कृष्णदत्त जी स्वागत-समिति के मन्त्री थे। श्री चेरुकु कान्तैया जी वकील इसमें स्वागताध्यक्ष थे। राजा रुद्रप्रताप के नाम पर वसाया हुआ नगर लोगों के मन को मुग्ध कर रहा था। यह सम्मेलन पंडित कृष्णदत्त जी तथा वरंगल के आर्यसमाजी कार्यकर्त्ताओं के अथक परिश्रम से सफल हुआ। सम्मेलन के कुछ प्रस्तावों में निज़ाम-सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया तथा आर्यसमाज की माँगों को पुनः बलपूर्वक दोहराया गया। 'आर्य प्रतिनिधि सभा' को यातनाओं तथा कठिनाइयों के जिन नये कण्टकित मार्गों से आगे बढ़ना पड़ा, उनका यदि वह साहस तथा संकल्पशक्ति से सामना न करती तो उसके पैर कभी के उखड़ गये होते। निज़ाम-सरकार आर्यसमाज के संघर्ष की शक्ति से खूब परिचित थी और सम्भवतः यह भी जानती थी कि इस संगठन को दबा देना असम्भव है। आश्चर्य की वात है कि इस वास्तविकता से परिचित होने पर भी वह अधिकाधिक पक्षपात व साम्प्रदायिक भावना से काम ले रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि आर्यसमाज के संघर्ष की तेज़ धारा प्रबल क्रान्ति के रूप में परिणत हो गई।

पुलिस के अत्याचार

हैदराबाद राज्य में निज़ाम-सरकार की पुलिस की ओर से आर्यसमाजियों को सताने तथा परेशान करने के जो निरन्तर प्रयत्न किये जाते रहे हैं, उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

१. दो मुसलमानों ने अपनी राज़ी-खुशी से वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिया और हिन्दू बन जाने के पश्चात् इनका नाम राम व लक्ष्मण रखा गया। निज़ाम-सरकार की पुलिस ने कई आर्यसमाजियों पर इन दो

मुसलमानों को वन्द रखने का आरोप लगाकर केस चलाया, पर न्यायालय ने उन्हें मुक्त कर दिया। राम और लक्ष्मण को पकड़कर कल्याणी भेजा गया तथा इस केस में उनकी खूब मारपिटाई की गई कि पुनः इस्लाम को स्वीकार करें। पुलिस को इस प्रयत्न में असफलता का मुख ही देखना पड़ा क्योंकि राम और लक्ष्मण अपने निर्णय पर अन्तिम क्षण तक डटे रहे।

२. आर्यसमाज के एक प्रचारक पंडित गणपतलाल जी माड़ीं के के विरुद्ध धारा १०४ (ताज़ीरात आसफ़िया) के अन्तर्गत आरोप लगाया गया। गणपतलाल जी ने यह समझकर कि हैदरावाद के न्यायालय से न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा, अपने केस में उन्होंने वचाव नहीं किया। परिणामतः उन्हें तीन माह का कठोर कारावास का दण्ड दे दिया गया।

३. 'आर्यसमाज कल्याणी' के मन्त्री श्री मोहनसिंह को पुलिस ने एक वार खूब पीटा तथा उनके विरुद्ध केस कर दिया। कुछ महीनों तक केस चलता रहा, वाद में पुलिस ने केस उठा लिया।

४. श्री भगवन्तराव पटेल और गोविन्दराव पटवारी को उनके पदों से केवल इसलिए हटा दिया गया कि आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव में वे सम्मिलित हुए थे।

५. नलदुरग में ३० आर्यसमाजियों के विरुद्ध धारा १०४ के अन्तर्गत केस चलाया गया। इन पीड़ित आर्यों में ७० वर्ष के बूढ़ो से लेकर १३ वर्ष के वालक भी सम्मिलित थे।

६. मुरम के १३ आर्यसमाजियों को बिना वारण्ट पकड़कर बिना कोई केस चलाये जेल में डाल दिया गया और कुछ समय वाद उन्हें छोड़ दिया गया।

७. मुदखेड़ में चौधरी श्रीराम जी को जेल की सज़ा दी गई क्योंकि उन्होंने हवनकुण्ड वनाने का प्रयत्न किया था।

८. साकोल के २० आर्यसमाजियों पर यह अपराध लगाकर कि उन्होंने एक मस्जिद के सामने वाजा बजाया था, केस चला दिया।

९. लातूर में जैनियों के जुलूस में हस्तक्षेप करनेवाले व्यक्तियों की

उपेक्षा करके पुलिस ने बिना कारण १२ आर्यसमाजियों पर केस चला दिया।

१०. सब-इन्स्पेक्टर पुलिस अवसा ने १८ जून १९३७ को नागरसोगा के श्री रघुनाथप्रसाद जी तथा श्री घनश्यामप्रसाद जी को यह लिखा कि वे आर्यसमाज की ओर से क़ानूनी तौर पर हवनकुण्ड नहीं स्थापित कर सकते। यदि ऐसा किया गया तो क़ानूनी कार्यवाही की जायगी।

११. 'आर्यसमाज, बीदर' के मन्त्री श्री भीमशंकर जी को तालुक़दार बीदर ने यह लिख भेजा कि पहले एक व्यायामशाला स्थापित करने की जो अनुमति दी गई थी, वह अब रद्द कर दी जाती है।

१२. ५ एप्रिल १९३८ को डिप्टी कमिश्नर पुलिस सी०आई०डी० हैदराबाद ने मन्त्री 'आर्यसमाज, सुलतान बाज़ार' को एक आदेश भेजा कि आज आप अपने समाज में साप्ताहिक हवन व प्रार्थना करनेवाले हैं। वर्तमान परिस्थिति में यह उचित नहीं होगा कि बाहर के लोग इसमें भाग लें। पंडित देवेन्द्रनाथ शास्त्री तर्कशिरोमणि बाहर के व्यक्ति हैं, उन्हें भाषण देने की अनुमति नहीं मिल सकती। यदि इस आदेश का पालन नहीं होगा तो सारा उत्तरदायित्व आप पर होगा।

१३. पंडित बन्सीलाल जी वकील हल्लीखेड़ को २६ जून १९३३ को सब-इन्स्पेक्टर पुलिस ने एक नोटिस भेजा कि पुलिस-कमिश्नर के कर्मचारी द्वारा मालूम हुआ है कि आपने 'शिक्षा-विभाग, गुलबर्गा' के अधिकारी की स्वीकृति के बिना एक निजी पाठशाला की स्थापना की है, यह अवैध है। आप एक सप्ताह के भीतर इस पाठशाला की स्वीकृति प्राप्त करा लीजिये, अन्यथा इसे बन्द कर दिया जायेगा।

१४. २९ अक्टूबर १९३२ को सब-इन्स्पेक्टर राजेश्वर ने श्री रामचन्द्र राव जी आर्य को यह नोटिस भेजा कि क्योंकि हल्लीखेड़ के बन्सीलाल जी तुम्हारे घर में आज भाषण दे रहे हैं, इसलिए इस भाषण की मनाही की जाती है। यदि इसपर अमल नहीं किया गया तो तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

निज़ाम-सरकार का इन प्रतिबन्धों को लगाने का ध्येय वास्तव में

यह था कि हिन्दुओं को उनके राजनैतिक संघर्ष तथा आर्यसमाजियों को उनके धर्मप्रचार से रोका जाय और उनके मार्ग में रुकावटें उत्पन्न की जायें।

श्री चन्द्रपाल जी १७ जून १९३९ को एक केस के सिलसिले में स्पष्टीकरण देने गये थे कि उन्हें 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट' के अन्तर्गत पकड़ लिया गया। २३ जून १९३९ को पंडित बन्सीलाल जी व्यास को अपने अठारह साथियों के साथ सत्याग्रह करने के कारण पकड़ लिया गया। यह काम रात्रि में हुआ तथा भीड़ पर लाठी-चार्ज भी किया गया। मुझको साढ़े तीन वर्ष जेल में कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

श्रीराम शर्मा, पंडित राजाराम शास्त्री, हकीम गणपतराव, चन्द्रपाल शिवराज को विष्णु भगवन्त स्वामी सत्यानन्द जी की शहादत पर दिये गए व्याख्यानों के सन्दर्भ में २ मई १९३९ को धारा २८ के अन्तर्गत पकड़ लिया गया।

२९ जून १९३९ को रात्रि साढ़े नौ बजे अब्दुल्ला खाँ नामक एक व्यक्ति ने अपने साथियों सहित नारे लगाते हुए अर्जुनसिंह पर आक्रमण कर दिया जिसके फलस्वरूप अर्जुनसिंह का बलिदान हो गया। श्री प्रेमकुमार और श्री सत्यनारायण फ़ोटोग्राफ़र और श्री लक्ष्मणप्रसाद जी व प्रशांतकुमार जी पर 'जनशान्ति क़ानून' के अन्तर्गत केस चलाया गया। प्रशान्तकुमार जी को दण्ड दिया गया तथा शेष को मुक्त किया गया।

सर्वश्री मोहनसिंह, पंडित गोपालदेव कल्याणी को छः-छः मास तथा अन्य केस के सिलसिले में दो वर्ष के जेल का कठोर दण्ड दिया गया और उनपर जुर्माना भी किया गया। जेल में इन दोनों को बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

हैदराबाद के आर्यसमाजियों की साधना और संघर्ष का यह ज्वलंत इतिहास भावी युग के लिए परम प्रेरणादायक है। शहीदों के रक्त का एक-एक बिन्दु आज आर्यसमाज के माथे का चंदन और भारत माँ के भाग्य का तिलक बनकर चमक रहा है।

द्वितीय खण्ड

आर्यों का शौर्य-दीप

रियासत हैदराबाद को निज़ाम की तानाशाही और कट्टर साम्प्रदायिक हुकूमत के चंगुल से स्वतन्त्र कराने में आर्यसमाज का बहुत स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण भाग रहा है। सन् १९३९ ई० के महान् आर्य-सत्याग्रह के सामने निज़ाम-सरकार को जिस प्रकार झुकना और लज्जित होना पड़ा था, वह आर्यसमाज की तो सफलता थी ही, इससे भी बढ़कर वह निज़ाम-राज्य की बहुसंख्यक प्रजा की भी बहुत बड़ी सफलता थी। निज़ाम-सरकार की पराजय से हैदराबाद की जनता की चिन्तनधारा बदल गई थी। निज़ामशाही का भय उसके हृदय से मिट गया था। उसके साहस में अद्भुत वृद्धि हुई थी। इस विषय की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद के नवयुवक और बाल-वर्ग पर आर्य-सत्याग्रह ने अत्यन्त हितकर और क्रान्तिकारी प्रभाव डाला था और अवसर मिलते ही निज़ामशाही का अन्त करने का दृढ़ निश्चय उन्होंने उसी समय कर लिया था। क्रान्ति का जो बीज उस समय बोया गया था, वही समय पाकर एक बड़े वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। कहीं-कहीं क्रान्ति की जो चिनगारी आर्य-सत्याग्रह के रूप में चमकी थी, वही अनुकूल परिस्थितियों के आने पर धू-धू करके जल उठी।

अपने जीवन-संघर्ष के प्रत्येक प्रसंग में आर्यसमाज ने अपूर्व जीवट, संगठनशक्ति, धैर्य एवं नीतिमत्ता का परिचय दिया है। अपनी सेवा-भावना और कर्त्तव्यनिष्ठा के द्वारा आर्यसमाज ने हैदराबाद राज्य की

स्व० लौह पुरुष सरदार पटेल को
निजामका अभिवादन

"आर्यसमाज ने यदि पहले से भूमिका तैयार न की होती तो तीन दिन में हैदराबाद में पुलिस एक्शन सफल नहीं हो सकता था।"—सरदार पटेल

जनता का मन मोह लिया और सम्पूर्ण जनता का नेतृत्व सहज में ही प्राप्त कर लिया था। आर्यसमाज ने अपने सम्पूर्ण यत्न इस दिशा में किये कि जनता में नव-चेतना और शिक्षा बढ़े एवं अपना वास्तविक स्थान और अधिकार प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प उसमें जागृत हो जाय। कहना न होगा कि हैदराबाद राज्य की प्रजा ने आर्यसमाज के सन्देश को सुनने और समझने में भूल नहीं की थी। विचार-भेद और सिद्धान्त-भेद होने पर भी हैदराबाद राज्य की प्रजा ने आर्यसमाज के नेतृत्व को सर्वदा ही उत्साह और हर्षपूर्वक स्वीकार किया था। आर्यसमाज की बढ़ती हुई सर्वप्रियता और निज़ाम-सरकार की बढ़ती हुई अनीति को देखकर बुद्धिमानों ने बहुत पहले से ही यह भविष्यवाणी करनी आरम्भ कर दी थी कि निज़ाम की तानाशाही जागीरदारी का अन्त शीघ्र होगा और यह आर्यसमाज के क्रान्तिकारी आन्दोलन के परिणामस्वरूप ही होगा।

परिस्थितिवश आर्यसमाज को धार्मिक और नागरिक स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति के लिए आन्दोलन करना पड़ा। आर्यसमाज ने सदा ही बलपूर्वक यह अनुरोध किया कि हैदराबाद राज्य के सभी वर्गों के साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जाय, लेखन और सम्भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जाय, और मुसलमानों का अनुचित पक्षपात तथा हिन्दुओं का अनुचित शोषण न किया जाय। परन्तु निज़ाम-सरकार तो अपनी एक स्थायी और मुस्लिम-पोषक साम्प्रदायिक नीति बना चुकी थी और बदनाम होकर तथा खतरे उठाकर भी वह अपनी ही नीति पर चलने का दुराग्रह कर रही थी। आर्यों और हिन्दुओं के विरोध को वह अपने पशुबल द्वारा कुचल डालने का मूर्खतापूर्ण एवं आत्मघाती प्रयत्न कर रही थी। ऐसी स्थिति में न तो कोई निज़ाम-सरकार का समर्थक हो सकता था और न अवश्यम्भावी परिणामों से ही कोई उसे बचा सकता था।

भारत-विभाजन और निजाम

सन् १९४६ ई० के अन्त में जब अंग्रेज शासक भारत से विदा होने का निश्चय कर चुके थे और भारत-विभाजन के प्रबन्ध किये जा रहे थे,

उस समय निज़ाम-सरकार की बाछें खिल गईं। उसने समझा कि अब उसको अपने चिर-पोषित मनोरथों को पूर्ण करने का अवसर शीघ्र ही प्राप्त होगा। रियासत हैदराबाद का भारत में अंग्रेज़ों के रहते हुए पूर्ण स्वच्छन्द होना कठिन हो रहा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने निज़ाम को राजनीति के अनेकविध मायाजाल में जकड़ रखा था। जब १५ अगस्त १९४७ ई० को भारत स्वतन्त्र हुआ, तब भारतीय संघ-राज्य में शामिल होकर निज़ाम को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए था। यदि ऐसा किया जाता तो अवश्य ही निज़ाम की प्रशंसा होती। परन्तु ऐसा न करके निज़ाम महोदय ने एक नया ही मार्ग अपनाया और वह यह कि उन्होंने अपनी रियासत की पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। निज़ाम का बस चलता तो वह अवश्य ही पाकिस्तान में शामिल होने का निश्चय करता, परन्तु बेचारा विवश था। हैदराबाद राज्य की भौगोलिक स्थिति और हैदराबादियों की बहुसंख्यक जनता उसके मार्ग में बाधक थी। तथापि, वह एक नये मार्ग पर चलकर भारत के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करना चाहता था और यह भी चाहता था कि अपनी भाग्य-परीक्षा करे। अंग्रेज़ सरकार के मित्र, वफ़ादार और भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के शत्रु नवाब मीर उस्मानअली खाँ अब हिज़ मेजेस्टी बनने के मधुर स्वप्न देख रहे थे। इसलिए आत्म-प्रवंचना से वे अपने-आपको बचा नहीं सके और दुस्साहसपूर्वक भारत की नई-नई विदेशी सरकार के प्रतिद्वन्द्वी बन गये। सच है, कि बुद्धिमान् जहाँ पाँव रखने में भी डरते हैं, मूर्ख वहाँ निर्भय होकर कूद जाते हैं। हैदराबाद की बदनाम साम्प्रदायिक संस्था 'मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन' इसके हिन्दू-विद्वेषी नेताओं और रज़ाकारों पर निज़ाम को बहुत अधिक भरोसा था। वे समझने लगे थे कि रज़ाकारों की सहायता से हैदराबाद की ८५ प्रतिशत जनता के विरोधी होने पर भी वे अपने स्वतन्त्र हैदराबाद राज्य को सुरक्षित रख सकेंगे और भारत-सरकार भी उनका कुछ न बिगाड़ सकेगी।

निज़ाम महोदय की योजनाएँ केवल हैदराबाद को अपना स्वतन्त्र राज्य बनाने तक ही सीमित न थीं, वे तो 'बृहद् हैदराबाद राज्य' बनाने

के आयोजन कर रहे थे और मछलीपट्टणम आन्ध्र प्रदेश तथा बराड़ प्रान्तों के कुछ भाग पर भी उनकी नापाक नज़रें लगी हुई थीं। उधर पुर्तगाल के सालाज़ार से गोआ का सौदा भी किया जा रहा था। गुप्तरूप में संयुक्त-राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के षड्यन्त्र भी चालू थे। अपनी पुरानी सेवाओं के बदले बर्तानिया और अमेरिका से सहायता मिलने की उनको पूर्ण आशा थी। कुछ लोगों ने उनको इस विषय में बड़े-बड़े सब्ज़-बाग़ दिखा रखे थे।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक न होगा कि उस्मानअली खाँ के पूर्वजों के प्रथम सूबेदार आसफ़जाह निज़ामुल्मुल्क को दिल्ली के बादशाह ने दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। परन्तु आसफ़जाह ने केन्द्रीय सरकार के साथ ऐसा ही विद्रोह किया जैसाकि भारत सरकार के विरुद्ध उस्मानअली खाँ ने किया।

कहा जाता है कि दिल्ली के बादशाह फर्रुखसियर ने १७१३ ई० में मीर कमरुद्दीन को अपना सूबेदार बनाकर दक्कन भेजा, जिसे आसफ़जाह निज़ामुल्मुल्क का खिताब दिया गया था। १७२४ ई० में आसफ़जाह ने केन्द्रीय सरकार से ग़द्दारी करके अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और १७४८ ई० तक शासन करते रहे। १८५३ ई० में निज़ाम ने बरार, उस्मानाबाद और रायचूर कम्पनी को इस उद्देश्य से समर्पित किया था कि हैदराबाद में कम्पनी की फ़ौज रहे और कम्पनी का व्यय भी इन्हीं की आय से चले। १८५७ ई० के स्वतन्त्रता-संग्राम में अंग्रेज़ों ने पूरे सहयोग के उपलक्ष्य में निज़ाम को रायचूर और उस्मानाबाद लौटा दिये। निज़ाम ने जिस बरार को २५ लाख रुपये वार्षिक के निश्चित पट्टे पर अंग्रेज़ सरकार को दे दिया था वह आज महाराष्ट्र प्रदेश का भाग है। इसी परम्परा के अनुसार निज़ाम ने भी अपने राज्य को स्वतन्त्र रखने का स्वप्न लिया था।

'मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन' के इरादे चंगेज़ के

निज़ाम और उनकी साम्प्रदायिक सरकार ही उन सम्पूर्ण कष्टों और

अत्याचारों के लिए उत्तरदायी थी, जिनका सामना हैदराबाद की जनता को करना पड़ रहा था। 'मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन' अब नाज़ी हिटलरशाही के रूप में भली प्रकार जनता के सामने आ चुकी थी। उस कठिन अवसर पर, जबकि निज़ाम ने भारत-संघ से छेड़छाड़ मोल ली थी, हैदराबाद के शांतिप्रिय और बुद्धिमान् मुसलमान 'मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन' तथा निज़ाम-सरकार को बहुत अधिक भय और सन्देह के साथ देखने लगे थे। जब कुछ देशभक्त और न्यायप्रिय सज्जनों ने निज़ाम-सरकार को उसकी अनुचित हलचलों के दुष्परिणामों से सूचित करना चाहा था, तब उन्हें कायर और ग़द्दार की उपाधि से विभूषित करके बद-नाम किया गया। रियासत के नये मन्त्रिमण्डल में चार-पाँच मजलिसी मुसलमान अधिकार जमा चुके थे, और 'मजलिस' का नेता कासिम रिज़वी रज़ाकारों का फ़ील्ड-मार्शल बनकर भारत-संघ से टक्कर लेने की योज-नाएँ बना रहा था। हैदराबाद की तथाकथित स्वतन्त्रता को किसी भी मूल्य पर सुरक्षित रखने के लिए, उस समय यहाँ जो-जो भयंकर कुचक्र रचे जा रहे थे, वे भले ही सर्वथा अनावश्यक और हास्यास्पद थे, तथापि निज़ामशाही को आत्मघात करने से कौन रोक सकता था ?

रज़ाकारों की भर्ती

रियासत हैदराबाद में दीर्घकाल से आर्य हिन्दुओं पर पुलिस के अत्या-चार होते चले आ रहे थे, परन्तु जब निज़ाम और मजलिसी नेताओं ने मिलकर हैदराबाद की तथाकथित स्वतन्त्रता की घोषणा की, तब परि-स्थिति और भी अधिक विषम बन गई। सरकार ने जहाँ अपनी फ़ौज और पुलिस को अधिक-से-अधिक शक्तिशाली बनाने का यत्न किया, वहाँ रज़ाकारों ने भी लगभग तीन लाख रज़ाकार निज़ाम की सहायता के लिए भर्ती कर लिये। रियासत के सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में फ़ौज और पुलिस का जाल बिछा दिया गया, और उन्हें इस बात का आदेश दे दिया कि जो कोई भी सरकार और उसकी नीति का विरोधी नज़र आये, उसे गोली मार दी जाए। इस प्रकार उन दिनों सम्पूर्ण हैदराबाद राज्य में

हैदराबाद के बलिदानी

पुलिस और फ़ौज का राज्य हो चुका था और जनता में भारी आतंक छाया हुआ था।

आर्यसमाज के लिए सन् १९४७ ई० का समय भारी कठिनाई और परीक्षा का समय था, तथापि यह भी स्पष्ट था कि वह परीक्षा अन्तिम थी और कठिनाइयों का अन्त भी समीप ही था। परिस्थितियाँ प्रतिकूल और बहुत भयानक थीं। आये-दिन नई-नई दुर्घटनाओं की भरमार होने लगी थी। प्रत्येक क्षण अनिश्चितता में चिन्ता करते हुए व्यतीत हो रहा था। निज़ाम-सरकार तानाशाही हथकण्डों और पशु-बल के आधार पर देशभक्त, शान्ति और स्वतन्त्रताप्रिय, प्रजातन्त्रवादी और सम्प्रदायवाद-विरोधी शक्तियों को कुचल डालना चाहती थी। पुलिस और फ़ौज के साथ रज़ाकार भी शामिल हो गए थे और सभी मिलकर आर्यसमाजियों का सफ़ाया कर डालने का घृणित आयोजन कर रहे थे। इस अवसर पर आर्यसमाज ने भी अपनी परम्परागत सत्यप्रियता, निडरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया। जनता से आर्यसमाज के निकट सम्पर्क एवं आर्यसमाज के प्रति जनता के प्रबल प्रेम और विश्वास का परिचय भी उस अवसर पर मिला। जनता के इस पूर्ण सहयोग और समर्थन को पाकर आर्यसमाज भी युद्धक्षेत्र में कूद पड़ा और उसने भी 'तथाकथित आज़ाद हैदराबाद सरकार' के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि यह योजना हिन्दू जनता के हितों के विरुद्ध थी और इनके ऊपर निज़ाम की अत्याचार-परायण निरंकुश तानाशाही नीति को लादनेवाली थी, इसलिए हैदराबाद की सम्पूर्ण जनता उसके विरुद्ध आर्यसमाज के साथ उठ खड़ी हुई थी। आर्यसमाज का पक्ष उस युद्ध में यह था कि हैदराबाद राज्य भारत-संघ का एक अविभाज्य अंग है और भारत-संघ में शामिल होने में ही हैदराबाद की जनता का हित है; भारत-संघ में शामिल होकर ही हैदराबाद की जनता प्रजातन्त्रवाद के लाभों को प्राप्त कर सकती है और विश्व-चेतना से अपना उचित और आवश्यक सम्बन्ध स्थापित कर सकती है, इसलिए हैदराबाद की जनता को वे सब बलिदान करने ही चाहिए, जिनकी उस समय आवश्यकता थी।

मैं निज़ाम सरकार की नज़र में

आर्यसमाज की नीति और कार्य-पद्धति का ज्ञान होते ही सरकार, फ़ौज, पुलिस और रज़ाकारों की चण्डालचौकड़ी की वक्रदृष्टि आर्यसमाज पर जम गई। वे भली प्रकार से जानते थे कि आन्दोलन करने और संघर्ष चलाने में आर्यसमाज पूर्ण सिद्धवृस्त है और वह सहज में ही दूसरे उपायों का अवलम्बन भी कर सकता है। इसलिए आर्यसमाजी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जाने लगा ताकि उनको लोहे के सीखचों के पीछे ढकेल दिया जाय और उनकी ओर से निज़ाम-सरकार के घृणित आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा न पड़ने पाय। मैं तो बहुत वर्षों से निज़ाम-सरकार का कृपापात्र रहता चला आ रहा था। भला ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर पर सरकार मुझे कैसे भूल जाती और मुझे स्वतन्त्र छोड़ने की भूल वह क्यों करती? सरकार ने मुझे पकड़ा और जेल भेज दिया। आर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता स्वर्गीय पंडित दत्तात्रेय-प्रसाद जी वकील, पंडित गंगाराम जी बी० एस०-सी०, एल० एल० बी०, श्री ए० बालरेड्डी जी, श्री एस० वेंकटस्वामी जी एडवोकेट, श्री बी० व्यंकटस्वामी जी, श्री कालीचरण जी 'प्रकाश' और श्री वामनराव जी को भी पकड़कर जेल भेज दिया गया।

रायकोड का हत्याकाण्ड

७ जून सन् १९४७ ई० को पुलिस और रज़ाकारों ने मिलकर रायकोड ज़िला बीदर में चौदह हिन्दुओं की हत्या कर दी और बीसियों हिन्दुओं को घायल कर दिया। इस लूटमार के बाद बाजार में आग लगा दी। इसके परिणामस्वरूप १५४ दुकानें भस्म हो गईं। हिन्दुओं को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। रायकोड के हत्याकाण्ड और लूटमार का यह समाचार सम्पूर्ण राज्य में फैल गया। स्थान-स्थान पर चिन्ता व्याप्त हो गई और जनता आत्मरक्षा के उपाय करने लगी। आर्यसमाज की ओर से श्री पंडित बन्सीलाल जी वकील की अध्यक्षता में एक 'पीड़ित सहायक समिति' बनाकर सहायता का कार्य आरम्भ किया गया और रायकोड

के बेघरबार एवं पीड़ित लोगों को सब प्रकार की आवश्यक सहायता पहुँचाई गई।

फ़ौज और पुलिस की छत्रछाया में रज़ाकार सब ओर लूटमार करने लगे। ग्रामों को उजाड़ दिया गया। घरों और दूकानों को आग लगाई जाने लगी। स्त्रियों का सतीत्व लूटा जाने लगा और उनके शरीर पर से आभूषण उतारे जाने लगे। रज़ाकारों को कोई पूछने या रोकने-वाला तक न था। क्यों? क्योंकि वे मुसलमान लुटेरे और अत्याचारी थे और सशस्त्र एवं संगठित दल बनाकर, योजनानुसार रक्तपात और लूट-मार कर रहे थे। उनकी सरकारी सहायता के लिए फ़ौज और पुलिस प्रतिक्षण तत्पर रहती थी। नगर-नगर और ग्राम-ग्राम में आर्यसमाजियों की धरपकड़, लूटपाट, आर्यसमाज-मन्दिरों पर आक्रमण, देवियों का अप-मान, हिन्दू मन्दिरों की तोड़-फोड़, 'ओ३म्' ध्वज की नोच-खसोट जैसे घृणित कार्य उन दिनों पुलिस, फ़ौज और रज़ाकारों का प्रतिदिन का कार्य था।

आर्यसमाज के चमकते तारे का अस्त

ज़िन्दगी इन्साँ की है मानिन्द मुर्ग़-खुशनवा।
शाख़ पर बैठा कोई दम, चहचहाया उड़ गया॥

खेद है कि निज़ाम-सरकार के विरुद्ध जब वह अन्तिम और निर्णय-कारी भीषण संग्राम चल रहा था, उसी बीच 'आर्य प्रतिनिधि सभा' के तपस्वी, त्यागी और महान् अनुभवी नेता का देहावसान हो गया। वे थे आर्यजगत् के प्राण, त्यागी भाई बंसीलाल जी वकील हाईकोर्ट। श्री पंडित बंसीलाल जी बारसी से अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों के साथ अहमदनगर जा रहे थे कि मार्ग में जेऊर के स्थान पर उन्हें हैज़ा हो गया और उसके फलस्वरूप ७ अगस्त १९४७ ई० को उनका देहान्त हो गया। देहान्त के समय श्री पंडित जी के सुपुत्र श्री वेदभूषण जी और उनके पुराने साथी श्री रामचन्द्र जी नलगीरकर भी मौजूद थे। मुझे, श्री पंडित दत्तात्रेय-प्रसाद जी और श्री गंगाराम जी को उनके दुःखदायक देहावसान की

सूचना जेल में श्री कृष्णदत्त जी ने १० अगस्त १९४८ को तार द्वारा भेजी थी। श्री भाई जी के निधन से आर्यसमाजी क्षेत्रों में भारी शोक छा गया। स्वर्गीय भाई जी ने आर्यसमाज की जो सेवाएँ की थीं और जिस निडरता-पूर्वक निज़ामशाही के विरुद्ध वैदिक धर्म के प्रचार एवं संगठन-कार्य करके आर्यसमाज को जिस उत्तम रूप में आगे बढ़ाया था, सर्वत्र उसकी सराहना की जा रही थी। श्री स्वर्गीय भाई जी ने सर्वथा निःस्वार्थ एवं निःस्पृह भाव से हैदराबाद की जनता की जो सेवाएँ की थीं, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं। उनको कभी भी भुलाया न जा सकेगा और आपका नाम आर्यसमाज के इतिहास में अमर रहेगा।

जब पग-पग पर मौत नाचती थी

सन् १९४७ और ४८ के अन्तिम दिनों में निज़ाम-सरकार की पुलिस और फ़ौज के साथ ही रजाकार, अरब, पठान और दूसरे गुण्डे भी आर्यसमाजियों के जानी दुश्मन बन चुके थे और उनसे जहाँ भी बन पाता था, वे आर्यसमाजियों को तंग करने, हानि पहुँचाने और अवसर मिलने पर जान से मार डालने में भी चूकते न थे। १६ मई सन् १९४७ ई० को टेकमाल तालुक़ा जोगीपेठ के आर्यसमाज का स्थापना-उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव में भाग लेने के लिए श्री पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार बार-एट-लॉ, श्री वेंकटस्वामी जी वकील, श्री गंगाराम जी एडवोकेट, श्री राजरेड्डी जी, श्री के० लक्ष्मीनारायण जी, श्री जी० माणिकराव जी, श्री जी० रामस्वामी जी, और मैं टेकमाल पहुँचे। उत्सव की सभा में भाग लेने के बाद, हम लोग लौट रहे थे कि रात के दो बजे दो पठानों ने हमपर गोलियाँ चलानी आरम्भ कर दीं। एक गोली श्री गंगाराम जी की कमर के नीचे के भाग में लगी और रक्त बहने लगा। दूसरी गोली मेरे सिर को छूती हुई ऊपर से निकल गई। जान पड़ता था कि यह कोई आकस्मिक घटना न थी, अपितु यह गोली-काण्ड किसी पूर्वसुयोजित षड्यन्त्र के अनुसार घटित हुआ था। हमने उस घटना की सूचना पुलिस को दी, परन्तु आक्रमणकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

जाको राखे साइयाँ

पंडित विनायकराव जी को श्रीमान् अब्दुल हसन कैसर हैदराबाद से एकमात्र शान्ति-स्थापना के उद्देश्य से यहाँ ले आए और सीधे वहाँ की एक प्रसिद्ध दरगाह में ले गए जहाँ मुसलमान तलवारों, लाठियों और भालों से लैस खड़े थे। पंडित जी के साथ श्रीमान् बसवमानैया जोगीपेट भी थे। मुसलमान बहुत समय से उनके रक्त के प्यासे थे। पंडित विनायकराव जी को देखकर मुसलमानों ने नाराए-तकबीर का जयघोष लगाना आरम्भ कर दिया। उसी समय मैं भी वहाँ पहुँच गया। मुसलमानों ने हम तीनों को चारों ओर से घेर लिया। थोड़े समय के पश्चात् वार्तालाप करने हम तीनों आर्यसमाज-मन्दिर लौट आए। ईश्वर की महान् अनुकम्पा ही कहनी चाहिए कि मुसलमानों को इस बात का भान भी नहीं हुआ कि मेरे और पंडित विनायकराव जी के साथ श्री बसवमानैया भी थे। अगर उन्हें ज़रा भी भान हो जाता तो हम तीनों का जीवित रूप में मन्दिर तक पहुँचना कठिन ही नहीं असम्भव भी था। यहाँ यह लोकोक्ति सत्य सिद्ध होती है कि 'जाको राखे साइयाँ मार न सके कोय।'

यादगीर-काण्ड

३१ मई सन् १९४७ ई० को 'आर्यसमाज यादगीर' के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री ईश्वरलाल जी भट्टड़ पर एक व्यक्ति ने खंजर से आक्रमण कर दिया जिसके कारण वे बहुत अधिक घायल हो गए और कई मास तक जीवन-मरण के झूले में झूलते रहे। पुलिस को इस घटना का पूरा-पूरा विवरण ज्ञात था, फिर भी आक्रमणकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार १९४२ में विजयदशमी के अवसर पर आर्यसमाज द्वारा आयोजित भव्य जुलूस पर पुलिस के सहयोग से यादगीर के गुण्डों ने सशस्त्र आक्रमण किया था। इन आक्रमणकारियों का सामना पंडित ज्ञानेन्द्र जी शर्मा उपदेशक-सभा और श्री ईश्वरलाल जी भट्टड़ ने बड़ी दृढ़ता एवं धैर्य के साथ किया। स्थानीय पुलिस ने गुण्डों के विरुद्ध कोई

कार्यवाही न करते हुए श्री मल्लप्पा जी कल्लूर, श्री ज्ञानेन्द्र जी, ईश्वर-लाल जी भट्टड़, जगन्नाथराव जी चण्डरकी और श्री हरिदास भाई को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।

आर्य-जगत् के प्रसिद्ध एडवोकेट श्री पंडित गणपतराव जी शास्त्री कल्याणी के सफल पैरवी करने पर भी इन लोगों को दो साल का दण्ड देकर जेल भेज दिया गया। बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें मुक्त कर दिया।

शठे शाठ्यं समाचरेत्

सन् १९४७ ई० की ही और एक घटना है। 'हिन्दू महासभा हैदराबाद' का एक जुलूस निज़ाम की कोठी तक जाने के लिए निकला जिससे कि निज़ाम-सरकार की हिंसापूर्ण नीति के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाय। जब वह जुलूस 'जामबाग़' में से होकर गुज़र रहा था, तब रज़ाकार और पुलिसवालों ने उसे रोकने का यत्न किया। श्री विनयकुमार जी और उनके साथियों ने डटकर उनका आधे घण्टे तक सामना किया। इस यत्न में एक ईंट लगने से श्री विनयकुमार जी ज़ख्मी हो गए। इसी दुर्घटना में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष श्री वाई० डी० जोशी जी भी घायल हुए।

निज़ामाबाद का बमकाण्ड

३ जून सन् १९४७ ई० को निज़ामाबाद के मुहल्ला 'ब्राह्मणवाड़ी' में बम का एक भीषण धमाका हुआ। उसके कारण एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। सब ओर आतंक फैल गया। इस बम-विस्फोट से किसी आर्यसमाजी का कोई दूर का भी सम्बन्ध न था। फिर भी पुलिस ने कई आर्यसमाजियों को पकड़ा और बमकाण्ड से सम्बन्ध जोड़कर उनका चालान कर दिया। श्री एच० गंगाराम जी, श्री के०वी० गंगाधर जी और श्री नरसिंहराव जी को पकड़कर उनपर अभियोग चलाया गया जो १८ मास तक चलता रहा। इस प्रसिद्ध अभियोग की पैरवी

आर्य-जगत् के प्रसिद्ध नेता तथा बैरिस्टर श्री पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार ने की। इन तीनों अभियोगियों को रज़ाकारी दौर के बाद ही मुक्ति मिली।

सिकन्दराबाद का फ़िसाद

२३ जुलाई सन् १९४७ ई० को सिकन्दराबाद में भीषण हिन्दू-मुस्लिम फ़िसाद हो गया। इसके सिलसिले में लगभग ५०० व्यक्ति दफ़ा १४४ के उल्लंघन के अपराध में पकड़े गये। सब ओर आतंक व्याप्त हो गया। चार-पाँच हज़ार भयभीत व्यक्ति बालाजी के मन्दिर में एकत्रित हो गए थे और उनके खान-पान की व्यवस्था की जानी थी। इस अवसर पर 'आर्यसमाज, सिकन्दराबाद' की ओर से एक सहायता-समिति की स्थापना हुई। श्री मनोहरलाल जी इस समिति के संयोजक नियुक्त हुए थे। सिकन्दराबाद में शान्ति की स्थापना होने और लोगों को अपने घरों में वापस जाने में कई दिन लगे। दंगा-पीड़ितों को भोजन, वस्त्र, दवाई आदि की सहायता देने के साथ ही, जिन लोगों पर नाना प्रकार के भीषण आरोप लगाकर पकड़ लिया गया था, उनकी सहायता और पैरवी का कार्य भी इसी समिति की ओर से होता था और अभियुक्तों को कानूनी सहायता देने के लिए सुयोग्य वकीलों की भी व्यवस्था की गई थी। बहुत-से लोगों को ज़मानत देकर छुड़वाया गया था। फ़िसाद से पीड़ितों को सब प्रकार की सहायता देकर फिर से उन्हें उनके घरों में भिजवाया गया था।

हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का आन्दोलन

'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' श्री स्वामी रामानन्द जी तीर्थ के कुशल नेतृत्व में निज़ाम-सरकार की विनाशकारी नीति का अन्त करने के लिए राज्य की जनता को संगठित करने का बीड़ा उठा चुकी थी जिससे कि एक शक्तिशाली प्रयत्न के द्वारा हैदराबाद में उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार स्थापित की जा सके एवं हैदराबाद राज्य को भी नियमानुसार भारतीय संघ का अंग बनाया जा सके। ३ जुलाई सन् १९४६ ई० को मुशीराबाद

में स्टेट कांग्रेस का जो महत्त्वपूर्ण अधिवेशन सम्पन्न हुआ, उसमें उपस्थिति का अनुमान एक लाख लगाया जाता है। उस अधिवेशन में जिस उत्साह, साहस, अनुशासन और एकध्येय-निष्ठा का परिचय हैदराबाद राज्य की जनता ने दिया, उससे यह भली प्रकार प्रकट होता था कि जनता निज़ाम की निरंकुश तानाशाही समाप्त करके, उसके स्थान पर प्रजातन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूर्णतया अधीर हो चुकी है।

उसी ऐतिहासिक अधिवेशन में श्री बी० रामकृष्णराव जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि हैदराबाद में तत्काल ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाय और राज्य के भारत-संघ में प्रवेश की घोषणा की जाय। जनता की इस माँग को इसके बाद भी आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया। निज़ाम ने १२ जून सन् १९४६ ई० के एक फ़रमान में हैदराबाद की तथाकथित स्वतन्त्रता का जो उद्घोष किया था, उसका ठीक-ठीक उत्तर यही था कि हैदराबाद राज्य के भारत-संघ में प्रवेश की माँग की जाय और इसके लिए पूरी शक्ति से आन्दोलन किया जाय।

आर्यसमाज ने अपनी पूरी शक्ति के साथ 'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' का साथ दिया। हैदराबाद राज्य की स्वतन्त्रता के उस संग्राम में भी बहुत-से आर्यसमाजियों को गिरफ़्तार होना पड़ा जिनकी संख्या लगभग एक हज़ार थी और इन लोगों को सज़ा पाकर जेल-जीवन व्यतीत करना पड़ा था। ३० जुलाई १९४७ ई० को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया जबकि मुझे १०२ डिग्री ज्वर था। पूरा एक दिन तक पुलिस-स्टेशन में रखने के बाद ३१ जुलाई १९४७ को चार बजे मुझे चंचलगुड़ा के केन्द्रीय कारावास में पुलिस-सहायक श्री धरणीधर प्रसाद जी वाजपेयी के साथ भेज दिया गया। ज्योंही जनता को मेरी गिरफ़्तारी की सूचना मिली, त्योंही नगर हैदराबाद में पूर्ण हड़ताल हो गई। जनता तथा विद्यार्थियों ने हज़ारों की संख्या में एकत्र होकर निज़ाम-सरकार के कृत्य पर रोष और विक्षोभ प्रकट करने के लिए ३१ जुलाई १९४७ को एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। उस दिन स्कूलों तथा कॉलिजों में भी हड़ताल हो गई

थी। पुलिस ने इस जुलूस को भंग करना चाहा, परन्तु वहाँ उस दिन पुलिस की कौन सुनता था ? 'सुलतान बाजार' में कोतवाली के समीप पुलिस ने जुलूस पर अत्यन्त निर्दयतापूर्ण लाठी-प्रहार किया। बहुतों को चोटें आईं। पाँच विद्यार्थियों की अवस्था पुलिस की लाठियों की मार से बहुत ही अधिक चिन्ताजनक हो गई थी। फिर भी लोग डटे रहे। जुलूस ने भंग होने से इन्कार कर दिया। स्थिति बहुत ही भयंकर हो चुकी थी और भारी रक्तपात की आशंका होने लगी थी कि 'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' के प्रधान श्री स्वामी रामानन्द जी तीर्थ, पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने एक जोरदार भाषण दिया और उसमें विद्यार्थियों के वीर-भाव, स्वातन्त्र्य-प्रेम और साहस की प्रशंसा की। इसके साथ ही जुलूस भंग करके, सबको अपने-अपने घर जाने का आदेश दिया। इन दोनों नेताओं के प्रभाव और नीतिमत्ता ने उसी क्षण अपना चमत्कार दिखाया। उनके आदेश का पूर्णतया पालन किया गया। इसके बाद ही १५ अगस्त १९४७ ईसवी को स्वामी रामानन्द जी तीर्थ, डॉक्टर मेलकोटे और श्री क्रिष्टमाचारी जोशी एडवोकेट को गिरफ्तार करके २४ अगस्त १९४७ को केन्द्रीय कारावास में भेज दिया गया।

स्टेट-कांग्रेस के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन में मेरे अतिरिक्त जो आर्यजन गिरफ्तार हुए थे, उनकी संख्या तो बहुत अधिक है। कुछ आर्य-नेताओं के नाम मुझे स्मरण हैं, जिनका उल्लेख यहाँ उचित प्रतीत होता है:—

श्री गंगाराम जी एडवोकेट, श्री स्वर्गीय दत्तात्रेयप्रसाद जी वकील, श्री वामनराव जी वैद्य, श्री एस० वेंकटस्वामी जी वकील, श्री वी० वेंकटस्वामी जी, श्री पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार, श्री हकीम गणपतराव, श्री मनोहरलाल जी, श्री कृष्णस्वामी जी नायडू (जीवरक्षा ज्ञान-प्रचारक), श्री देशबन्धु जी औरादकर, श्री गम्पा जी, श्री स्वर्गीय रामकिशन पटेल, श्री कालीचरण जी, श्री बाबूप्रसाद जी, श्री नारायणस्वामी जी, श्री मल्लप्पा जी, श्री भारतसिंह जी, श्री बालासिंह जी, श्री स्वामी अभयानन्द जी, पंडित ऋभुदेव जी शर्मा आदि को हैदराबाद

जेल में नज़रबन्द किया गया।

श्री ए० बालरेड्डी जी को २० अगस्त सन् १९४७ ई० को बम तैयार करने के अपराध में पोचमपल्ली तालुका मेड़चल में ६५ हथगोलों के साथ गिरफ्तार किया गया। अब यह प्रकट किया जा सकता है कि निज़ाम-सरकार के विरुद्ध क्रान्तिकारी कार्यक्रम का आरम्भ श्री ए० बालरेड्डी जी के तैयार किये हुए बमों से ही हुआ था। श्री ए० बालरेड्डी पर मुकद्दमा चलाया गया। चौदह मास के पश्चात् आप २४ अक्तूबर १९४८ को मुक्त हुए। सन् १९२३ ई० में महात्मा गांधी के नमक-सत्याग्रह-आन्दोलन में भाग लेकर आपको यरवदा जेल पूना में छः मास का कारावास भोगना पड़ा था। श्री बालरेड्डी जी आर्यसमाज के क्षेत्र में लोकप्रिय समाजसेवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप क्रान्तिकारी विचारों में विश्वास रखते हैं। श्री रामरेड्डी जी और शिवलिंगम् जी आपके सहयोगी रहे हैं। श्री ए० बालरेड्डी जी तथा नारायणराव जी पवार की गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद 'हैदराबाद केन्द्रीय कारावास' के प्रधान अधिकारी श्री सैयद हुसेन जी ने मुझे बुलाकर पूछा—

प्रश्न—क्या आप इन दोनों को जानते हैं ?

उत्तर—बालरेड्डी जी को जानता हूँ, नारायण बाबू को नहीं। हाँ, नारायणराव पवार नामक व्यक्ति को तो जानता हूँ।

प्रश्न—इन दोनों की हिंसात्मक गतिविधियों की क्या आप पहले से ही जानकारी रखते हैं ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—सच बताइये, क्योंकि ऊपर से इसकी जांच करने को कहा गया है ?

उत्तर—इनकी गतिविधियों से तो परिचित नहीं लेकिन इनकी इस क्रान्ति के सिद्धान्त से सहमत हूँ कि सत्य की ही विजय होती है, अत्याचार की नहीं।

इस उत्तर के बाद मुझे अपने स्थान पर लौट जाने के लिए कहा गया।

हैदराबाद की स्वतन्त्रता के आन्दोलन की निर्णायक घड़ी को समीप आया जानकर आर्यसमाज ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय किया था, और वह निर्णय यह था कि 'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' और अन्यान्य स्वतन्त्रताप्रिय संगठनों के साथ आर्यसमाज मन, वचन और कर्म से पूरा-पूरा सहयोग करेगा। इसके साथ ही आर्यसमाज ने अपने सभी सदस्यों को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता दे दी कि 'वे अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी भी राजनैतिक संस्था में भाग लेना चाहें, ले सकते हैं और ऐसा करने में सभी आर्यसमाजी पूर्ण स्वतन्त्र हैं।' समाज के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से निज़ाम-सरकार आगबबूला हो गई। हो, तो हो जाय, आर्यसमाज के इस निर्णय का परिणाम आशा से भी बढ़कर उत्तम निकला और हैदराबाद के स्वतन्त्रता-आन्दोलन को एक असाधारण शक्ति प्राप्त हो गई।

आरम्भ में 'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' को अपने पूर्ण सामर्थ्य से काम करने और आन्दोलन को चलाने का अवसर मिला। परन्तु जब उसके प्रमुख नेता और कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो गये, अथवा हैदराबाद के राज्य से बाहर चले गये, तब उनके सम्पूर्ण अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व भी आर्यसमाज को ही वहन करना पड़ा। परिस्थितियाँ दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थीं। फिर भी आर्यसमाज तथा जनता के साहस और निज़ामशाही को उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं थी। विद्यार्थियों और श्रमजीवियों का उत्साह तो सभी से बढ़-चढ़कर और अत्यन्त विलक्षण था। 'हैदराबाद-दिवस' और 'तिरंगा झण्डा दिवस' के अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी युवकोचित जीवन-शक्ति और दृढ़ता का जो रोमांचकारी प्रदर्शन किया, उसके परिणामस्वरूप शासकीय क्षेत्रों में भारी खलबली मच गई। इस प्रकार सभी प्रदर्शनों में आर्यसमाजी कार्यकर्त्ताओं का पूर्ण क्रियात्मक सहयोग रहता था और आर्यसमाजियों को प्रदर्शन एवं संगठन-कार्यों का का जो अनुभव था, वह भी इन अवसरों पर पूरा-पूरा काम आता था। निज़ाम-सरकार की दमन-नीति और हिंसावृत्ति का जनता के ऊपर

कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने पाया। ३ सितम्बर को 'झण्डा दिवस' के अवसर पर पुलिस ने जनता की भीड़ पर गोली चलाई। तालुका 'परकाल' में लगभग दो हज़ार लोगों का एक जुलूस सभास्थल की ओर जा रहा था कि पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलानी आरम्भ कर दी। १५ हिन्दू और आर्यसमाजी घायल हो गए। २५० व्यक्ति उसी अवसर पर बन्दी बनाए गए। विभिन्न स्थानों पर सरकार ने अपनी दमन-नीति का प्रयोग कठोरता के साथ किया। उन भीषण परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के जलसे, जुलूस, प्रदर्शन और आन्दोलन आदि की प्रगतियों का संचालन सम्भव नहीं था। परन्तु आर्यसमाज के साहस और उत्साह के मार्ग में तो कोई भी आशंका या विभीषिका बाधा नहीं डाल सकती थी।

क्रान्ति की चिंगारियाँ साहस के नये मोर्चे पर

वतन की फ़िक्र कर नादाँ! मुसीबत आनेवाली है।
तेरी बर्बादियों के मशविरे हैं आसमानों में॥

हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खाँ के विरुद्ध जनता में एक विशेष और बहुत उत्कट प्रकार की बेचैनी फैली हुई थी क्योंकि जनता यह समझती थी और यह ठीक भी था कि हैदराबाद में 'मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन' और रज़ाकारों जैसे फ़ितने जगाकर तथा हैदराबाद राज्य को भारत के संघ से बाहर रखने की योजना बनाकर, नवाब अपने-आपको पुराने मुग़लकाल जैसा बादशाह या सुलतान बनाने के प्रयास कर रहा था। जैसाकि उन्होंने कहा है—

सलातीने सलफ़ सब हो गये नज़रे अजल उस्माँ!
मुसलमानों का तेरी सल्तनत से है निशाँ बाक़ी॥

हैदराबाद की जागृत जनता यह भली प्रकार समझ चुकी थी कि निज़ाम की संपूर्ण योजनाएँ जनता के लिए हानिकारक हैं और निज़ाम की तानाशाही का अन्त करके, एवं प्रजातन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था चालू करके ही उन हानियों से बचा जा सकता है। रियासत में सब ओर

भीषण क्रांति की चिंगारियाँ फैल चुकी थीं और वे अन्दर-ही-अन्दर भड़क रही थीं। वे अब-तब में ही धू-धू करके जल उठने को प्रस्तुत हो चुकी थीं। अस्तु, सन् १९४७ के अन्त में, निज़ाम को जिन भीषण घटनाओं का सामना करना पड़ा, उनका सूत्रपात बहुत पहले से ही हो चुका था, उस समय की घटनाएँ तो क्रान्ति का विस्फोट-मात्र थीं।

निज़ाम की मोटर पर बम

क़ातिल से दबनेवाले, ए आसमाँ, नहीं हम,
सौ बार कर चुका है तू इम्तिहाँ हमारा।

४ दिसम्बर सन् १९४७ ई० को किंगकोठी रोड के मोड़ पर अर्थात् आलसेंट्स स्कूल की गली के सामने, शाम के पौने पाँच बजे निज़ाम की मोटर पर बम का प्रहार किया गया। इस घटना से सारे हैदराबाद में सनसनी फैल गई। बम-काण्ड के प्रवर्तक श्री नारायणराव जी पवार उर्फ़ नारायण बाबू, श्री गंगाराम जी उर्फ़ गण्डेया और श्री जगदीश जी उर्फ़ ईश्वरैया थे। बम-प्रहार के समय निज़ाम की मोटर चालीस मील प्रति घंटे की गति से जा रही थी। नारायणराव ने आगे बढ़कर बम फेंका परन्तु निशाना चूक गया। बम मोटर के पिछले हिस्से से टकराकर सड़क पर गिरा और फट गया। तीन व्यक्ति, जो कुछ दूर खड़े हुए थे, आहत हो गए। मोटर का पिछला हिस्सा भी खराब हो गया। मोटर रुकी और फिर घटनास्थल तक आई। यदि उस समय मोटर और आगे चली जाती तो उसपर मैथोडिस्ट स्कूल के फाटक पर खड़े हुए गंगाराम द्वारा बम और पिस्तौल से आक्रमण किया जाता क्योंकि योजना ही इस प्रकार की थी। बोगुलकुण्टा गली के मोड़ पर श्री जगदीश जी को भी इसी उद्देश्य से खड़ा किया गया था परन्तु निज़ाम बच गया, क्योंकि वह आगे न बढ़ा।

इससे पूर्व कि नारायणराव दौड़कर आनेवाले पुलिस-कान्स्टेबलों पर बम फेंकते, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। आक्रमणकारियों के पास ज़हर की शीशियाँ भी मिलीं। इनका उद्देश्य यह था कि बम फेंकने

के बाद यदि आवश्यकता हो तो विषपान कर लिया जाय और पुलिस के हाथों में पड़कर कहीं षड्यन्त्र का रहस्य-उद्घाटन न हो। नारायणबाबू की गिरफ़्तारी से ही दूसरे दिन रात के १२ बजे 'पालमा कोल' में श्री गंगाराम जी भी पकड़े गये। तीसरे युवक की भी खोज होती रही, परन्तु वे न मिले।

दो सप्ताह तक पुलिस जाँच-पड़ताल करती रही। मुक़द्दमा अदालत में गया। फिर वह सेशन जज की अदालत में पहुँचा। दोनों युवकों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायदान का दिन आया। नारायण बाबू को फाँसी और गंगाराम को आजीवन क़ैद का आदेश सुनाकर उन्हें केन्द्रीय कारावास भेज दिया गया। हाईकोर्ट में अपील की गई और वह नामंजूर हो गई। फिर ज्यूडीशनल कमेटी में अपील की गई। वकीलों की बहस के बाद मिसल निज़ाम के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए भेजी गई। अभी यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि भारत ने निज़ामशाही के विरुद्ध अपना ऐतिहासिक 'पुलिस ऐक्शन' आरम्भ कर दिया। इसके लगभग एक मास बाद निज़ाम ने नारायण बाबु का दण्ड फाँसी के स्थान पर आजीवन क़ैद कर दिया और गंडेया जी को भी आजीवन क़ैद की सज़ा दी। नारायणराव जी पवार तथा गंडेया जी के केन्द्रीय कारावास पहुँचने के बाद उन्हें दी जानेवाली यातनाओं का समाचार जब मुझे जेल में (तब मैं इसी जेल के एक भाग में नज़रबन्द था) मिला, तो इन युवकों को ढाढस व धैर्य देने के निमित्त जो गुप्तपत्र मैंने उन्हें भेजा था, उस पत्र की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं :

> "कारावास आत्म-चिन्तन और स्वाध्याय के लिए एक उपयुक्त स्थल सिद्ध हो सकता है। आप तनिक हताश न हों। मुझे विश्वास है कि आपका यह साहस एवं त्याग हैदराबाद के भविष्य को एक नया आलोक प्रदान करेगा। वस्तुतः भविष्यत् का निर्णय वर्तमान के कार्यों पर ही आधारित होता है। एक दिन आप अवश्य इस बन्धन से मुक्त हो जाएँगे और आपकी यह मुक्ति निज़ाम के अत्याचार से मुक्ति सिद्ध होगी। मुझे

आशा है कि आप दोनों पर्वत के समान अपने विचारों में अटल रहेंगे।"

जेल-जीवन, संकट और छुटकारा

इन दोनों युवकों से जेल में बहुत अधिक कठोरता का व्यवहार किया गया और इन्होंने भी प्रसन्नतापूर्वक जेल-जीवन के सभी कष्टों को सहन किया। न इन्हें मृत्यु का भय था, न अपमान की चिन्ता। इनपर इतनी अधिक मारपीट और अत्याचार किया गया था कि वह भी बाद में इनके लिए कष्टदायक न रहा था, क्योंकि सभी कष्टों को सहन करने का इनको पूरा अभ्यास हो गया था। 'पुलिस ऐक्शन' के बाद जब हैदराबाद में फ़ौजी गवर्नर का राज था, तब इन दोनों युवकों को छुड़वाने के मैंने अनेक यत्न किये, जिसके फलस्वरूप १० अगस्त १९४९ को इन दोनों युवकों को फ़ौजी गवर्नर श्री जयंतनाथ जी चौधरी (जे० एन० चौधरी) के आदेश से छोड़ दिया गया।

आक्रमणकारियों का उद्देश्य

अब यह प्रकट किया जा सकता है कि नारायणराव, गंडैया और जगदीश, ये तीनों ही नवयुवक आर्यसमाजी हैं और आर्यसमाज के सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे हैं। इन्होंने बम-प्रयोग द्वारा निज़ाम को समाप्त कर देने का भीषण उपक्रम केवल इसीलिये किया था कि हैदराबाद रियासत को वास्तविक रूप में स्वतन्त्र कराया जाय और इस कार्य में अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो दे दी जाय। न तो इनका निज़ाम से कोई व्यक्तिगत द्वेष था और न ही इसमें इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था। वे यह भी समझते थे कि यदि बम के आक्रमण से निज़ाम मर जायगा, तो उसके बेटे गद्दी की प्राप्ति के लिए अवश्य ही आपस में झगड़ा करेंगे और तब उनमें से कोई एक भारत-संघ की सहायता भी अवश्य ही लेगा। यदि ऐसा न होगा, तो उस व्यक्ति को जो रियासत में अव्यवस्था, हत्याकाण्ड, अशान्ति और बहुत प्रकार

के अनाचारों के लिए उत्तरदायी है, उसे अपनी तानाशाही फैलाने का अवसर मिल जायगा। निज़ाम की मोटर पर बम फेंकने और निज़ाम की हत्या करने का क्या अर्थ है, यह वे भली-प्रकार जानते-समझते थे। उन्होंने तो रियासत की पूर्ण स्वतन्त्रता और जनता की सुख-सुविधा के लिए अपना सब-कुछ बलिदान करने का साहस किया था। जो बम फेंका गया था, यह वही था जिसको मैं और मेरे तीन साथी अर्थात् श्री गोपालदेव जी शास्त्री कल्याणी, श्री माणिकराव जी गोषामहल और श्री सिद्धप्पा जी हुमनावाद, 'खड़की छावनी' से खरीदकर लाये थे। मेरे गिरफ़्तार हो जाने के कारण श्री नारायणराव के हाथ वह हथगोला लग गया था। निज़ाम-राज्य में क्रान्ति के कार्यों को किस विधि से आरम्भ किया जाय, इसकी योजना बनाने तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मैं और मेरे साथियों ने नाना पाटील 'पत्री सरकार' और श्री आदरणीय सेनापति वापट जी से परामर्श किया था।

मस्त जवानी का कर्त्तव्य

क्रान्तिकारी योजनाओं में से एक और घटना का उल्लेख यहाँ किया जाता है जो पाठकों के लिए स्थिति की स्पष्टता में सहायक होगा। पंडित रुद्रदेव जी, उपदेशक 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद', श्री रामकोटया जी और सूर्या जी ने १९४८ ई० में येरुपालम और गनगेरी के बीच विजयवाड़ा से आनेवाली बहुत बड़ी मालगाड़ी पर बम फेंका, जिससे कई डिब्बे नष्ट हो गये। दूसरे दिन इस घटना के बदले घटना के समीपस्थ ग्राम को मुस्लिम गुण्डों ने जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना की सूचना ज्योंही श्री रुद्रदेव जी को मिली, उन्होंने विजयवाड़ा को लौटनेवाली गाड़ी पर बम फेंककर ड्राइवर के साथ सारी गाड़ी को जला दिया। इस घटना का प्रभाव निज़ाम-सरकार पर बहुत गहरा पड़ा।

सरदार पटेल से भाई बंसीलाल जी की भेंट

हैदराबाद में निज़ाम की पुलिस, फ़ौज, रज़ाकारों और मुसलमान गुण्डों के आक्रमण जनता पर जारी ही थे। स्थिति बहुत अधिक बिगड़

चुकी थी। भारत सरकार बहुत अधिक नर्मी से काम ले रही थी और बहुत सँभल-सँभलकर चल रही थी। भारत की इस ठण्डी नीति की बहुत कटु आलोचना सर्वत्र ही की जाती थी। यह पूछा जा रहा था कि भारत की केन्द्रीय सरकार निज़ाम के अत्याचारों की तानाशाही कब तक चुपचाप बैठी हुई देखती रहेगी ?

हैदराबाद के सुप्रसिद्ध नेता श्री भाई बंसीलाल जी वकील आये-दिन बिगड़ती जा रही परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर नई दिल्ली गये। वहाँ उन्होंने भारत के लौहपुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, गृह-मन्त्री, भारत सरकार से भेंट की। उनको सब हाल बताया और इस बात पर बल दिया कि हैदराबाद के हिन्दुओं पर जो-जो चंगेज़ी अत्याचार इस समय हो रहे हैं, वे सहनशक्ति की सभी सीमाओं को पार कर चुके हैं। आत्मरक्षा के लिए अब हिन्दुओं को अवश्य ही कोई गम्भीर पग उठाना होगा। यदि भारत सरकार का हैदराबाद के विषय में किसी प्रकार का कोई भी पग उठाने का विचार न हो तो हमें साफ़ बता दिया जाय। कम-से-कम इतना तो किया जाय कि हमें आवश्यक हथियार दे दिये जायें जिससे कि हम लोग अपनी ही शक्ति से निज़ामशाही अत्याचारों का अन्त कर दें।

सरदार पटेल ने श्री भाई बंशीलाल जी की बातों को ध्यान से सुना। फिर उत्तर में कहा—'हैदराबाद की जनता अपने संघर्ष को जारी रखे और निज़ाम के अत्याचारों से बचने के लिए अपने तौर पर जो भी उपाय कर सके, करे। भारत सरकार हैदराबाद की जनता में हथियार तो नहीं बाँटेगी, परन्तु समय आने पर वह अपनी ओर से कुछ प्रभाव-शाली कार्यवाही अवश्य ही करेगी।'

छठा आर्य-सम्मेलन

हैदराबाद राज्य का छठा आर्य-सम्मेलन 'जालना' में बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। श्री गोविन्दलाल जी पित्ती इस सम्मेलन के प्रधान थे और स्वागताध्यक्ष थे श्री मुरारीलाल जी। इस अवसर पर आर्य राज-

नैतिक सम्मेलन, कार्यकर्त्ता सम्मेलन और स्वयंसेवक सम्मेलन आदि कई सम्मेलन हुए। तीन दिन तक आनन्द और उत्साहपूर्ण वातावरण में सब कार्य निर्विघ्न रूप में चलते रहे। भाषणों और प्रस्तावों की दृष्टि से भी वह सम्मेलन बहुत सफल था। निज़ाम-सरकार की अनीति, उसकी पुलिस व फ़ौज के अत्याचारों की चर्चा तथा भर्त्सना सभी वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में की थी। सम्मेलन ने यह माँग भी ज़ोरदार शब्दों में रखी थी कि शीघ्र ही हैदराबाद रियासत को भारत-संघ में शामिल किया जाय। इस सम्मेलन का एक और भी विशेष निर्णय था, वह यह कि जनता को निज़ाम-सरकार से पूर्ण असहयोग करने का आदेश बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से दिया गया था।

अन्तिम संघर्ष

सन् १९४८ ई० का वर्ष हैदराबाद की जनता और आर्यसमाज के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि उस समय दो विचार-श्रेणियों में जो भीषण संघर्ष चल रहा था, उसके अन्तिम परिणाम प्रकट होने का समय समीप आ गया था। आर्यसमाज ने अपने संघर्ष को उस समय बहुत अधिक तीव्र कर दिया था।

कम्युनिस्टों का विश्वासघात

'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' को क़ानून के खिलाफ़ घोषित ही किया जा चुका था। आर्यसमाज और दूसरी देशभक्त एवं स्वतन्त्रताप्रिय संस्थाओं को धक्का पहुँचाने के लिए भी निज़ाम-सरकार ने एक बहुत भयानक चाल चली। वह यह कि कम्युनिस्टों पर से सरकार ने सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटा दिये और उनको अपने साथ मिला लिया। यह बात किसी प्रकार भी एक सदमे से कम न थी। उस पार्टी ने, जिसने ग़रीब जनता की सेवा का प्रण लिया था, एक ऐसे अवसर पर, जबकि निज़ाम-राज्य की जनता का भाग्य-निर्णय होनेवाला था और जनता जीवन-मरण के संघर्ष में संलग्न थी, जनता का साथ छोड़ दिया। उसने जनता के साथ विश्वास-

घात किया ही, साथ में निज़ामशाही व तानाशाही से अपना गठबन्धन भी कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने इस भद्दे कृत्य से कम्युनिस्ट विचारधारा के महान् प्रवर्त्तकों को भी कलंकित कर डाला।

जनता जाल में नहीं फँसी

निज़ाम-सरकार की चाल और कम्युनिस्ट पार्टी की कलाबाज़ी से एक बार तो जनता को कुछ चिन्ता-सी हुई थी, परन्तु शीघ्र ही बात समझ ली गई। जनता नये मदारियों के फैलाये हुए जाल में फँसने से साफ़ बच गई। निज़ाम और कम्युनिस्ट पार्टी के गठबन्धन की प्रतिक्रिया क्रान्ति के सर्वथा विपक्ष में हुई। जनता की शक्ति पहले से भी बहुत अधिक बढ़ गई और स्वतन्त्रता के दीवाने हैदराबाद के किसान, मज़दूर और जनसाधारण उत्साहपूर्वक आगे-ही-आगे बढ़ते चले गये। अब वे रियासत के अन्दर और बाहर, अनेकों मोर्चों पर निज़ामशाही से टकराने लगे थे और उसे पग-पग पर नीचा दिखा रहे थे। 'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' के कई प्रमुख कार्यकर्त्ता उन दिनों बम्बई, मद्रास, बंगलौर, विजयवाड़ा, अहमदनगर, शोलापुर आदि स्थानों में रहकर हैदराबाद के उस अन्तिम संग्राम की सफलता के लिए बहुत उत्तम कार्य कर रहे थे।

निजाम की भूल

भारत-सरकार की समझौते की मधुर नीति से निज़ाम-सरकार को कुछ भ्रान्ति हो गई थी। यदि निज़ाम-सरकार में कुछ थोड़ी-सी भी बुद्धि होती और उसको राजनीति का कुछ भी ज्ञान होता, तो वह उस अवसर का जो उसे दिया गया था, अवश्य ही स्वागत करती और अपने पुराने पापों के कड़वे फल भोगने से बच जाती। परन्तु निज़ाम ने १२ जून १९४७ ई० को एक घोषणा-पत्र के द्वारा यह आदेश जारी किया, "मैं इस बात का अनुभव करता हूँ कि मुझे स्वतन्त्र और स्वायत्त राज्य के अधिकारी के रूप में रहने का पूरा अधिकार है। इस कारण मैं भारत-सरकार के अन्तर्गत अपने राज्य को किसी भी रूप में सम्मिलित करने

के पक्ष में नहीं हूँ।" प्रतीत होता है कि अपनी तथाकथित स्वतन्त्रता और आज़ाद बादशाहत के शौक़ में निज़ामशाही अपने बुद्धि-वैभव को सर्वथा ही खो बैठी थी।

जेलों में भूख-हड़ताल

जो नेता और कार्यकर्ता जेलों में डाल दिये गये थे, उनको निज़ाम-सरकार सुखचैन से क्यों जीने देती? उनको जो भोजन मिलता था, वह बहुत ही थोड़ा होता था। इस प्रकार प्रकट है कि उन्हें भूखों मारने की चाल चली गई। इस कारण से, तथा और भी कई कारणों से वरंगल, नांदेड़, औरंगाबाद, निज़ामाबाद, संगारेड्डी, हैदराबाद और रायचूर आदि की जेलों में आर्यसमाजी राजनैतिक बंदियों ने भूख-हड़ताल आरम्भ की थी। इन भूख-हड़ताल करनेवालों की सहानुभूति में मैं और स्वामी रामानन्द जी तीर्थ ५ अक्तूबर १९४७ से २० अक्तूबर तक भूख-हड़ताल पर रहे। इसके परिणाम-स्वरूप भूख-हड़ताल करने वाले राजनैतिक बन्दियों की माँगें स्वीकार कर ली गईं।

विवशता में देश-त्याग

रियासत हैदराबाद की फ़ौज, पुलिस, रज़ाकारों और 'मजलिसे-इत्तिहादुल मुसलमीन' के गुण्डों के उन दिनों के अत्याचार इतने अधिक और इतने भीषण थे कि रियासत के कई हज़ार हिन्दुओं के सामने आत्म-रक्षा का केवल एक ही उपाय रह गया था कि हैदराबाद को छोड़कर चले जायें, और वे चले भी गये। उन दिनों बड़े-बड़े काफ़िले हैदराबाद से निकलकर गये थे और रियासत के पालतू गुण्डों ने उनको मार्ग में लूटने, सताने और समाप्त कर देने के यत्न भी किये थे। उन भयभीत तथा बेसहारा लोगों को मार्ग में भोजन आदि कई प्रकार की आवश्यकताएँ थीं जो उनके मार्ग में आनेवाले आर्यसमाजों ने पूर्ण कीं। इस प्रकार लगभग सत्रह हज़ार लोगों को सहायता दी गई थी। निज़ामी गुण्डों के अत्याचारों के कारण ही उन्हें देश-त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

शरणार्थियों और पीड़ितों की सहायता

हैदराबाद से बाहर जानेवाले पीड़ितों के लिए शोलापुर, बीजापुर, उमरखेड़, बुलडाना, अमरावती, बासिम, पूना, बारसी, चाँदा, पूसद, मनमाड़, पंडरपुर, राजनंद गाँव, और विजयवाड़ा आदि अनेक स्थानों में बड़े-बड़े शिविर स्थापित किये गये थे। इस कार्य में बम्बई सरकार ने अच्छी सहायता प्रदान की थी। उमरखेड़-शिविर में दो हज़ार पीड़ितों ने आश्रय लिया था। उनके भोजन आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था शिविर की ओर से की जाती थी। श्री स्वर्गीय पंडित बंसीलाल जी व्यास इसके प्रबन्धक थे। इस कार्य के संचालन के लिए एक 'आर्य रक्षा-समिति' संगठित की गई थी जिसमें श्री शेषराव जी वाघमारे, श्री डी० आर० दास जी, श्री कृष्णदत्त जी, श्री मनोहरलाल जी, श्री दिगम्बरराव जी लाठकर, श्री विट्ठलराव जी कुकड़ाल, रामचन्द्र जी बोडके, स्वर्गीय राजपाल जी, श्री दशरथराव जी, श्री विद्याधर जी (गुरु जी), ईश्वरलाल मट्ठड़, श्री रामचन्द्र जी वीदरकर और श्री गोपालदेव जी शास्त्री और श्री मोहनसिंह जी थे। इस समिति ने यह निश्चय किया कि (१) कांग्रेस के प्रचलित आन्दोलन में हर प्रकार से सहयोग दिया जायेगा और उसे तीव्र बनाया जाएगा, (२) हैदराबाद राज्य से आनेवाले लोगों के ठहराने आदि का प्रबन्ध किया जाएगा। पूना के शिविर का प्रबन्ध 'आर्यसमाज, पूना' द्वारा होता था। वहाँ 'आर्यसमाज, नानापेठ' में तथा पद्मशाली-संघ दो कैम्प खोले गये थे, जिनमें चार-पांच हज़ार हैदराबादी पीड़ितों को आश्रय मिला था। १६ नवम्बर १६४७ को श्री जयप्रकाश नारायण जी भी इसको देखने के लिए आये थे और उन्होंने इनकी बहुत सराहना की थी।

पहलेपहल तो सभी सहायता-शिविर आर्यसमाज के ही तत्त्वावधान में आरम्भ हुए और चलाए गये थे, परन्तु आगे चलकर 'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' का भी पूर्ण सहयोग मिल गया था और दोनों के सम्मिलित सहयोग से सब काम होने लगे थे। इस कार्य के लिए दोनों संस्थाओं की जो सम्मिलित प्रबन्धक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष श्री फूलचन्द

जी गांधी थे। श्री कृष्णदत्त जी एम० ए० उसके प्रचार-मन्त्री थे। इनका कार्य अति उत्तम रहा।

शोलापुर में श्री पंडित मनोहरलाल जी, श्री पंडित वंसीलाल जी व्यास और स्वर्गीय राजपाल जी सहायता-कार्य के प्रवन्धक रहे। बीजापुर में श्री प्रशान्तकुमार जी, सिद्धप्पा जी खड़की पंढरपुर में डी० आर०-दास जी, श्री दिगम्बरराव जी लाठकर, राजनंद गाँव में श्री पंडित गोपालदेव जी, मध्य प्रदेश में श्री कर्मवीर जी, श्री गोवर्धन जी शर्मा अहमदनगर में श्री लक्ष्मणराव जी गोजे प्रवन्धक रहे।

हैदरावाद राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में रहकर आर्यसमाजी कार्य-कर्त्ताओं ने उन दिनों की विशेष परिस्थितियों के अनुसार रक्षा, सहायता और व्यवस्था आदि कार्यों के रूप में जो सेवाएँ की थीं, वे वहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं। उनके कार्यों के विस्तार में न जाकर मैं यहाँ उनके कार्यों का स्मरण ही करता हूँ। जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर आँधी और तूफ़ान के उन दिनों में लगातार संघर्ष और सेवा का जीवन व्यतीत करते हुए सर्वथा निःस्वार्थ भाव से जो वड़े-बड़े कार्य किये थे, वे वहुत ही प्रशंसनीय हैं। स्थानीय अधिकारियों का भी सहयोग इसमें समय-समय पर प्राप्त होता रहा है। इस समिति के मंत्री मनोहरलाल जी तथा पंडित कृष्णदत्त जी प्रचार-मन्त्री थे। इनके अतिरिक्त श्री व्यास जी तथा गोपालदेव जी शास्त्री ने स्थान-स्थान पर भ्रमण कर लोगों में जागृति और उत्साहपूर्ण वातावरण को बनाए रखने में दिन-रात परिश्रम किया।

इस समिति द्वारा प्रति सप्ताह आर्य-वन्धुओं में वैदिक धर्म के प्रचार की व्यवस्था और निज़ाम के विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए सार्व-जनिक आयोजन भी किये जाते थे। इस 'आर्य रक्षा-समिति' को स्वर्गीय पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार का, जो उस समय हैदराबाद में ही थे, निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। उनकी प्रेरणा भी कार्यकर्त्ताओं के उत्साह का एक आधार थी। निज़ाम-राज्य की सीमाओं के चारों तरफ आर्य-प्रवन्धकों की सहायता के लिए धन-संग्रहार्थ श्री कृष्णदत्त जी मनोहर लाल जी, दिगम्बराम जी लाठकर ने दिल्ली और अमृतसर आदि

स्थानों में भ्रमण किया। इन बातों का जिस युग से सम्बन्ध है, तब रज़ाकारों की कमर तोड़ दी गई थी और रज़ाकार ही नहीं, पुलिस भी आर्यों से भयभीत रहने लगी थी।

पुलिस और रज़ाकारों से सामना

निज़ाम की पुलिस और रज़ाकारों का मुक़ाबिला करने के लिए आर्यों ने उन दिनों में जो कुछ सम्भव था, वह सब तैयारी कर ली थी और मोर्चों पर जमकर लड़ाई भी लड़ी थी। पुलिस को भी वस्तुस्थिति का पता चल चुका था। इसलिए बहुत-से आर्यसमाजियों के वारण्ट निकाले गये। आर्य-नेता एडवोकेट श्री शेषराव जी वाघमारे निलंगा से अपना घर-बार छोड़कर राज्य के सीमाप्रदेश में चले गये, जिससे कि वे अपने साथियों के साथ मिलकर स्वतन्त्रता के अन्तिम युद्ध में क्रियात्मक रूप से भाग ले सकें। इनकी गिरफ्तारी का वारण्ट निकल चुका था। निलंगा के सब-इन्स्पेक्टर ने एक गुप्त पत्र दिया था कि श्री वाघमारे जी की गिरफ्तारी से काफ़ी गड़बड़ मच जाएगी। श्री शेषराव जी वाघमारे को भी सूचना मिल चुकी थी कि उनको और उनके साथियों को पकड़ने की तैयारियाँ हो रही हैं। इसलिए वे बचकर निकल गए थे। निलंगा के श्री गोविन्दनायक जी और श्री नरसिंहराव जी भी उनके साथ थे।

सीमा पर पहुंचकर उन्होंने श्री फूलचन्द जी गांधी और श्री बावा साहब परांजपे से भेंट की। उन्होंने एक कार्यक्रम दिया। ये कई दिन तक उसके अनुसार कार्य करते रहे। इन्होंने हैदराबाद के जागीरदार, नवाबों और निज़ाम की फ़ौज के लोगों से हथियार प्राप्त करके स्वतन्त्रता-संग्राम को आगे बढ़ाने में अपूर्व साहस और कार्यकुशलता का परिचय दिया। आपने अपसिंगा तालुक़ा तुलजापुर के समीप रज़ाकारों के एक बड़े समूह से टक्कर ली। तीन घण्टे तक दोनों ओर से गोलियाँ चलती रहीं। आपने अकेले ही बड़े शौर्य के साथ रज़ाकारों को मौत के घाट उतारकर अपने पराक्रम द्वारा अपसिंगा के लोगों पर होनेवाले अत्याचारों से उन्हें बचाया। आपकी वीरता से देश को एक नया आलोक प्राप्त हुआ। किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

"प्रतिशोध से होती है शौर्य की शिराएँ दीप्त,
प्रतिशोध-हीनता नरों में महापाप है।"

उन दिनों हैदराबाद और बारसी की सीमाओं में तेरह कैम्प खुले हुए थे और कई हज़ार स्वयंसेवक उनमें काम कर रहे थे। श्री रामचन्द्र जी, मन्त्री 'आर्यसमाज, लातूर' और श्री चन्द्रशेखर जी वकील लातूर, श्री गोपालदेव जी, स्वर्गीय राजपाल जी, के० लक्ष्मीनारायण, स्वर्गीय राजरेड्डी और श्री जी० माणिकराव भी शस्त्र-संग्रह, स्वयंसेवकों की प्राप्ति, विस्थापितों के पुनर्वास, शिक्षा और व्यवस्था आदि के महत्त्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे।

ग्रामों में जनता की सरकार

'माने गाँव में' नाका समाप्त कर यहाँ स्वतन्त्रता का झण्डा लहरा दिया गया। निज़ाम-सरकार के कारिन्दों ने प्रजा पर अत्याचार करके पाँच हज़ार बोरी अनाज का संग्रह कर रखा था। क्योंकि यह गाँव जनता की फ़ौज के हाथ आ चुका था और पूर्ण स्वतन्त्र हो चुका था, इसलिए सारा अनाज जनता में बाँट दिया गया। यहाँ श्री बाबा साहब परांजपे और श्री फूलचन्द जी गांधी ने तिरंगा झण्डा लहराकर स्वतन्त्रता की घोषणा की थी। यहाँ पर तीन मास तक जनता-राज रहा था और स्कूल-डाकखाने-पुलिस आदि का सब प्रबन्ध ग्राम-पंचायत द्वारा किया जाता था।

अपसिंगा के मोर्चे को सुदृढ़ बनाने और जनता की फ़ौज का सामना करने के लिए निज़ाम की फ़ौज तथा रज़ाकारों को भेजा गया, जिन्होंने वहाँ पहुंचकर अपना मोर्चा बना लिया था। इसके बाद पुलिस ने जनता की फ़ौज पर गोली चलानी आरम्भ कर दी। इस प्रकार देर तक पुलिस का सामना करते रहने के बाद श्रीधर वरतक ने वहीं वीरगति प्राप्त की।

जनता की फौज की धाक

निज़ाम की पुलिस श्रीधर वरतक के मृतक शरीर को अपने साथ

उस्मानाबाद ले गई। उसने वहाँ यह घोषणा कर दी कि भारत-सरकार के बड़े फ़ौजी ऑफ़ीसर को पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। परन्तु जब जनता की फ़ौज की तरफ़ से इसका खण्डन किया गया, तो पुलिस फिर हैरान और परेशान हो गई। जनता की जो फ़ौज संगठित की गई थी, उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में रुपये और अन्य सामान की आवश्यकता थी। उसके मुकाबिले में निज़ाम की फ़ौज और रज़ाकारों को सब प्रकार की सुविधायें प्राप्त थीं। जनता की फ़ौज तो जनता की सहायता और लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिये गये चन्दे से ही चलाई जा रही थी। इस कार्य के लिए जनता ने जो धन अर्पित किया, वह लगभग एक लाख रुपया था। निज़ाम-राज्य की सीमाओं के दस मील अन्दर तक के ग्रामों को जनता की इस फ़ौज ने भारत-सरकार के 'पुलिस-ऐक्शन' से पहले ही स्वतन्त्र करा दिया था। कार्य बड़े उत्साह और लगन से किया जा रहा था। निज़ाम की पुलिस और फ़ौज एवं रज़ाकार गुण्डे सभी जनता की फ़ौज के हाथ देख चुके थे और सामना करने में कतराते थे। क्यों? इस-लिए कि यह फ़ौज आज़ादी के परवानों की फ़ौज थी और रज़ाकार भाड़े के टट्टू थे।

जब बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तब जनता की फ़ौज ने यह योजना बनाई थी कि १५ हज़ार सैनिकों की फ़ौज संगठित की जाय और वह चारों ओर से एक-साथ आक्रमण करके हैदराबाद को मुक्त कराये। इस कार्य में नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की 'आज़ाद हिन्द सेना' के मेजर जनरल श्री जगन्नाथराव जी भोंसले ने बहुत महत्त्वपूर्ण सहायता दी थी। परन्तु भारत-सरकार इसके पक्ष में न थी। इसलिए यह योजना आगे न बढ़ाई जा सकी। उन्हीं दिनों की एक घटना है। एक स्थान पर पचास बम छिपाकर रखे गये। अचानक आग लग गई। उसके कारण श्री गोविन्दनायक घायल हो गये। परन्तु कोई बड़ी हानि नहीं हुई क्योंकि आग बाज़ार में एक ओर लगी थी। वह स्थान बमों के स्थान से कुछ दूर था और आग पर शीघ्र ही क़ाबू पा लिया गया था, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। इस घटना से भी सम्बन्धित कार्यकर्त्ताओं को

कार्यकुशलता, धैर्य और उनके साहस का पूरा परिचय मिल जाता है।

सितम्बर १९४८ ई० के आरम्भ में जब श्री हृदयनाथ जी कुंजरू सीमा-प्रदेश में आये, तो उनको सब आयोजनों से परिचित कराया गया। भारत-सरकार की सेनायें उन दिनों शोलापुर में एकत्र हो रही थीं और 'पुलिस-ऐक्शन' के आरम्भ की अन्तिम तैयारी की जा रही थी। हैदराबाद के सीमा-प्रदेशों के नवयुवक यह देख-देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि अब शीघ्र ही निज़ामशाही का शान्तिपाठ पढ़ दिया जायेगा।

धैर्यशील वीर विनायकराव

स्वर्गीय पंडित विनायकराव जी विद्यालंकार निज़ाम-सरकार और 'मजलिस'-वालों की आँखों में देर से खटकते चले आ रहे थे और वे यत्न करने पर भी इनका कुछ बिगाड़ न सके थे। सन् ४७ और ४८ में जो स्थिति हैदराबाद में उत्पन्न हो चुकी थी, उसको ध्यान में रखते हुए यह सर्वथा उचित था कि विशिष्ट नेता, कार्यकर्त्ता, रईस और अधिकारी हैदराबाद से टलकर अन्यत्र सुरक्षित स्थानों में चले जायें। परन्तु शत्रुओं से पूर्णतया घिरे हुए होने पर भी श्री पंडित विनायकराव जी ने अपने मित्रों के दूसरे स्थान पर चले जाने के आग्रह को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और निज़ाम तथा रज़ाकारों के गढ़ में बैठकर ही उनका सामना निडरतापूर्वक किया।

वकीलों का महत्त्वपूर्ण निश्चय

जब निज़ाम-सरकार के अत्याचार सभी सीमाओं को पार कर गये, तब हैदराबाद राज्य के वकीलों को भी बहुत अधिक साहस का एक पग उठाना पड़ा। उस गम्भीर स्थिति में अपनी स्वदेश-भक्ति और न्यायप्रियता का परिचय देने के लिए हैदराबाद के वकीलों ने मिलकर एक कमेटी संगठित की। श्री पंडित विनायकराव जी उसके प्रधान थे और श्री गोपालराव जी एडवोकेट उपप्रधान बनाये गये थे। श्री जे० वी० नरसिंहराव जी एडवोकेट, श्री धरनीधर संघी एडवोकेट उसके मन्त्री थे। उक्त

कमेटी ने निज़ाम-राज्य की सम्पूर्ण अदालतों के बहिष्कार का फैसला किया। इससे निज़ाम-सरकार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। अदालतों में सर्वत्र सन्नाटा छा गया। इस निश्चय का प्रभाव महात्मा गांधी के उस आन्दोलन से भी अधिक हुआ, जो सन् १९२२ में न्यायालयों के बहिष्कार और असहयोग के रूप में चला था। उस कठिन परिस्थिति में श्री पंडित विनायकराव जी ने वकीलों का जो कुशल नेतृत्व किया, उसके कारण निज़ाम-सरकार बौखला उठी। श्री पंडित विनायकराव जी और श्री धरणीधर संघी एडवोकेट को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

नवयुवकों के शौर्य एवं बलिदान की अमर गाथाएँ

भारत-संघ में हैदराबाद के प्रवेश और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उस महान् संग्राम में हैदराबाद के नवयुवक-वर्ग ने जो भाग लिया था, उसकी, सब ओर बड़ी प्रशंसा हुई। वास्तव में, उनका कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय था। वे अपने कॉलिजों, स्कूलों और विविध प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं को छोड़कर, अपने भविष्य और प्राणों की चिन्ता भी त्यागकर, उस आन्दोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने प्रदर्शन किये थे, जलसे किये थे, जुलूस निकाले थे, लाठियाँ खाई थीं, रुलानेवाली गैस और गोलियों की बौछारें सही थीं, घायल हुए थे, पकड़े गये थे, परन्तु हिम्मत न हारी थी। अपने लिखने-पढ़ने को ही नहीं, परीक्षाओं को भी उन्होंने बिसार दिया था। अपने आचरण से उन्होंने यह भली प्रकार दिखला दिया कि आज के युवक ही कल के नागरिक हैं और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान प्रसन्नतापूर्वक दे सकते हैं।

वन्दे मातरम् रामचन्द्रराव की चुनौती मौत को

आर्यसमाज ने एक और भी बड़े मोर्चे पर विजय प्राप्त की थी। यह कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण और भयानक था। श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी भारत-सरकार के एजेण्ट-जनरल के रूप में नियुक्त थे। यहाँ बैठकर वे निज़ाम-सरकार, रज़ाकारों और 'मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन'

की सभी करतूतों को देख रहे थे। उस अवसर पर आवश्यकता थी इस बात की कि निज़ाम-सरकार के गुप्त निर्णयों और रहस्यों का पता लगा कर श्री मुन्शी जी को उनकी सूचना दी जाय। यह काम बहुत कठिन था और इस कार्य की पूर्ति मौत को चुनौती देने के बराबर थी। फिर भी 'वन्दे मातरम्' जी ने इसे अपने हाथ में लिया और बड़ी उत्तमता से पूर्ण भी किया। श्री मुन्शी जी को निज़ाम-सरकार के सभी गुप्त फ़ैसलों और रहस्यों के समाचार ठीक-ठीक रूप में पहुंचाने की पूर्ण व्यवस्था कर ली गई थी। भारत ने जो 'पुलिस ऐक्शन' का निर्णय किया था और जिस रूप में सब कार्यक्रम सफलतापूर्वक शीघ्र ही सफल हुआ था, वह सब इस व्यवस्था के कारण ही था। इस गुप्त कार्य को शौर्य व जान को हथेली पर लेकर श्री वन्देमातरम् रामचन्द्रराव जी और श्री वीरभद्रराव जी ने जो भारतीय स्वतन्त्रता के प्रति अपनी निष्ठा तथा स्वाभिमान का परिचय दिया, वह हैदराबाद के स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास की एक अमर निधि के रूप में रहेगा। अपनी जन्मभूमि के निमित्त ही इन्होंने अपना खून-पसीना एक किया था।

भारतीय आर्यों का सहयोग

सभी प्रदेशों में आर्यसमाज के कार्यकर्त्ता लगातार कई मास तक जो महत्त्वपूर्ण संघर्ष करते रहे थे, उसमें 'सार्वदेशिक सभा' का नैतिक सहयोग और समर्थन भी हैदराबाद के आर्य नेताओं को निरन्तर प्राप्त रहा था। कुछ आर्थिक सहयोग भी मिल जाता था। श्री महात्मा आनन्दस्वामी जी ने भी कई दिनों तक सीमाप्रदेश में रहकर संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया था और वे अपने प्रभाव से कई हज़ार रुपये मासिक की सहायता भी भिजवाते रहे थे।

निज़ाम की चालबाज़ी

रियासत हैदराबाद में 'पुलिस ऐक्शन' के लिए भारत-सरकार का मार्ग पूर्णतया साफ़ हो चुका था। निज़ाम पहले तो 'मसलिसे इत्तिहादुल

मुसलमीन' द्वारा मुसलमानों को उल्लू बनाने के यत्न में लगा रहा। परन्तु जब उसे अपने उद्देश्य में पूरी नामुरादी का सामना करना पड़ा और हैदराबाद के 'हिज़ मेजस्टी' बनने का उसका स्वप्न भंग हो गया तब अन्त में वह निर्लज्जतापूर्वक भारत-संघ के पैरों में लोटने लगा। निज़ाम ने भारत-सरकार से गुप्त पत्रव्यवहार आरम्भ करके अपने-आप को विवश और रज़ाकारों के अधीन आश्रित और कैदी आदि-आदि प्रकट करना शुरू कर दिया। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि भारत-सरकार उसे और उसकी रियासत को रज़ाकारों के चंगुल से स्वतन्त्र कराने की कृपा करे। रज़ाकारों और मजलिसी गुण्डों को तो उनकी करनी का फल मिल गया, परन्तु निज़ाम साफ बच गया। न केवल बच गया, अपितु राजप्रमुख के रूप में उसको फिर से नवाबी भी मिल गई। यह ठीक नहीं है कि निज़ाम रज़ाकारों का कैदी था। रज़ाकार तो निज़ाम की गुप्त योजना के अनुसार ही संगठित किये गए थे। यह बात यहाँ ध्यान देने की है कि काम बनता न देखकर निज़ाम ने ही रज़ाकारों को धोखा दिया था।

पुलिस-ऐक्शन

भारत-सरकार के मन्त्रिमण्डल की रक्षा-समिति में इस प्रश्न पर कई बार झगड़ा हुआ। सरदार पटेल रज़ाकारों द्वारा हिन्दुओं पर किये जा रहे अत्याचारों से क्षुब्ध थे, किन्तु नेहरू जी को सरदार पटेल के इस असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण में साम्प्रदायिकता की गन्ध आती थी। अतएव वह हैदराबाद के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भी बल-प्रयोग के विरुद्ध थे। यह वाद-विवाद रक्षा-समिति में एक बार तो इतना अधिक उग्र हो उठा कि सरदार पटेल विरोध-स्वरूप रक्षा-समिति की बैठक से उठकर चले गए। साथ ही उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया। दूसरे दिन तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार को मनाकर वापस लाए। संयोगवश उसी दिन कनाडा के राजदूत ने नेहरू जी से रज़ाकारों द्वारा ईसाई महिलाओं पर आक्रमण किये जाने

की शिकाइत की। तब जाकर नेहरू जी ने हारे मन से हैदराबाद पर अधिकार करने की सहमति दी। फलतः सरदार पटेल ने सेनाओं को आज्ञा दी कि १३ सितम्बर को हैदराबाद पर चढ़ाई की जावे। उस समय भारत का प्रधान सेनापति जनरल ब्लूशर था। उसने सरदार से कहा कि १३ का दिन अशुभ है, अतएव चढ़ाई १४ को की जावे। इस-पर सरदार ने उत्तर दिया कि गुजरात में १३ का अंक शुभ माना जाता है, फिर भी यदि आपको आपत्ति है तो चढ़ाई १२ को की जावे। अत-एव १३ सितम्बर को हैदराबाद पर दो ओर से मेजर जनरल जे० एन०-चौधरी (जो भारतीय स्थल-सेनाओं के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ थे) ने चढ़ाई की। मुख्य सेना १८६ मील के शोलापुर-हैदराबाद के मार्ग से चली। दूसरी छोटी सेना बेजवाड़ा-हैदराबाद के १६० मील के मार्ग से चली। १३ तथा १४ सितम्बर को कुछ हल्का प्रतिरोध हुआ। तीसरे दिन विरोध शान्त हो गया। भारतीय सेना के हताहत नगण्य थे, किन्तु रज़ाकारों के ८०० सैनिक मारे गये। १७ सितम्बर को हैदराबाद के प्रधान-सेनापति एल० एदरूस ने जनरल चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे तथा हैदराबाद की सेना को निःशस्त्र कर दिया गया। जनरल चौधरी ने १८ सितम्बर को हैदराबाद में प्रवेश किया।

लायक़ अली तथा उसके मन्त्रि-मण्डल को अपने-अपने घरों में नज़रबन्द कर दिया गया। भारत के एजेण्ट जनरल श्री के०एम० मुन्शी को पाबन्दियों से मुक्त किया गया। १८ सितम्बर को ही मेजर-जनरल चौधरी को हैदराबाद राज्य का सैनिक गवर्नर बनाया गया। १९ को कासिम रिज़वी को गिरफ्तार किया गया।

२३ सितम्बर को निज़ाम ने सुरक्षा-परिषद् को एक तार भेजकर उसे सूचना दी कि हैदराबाद की शिकाइत को संयुक्त राष्ट्रसंघ से वापस लिया जाता है। पाकिस्तान आदि कुछ विदेशी राज्यों ने इस मामले के वापस लिये जाने पर आपत्ति की, किन्तु अन्त में मामला समाप्त कर दिया गया।

इस समय जनता की यह माँग थी कि निज़ाम को राज्यच्युत कर

दिया जाए, किन्तु सरदार पटेल ने ऐसा करना उचित नहीं समझा।

यद्यपि लायक़ अली इस समय नज़रबन्द था, किन्तु बाद में वह वहाँ से गुप्त रूप से भागकर पाकिस्तान जा पहुँचा। यह आश्चर्य की बात है कि भारत-सरकार की ओर से इस प्रकार की बात की आज तक कोई जाँच नहीं की गई कि लायक़ अली को हैदराबाद तथा बम्बई से भागने में किसने सहायता दी थी।

फ़रवरी १९४९ में सरदार पटेल ने अपनी दक्षिण की यात्रा के सिलसिले में हैदराबाद की यात्रा की। इस अवसर पर सरदार का स्वागत करने निज़ाम स्वयं हवाई अड्डे पर आया। उसने अपने जीवन में प्रथम और अन्तिम बार हाथ जोड़कर सरदार का अभिवादन किया और भारत-राष्ट्र के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया।

हैदराबाद में भारत-सरकार के 'पुलिस-ऐक्शन' की सफलता एक प्रकार से आर्यसमाज और दूसरी स्वतन्त्रताप्रिय देशभक्त संस्थाओं की सफलता थी। वह जनता की सफलता थी, जिसने निरन्तर कष्ट उठाये थे और स्वतन्त्रता की देवी की बलिवेदी पर बड़े-बड़े बलिदान प्रस्तुत किये थे। यद्यपि आर्यसमाज और स्टेट कांग्रेस को बहुत वर्षों तक धार्मिक, नागरिक और अन्त में राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा, उनके मार्ग में बड़ी-बड़ी बाधायें आईं, परन्तु उन्होंने हिम्मत न हारी। वे एक सफलता के बाद दूसरी सफलता की ओर बढ़ते ही चले गये और अन्त में अपने अन्तिम लक्ष्य पर पहुँच ही गये।

रियायत हैदराबाद के क्षितिज पर दो-ढाई सौ वर्ष के बाद स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रवाद का सूर्य चमका। ग़ुलामी का घोर अंधकार दुम दबाकर भाग गया। स्वतन्त्रता का स्वर्णिम युग आरम्भ हुआ। जनसाधारण अपने हाथों में एक नई शक्ति को और अपने हृदयों में नई उमंग को अनुभव करने लगे।

"फला-फूला रहे, या रब! चमन मेरी उमीदों का,
जिगर का खून दे-देकर ये बूटे मैंने पाले हैं।"

परिशिष्ट १

नरेन्द्र निकेतन

ध्वजारोहण—'हैदराबाद स्टेट कांग्रेस' के अनुसार १५ अगस्त सन् १९४७ को (जबकि भारत स्वतन्त्र हुआ था और हैदराबाद में निज़ाम का ही राज्य था) बड़े ही धैर्य एवं साहस के साथ कल्याण और राजेश्वर के पुलिस स्टेशन, हुमनाबाद के बस-स्टैण्ड तथा सस्तापुर और दालिम के डाक-बँगले पर तिरंगा ध्वज फहराया गया। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि दालिम के डाक-बँगले में उस रात पुलिस के अधिकारी स्वयं उपस्थित थे, लेकिन यह कार्य गुप्त रूप से सम्पन्न किया गया। इस साहस-पूर्ण कार्य में भाग लेनेवालों में आश्रम के संचालक श्री गोपालदेव जी, श्री निवृत्तिराव जी, श्री नागोराव जी, श्री नरसिंहराव जी, निरंगुड़ी आदि प्रमुख थे।

तार और पेड़ काटे गये

बीदर और भालकी के बीच रेलवे की तार-व्यवस्था को भंग कर दिया गया और कांग्रेस के आदेशानुसार धनूरा वन और चंडकापुर वन के सैकड़ों वृक्ष रातों-रात काट गिराये गये।

सशस्त्र क्रान्ति—हुन्नाली, गोटी, मुचलंब, मालेगाँव और काहेपुर आदि स्थानों पर रज़ाकारों एवं पुलिस के कर्मचारियों के साथ डटकर मुक़ाबिला हुआ। गोटें की लड़ाई में बीदर ज़िले का विख्यात रज़ाकारी नेता हिज़ामुद्दीन और उसके दो साथी मारे गये। वेल्लूरा् नामक ग्राम में भी रज़ाकारों का डटकर सामना किया गया। इन सारे संघर्षों में विशेषकर आश्रमवासी कार्यकर्त्ताओं का ही हाथ रहा है। इस स्वातन्त्र्य-युद्ध में आश्रम के दो कर्मनिष्ठ कार्यकर्त्ता श्री वेंकटराव जी मूले मिरखल और श्री केशवाचार्य जी वेलूरा शहीद हुए। इन दोनों वीरों ने सीमा-क्षेत्र पर रज़ाकारों एवं पुलिस के साथ लड़ते हुए वीर-गति प्राप्त की है।

वागहरी कैंप—'उस्मानाबाद ज़िला कांग्रेस' ने सर्वप्रथम उस्मानाबाद-

गुलबर्गा-सीमा पर अक्कलकोट स्टेट में वागहरी नामक गाँव में एक कैंप खोला। इसका एकमात्र उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति ही था। सीमा-प्रदेश में स्थित करोड़गीरी नाका को धराशायी करना और रज़ाकारों को मूल से समाप्त करना आदि आयोजन इस क्रान्ति के अन्तर्गत थे। इस कैंप में अलन्द, गुंजोटी, नरेन्द्र निकेतन जानापुर आदि के कार्यकर्त्ता प्रमुख रूप से थे। इस कैंप में श्री गोपालदेव जी शास्त्री कल्याणी को सर्वप्रथम सर्वाधिकारी (कैप्टन) के रूप में नियुक्त किया गया। पन्द्रह-बीस दिन के भीतर ही इस कैंप ने पर्याप्त प्रगति की। इसके अनुसार चाकूर पुलिस-स्टेशन पर हमला करके वहाँ से बहुत-से हथियार प्राप्त किये गये। इस कार्य में श्री गोविन्दराव, शाहुराव पवार आदि का पराक्रम वस्तुतः दर्शनीय रहा है। श्री गोपालदेव जी को गोली लगने के कारण 'वाड़िया अस्पताल, शोलापुर' में तीन मास तक विश्राम करना पड़ा।

चौंसठ ग्राम स्वतन्त्र

अस्पताल से अवकाश प्राप्त करने के साथ ही, उस्मानाबाद जिले में कांग्रेस के आदेशानुसर जो ६४ ग्राम स्वतन्त्र हुए थे, उनमें प्रचार करने का उत्तरदायित्व श्री गोपालदेव जी ने अपने कंधों पर लिया।

वांगी वाख्ल आदि स्थानों पर अनेक सभाओं में भाषण आदि द्वारा आपने जनजागृति उत्पन्न की। स्वतन्त्रताप्राप्त ६४ ग्रामों के प्रबन्ध-कार्य में भी अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया। यह सारा कार्य स्वर्गीय श्री फूलचन्द जी गांधी अध्यक्ष 'ज़िला कांग्रेस कमेटी, उस्मानाबाद' के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ है। साथ ही इन कार्यों में निलंगा, लातूर, तुलजापुर, वाशी आदि के आर्यसमाजी कार्यकर्त्ताओं का भी प्रमुख रूप से सहयोग रहा है।

मुस्लिम रज़ाकारों के प्रतिकारार्थ शस्त्र-संग्रह

हैदराबाद में निज़ाम और 'मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन' से प्रेरणा लेकर क़ासिम रिज़वी ने शस्त्रों से रज़ाकारों को लैस किया था

जिससे हिन्दुओं के प्राण और उनकी इज्जत खतरे में पड़ गई थी। इस गंभीर स्थिति को अनुभव करते हुए श्री पंडित रुमदेव जी, श्री एन० देवय्या जी (चादर घाट) तथा मैंने १० हज़ार रुपये की राशि शस्त्रों के लिए इकट्ठा करने के निमित्त वरंगल तथा नलगुण्डा का तूफ़ानी दौरा किया और संग्रहीत शस्त्रों को ग्रामीणों में वितरित करके रज़ाकारों के आक्रमण से आत्मरक्षा की उन्हें प्रेरणा दी।

परिशिष्ट २

मृत्यु का सामना : वीरांगना का पराक्रम : दम्पति बलिदानी

हैदराबाद में रज़ाकारी गतिविधियाँ जब शिखर पर थीं, उस समय की घटना है कि ज़िला उस्मानाबाद के कलक्टर मिस्टर हैदरी ने दो पठान और एक मुस्लिम पुलिस जवान को लेकर ६ मई सन् १९४८ को श्री किशनराव टंके तहसल भूम स्थान ईंट के घर पर पहुँचकर किशनराव जी से कहा कि "तुम्हारे घर के आँगन में 'ओ३म्' का झण्डा लहरा रहा है, उसे तुरन्त निकाल दो, अन्यथा तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा !" श्री किशनराव जी ने शोधपूर्ण ध्वनि में बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि "मैं प्रत्येक रूप में मृत्यु का आलिंगन कर सकता हूँ परन्तु 'ओ३म्' के झण्डे को कदापि अपने घर से उतारूँगा नहीं।" ज्योंही श्री किशनराव जी के मुख से ये शब्द निकले कि मिस्टर हैदरी ने पिस्तौल से गोली चलाकर श्री किशनराव जी को मृत्यु के घाट उतार दिया। जैसे ही गोली से धड़ाके की ध्वनि श्री किशनराव जी की धर्मपत्नी श्रीमती गोदावरी जी के कानों में पड़ी, उन्होंने घर में लटकी हुई बन्दूक उठाई और विद्युत् की भाँति घटनास्थल पर पहुँचीं। दो पठानों और एक पुलिस जवान को गोली का निशाना बनाकर उन्हें वहीं का वहीं ढेर कर दिया। दूसरे कक्ष में एक और हैदरी अत्याचारी खड़ा था। उसने वीरांगना श्रीमती गोदावरीबाई को पिस्तौल की गोली चलाकर समाप्त कर दिया और उनके सारे घर को आग लगा दी।

श्री किशनराव टंके और उनकी धर्मपत्नी गोदावरीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी आर्य-धर्म के पवित्र 'ओ३म्' की पताका को झुकने न दिया। यह थी उन धर्मपरायण पति-पत्नी की अदम्य वीरता की कहानी !

आर्यसमाज के कार्य में इनका योगदान

पं० गोपदेव जी दर्शनाचार्य

श्री पं० गोपदेव जी दर्शनाचार्य आन्ध्र प्रदेश में वैदिक धर्म का प्रचार तथा महर्षि दयानन्द के महान् मिशन को जनता तक पहुँचाने में अपना जीवन अर्पित किये हुए हैं। आपको तेलुगु भाषा पर पूर्ण अधिकार है। आपकी भाषा मधुर, सरस और हृदयग्राही होती है। जनता आपके प्रवचनों को ध्यानपूर्वक श्रद्धा से श्रवण करती है। यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी कि स्वर्गीय आदिपूडी सोमनाथ राव जी के बाद इस समय समस्त आन्ध्र प्रदेश में पण्डित जी सर्वाधिक लोकप्रिय वक्ता और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने अब तक दर्शन, उपनिषद्, सत्यार्थ-प्रकाश, ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका, आस्तिकवाद तथा महर्षि दयानन्द के जीवन-चरित्र के अतिरिक्त दो दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके तेलुगु जनता को वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का सम्पूर्ण दिग्दर्शन कराया है। पण्डित जी की साधना, धार्मिक वृत्ति, और सत्य-निष्ठा उनके जीवन के विशेष अंग हैं।

पं० मदनमोहन विद्यासागर वेदालंकार

श्री पं० मदनमोहन विद्यासागर जी वेदालंकार 'गुरुकुल विश्व-विद्यालय कांगड़ी' के प्रतिष्ठित सुयोग्य स्नातक हैं। आपने आन्ध्र प्रदेश के प्रसिद्ध ज़िला टेनाली में कई वर्ष तक वैदिक धर्म के प्रचार में 'सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' को महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। आप वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अफ्रीका, वर्मा आदि देशों का भी भ्रमण कर चुके हैं। वर्तमान समय में आप हैदराबाद में स्थायीरूप से आर्यसमाज के सेवाकार्य में संलग्न हैं। आप एक सुयोग्य वक्ता होने के साथ-साथ उच्चकोटि के लेखक भी हैं। आपने अनेक सैद्धान्तिक ग्रन्थों

का निर्माण किया है। 'संस्कार समुच्चय' आपकी नवीनतम रचना है। भारत के प्रायः सभी आर्य समाचारपत्रों में आपके लेख विशेषरूप से प्रकाशित होते रहते हैं। आप वेदों के विद्वान्, गम्भीर चिन्तक एवं विचारक हैं। आप 'आर्य प्रतिनिधि सभा' के उपप्रधान भी रहे हैं। आर्यसमाज की गतिविधियों में आपका स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है।

पं० मुन्नालाल जी मिश्र

श्री पं० मुन्नालाल जी मिश्र का नाम हैदराबाद के आर्यसमाज के इतिहास में प्रथम पंक्ति में है। आपने हैदराबाद के नव-निर्माण में बढ़-चढ़कर भाग लिया है। आप सुधारवादियों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप श्री मोहनलाल जी बलदेवा के सम्पर्क से 'बाज़ार में खरीदने गये थे कि स्वयं खरीदे गये' लोकोक्ति के अनुसार आर्यसमाज के ही होकर रहे।

आप सत्यनिष्ठ, समाज-सुधारक एवं वैदिक सिद्धान्तों पर दृढ़ हैं। वैदिक धर्म का प्रचार आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आप हैदराबाद-धर्मयुद्ध, पंजाब के हिन्दीरक्षा-सत्याग्रह तथा दिल्ली के गोरक्षा-आन्दोलन में सर्वाधिकारी के रूप में अधिक प्रशस्त हुए। आपके यश की सुगन्ध हैदराबाद में सर्वत्र व्याप्त है।

श्री कोतूर सीताय्या जी गुहा

श्री कोतूर सीताय्या जी गुहा आर्यसमाज के सम्पर्क में उस घड़ी में आये जब आर्यसमाज संघर्षों से जूझ रहा था। तब से आज तक आपका सम्पूर्ण परिवार महर्षि के आदर्श सिद्धान्तों का पालन करता आ रहा है। आप 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' के उपप्रधान एवं मन्त्री के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। आप अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी, सहायक एवं पोषक हैं। आप सेवाभावी, मिलनसार, सहृदय तथा धार्मिक प्रवृत्ति-स्वभाव के हैं।

श्री कोतूर सीताय्या जी गुहा तथा पं० तुलजाराम जी वैद्य दक्षिण

में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के हेतु एवं सुयोग्य उपदेशकों के निर्माण के निमित्त 'दयानन्द उपदेशक विद्यालय' की स्थापना करने में अहर्निश जुटे हुए हैं। पं० तुलजाराम जी आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य हैं। निर्धनों की निःस्वार्थ सेवा तो आपकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ही बन गई है।

श्री छगनलाल जी विजयवर्गीय

श्री छगनलाल जी विजयवर्गीय श्री बंसीलाल जी व्यास की आर्यसमाज को एक महान् देन है। आपका सम्पूर्ण परिवार एक आदर्श आर्य के रूप में एक अनूठा उदाहरण है। आर्यसमाज की विभिन्न गतिविधियों में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। समाज के कार्य की लगन आपका अपना स्वभाव बन गया है। 'आर्य प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद' के रचनात्मक कार्यों में आप सदा अग्रणी रहते हैं। कर्मशील, दयानन्दवादी एवं पारमार्थिक कार्यों में आप उदारमना रहे हैं। सभा के मंत्रिपद से त्याग-पत्र देने के पश्चात् से सभा-प्रधान श्री एस० वैंकट स्वामी एडवोकेट के नेतृत्व में श्री बाल रेड्डी जी सभा के मंत्रिपद पर सुचारुरूप से कार्य कर रहे हैं। श्री रेड्डी जी ने अपना समस्त जीवन आर्यसमाजरूपी माता के चरणों में अर्पित किया हुआ है। आर्यसमाज ही आपका सर्वस्व है।

आर्यसमाज के आशा-दीप

इन व्यक्तियों के साथ-साथ आर्यसमाज के आशा-दीप के रूप में अन्य सैकड़ों आर्यवीर निष्ठा, त्याग और अद्भुत क्षमता के बल पर सदा निज़ाम की शैतानियत और अमानुषिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे; और आज भी महर्षि दयानन्द के मिशन को जनता तक पहुँचाने में अपने जीवन की बाजी लगा रहे हैं। उनमें से कतिपय निम्न सज्जनों के नाम चिरस्मरणीय रहेंगे—

श्री पं० बी०एन० चौबेजी बी०ए०एल०एल०बी०, पं० केशवाचार्यजी शास्त्री, पं० व्यंकटेश्वर जी शास्त्री, श्री सत्यनारायण जी आर्य, श्री एस० व्यंकट स्वामी जी एडवोकेट, श्री दिगम्बरराव जी लाटकर एडवोकेट,

श्री वेदव्रत जी, श्री प्रेमचन्द जी 'प्रेम', श्री डॉक्टर रमेशचन्द्र जी भटनागर, श्री ज्ञानचन्द्र जी बी०एस-सी०, श्री कुमार स्वामी जी, श्री देवनाथ जी, श्री व्रतपाल जी, श्री रामदेव जी वैद्य शास्त्री, श्री प्रशान्तकुमार जी एम०ए०, श्री कालीचरण जी प्रकाश, श्री विनय-कुमार जी, मन्त्री प्रगटा वेंकटेश्वरराव जी, श्री कृष्णस्वामी जी नायडू, श्री सत्यव्रत जी एम०ए०, श्री रंगय्या जी आर्य, श्री कृष्णराव जी, श्री संग्राम जी आर्य (हैदराबाद), श्री हरिश्चन्द्र जी (गुरुजी) औराद, पं० कर्मवीर जी विद्यावाचस्पति, श्री रमेश जी एम०एस०-सी० गुंजोटी, श्री शिवमुनि जी वानप्रस्थी, श्री देवदत्त जी तुंगार एम०ए०, श्री डॉक्टर सुभाष जी, डॉ० वंशीलाल जी शर्मा नान्देड़, श्री पं० रुद्रदेव जी खम्मम, श्री नारायण रेड्डी जी किसान नगर, श्री देवीदास जी वनवेल, श्री नरसिंह-राव बाघमारे, श्री पाण्डुरंगराव जी तेरकर, श्री विश्वनाथ जी आर्य जहीराबाद, श्री अजीतकुमार जी एम०ए०, श्री डॉ० गंगाधरराव जी गोजे, श्री बस्वमानय्या जी बी०ए० एल०एल०बी० जोगीपेट, श्री सुग्रीव जी काड़े एम०एस-सी० परली, श्री सिद्धलिंगप्पा जी महबूबनगर, श्री पोषट्टि अप्पा जी देगलूर, डॉ० हरिश्चन्द्र जी धर्माधिकारी लातूर, श्री अमरसिंह जी एम०ए० गुलबर्गा, पं० हरिश्चन्द्र जी एम०ए० रेणापुर, श्री पं० वेद-कुमार जी वेदालंकार एम०ए० लातूर, श्री विजयवीर जी विद्यालंकार एम०ए० हैदराबाद, पं० देशबन्धु जी शास्त्री धारूर, श्री मनसाराम जी, श्री श्यामसुन्दर जाजू, श्री धर्मेन्द्र जी निज़ामाबाद, श्री संग्रामसिंह जी चौहान औरंगाबाद, श्री घनश्याम जी जालना, श्री राऊत जी अम्बा-जोगाई, श्री धर्मपाल जी हिंगोली, श्री दिगम्बरराव जी होलीकर उदगीर, श्री नारायणस्वामी जी आर्य, श्री दशरथ जी आर्य सिकन्दराबाद, श्री बंसीलाल जी कोजगी, श्री चरुकान्तय्या जी एडवोकेट वरंगल, माननीय स्वामी प्रणवानन्द जी, स्वामी अभेदानन्द जी हैदराबाद, स्वामी हंसानन्द जी बेंगामपल्ली, श्री दौलतराव जी परली, श्री सत्यपाल जी राठौर, श्री व्रजपाल जी बीदर जैसे कर्मठ, निष्ठावान्, दयानन्द के सेनानी, वीर कार्यकर्त्ता, अन्याय, अज्ञान एवं अभाव की भयावह स्थिति के साथ अहर्निश संघर्ष करने में संलग्न हैं। □□□

ध्येय-पथ के जलते दीप

हैदराबाद के १५ हुतात्माओं ने अपना रक्त देकर भारतीय संस्कृति, धर्म और स्वतन्त्रता की ज्योति को बुझने नहीं दिया। पंडित नरेन्द्र जी की लेखनी से लिखी उन वीरों की वीरगाथा शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है।

—प्रकाशक